

# विनियोग लेखे 2019-20



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा Dedicated to Truth in Public Interest



# हिमाचल प्रदेश सरकार

# विनियोग लेखे

2019-20

हिमाचल प्रदेश सरकार

# विनियोग लेखे 2019 - 20

# विषय-सूची

विषय (विष		115-1
भूमिका		पृष्ठ (iii)
विनियोग लेखों का सारांश		(v-xv)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र		(xvii-xix)
अनुदान/विनियोग का नाम और संख्या		
1. विधान सभा	••	1-3
2. राज्यपाल और मंत्री-परिषद		4-7
3. न्याय प्रशासन	••	8-14
4. सामान्य प्रशासन	••	15-25
5. भू-राजस्व और जिला प्रशासन	••	26-39
<b>6.</b> आबकारी और कराधान	••	40-43
7. पुलिस और सम्बद्ध संगठन	••	44-55
8. शिक्षा	••	56-74
9. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	••	75-95
10. लोक निर्माण कार्य-सड़कें, पुल तथा भवन	••	96-113
11. कृषि	••	114-124
12. उद्यान		125-133
13. सिंचाई, जलापूर्ति तथा स्वच्छता	••	134-164
14. पशु पालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य		165-174
15. योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना	••	175-186
16. वन और वन्य जीवन	••	187-198
17. निर्वाचन	••	
	••	199-201
18. उद्योग, खनिज, आपूर्ति एवं सूचना प्रोद्योगिकी	••	202-209
19. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	••	210-234
20. ग्रामीण विकास	••	235-245
21. सहकारिता	••	246-248
22. खाद्य और नागरिक आपूर्ति	••	249-253
23. विद्युत विकास	••	254-258
24. मुद्रण और लेखन सामग्री 25. सड़क और जल परिवहन	••	259-261
·	••	262-264
26. पर्यटन और नागर विमानन	••	265-268
27. श्रम, रोजगार और प्रशिक्षण	••	269-275
28. शहरी विकास, नगर और ग्राम योजना तथा आवास	••	276-286
29. वित्त	••	287-301
30. विविध सामान्य सेवाएं	••	302-311
31. जनजातीय विकास	••	312-398
32. अनुसूचित जाति उप-योजना	••	399-460
परिशिष्ट		
वर्ष 2019-20 के लेखाओं में व्यय में कमी के रूप में समायोजित वसूलियों के अनुमानों और	••	461
वास्तविकताओं के आँकड़ों का अनुदानवार विवरण		

# भूमिका

हिमाचल प्रदेश सरकार के वर्ष 2019-20 के विनियोग लेखाओं के इस संकलन में 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष में व्यय की गई राशियों के लेखे प्रस्तुत किये गए हैं। लेखाओं की व्ययित राशियों की तुलना भारत के संविधान की धारा 204 व 205 के अर्न्तगत पारित विनियोग अधिनियमों में संलग्न अनुसूचियों में निर्दिष्ट राशियों से की गई है।

#### इन लेखाओं में:-

'मूल' का तात्पर्य मूल अनुदान या विनियोजन से है।

'पूरक' का तात्पर्य पूरक अनुदान या विनियोजन से है।

'पुनर्वि0' का तात्पर्य किसी सक्षम - प्राधिकारी द्वारा संस्वीकृत पुनर्विनियोजनों, धन -वापसियों या अभ्यर्पणों से है।

## प्रभारित विनियोजन और व्यय को इटालिक में दर्शाया गया है।

हिमाचल प्रदेश विधानमंडल की लोक लेखा समिति के पत्र संख्या VS-PAC(A.G.) 7-6/1998 विधान सभा दिनांक 13 मई 2016 द्वारा निम्नलिखित मानकों को अनुमोदित किया गया, जिन्हें विनियोजन लेखे की टिप्पणीयों में अपनाया गया है।

#### बचत

#### दत्तमत प्रावधान

बचत ₹ 20 लाख से अधिक या प्रावधान का 20 प्रतिशत जो भी अधिक हो, के लिए टिप्पणियाँ की जानी चाहिए।

# प्रभारित विनियोजन

यदि बचत ₹ 8 लाख से अधिक या प्रावधान का 20 प्रतिशत जो भी अधिक हो, के लिए टिप्पणियाँ की जानी चाहिए।

# आधिक्य

#### दत्तमत प्रावधान

यदि आधिक्य ₹ 15 लाख या प्रावधान का 20 प्रतिशत जो भी कम हो, के लिए टिप्पणियाँ की जानी चाहिए।

#### प्रभारित विनियोजन

यदि आधिक्य ₹ 6 लाख या प्रावधान का 20 प्रतिशत जो भी कम हो, के लिए टिप्पणियाँ की जानी चाहिए।

# विनियोग लेखाओं का सारांश

	अनुदान /विनियोजन की संख्या एवं नाम	कुल अनुदान/ विनियोजन		
		राजस्व	पूंजीगत	
	1	2	3	
		(₹ हजा	र में)	
1-	विधान सभा-			
	दत्तमत	41,44,14	5,34,72	
	प्रभारित	1,21,41		
2-	राज्यपाल और मंत्री-परिषद-			
	दत्तमत	21,20,49		
	प्रभारित	7,53,53		
3-	न्याय प्रशासन-			
	दत्तमत	2,00,01,14	15,20,00	
	प्रभारित	53,43,87	1,17,07	
4-	सामान्य प्रशासन-			
	दत्तमत	2,39,09,01	21,93,82	
	प्रभारित	15,56,42		
5-	भू-राजस्व और जिला प्रशासन-			
	दत्तमत	17,48,54,95	10,90,00	
	प्रभारित			
6-	आबकारी और कराधान-			
	दत्तमत	1,12,99,09	7,08,23	
	प्रभारित			
7-	पुलिस और सम्बद्ध संगठन-			
	दत्तमत	14,33,06,14	82,21,69	
	प्रभारित	17,61		
8-	शिक्षा-			
	दत्तमत	66,41,11,44	1,07,24,94	
	प्रभारित	29,50		
9-	रवास्थ्य और परिवार कल्याण-			
	दत्तमत	22,05,94,42	1,98,36,80	
	प्रभारित	16,05		
10-	लोक निर्माण कार्य- सड़कें, पुल तथा भवन-			
	दत्तमत	35,69,93,68	18,08,14,36	
	प्रभारित	46,36	1,04,46,02	

स्वात आधिक्य  राजस्व पूंजीगत राजस्व पूंजीगत राजस्व पूं  4 5 6 7 8 9  (₹ हजार में)  40,78,59 5,33,99 65,55 73  1,21,14 27  17,17,50 4,02,99  6,71,38 82,15  1,65,43,67 8,46,15 34,57,47 6,73,85  42,07,86 11,36,01 1,17,07	नीगत 
4 5 6 7 8 9 (₹ हजार में)  40,78,59 5,33,99 65,55 73  1,21,14 27  17,17,50 4,02,99  6,71,38 82,15  1,65,43,67 8,46,15 34,57,47 6,73,85	नीगत 
(₹ हजार में)  40,78,59 5,33,99 65,55 73  1,21,14 27  17,17,50 4,02,99  6,71,38 82,15  1,65,43,67 8,46,15 34,57,47 6,73,85	
40,78,59       5,33,99       65,55       73          1,21,14        27           17,17,50        4,02,99           6,71,38        82,15           1,65,43,67       8,46,15       34,57,47       6,73,85	
1,21,14        27           17,17,50        4,02,99           6,71,38        82,15           1,65,43,67       8,46,15       34,57,47       6,73,85	
1,21,14        27           17,17,50        4,02,99           6,71,38        82,15           1,65,43,67       8,46,15       34,57,47       6,73,85	
17,17,50      4,02,99         6,71,38      82,15         1,65,43,67     8,46,15     34,57,47     6,73,85	
6,71,38      82,15        1,65,43,67     8,46,15     34,57,47     6,73,85	
6,71,38      82,15        1,65,43,67     8,46,15     34,57,47     6,73,85	
1,65,43,67 8,46,15 34,57,47 6,73,85	••
42,07,86 11,36,01 1,17,07	
1,85,02,50 9,02 54,06,51 21,84,80	
13,54,74 2,01,68	
10,96,91,51 3,58,24 6,51,63,44 7,31,76	
1,20 1,20	
(1,20,000)	
98,67,55 6,93,52 14,31,54 14,71	
12,20,59,44 61,23,77 2,12,46,70 20,97,92	
17,60 1	
55,30,50,64 77,01,95 11,10,60,80 30,22,99	
29,31 19	
18,28,22,05 1,73,06,45 3,77,72,37 25,30,35	
11,19 4,86	
28,33,10,73 16,24,20,50 7,36,82,95 1,83,93,86	
40,77 6,92,23 5,59 97,53,79	

अनुदान /विनियोजन की संख्या एवं नाम	कुल अनुदान/ विनियोजन	
	राजस्व	पूंजीगत
1	2	3
	(₹ हजा	र में)
11- कृषि-		
दत्तमत	4,87,02,23	74,64,97
प्रभारित		
12- उद्यान-		
दत्तमत	3,74,98,83	16,35,63
प्रभारित		
13- सिचांई, जलापूर्ति तथा स्वच्छता-		
दत्तमत	25,86,53,73	8,86,71,48
प्रभारित	21,63	9,25,50
14- पशुपालन, दुग्ध विकास एंव मत्स्य-		
दत्तमत	4,06,03,22	20,34,91
प्रभारित		
15- योजना एंव पिछडा़ क्षेत्र उप-योजना-		
दत्तमत	74,65,20	3,03,99,00
प्रभारित		
16- वन और वन्य जीवन-		
दत्तमत	5,92,47,35	18,43,50
प्रभारित	3,99	
17- निर्वाचन-		
दत्तमत	97,73,79	8,00,00
प्रभारित		
18- उद्योग,खनिज, आपूर्ति एंव सूचना प्रौद्योगिकी-		
दत्तमत	2,34,05,75	46,90,00
प्रभारित		
19- सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता-		
दत्तमत	11,54,38,67	19,97,03
प्रभारित		
20- ग्रामीण विकास-		
दत्तमत	14,63,62,87	20,03,01
प्रभारित	5,65	

•	व्यय कुल अनुदान/ विनियोजन के साथ व्यय की				
	आधि		बचत		
पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व
9	8	7	6	5	4
		र मे)	(₹ हजा		
		8,48,21	33,43,95	66,16,76	4,53,58,28
		95,44	78,63,99	15,40,19	2,96,34,84
48,08,00			2,27,90,59	9,34,79,48	23,58,63,14
(48,07,99,467)					
22,70			9,26	9,48,20	12,37
(22,70,296)					
		5 40 00	60.00.04	44.00.50	2 20 20 24
••		5,42,33	69,80,91	14,92,58	3,36,22,31
		1,15,33,71	22,68,79	1,88,65,29	51,96,41
				.,	
•			•		-
		6,33,63	1,45,24,94	12,09,87	4,47,22,41
			45		3,54
			11,04,67	8,00,00	86,69,12
		19,05,91	1,00,51,63	27,84,09	1,33,54,12
		14,48,30	99,25,42	5,48,73	10,55,13,25
		6,04,01	3,51,17,09	13,99,00	11,12,45,78
					5,65

अनुदान /विनियोजन की संख्या एवं नाम	कुल अनुदान/ विनियोजन		
अनुदान /विानवीजन की संख्या एवं नान	યું,ભ અનુ <b>ય</b> ાના નિયાનાનાના		
	राजस्व	पूंजीगत	
1	2	3	
	(₹ हजा	र में)	
21- सहकारिता-			
दत्तमत	34,73,69	24,09,89	
प्रभारित			
22-खाद्य और नागरिक आपूर्ति-			
दत्तमत	3,15,26,43	2,36,43	
प्रभारित	5,00		
23- विद्यत विकास-	-,		
दत्तमत	5,45,69,39	6,79,39,00	
प्रभारित			
24- मुद्रण और लेखन सामग्री-			
दत्तमत	30,32,57	41,58	
प्रभारित			
25- सड़क और जल परिवहन-			
दत्तमत	3,64,52,41	2,10,58,26	
प्रभारित			
26- पर्यटन और नागर विमानन-			
दत्तमत	89,16,08	66,29,00	
प्रभारित			
27- श्रम, रोजगार और प्रशिक्षण-			
दत्तमत	3,58,39,00	83,78,29	
प्रभारित			
28- शहरी विकास,नगर और ग्राम योजना तथा आवास-			
दत्तमत	5,26,12,44	1,40,27,02	
प्रभारित	4,64,55		
29- वित्त-			
दत्तमत	67,81,25,28	13,77,53	
प्रभारित	45,50,00,08	67,00,74,76	
30- विविध सामान्य सेवाएं-			
दत्तमत	97,27,51	41,24,04	
प्रभारित	3,05,87		

व्य	य	कुल	कुल अनुदान/ विनियोजन के साथ व्यय की तुलना		
		बचर		आ	धिक्य
राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
4	5	6	7	8	9
		(₹ हजा	र में)		
29,95,04	24,13,39	4,78,65			3,50
					(3,50,000)
3,16,75,75	2,17,72		18,71	1,49,32	••
				(1,49,32,006)	
5,00					
4,16,93,46	5,21,92,36	1,28,75,93	1,57,46,64	••	••
28,18,12	41,58	2,14,45			
3,51,60,06	1,92,05,19	12,92,35	18,53,07		
32,96,53	37,33,57	56,19,55	28,95,43		
3,19,11,30	83,05,59	39,27,70	72,70		
4,32,82,67	1,40,33,08	93,29,77			6,06
					(6,06,266)
4,64,55					
55,68,29,36	7,42,56	12,12,95,92	6,34,97		
42,34,01,54	67,00,75,18	3,15,98,54			42
					(42,183)
85,95,84	37,74,38	11,31,67	3,49,66		
	<u></u>	3,05,87			

अनुदान /विनियोजन की संख्या एवं नाम	कुल अनुदान	/ विनियोजन
		पूंजीगत
1	2	3
	(₹ ह⊽	ार में)
31- जनजातीय विकास-		
दत्तमत	13,60,02,36	4,39,52,49
प्रभारित	33,96	
32- अनुसूचित जाति उप योजना		
दत्तमत	14,24,41,13	12,69,17,50
प्रभारित		
जोड़		
दत्तमत	3,56,12,04,43	66,42,75,12
प्रभारित	46, 37, 25, 48	68, 15, 63, 35
्र सकल जोड़	4,02,49,29,91	1,34,58,38,47

वम सारास						
व्य	य	कुल	कुल अनुदान/ विनियोजन के साथ व्यय की तुलना			
		बच	बचत		आधिक्य	
राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	
4	5	6	7	8	9	
		(₹ हजा	र में)			
9,88,63,75	3,45,48,47	3,71,38,61	94,04,02			
17,50		16,46				
9,11,04,62	10,37,55,09	5,13,36,51	2,31,62,41			
0.00.00.50.04	50 70 00 50	07.00.00.44	40 44 00 40	4 40 00	40.47.50	
2,88,30,50,34	56,76,92,56	67,83,03,41	10,14,00,12	1,49,32	48,17,56	
				(1,49,32,006)	(48,17,55,733)	
43,03,65,34	67,17,15,61	3,33,61,34	98,70,86	1,20	23,12	
				(1, 20, 000)	(23,12,479)	
3,31,34,15,68	1,23,94,08,17	71,16,64,75	11,12,70,98	1,50,52	48,40,68	
				(1,50,52,006)	(48,40,68,212)	

# विनियोग लेखे विनियोग लेखाओं का सारांश (क्रमशः)

वर्ष 2019-20 में आकस्मिक निधि से कोई अग्रिम नहीं लिया गया। निम्नलिखित दत्तमत अनुदानों में आधिक्य का नियमन अपेक्षित है:-

#### राजस्व प्रवर्ग

22- खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति-

# पूंजीगत प्रवर्ग

- 13- सिंचाई, जलापूर्ति तथा स्वच्छता-
- 21- सहकारिता-
- 28- शहरी विकास, नगर और ग्राम योजना तथा आवास-

# निम्नलिखित अनुदानों में भी प्रभारित विनियोजन से आधिक्य का नियमन अपेक्षित है:-

### राजस्व प्रवर्ग

05- भू-राजस्व और जिला प्रशासन-

# पूंजीगत प्रवर्ग

- 13- सिंचाई, जलापूर्ति तथा खच्छता-
- 29- वित्त-

चूंकि अनुदान एवं प्रभारित विनियोजन व्यय हेतु अपेक्षित सकल राशियों के प्रति होती है, अतः उनके सम्मुख दर्शाए गए व्यय के आंकड़ों में वे वसूलियां (परिशिष्टानुसार पृष्ठ संख्या 461) सिम्मिलित नहीं होती हैं, जिन्हें लेखाओं में व्यय से कम करके समायोजित किया जाता है। शुद्ध व्यय के आंकड़े वित्त लेखाओं में दर्शाए गए हैं।

मार्च 2019-20 के दौरान 8 अनुदान संख्या (अनुदान संख्या- 04,05,10,11,13,21,31 तथा 32) के अन्तर्गत ₹ 23,73,74,481 का व्यय बिना बजट प्रावधान के हुआ। बिना बजट प्रावधान का व्यय वित्तीय अनियमितताएं और वित्तीय नियमों के उल्लंघन को दर्शाता है।

मार्च 2020 में ₹ 9,07,85,418 का बजट प्रावधान पांच अनुदान मांगों (अनुदान संख्या-11,13,22,29 तथा 32) में पुनर्विनियोजन द्वारा किया गया। जबिक निधियों को मूल/अनुपूरक बजट अनुदानों द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए था। बिना प्रावधान के पुनर्विनियोजन अनुचित तथा हिमाचल प्रदेश की बजट नियमावली के पैरा 12.5 का उल्लंघन है।

टिप्पणी: परीक्षण किए गए आधार पर की गई जांच में पाया गया कि वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य सरकार के आहरण एवं संवितरण अधिकारियों ने स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागार से ₹ 13,73.77 करोड़ की धनराशि को आहरित कर/निकाल कर आहरण एवं संवितरण अधिकारी के बचत बैंक खातों में हस्तांतरित किया। राज्य सरकार ने उक्त राशि को बजट प्रावधानों के विरुद्ध व्यय के रूप में शामिल कर लिया है। ₹ 13,73.77 करोड़ की राशि में से ₹ 12,02.25 करोड़ राजस्व शीर्षों तथा ₹ 1,71.52 करोड़ पूंजीगत शीर्षों में शामिल हैं।

प्रधान महालेखाकार (ले0 व ह0) ने ₹ 13,73.77 करोड़ की पूरी राशि को वास्तविक व्यय के रूप में नहीं लिया है क्योंकि राज्य सरकार ने वास्तविक व्यय के प्रमाण के रूप में वाउच्चर प्रदान नहीं किये है और राशि को उच्चन्त के अन्तर्गत रखा गया है, जिसके परिणामस्वरूप विनियोग लेखे 2019-20 की अनुदान मांगों में सम्पूर्ण बचत है।

# विनियोग लेखे विनियोग लेखाओं का सारांश (समाप्त)

वर्ष 2019-20 के विनियोग लेखाओं के अनुसार कुल व्यय तथा उस वर्ष के वित्त लेखाओं में दर्शाए गए कुल व्यय का समाधान नीचे दर्शाया गया है:-

_				
	Я	भारित	दत्तमत	
<u>;</u>	राजस्व	 पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
	(₹ हजार	में)	(₹ हजार में	·)
विनियोग लेखाओं के अनुसार कुल व्यय	43,03,65,34	67,17,15,61	2,88,30,50,34	56,76,92,56
घटाएं-परिशिष्ट में दर्शाई गई कुल वसूलिय	 п		24,03,72,98	61,20,95
शुद्ध जोड़ जैसा कि वित्त लेखाओं की विवरणी संख्या-11 में दर्शाया गया है।	43,03,65,34	67,17,15,61	2,64,26,77,36	56,15,71,61

उपरोक्त वसूलियों के विवरण परिशिष्ट के पृष्ठ संख्या 461 पर दिये गये हैं।

# भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र

इस संकलन में 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के विनियोग लेखे समाहित हैं, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 एवं 205 के अन्तर्गत पारित विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशियों की तुलना में वर्ष में व्यय की गई राशियों के लेखे प्रस्तुत करता है। वर्ष के लिए सरकार के वित्त लेखे सरकार की वर्ष की प्राप्तियों एवं संवितरणों के लेखाओं सहित वित्तीय स्थिति प्रस्तुत करते हैं, जिन्हें एक पृथक संकलन में प्रस्तुत किया गया है।

विनियोग लेखे, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार मेरे पर्यवेक्षण में तैयार किये गये हैं तथा इन्हें हिमाचल प्रदेश सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले एवं ऐसे लेखाओं के रखरखाव के लिए उत्तरदायी कोषागारों, कार्यालयों तथा विभागों द्वारा प्रस्तुत किए गए वाउचरों, चालानों एवं प्रारम्भिक तथा सहायक लेखाओं और भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त हुए विवरणों से संकलित किया गया है।

हिमाचल प्रदेश सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले कोषागार, कार्यालय तथा/अथवा विभाग मुख्यतः प्रारम्भिक एवं सहायक लेखाओं को तैयार करने और इनकी परिशुद्धता के साथ-साथ इन लेखाओं तथा संव्यवहारों से संबंधित लागू कानूनों, मानकों, नियमों एवं विनियमों के अनुसार संव्यवहारों की नियमितता को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है। मैं वार्षिक लेखाओं को तैयार करने तथा उन्हें राज्य विधानमण्डल को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी हूँ। लेखाओं को तैयार करने के मेरे उत्तरदायित्व का निर्वहन प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय के माध्यम से किया जाता है। इन लेखाओं की लेखापरीक्षा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 एवं 151 तथा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार स्वतंत्र रूप से प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के कार्यालय के माध्यम से, इन लेखाओं पर अपना मत व्यक्त करने के लिए की जाती है, जो लेखापरीक्षा के परिणामों पर आधारित होता है। ये कार्यालय स्वतंत्र संस्थाएं हैं, जिनका अपना अलग संवर्ग, पृथक उत्तरदायी पदानुक्रम तथा प्रबंधन ढांचा है।

लेखापरीक्षा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार की गई थी। इन मानकों द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि लेखे महत्वपूर्ण त्रुटियों से मुक्त हैं, इस पर यथोचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए हम योजना बनाकर लेखापरीक्षा करें। लेखापरीक्षा में, वित्तीय विवरणों में राशियों एवं प्रकटनों से संबंधित साक्ष्यों की नमूना आधार पर जांच भी सिम्मिलित है।

मेरे अधिकारियों द्वारा प्राप्त अपेक्षित सूचना और स्पष्टीकरणों के आधार पर तथा लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, अपनी सम्पूर्ण जानकारी के अनुसार और दिए गए स्पष्टीकरणों पर विचार करते हुए, मैं अपनी सम्पूर्ण जानकारी और विश्वास के साथ प्रमाणित करता हूँ कि इस संकलन में दी गयी टिप्पणियों के साथ पठित विनियोग लेखे, भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 एवं 205 के अन्तर्गत राज्य विधान मंडल द्वारा पारित विनियोग अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशियों की तुलना में 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष में व्यय की गई राशियों के लेखाओं की सही एवं निष्पक्ष प्रस्तुति करते हैं।

इन लेखाओं के अध्ययन तथा वर्ष के दौरान अथवा विगत वर्षों के दौरान की गई नमूना लेखापरीक्षा से उद्भूत महत्वपूर्ण मुद्दे 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए पृथक रूप से प्रस्तुत किये जाने वाले हिमाचल प्रदेश सरकार पर मेरे वित्तीय, अनुपालन तथा निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल हैं।

#### मामले का महत्व

में निम्नलिखित महत्वपूर्ण मुददे पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ जो इन लेखाओं की परिशुद्धता, पारदर्शिता और पूर्णता के दृष्टिकोण से तथा लोक वित्त पर विधायी वित्तीय नियन्त्रण बनाये रखने के लिए आवश्यक है:

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान चार दत्तमत्त अनुदानों और तीन विनियोजनों के अन्तर्गत राज्य विधान सभा द्वारा प्राधिकृत राशि से ₹ 49.91 करोड़ का अधिक व्यय किया गया। वर्ष 2013-14 से 2018-19 के दौरान विनियोजनों के अन्तर्गत ₹ 9,154.72 करोड़ का अधिक व्यय सितम्बर, 2020 तक राज्य विधान सभा द्वारा नियमित किया जाना अपेक्षित था। यह संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 का उल्लंघन है जिसमें यह प्रावधान है कि राज्य विधान सभा द्वारा नियमों के अन्तर्गत विधेयक के द्वारा पारित राशि से अधिक धन की समेकित निधि से निकासी नहीं की जाएगी। यह बजटीय और वित्तीय नियन्त्रण की प्रणाली को निष्फल करता है और सार्वजनिक संसाधनों के प्रबन्धन में वित्तीय अनुशासन हीनता को प्रोत्साहित करता है।

उपरोक्त मुददे पर लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ हिमाचल प्रदेश सरकार के वर्ष 2019-20 के राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में विस्तार से दी गई है।

दिनांकः 26 अप्रैल 2021

स्थानः नई दिल्ली

(गिरीश चंद्र मुर्मू) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

# विनियोग लेखे अनुदान संख्या-1-विधान सभा

(शीर्ष- 2011-संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधानमण्डल, 2216-आवास तथा 7610-सरकारी कर्मचारियों को ऋण इत्यादि)

कमवारिया	का ऋण इत्याद)			
		कुल अनुदान/ विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ हजारों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग			,	
दत्तमत				
मूल	39,85,27	41,44,14	40,78,59	(-)65,55
पूरक	1,58,87	, ,	. ,	( ) ,
वर्ष के दौरान अभ्या राशि (31 मार्च 202				65,57
प्रभारित				
मूल	75,02	1,21,41	1,21,14	(-)27
पूरक	46,39	, ,	, ,	( )
वर्ष के दौरान अभ्या राशि (31 मार्च 202				6,42
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	3,05,00	5,34,72	5,33,99	(-)73
पूरक	2,29,72	-,,. =	-,,	( )
वर्ष के दौरान अभ्या राशि (31 मार्च 202	20)	<del></del>	<del></del>	73

# टिप्पणियां तथा अभ्युक्तियां

- (i) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 65.55 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2020 में प्राप्त ₹ 1,58.87 लाख का अनुपूरक अनुदान और ₹ 65.57 लाख का अभ्यर्पण अत्याधिक सिद्ध हुआ।
- (ii) राजस्व प्रवर्ग में प्रभारित विनियोजन में ₹ 0.27 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 6.42 लाख का अभ्यर्पण अत्यधिक सिद्ध हुआ।

#### राजस्व प्रवर्ग

(iii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष कुल अनुदान वास्तविक आधिक्य (+) व्यय बचत (-) (₹ लाखों में)

#### 2011- संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल-

- 02- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल-
- 103- विधान *मंडल* सचिवालय-
- 01- विधान सभा सचिवालय के कर्मचारी-

#### गैर योजना

मूल 17,21.58 पूरक 13.93 15,43.32 15,43.33 +0.01 पुनर्वि0 (-)1,92.19

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यपर्ण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,92.19 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों और सचिव विधान सभा के विदेशी दौरों पर व्यय से हुए आधिक्य से अंशत: प्रतिसंतुलित हुई।

(iv) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत शीर्षो के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष कुल अनुदान वास्तविक आधिक्य (+) व्यय बचत (-) (₹ लाखों में)

### 2011- संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल

- 02- राज्य/संघ राज्य विधान मंडल-
- 101- विधान सभा-
- 03- हिमाचल प्रदेश विधानसभा सदस्य-

#### गैर योजना

मूल 17,33.41 पूरक 1,44.94 19,57.27 19,57.28 +0.01 पुनर्वि0 78.92

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 78.92 लाख का आवर्धन विधान सभा सदस्यों के आयकर के अधिक भुगतान और हिमाचल प्रदेश् विधान सभा धर्मशाला में विडियो सम्मेलन प्रणाली/लिक्किवड क्रिस्टल डिस्पले प्रोजेक्टर/सहायक उपकरणों की स्थापना और माननीय समिति द्वारा दौरों पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोिक रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ।

04- पूर्व सदस्यों को मुफ्त यात्रा सुविधा-

# विनियोग लेखे अनुदान संख्या-1 (समाप्त)

गैर योजना

मूल 12.00

61.40 61.40

पुनर्वि0 49.40

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 49.40 लाख का आवर्धन विधान सभा के सदस्यों की निशुल्क भ्रमण सुविधा राशि में वृद्धिं के कारण हुई।

# 4 विनियोग लेखे अनुदान संख्या-2 -राज्यपाल और मंत्री परिषद

शीर्ष- 2012-राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति/राज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक, 2013-मंत्री परिषद तथा 2216-आवास)

		कुल अनुदान/ विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ हजारों में)	आधिक्य(+) बचत(-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	14,95,43	21,20,49	17,17,50	(-)4,02,99
पूरक	6,25,06			(,
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित	-			
राशि (31 मार्च 2020) प्रभारित				2,44,59
मूल	7,53,53			
		7,53,53	6,71,38	(-)82,15
पूरक				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				81,42
		टिप्पणियां तथा अभारि	दे <del>त</del> गां	

# टिप्पणियां तथा अभ्युक्तियां

- (i) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 4,02.99 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2020 में प्राप्त ₹ 6,25.06 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्याधिक सिद्ध हुआ तथा ₹ 2,44.59 का अभ्यर्पण भी अपर्याप्त सिद्ध हुआ।
- (ii) राजस्व प्रवर्ग के प्रभारित विनियोजन में ₹ 82.15 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 81.42 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

#### राजस्व प्रवर्ग

(iii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षौ के अन्तर्गत हुई:-

आधिक्य (+)	वास्तविक	कुल अनुदान	J	J	शीर्ष
बचत (-)	व्यय				
	(₹ लाखों में)				

# 2013- मंत्री परिषद-

101- मंत्रियों तथा उप मंत्रियों का वेतन-

01- मंत्रियों तथा उप मंत्रियों की परिलब्धियां वेतन-

#### गैर योजना

मूल	10,95.21			
पूरक	4,40.06	13,33.05	11,85.94	(-)1,47.11
पुनर्वि0	(-)2,02.22			

₹ 1,47.11 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,02.22 लाख की कमी मंत्रियों के रिक्त पदों को भरने व यात्रा पर कम व्यय के कारण हुई जोकि शीतकालीन विधान सभा सत्र के दौरान आतिथ्य एवं मनोंरजन पर अधिक व्यय के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

₹ 1,47.11 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

105- मंत्रियों की ऐच्छिक निधि-

01- स्थानीय विकास के लिए-

#### गैर योजना

मूल 2,60.00 पूरक 1,80.00 3,97.65 3,86.65 (-)11.00 पुनर्वि0 (-)42.35

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 42.35 लाख की कमी मंत्रियों द्वारा कम विवेकाधीन अनुदान जारी करने के कारण हुई।

(iv) प्रभारित विनियोजन में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षौ के अर्न्तगत हुई:-

शीर्ष कुल वास्तविक आधिक्य (+) विनियोजन व्यय बचत (-) (₹ लाखों में)

2012- राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति/राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक-

03- राज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक-

090- सचिवालय-

01- राज्यपाल सचिवालय के कर्मचारी वर्ग-

#### गैर योजना

मूल 4,07.09

3,62.89 3,62.20

(-)0.69

पुनर्वि0 (-)44.20

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा विनियोजन में ₹ 44.20 लाख की कमी वेतनमानों में संशोधन न होने के कारण हुई।

103- पारिवारिक स्थापना-

01- राज्यपाल की पारिवारिक स्थापना-

#### गैर योजना

मूल 2,72.01

2,29.29 2,29.25

(-)0.04

पुनर्वि0 (-)42.72

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा विनियोजन में ₹ 42.72 लाख की कमी वेतनमानों में संशोधन न होने के कारण हुई जोकि यात्रा पर अधिक व्यय के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

107- संविदा भत्ते से व्यय-

01- राज्यपाल के संविदा भत्ते-

	गैर योजना				
	मूल	8.00			
	-		3.80	3.80	
	पुनर्वि0	(-)4.20			
		-	द्वारा विनियोजन में यय के कारण हुई।	र ₹ 4.20 लाख की	कमी दूरभाष, जल तथा
	अन्य व्यय- मरम्मते- <b>गैर योजना</b> मूल	3.10			
	पुनर्वि0	(-)3.10			
		•	े द्वारा <b>₹</b> 3.10 लार म कर दिया गया।	<b>ब का समस्त विनियो</b>	जन मरम्मत कार्यो का
(v)	उपरोक्त बचत शीर्ष	मुख्यतः निम्नव	ात् शीर्षौ के अन्तर्गत कुल विनियोजन		तः प्रतिसंतुलित हुई:- आधिक्य(+) बचत(-)
2012-	राष्ट्रपति/उपराष्ट्र	पति/राज्यपाल	/संघ राज्य क्षेत्रों के	प्रशासक-	
03-		-		2000	
	सत्कार भत्ता-				
01-	राज्यपाल के स गैर योजना	त्कार भत्ते-			
	मूल	2.00			
			5.50	5.50	
	पुनर्वि0	3.50			
	मार्च 2020 में उ के अतिथियों पर	-		₹ 3.50 लाख का आ	वर्धन माननीय राज्यपाल
	चिकित्सा सुविध राज्यपाल, उनके वर्ग को चिकित्स गैर योजना	र्वे परिवार तथा	निजि कर्मचारी		
	मूल	0.51			
			3.00	3.00	
	पुनर्वि0	2.49			
	मार्च 2020 में दावों पर अधिक	-		₹ 2.49 लाख का आ	वर्धन चिकित्सा प्रतिपूर्ति

108- यात्रा व्यय -

# विनियोग लेखे अनुदान संख्या - 2 (समाप्त)

01- राज्यपाल तथा उनकी स्थापना के लिए यात्रा व्यय -

गैर योजना

मूल

10.00

16.02

16.01

(-)0.01

पुनर्वि0

6.02

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोजन में ₹ 6.02 लाख का आवर्धन यात्रा पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

800- अन्य व्यय-

03- विद्युत-

गैर योजना

मूल

3.50

7.40 7.40

पुनर्वि0

3.90

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोजन में ₹ 3.90 लाख का आवर्धन विद्युत मरम्मत कार्य पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

# 8 विनियोग लेखे अनुदान संख्या-3- न्याय प्रशासन

(शीर्ष- 2014-न्याय प्रशासन, 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2062-सतर्कता, 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 2216-आवास तथा 4059-लोक निर्माण-कार्य पर पूंजीगत परिव्यय)

		कुल अनुदान/ विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ हजारों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल 2,0	00,01,14	2,00,01,14	1,65,43,67	(-)34,57,47
पूरक		, , .	, , ,	( ) , , ,
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित				
राशि (31 मार्च 2020)				34,57,04
प्रभारित				
मूल १	50,46,94			<i>(</i> )
	0.00.00	53,43,87	42,07,86	(-)11,36,01
पूरक वर्ष के दौरान अभ्यर्पित	2,96,93			
राशि (31 मार्च 2020)				11,35,98
पूंजीगत प्रवर्ग				,, .
दत्तमत				
मूल	7,16,00			
11-12-	0.04.00	15,20,00	8,46,15	<i>(-)</i> 6,73,85
पूरक	8,04,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)	राशि			3,73,85
प्रभारित				
मूल मूल				
٩٠٠		1,17,07		(-)1,17,07
पूरक	1,17,07			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				1,17,07

# टिप्पणियां तथा अभ्युक्तियां

- (i) राजस्व प्रवर्ग के प्रभारित विनियोजन में ₹11,36.01 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2020 में ₹ 2,96.93 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ जबकि मूल अनूदान भी सारभूत रूप से अप्रयुक्त रहा।
- (ii) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 6,73.85 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2020 में प्राप्त ₹ 8,04.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्याधिक सिद्ध हुआ तथा ₹ 373.85 लाख का अभ्यर्पण भी अपर्याप्त सिद्ध हुआ ।

(iii) पूंजीगत प्रवर्ग के प्रभारित विनियोजन में ₹ 1,17.07 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2020 में प्राप्त ₹ 1,17.07 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

#### राजस्व प्रवर्ग

(iv) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष कुल अनुदान वास्तविक आधिक्य (+)

व्यय बचत (-)

(₹ लाखों में)

#### 2014- न्याय प्रशासन-

105- सिविल तथा सत्र न्यायालय-

01- नागरिक तथा सत्र न्यायालयों स्थापना-

#### गैर योजना

मूल 1,48,34.88

1,17,07.78 1,17,07.55

(-)0.23

पुनर्वि0 (-)31,27.10

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 31,27.10 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, वेतनमान का संशोधन न होने, यात्रा पर कम व्यय होने के कारण हुई जोकि विद्युत, दूरभाष व पानी के बिलों की अधिक प्राप्ति और नए वाहनों की खरीद पर हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

114- विधि सलाहकार और परामर्शदाता -

01- महाअधिवक्ता-

#### गैर योजना

मूल 11,93.52

10,86.74 10,86.74

पुनर्वि0 (-)1,06.78

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹1,06.78 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, वेतनमानों के संशोधन न होने तथा व्यवसायिक व विशेष सेवाओं की भर्ती पर कम व्यय के कारण हुई।

02- अन्य विधि अधिकारी-

#### गैर योजना

मूल 22,07.41

18,74.29 18,74.29

पुनर्वि0 (-)3,33.12

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3,33.12 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, वेतनमानों के संशोधन न होने और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

03- राज्य न्याययिक अकादमी पर व्यय-

#### गैर योजना

मूल 2,95.43

2,43.36 2,43.36 ...

पुनर्वि0 (-)52.07

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 52.07 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, वेतनमानों के संशोधन न होने और दूरभाष, विद्युत व जल प्रभारों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

116- राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण-01- राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण-गैर योजना मूल 8,23.76 (-)0.015,43.00 5,42.99 पुनर्वि0 (-)2,80.76मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,80.76 लाख की कमी राज्य प्रशासनिक पराधिकरण के उन्मूलन और दूरभाष, विद्युत व जल प्रभारों की कम प्राप्ति के कारण हुई। 2059- लोक निर्माण कार्य-01- कार्यालय व्यय-053- रखरखाव और मुरम्मत-48- अभियोजन के भवनों का रखरखाव-गैर योजना (i) मूल 1.32 पुनर्वि0 (-)1.32 महाधिवक्ता के कार्यालय भवन का रखरखाव-58-गैर योजना (ii) मूल 1.32 पुनर्वि0 (-)1.32हिमाचल प्रदेश राज्य न्याययिक अकादमी भवनों का रखरखाव-गैर योजना (iii) मूल 1.32 पुनर्वि0 (-)1.32उपरोक्त तीन मामलों मार्च 2020 में ₹ 3.96 लाख् का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण अभ्यर्पित कर दिया गया। 2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं -105- विशेष जाँच आयोग-04- हिमाचल प्रदेश राज्यमानव अधिकार आयोग-गैर योजना मूल 26.24 13.66 13.66 पुनर्वि0 (-)12.58

मार्च 2020 में अभ्यपर्ण द्वारा प्रावधान में ₹ 12.58 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा वेतनमानों के संशोधन न होने के कारण हुई।

(v) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षौ के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष कुल अनुदान वास्तविक आधिक्य (+)

व्यय बचत (-)

(₹ लाखों में)

#### 2014- न्याय प्रशासन-

102- उच्च न्यायालय-

05- ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना (फेज-II)-

गैर योजना

मूल 0.01

74.31 74.31

पुनर्वि0 74.30

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 74.30 लाख का आवर्धन ई-कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट -II को अव्ययित शेष भारत सरकार द्वारा निधि प्रदान करने के कारण हुआ।

108- दण्ड न्यायालय-

01- गवाहों को यात्रा तथा भोजन राशि-

गैर योजना

मूल 90.00

1,21.25 1,21.05 (-)0.20

पुनर्वि0 31.25

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 31.25 लाख का आवर्धन योजना के अर्न्तगत अधिक दावों को प्राप्त होने के कारण हुआ।

800- अन्य व्यय-

02- हिमाचल प्रदेश राज्य विधि सेवाएं प्राधिकरण-

गैर योजना

मूल 4,38.91

*पूरक* 5,47.65 5,47.65

पुनर्वि0 1,08.74

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,08.74 लाख का आवर्धन कम्पयूटर हार्डवेयर फैक्स मशीन,फर्नीचर की खरीद पर अधिक व्यय चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की अधिक प्राप्ति, सम्मेलनों के संगठन और नए वाहनों की खरीद के कारण हुआ।

04- पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना-

गैर योजना

मूल 12.00

2,21.43 2,21.43

पुनर्वि0 2,09.43

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,09.43 लाख का आवर्धन पीड़ितों को मुआवजे/क्षतिपूर्ति के भुगतान के कारण हुआ।

### 2059- लोक निर्माण कार्य-01- कार्यालय भवन-053- रखरखाव और मुरम्मत-38- उच्च न्यायालय के भवनों का रखरखाव-गैर योजना (i) मूल 38.54 60.97 60.97 पुनर्वि0 22.43 57- लोकायुक्त भवन का रखरखाव-गैर योजना (ii) मूल 1.32 6.96 6.96 पुनर्वि0 5.64 2216- आवसीय-01- साधारण पूल आवास-053- मुरम्मत एवं रखरखाव-01- अन्य रखरखाव पर व्यय-गैर योजना (iii) मूल 35.13 42.71 42.71 पुनर्वि0 7.58 उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹35.65 लाख का आवर्धन कार्यालय/आवसीय भवनों की मुरम्मत और रखरखाव के कारण हुआ ।

(vi) प्रभारित विनियोजन में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:

शीर्ष कुल विनियोजन वास्तविक आधिक्य (+) व्यय बचत (-) (₹ लाखों में)

#### 2014- न्याय प्रशासन-

102- उच्च न्यायालय-

01- उच्च न्यायालय स्थापना-

#### गैर योजना

मूल 46,52.35 पूरक 2,96.93

39,55.62 39,55.59

(-)0.03

पुनर्वि0 (-)9,93.66

मार्च 2020 में अभ्यपर्ण द्वारा विनियोजन में ₹ 9,93.66 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, व वेतनमानों के संशोधन न होने, संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

#### 2062- संतर्कता-

103- लोकायुक्त/उप-लोकायुक्त-

01- लोकायुक्त-

गैर योजना

<i>1</i> 050-	लोक निर्माण	कार्य पर पंजीगत	ग्राचित्राग-	(-	
	रााप		कुल अनुदान	वास्तावक व्यय ( <b>₹</b> लाखों में)	बचत (-)
(V111)	उपरोक्त बचत शीर्ष	न मुख्यत निम्नवत्	्शीर्षों के अन्तर्गत हुए	, आधिक्य से अशतः । वास्तविक	-
/ ···\			ावधान अप्रयुक्त रहा रि		
	मूल	3,00.00	3,00.00	···	
25-	योजना	दी कार्यालयों का			(-)3,00.00
	संहितागत औ	पचारिकताओं को	अनुदान द्वारा प्राप्त पूरा न करने के कारण		
	पुनर्वि0	(-)10.00			
	पूरक	10.00			
	गैर योजना				
		मों को पूरा न क	अभ्यपर्ण द्वारा प्रावधान रने के कारण हुई जब		
		5,70.00	36.06	36.06	
	<b>योजना</b> मूल	2.00			
10	केन्द्रीय प्रायोगि				
051- 15-	٠,	आवास निर्माण हेत् संरचना का उत्था	,		
01-	कार्यालय भवन		-		
4059-		कार्य पर पूंजीगत		·	
	शीर्ष	कु	ल अनुदान (	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
(VII)			नवत् शीर्षौ के अन्तर्गत 	_	2 <del>-0</del>
٠,		r <del>ji</del> an <del>dran Dr</del>	न्यत्र सीर्धं के अन्तर्भः	r <del>a á</del> .	
गंजीम	को न भरने व <b>त प्रवर्ग</b>	वेतनमानों में संश	गिधन न होने के कारण	- हुई।	
		-	भ्यपर्ण द्वारा विनियोज		की कमी रिक्त पदे
	पुनर्वि0 (	(-)1,42.32			
	मूल	3,94.59	2,52.27	2,52.27	

### 14 विनियोग लेखे अनुदान संख्या-3- (समाप्त)

		जा <u>पु</u> चा	1 11041 5 (11111	(i)	
01-	कार्यालय भव	वन -			
051-	सामान्य पूल	आवास निर्माण हेतु-			
15-	न्यायपालिका	संरचना का उत्थान-			
	योजना				
(i)	मूल	3,93.00			
			5,64.09	5,64.10	+0.01
	पुनर्वि0	1,71.09			
31-	राष्ट्रीय विधि गैर योजना	विश्वविद्यालय-			
(ii)	मूल	1.00			
			2.00	2.00	
	पुनर्वि0	1.00			
		मामलों में मार्च 202 ब कार्यो पर अधिक व्य	•	द्वारा प्रावधान में ₹ 1	,72.09 लाख का
(ix)	प्रभारित विनि	नेयोजन में बचत निम्नव	ात शीर्षों के अन्तर्गत	हुई:-	
	शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक	आधिक्य (+)
			3 3	व्यय	बचत (-)
				(₹ लाखों में)	
		ं कार्य पर पूंजीगत परि	रेव्यय-		
	कार्यालय भव				
		आवास निर्माण हेतु-			
15-		संरचना का उत्थान-			
	योजना 				
	पूरक	1,17.07			
	पुनर्वि0	(-)1,17.07			

फरवरी 2020 में अनुपूरक विनियोजन द्वारा प्राप्त ₹1,17.07 लाख का समस्त विनियोजन मुख्य कार्यों में व्यय बुक न करने के कारण 31 मार्च 2020 को अभ्यर्पण द्वारा कम कर दिया गया।

### विनियोग लेखे अनुदान संख्या - 4- सामान्य प्रशासन

(शीर्ष- 2051-लोक सेवा आयोग, 2052- सचिवालय-सामान्य सेवाएं, 2053- जिला प्रशासन, 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 2075- विविध सामान्य सेवाएं, 2216-आवास, 2235- सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, 2251- सचिवालय -सामाजिक सेवाएं, 3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान, 3435- परिस्थिति विज्ञान और पर्यावरण, 3451- सचिवालय-आर्थिक सेवाएं 4059-लोक निर्माण कार्य और पूंजीगत परिव्यय तथा 4235- सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय)

		कुल अनुदान/ विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ हजारों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	2,19,77,68			<i>(</i> )
पूरक	19,31,33	2,39,09,01	1,85,02,50	(-)54,06,51
वर्ष के दौरान अभ राशि (31 मार्च 2				38,53,73
प्रभारित				
मूल	10,03,20	15 56 40	13,54,74	(-)2,01,68
पूरक	5,53,22	15,56,42	13,54,74	(-)2,01,00
वर्ष के दौरान अर				
राशि (31 मार्च 2	2020)			2,01,68
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	2	21,93,82	9,02	(-)21,84,80
पूरक	21,93,80	21,93,02	9,02	( )21,04,00
वर्ष के दौरान अभ राशि (31 मार्च 2				20,90,02

### टिप्पणियां तथा अभ्युक्तियां

- (i) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 54,06.51 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2020 में प्राप्त ₹ 19,31.33 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ। जबिक मूल अनुदान भी सारभूत रूप से अप्रयुक्त रहा और ₹ 38,53.73 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ।
- (ii) राजस्व प्रवर्ग में प्रभारित विनियोजन में ₹ 2,01.68 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2020 में प्राप्त ₹ 5,53.22 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्याधिक सिद्ध हुआ।

(iii) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 21,84.80 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2020 में प्राप्त ₹ 21,93.80 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्याधिक सिद्ध हुआ तथा ₹ 20,90.02 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ ।

### राजस्व प्रवर्ग

(iv) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष कुल अनुदान वास्तविक आधिक्य (+) व्यय बचत (-) ( ₹ लाखों में)

### 2052- सचिवालय-सामान्य सेवाएँ-

090- सचिवालय-

01- मुख्य सचिवालय-

#### गैर योजना

मूल 72,97.07 पूरक 2,62.81 53,98.87 53,98.87 पुनर्वि0 (-)21,61.01

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यपर्ण द्वारा प्रावधान में ₹ 21,61.01 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा कर्मचारियों के कम यात्रा और दूरभाष, विद्युत तथा पानी के बिलों पर कम व्यय के कारण हुई जोकि नए वाहनों की अधिक खरीद, पैट्रोल, तेल, रनेहक व मुरम्प्त पर अधिक व्यय और हिमाचल प्रदेश सचिवालय के केंटीन कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों के भुगतान पर अधिक व्यय से हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

02- राजस्व विभाग-

### गैर योजना

(i) मूल 7,43.83 5,62.40 5,62.40 ... पुनर्वि0 (-)1,81.43

03- आबकारी और कराधान विभाग-

### गैर योजना

(ii) मूल 1,35.84

91.18 91.18

पुनर्वि0 (-)44.66

04- गृह विभाग-गैर योजना

(iii) मूल 4,02.72

3,31.85 3,31.85 ...

पुनर्वि0 (-)70.87

05- लोक निर्माण विभाग-

### गैर योजना

(iv) मूल 6,79.77

4,72.80 4,72.80

पुनर्वि0 (-)2,06.97

06- वित्त विभाग-

गैर योजना

(v) मूल 9,10.09

7,71.10 7,71.10

पुनर्वि0 (-)1,38.99

उपरोक्त पाँच मामलों में मार्च 2020 में अभ्यपर्ण द्वारा प्रावधान में ₹ 6,42.92 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने और वेतनमानों में संशोधन न होने के कारण हुई।

091- संलग्न कार्यालय-

01- आवासीय आयुक्त-

### गैर योजना

मूल 2,77.93

0.01 1,67.76 1,67

1,67.60 (-)0.16

पुनर्वि0 (-)1,10.18

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यपर्ण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,10.18 लाख की कमी बाह्य स्त्रोत वाहनों, पैट्रोल, तेल व स्नेहक, दूरभाष, विद्युत और पानी के बिलों पर कम व्यय, रिक्त पदों को न भरने तथा वेतनमानों में संशोधन न करने के कारण हुई।

#### 2053- जिला प्रशासन-

800- अन्य व्यय-

01- हिमाचल दिवस, गणतन्त्र दिवस तथा स्वतन्तत्रा दिवस समारोहों पर व्यय-

#### गैर योजना

मूल 40.00

पूरक 5,95.00

6,15.57 4,89.86

(-)1,25.71

पुनर्वि0 (-)19.43

₹ 1,25.71 लाख के अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में अभ्यपर्ण द्वारा प्रावधान में ₹ 19.43 लाख की कमी बिलों की अपेक्षा से कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 1,25.71 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे ( अक्तूबर 2020)।

### 2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं-

115- अतिथि गृह सरकारी होस्टल इत्यादि-

02- नई दिल्ली स्थित हिमाचल भवन का प्रबन्ध-

#### गैर योजना

(i) मूल 4,00.00

7,50.00 .. (-)7,50.00

पूरक 3,50.00

### 2075- विविध सामान्य सेवाएँ-

800- अन्य व्यय-

03- वीरता पुरस्कार -

### गैर योजना

(ii) मूल

2,50.00

2,50.00

(-)2,50.00

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 10,00.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा जिसके कारण प्रतिक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

04- मृत/शहीद तथा अपंग हुए सैनिकों के परिवार को आर्थिक सहायता-

#### गैर योजना

मूल

15.00

पूरक

3,80.00

3,71.70

(-)3,71.70

पुनर्वि0 (-)23.30

₹ 3,71.70 लाख के अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में अभ्यपर्ण द्वारा प्रावधान में ₹ 23.30 लाख की कमी शहीद तथा अपंग हुए सैनिकों के परिवार को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने के लिए बिलों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अवास्तविक सिद्ध हुई।

₹ 3,71.70 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

10- 65 वर्ष की आयु से ऊपर के भूतपूर्व सैनिकों को पैंशन-

### गैर योजना

मूल

6,20.00

पूरक

1,60.00

7,53.03

7,53.03

पुनर्वि0

(-)26.97

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यपर्ण द्वारा प्रावधान में ₹ 26.97 लाख की कमी भूतपूर्व सैनिकों के पैंशन बिलों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

14- अन्य उद्देश्यों के लिए हैलिकॉप्टर सेवाएं-

### गैर योजना

मूल

17,00.00

15,67.91

15,67.91

पुनर्वि0

(-)1,32.09

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यपर्ण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,32.09 लाख की कमी अप्रैल से जून 2019 के दौरान तीन महीनों तक तकनीकी बाधा के कारण हैलिकॉप्टर का संचालन नहीं करने के कारण हुई।

#### 2216- आवास-

05- साधारण पूल आवास-

053- मरम्मत एवं रखरखाव-

04- नई दिल्ली स्थित सरकारी आवासों की मरम्मत एवं रखरखाव पर व्यय-

4	<b>\</b>
गैर	याजना

मूल

0.67

0.67

+0.67

पुनर्वि0

(-)0.67

₹ 0.67 लाख की दृष्टि के बिना प्रावधान के व्यय से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 0.67 लाख को समस्त प्रावधान में कमी संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण कम कर दिया गया जोकि अनुचित सिद्ध हुआ।

₹ 0.67 लाख के बिना प्रावधान के व्यय के होने के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

800- अन्य व्यय-

04- सम्पदा प्रबन्धन-

गैर योजना

(i) मूल

82.10

59.32

59.32

पुनर्वि0 (-)22.78

### 2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-

60- अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-

200- अन्य कार्यक्रम-

01- सैनिक कल्याण निदेशालय-

### गैर योजना

(ii) मूल

87.95

56.58

56.58

पुनर्वि0

(-)31.37

04- विशेष रोजगार कार्यक्रम-

गैर योजना

(iii) मूल

31.25

19.48

19.48

पुनर्वि0

(-)11.77

उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा ₹ 65.92 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने और वेतनमानों में संशोधन न होने के कारण हुई।

05- हिमाचल प्रदेश स्वतंत्रता सेनानी कल्याण कोष-

#### गैर योजना

मूल

12,66.84

8,64.32

8,64.32

पुनर्वि0 (-)4,02.52

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 4,02.52 लाख की कमी स्वतंत्रता सेनानी के पैंशन बिलों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

06- हिमाचल प्रदेश स्वतन्त्रता सेनानी कल्याण बोर्ड-

	गैर योजना				
	मूल	4.22			
	पुनर्वि0	(-)4.19	0.03	0.03	
	मार्च 2020 मे			₹ 4.19 लाख की कमी र	वतंत्रता सेनानी
	- <b>सचिवालय-स</b> - सचिवालय-	ामाजिक सेवाएं-	Ü		
01-	· स्वास्थ्य एवं । <b>गैर योजना</b>	परिवार कल्याण विभाग-			
(i)	मूल	4, 15.61			
	~		3,11.81	3,11.81	
	पुनर्वि0	(-)1,03.80			
02-	स्थानीय स्व-१ <b>गेर योजना</b>	शासन सरकार विभाग-			
(ii)	मूल	1,54.63			
	~	()	1,06.79	1,06.79	
	पुनर्वि0				
03-	शिक्षा विभाग- <b>गेर योजना</b>	-			
(iii)	मूल	3,76.32			
	~		2,85.50	2,85.49	(-)0.01
	पुनर्वि0	(-)90.82			
-80	युवक सेवा त <b>गैर योजना</b>	था कल्याण विभाग-			
(iv)	मूल	82.68			
	~		71.33	71.33	••
	पुनर्वि0	(-)11.35			
			•	न/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान संशोधन न होने के कारण	
3425-	अन्य वैज्ञानि	क अनुसंधान-			
60-	अन्य-				
		प्रशासन- वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी विभ	गग-		
	गैर योजना —	:			
	मूल	3, 19.21	0.40.77	2 40 77	
	पुनर्वि0	(-)78.44	2,40.77	2,40.77	
	$\overline{}$	• •			

योजना

08- परिवहन तथा पर्यटन विभाग-

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 78.44 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने व वेतनमानों में संशोधन न होने और कर्मचारियों द्वारा कम यात्रा करने के कारण हुई।

	मूल	3,25.00			
	पुनर्वि0 (-	-)1,64.09	1,60.91	1,04.91	(-)56.00
		। अंतिम बचत की दृष्टि प्रस्तावों की कम प्राप्ति व			1,64.09
	₹ 56.00 लाख	की अंतिम बचत के कार	एण प्रतीक्षित थे (अक्तू	बर 2020)।	
090-	सचिवालय-आ सचिवालय- कृषि विभाग- गैर योजना	र्थिक सेवाएँ-			
(i)	मूल	3,13.06	0.00.40	0.00.40	
	पुनर्वि0	(-)84.87	2,28.19	2,28.19	
02-	उद्यान विभाग- गैर योजना				
(ii)	मूल	1,62.18			
	पुनर्वि0	(-)44 53	1,17.65	1,17.65	
04-	पशुपालन विभा गैर योजना				
(iii)	मूल	1,34.32			
	पुनर्वि0	(-)25.38	1,08.94	1,08.95	+0.01
05-	ग्रामीण एकीक गैर योजना	रण विकास तथा पंचायती	राज विभाग-		
(iv)	मूल	1,29.92			( )
	पुनर्वि0	(-)29.93	99.99	99.98	(-)0.01
07-	उद्योग विभाग- गैर योजना				
(v)	मूल	3,21.12	2,36.23	2,36.23	
	पुनर्वि0	(-)84.89		•	

_		_			
ग	₹	या	5	1	Π

(vi) मूल 1,82.64

1,15.59

1,15.58

(-)0.01

पुनर्वि0 (-)67.05

10- योजना विभाग-

गैर योजना

(vii) मूल 1,30.35

92.96

92.95

(-)0.01

पुनर्वि0 (-)37.39

11- सार्वजनिक वित्त और सार्वजनिक उद्यम प्रकोष्ट की स्थापना-गैर योजना

(viii) मूल

50.94

14.49

14.49

पुनर्वि0 (-)36.45

13- अन्य सचिवालय विभाग-गैर योजना

(ix) मूल

1,58.51

1,08.34

1,08.34

पुनर्वि0

(-)50.17

उपरोक्त नौ मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 4,60.66 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने व वेतनमानों में संशोधन न होने के कारण हुई।

(v) उपरोक्त बचत निम्नवत् शीर्षो के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष

कुल अनुदान

वास्तविक

आधिक्य (+)

व्यय

बचत (-)

(₹ लाखों में)

### 2052- सचिवालय सामान्य सेवाएं-

090- सचिवालय -

07- विधि विभाग-

गैर योजना

मूल

4,56.71

5,35.60

5,35.60

पुनर्वि0

78.89

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 78.89 लाख का आवर्धन कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते और अंतरिम राहत के भुगतान के कारण हुआ।

### 2059- लोक निर्माण कार्य-

01- कार्यालय भवन-

053- रख रखाव तथा मरम्मत-

27- सचिवालय भवनों के रखरखाव पर व्यय-

### गैर योजना

(i) मूल 24.53

2,56.63 2,56.62 (-)0.01

पुनर्वि0 2,32.10

28- हिमाचल प्रदेश आवासीय आयुक्त नई दिल्ली के भवनों के रख रखाव पर व्यय-

गैर योजना

(ii) मूल 7.93

1,37.76 1,37.76

पुनर्वि0 1,29.83

39- लोक सेवा आयोग के भवनों के रखरखाव पर व्यय-गैर योजना

(iii) मूल 4.64

40.78 40.78

पुनर्वि0 36.14

उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3,98.07 लाख का आवर्धन कार्यालय भवनों की मरम्मत/रखरखाव पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

### 2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं-

115- अतिथिगृह, सरकारी हॉस्टल इत्यादि-

01- आतिथ्य संगठन-

### गैर योजना

मूल 63.96

1,30.69 1,30.69

पुनर्वि0 66.73

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 66.73 लाख का आवर्धन बैठकों और सम्मेलनों पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

### 2075- विविध सामान्य सेवाएँ-

800- अन्य व्यय-

09- अन्य विविध संगठनों को सहायता-

#### गैर योजना

मूल 5.00

6.86 6.86

पुनर्वि0 1.86

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1.86 लाख का आवर्धन हिमाचल गौरव पुरस्कार प्रेरणा स्त्रोत और नागरिक सेवा पुरस्कार के प्रस्तुतीकरण के भुगतान के कारण हुआ।

13- सैनिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत संगठनों को सहायता-

#### गैर योजना

मूल

6.00

36.00

36.00

पुनर्वि0

30.00

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 30.00 लाख का आवर्धन राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक खेल परिसर जुन्गा स्थित शिमला में भर्ती रैली के कारण हुआ।

### 2216- आवास-

05- साधारण पूल आवास-

053- रख-रखाव एवं मरम्मत

01- अन्य रख-रखाव पर व्यय-

#### गैर योजना

मूल

1.90.16

पूरक

20.16

3,16.42

3,16.42

पुनर्वि0

1,06.10

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,06.10 लाख का आवर्धन भवनों के रखरखाव कार्यो के अधिक निष्पादन से हुआ।

### 2235- सामाजिक सुरक्षा और कल्याण-

60- अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम-

200- अन्य कार्यक्रम-

09- मृतक स्वतंत्रता सेनानियों के अंतिम संस्कार के लिए अनुग्रह अनुदान-

मूल

4.00

5.90

5.90

पुनर्वि0

1.90

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1.90 लाख का आवर्धन स्वतंत्रता सेनानियों की विधवाओं को मृतक स्वतंत्रता सेनानियों के अंतिम संस्कार के लिए अनुग्रह अनुदान का भुगतान करने के कारण हुआ।

#### प्रभारित विनियोजन में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अंतर्गत हुई:-(vi)

कुल विनियोजन

वास्तविक व्यय

आधिक्य (+) बचत (-)

(₹ लाखों में)

### 2051- लोक सेवा आयोग-

102- राज्य लोक सेवा आयोग-

01- राज्य लोक सेवा आयोग-

### गैर योजना

मूल

10,03.20

पूरक पुनर्वि0 5,53.22

(-)2,01.68

13,54.74

13,54.74

# विनियोग लेखे अनुदान संख्या- 4 (समाप्त)

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा विनियोजन में ₹ 2,01.68 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, वेतनमानों में संशोधन न होने और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

### पूंजीगत प्रवर्ग

(vii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षौ के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष कुल अनुदान वास्तविक आधिक्य (+) व्यय बचत (-) (₹ लाखों में)

### 4059- लोक निर्माण कार्य पर पूजीगत परिव्यय-

60- अन्य व्यय-

051- निर्माण-

05- दिल्ली में राज्य अतिथि घर का निर्माण-

योजना

पूरक 20,90.00

पुनर्वि0 (-)20,90.00

मार्च 2020 में अनुपूरक अनुदान द्वारा प्राप्त ₹ 20,90.00 लाख का समस्त प्रावधान अनुदान संख्या 10 में राशि की गलत बुकिंग के कारण अभ्यर्पण द्वारा कम कर दिया गया। जोकि अध्याय 12.5 (i) हिमाचल प्रदेश बजट मैन्यूल 1971 तथा हिमाचल प्रदेश वितीय नियम 2009 के 44 (3) का उल्लंघन है।

### 4235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-

02- समाज कल्याण-

800- अन्य व्यय-

03- युद्ध रमृति रमारक संग्रहालय धर्मशाला-

### गैर योजना

मूल 0.01 पूरक 99.43 99.43 4.65 (-)94.78 पुनर्वि0 (-)0.01

₹ 94.78 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

# विनियोग लेखे अनुदान संख्या-5- भू-राजस्व और जिला प्रशासन

(शीर्ष- 2029-भू-राजस्व, 2030- स्टाम्प तथा पंजीकरण, 2053- जिला प्रशासन, 2059- लोक निर्माण-कार्य, 2216- आवास, 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 2245- प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत, 2401- फसल कृषि कर्म, 2506- भू-सुधार, 2702- लघु सिंचाई, 3454- जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी तथा 4059- लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय)

			कुल अनुदान/ विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ हजारों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्र	प्रवर्ग				
दत्तमत					
;	मूल	7,24,58,76			
			17,48,54,95	10,96,91,51	(-)6,51,63,44
7	पूरक 1	0,23,96,19			
वर्ष के द	शैरान अभ्यर्पि	त			
राशि (3	1 मार्च 2020	0)			1,04,30,04
प्रभारित					
	मूल				
				1,20	+1,20
	पूरक				
वर्ष के व	दौरान अभ्यपि	ति			
राशि					
पूंजीगत	प्रवर्ग				
दत्तमत					
-	मूल	10,90,00			
			10,90,00	3,58,24	(-)7,31,76
7	पूरक				
7	वर्ष के दौरान	न अभ्यर्पित			
,	<i>राशि</i> (31 मा	र्च 2020)			38,73

### टिप्पणियां तथा अभ्युक्तियां

- (i) राजस्व प्रवर्ग के प्रभारित विनियोजन में ₹ 1,20,000 के आधिक्य का नियमितीकरण अपेक्षित है।
- (ii) राजस्व प्रवर्ग में दत्तमत प्रावधान में ₹ 6,51,63.44 लाख के अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2020 में प्राप्त ₹ 10,23,96.19 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ तथा ₹ 1,04,30.04 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

### राजस्व प्रवर्ग

(iii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष कुल<sup>°</sup> अनुदान वास्तविक आधिक्य (+) व्यय बचत (-)

(₹ लाखों में)

2029- भू- राजस्व-

102- सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त कार्य-

02- वन बन्दोबस्त तथा सीमांकन-

गैर योजना

मूल

7,06.37

5,97.80

5,97.79

(-)0.01

पूनर्वि0 (-)1,08.57

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,08.57 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने व वेतनमानों में संशोधन न होने के कारण हुई जोकि लम्बित देनदारियों की अधिक अदायगी करने के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

03- बन्दोबस्त अधिकारी शिमला स्थापना-

गैर योजना

मूल 26,77.92

17,43.21

17,43.10

(-)0.11

पूनर्वि0 (-)9,34.71

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 9,34.71 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने व वेतनमानों में संशोधन न होने के कारण हुई जोकि लम्बित देनदारियो की अधिक अदायगी और बाह्य स्त्रोत सेवाओं के प्रभारों के अधिक भुगतान पर हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

04- बन्दोबस्त अधिकारी कागंडा स्थापना-

गैर योजना

मूल 23,56.55

पूरक 0.01

16,40.76

16,40.76

पूनर्वि0 (-)7,15.80

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 7,15.80 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने व वेतनमानों में संशोधन न होने एवं यात्रा भत्ता पर कम व्यय के कारण हुई ।

103- भू-अभिलेख

02- जिला स्थापना प्रभार-

गैर योजना

मूल 1,42,72.51

1,04,03.62

1,03,64.89

(-)38.73

पूनर्वि0 (-)38,68.89

₹ 38.73 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 38,68.89 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने व वेतनमानों में संशोधन न होने,

विविध वस्तुओं पर कम व्यय, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति,दूरभाष,जल,विद्युत और यात्रा पर कम व्यय के कारण हुई जोकि मजदूरी के भुगतान पर अधिक व्यय से हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

03- प्राथमिक तथा सर्वेक्षण भू अभिलेख अभिकरणों का सुदृढ़ीकरण-मुख्यालय कर्मचारी वर्ग-

### केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजना

मूल

1.00

पूनर्वि0 (-)1.00

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधि की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।

### गैर योजना

मूल

3,50.26

1,30.38

1,30.37

(-)0.01

पुनर्वि0 (-)2,19.88

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,19.88 लाख की कमी लाभार्थियों से आवदनों की कम प्राप्ति, रिक्त पदों को न भरने व वेतनमानों में संशोधन न होने, और दूरभाष,पानी व बिजली के बिलों की कम प्राप्ति के कारण हुई ।

04- प्राथमिक तथा सर्वेक्षण भू अभिलेख अभिकरणों का सुदृढीकरण जिला कर्मचारी वर्ग-

गैर योजना

मूल

23,96.38

17,76.78

17,74.30

(-)2.48

पुनर्वि0 (-)6,19.60

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 6,19.60 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने व वेतनमानों में संशोधन न होने दूरभाष,पानी व बिजली के बिलों की कम प्राप्ति, यात्रा पर कम व्यय और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि वाहनों की खरीद पर अधिक व्यय के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

### 2053- जिला प्रशासन-

093- जिला स्थापनाएं-

01- सामान्य स्थापना-

#### गैर योजना

मूल

1,66,39.13

पूरक

0.01

1,52,65.82

1,37,52.45

(-)15,13.37

पुनर्वि0 (-)13,73.32

₹ 15,13.37 लाख के अंतिमसारभूत बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 13,73.32 लाख की कमी, रिक्त पदों को न भरने,वेतनमान में संशोधन न होने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति और पैट्रोल, तेल, रनेहक पर कम व्यय के कारण हुई जोकि मजदूरी के भुगतान पर नए कार्यालय के लिए फर्नीचर,वाहनों की खरीद और दर

किराया व कर के भुगतान पर अधिक व्यय से हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई और अपर्याप्त सिद्ध हुई ।

₹ 15,13.37 लाख की अंतिम सारभूत बचत के कारण प्रतीक्षित थे(अक्तूबर 2020)।

094- अन्य स्थापनाएं-

01- उप मण्डल स्थापना-

गैर योजना

मूल

21,45.88

17,43.69

17,44.68

+0.99

पुनर्वि0 (-)4,02.19

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 4,02.19 लाख की कमी, रिक्त पदों को न भरने, वेतनमान में संशोधन न होने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति और यात्रा पर कम व्यय के कारण हुई ।

04- भू-अर्जन कर्मचारी वर्ग-

गैर योजना

मूल

1,51.40

33.73

95.99

+62.26

पुनर्वि0 (-)1,17.67

₹ 62.26 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,17.67 लाख की कमी,मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने,वेतनमान में संशोधन न होने के कारण हुई जोकि अत्याधिक सिद्ध हुई।

₹ 62.26 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे(अक्तूबर 2020)।

05- जिलाधीश कार्यालय की स्थापना पर व्यय (राहत एंव पुर्नर्वास)-

गैर योजना

मूल

98.60

70.79

70.80

+0.01

पुनर्वि0 (-)27.81

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 27.81 लाख की कमी, रिक्त पदों को न भरने, वेतनमान में संशोधन न होने के कारण हुई ।

800- अन्य व्यय-

04- शिमला रोड यूजर्स एंव पेदेस्ट्रियन अमिनिटी फंड-

गैर योजना

मूल

1.00

पुनर्वि0

(-)1.00

₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान मार्च 2020 में अभ्यर्पित किया गया जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

### 2235- समाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-

01- पुर्नवास -

202- अन्य *पुनर्वास* योजनाएं-

01- विस्थापित व्यक्तियों की स्थापना-

#### गैर योजना

मूल

1,27.59

84.03

84.05

+0.02

पुनर्वि0 (-)43.56

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 43.56 लाख की कमी, मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, वेतनमान में संशोधन न होने के कारण हुई ।

### 2245- प्राकृतिक आपदाओं में राहत-

01- सूखा-

101- अनुग्राहिक राहत-

07- दवाइयों के वितरण पर व्यय-केन्द्रीय प्रायोजित योजना गैर योजना

(i) पूरक

0.01

3,60.00

(-)3,60.00

पुनर्वि0 3,59.99

102- पेयजल योजना-

01- ट्रक आदि से पेयजल आपूर्ति-केन्द्रीय प्रायोजित योजना गैर योजना

(ii) पूरक

0.01

1,00.00

(-)1,00.00

पुनर्वि0

99.99

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 4,60.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4,59.98 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 4,60.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

02- बाढ़, चक्रवात इत्यादि-

101- अनुग्राहिक राहत-

01- कैश डोल- नकद निर्वाहदान-

### केन्द्रीय प्रायोजित योजना

पूरक

31,00.00

31,00.00

(-)31,00.00

₹ 31,00.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे(अक्तूबर 2020)।

### गैर योजना

मूल

35,00.00

13,00.00

(-)13,00.00

पुनर्वि0 (-)22,00.00

₹ 13,00.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 22,00.00 लाख की कमी भारत सरकार से निधि की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अनावश्यक सिद्ध हुई ।

₹ 13,00.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे(अक्तूबर 2020)।

102- पेयजल आपूर्ति-

01- पेयजल पर व्यय-

#### गैर योजना

मूल

10.00

पुनर्वि0 (-)10.00

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹10.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।

106- क्षतिग्रस्त सड़कों और पुलों की मरम्मत एंव पुर्नस्थापना -

01- सड़कों और पुलों के निर्माण पर व्यय-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना-

#### गैर योजना

पूरक

2,45,00.00

2,45,00.00

(-)2,45,00.00

₹ 2,45,00.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

01- सड़कों और पुलों के निर्माण पर व्यय-

#### गैर योजना

मूल

85,40.00

66,08.00

(-)66,08.00

..

पुनर्वि0 (-)19,32.00

₹ 66,08.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 19,32.00 लाख की कमी सड़कों और पुलों की मरम्मत पर कम व्यय के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 66,08.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

109- क्षतिग्रस्त, जलापूर्ति, जल और मल

कार्यों की मरम्मत एवं पूर्नस्थापना-

01- पेयजल तथा मल निकासी योजनाओं को हुए नुकसान की मरम्मत पर व्यय-

### केन्द्रीय प्रायोजित योजना

#### गैर योजना

पूरक 1,34,00.00

1,34,00.00

(-)1,34,00.00

₹ 1,34,00.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

गैर योजना

मूल

31,00.00

24,50.00

(-)24,50.00

पुनर्वि0

(-)6,50.00

₹ 24,50.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 6,50.00 लाख की कमी क्षतिग्रस्त जल आपूर्ति,जल व मल निकासी कार्यो की मुरम्मत एंव पुर्नस्थापना पर कम व्यय के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

₹ 24,50.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

- 111- शोक संतृप्त परिवारों को अनुग्रह अनुदान-
- 01- अनुग्रह पूर्वक अनुदान-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

गैर योजना

पूरक

30,49.00

29,99.00

(-)29,99.00

पुनर्वि0

(-)50.00

₹ 29,99.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 50.00 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

29,99.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

गैर योजना

पूरक

75,00.00

75,00.00

(-)75,00.00

₹ 75,00.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

- 113- घरों की मुरम्मत/ एवं पुनः निर्माण हेतु अनुदान-
- 01- घरों की मरम्मत एवं निर्माण के लिये अनुदान-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजना

पूरक

60.98

8,17.00

(-)8,17.00

पुनर्वि0

7,56.02

₹ 8,17.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 7,56.02 लाख का आर्वधन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 8,17.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

### गैर योजना

मूल

25,00.00

4,50.00

(-)4,50.00

पुनर्वि0 (-)20,50.00

₹ 4,50.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 20,50.00 लाख की कमी घरों की मुरम्मत/निर्माण पर कम व्यय के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 4,50.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

193- स्थानीय निकायों तथा गैर सरकारी निकायों/ संस्थाओं को अनुदान-

01- स्थानीय निकायों तथा गैर सरकारी निकायों/ संस्थाओं को सहायता-केन्द्रीय प्रायोजित योजना

गैर योजना

(i) पूरक 64,80.00

64,80.00

(-)64,80.00

### गैर योजना

(ii) पूरक 30,00.00

30,00.00

(-)30,00.00

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 94,80.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)। जबकि केन्द्र सरकार से ₹ 4,88,64.00 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ ।

- 05- राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि-
- 101- राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि से रिजर्व फण्ड एवं जमा लेखा के लिए स्थानान्तरण-
- 01- राष्ट्रीय आपदा राहत कोष को स्थानान्तरण-

### गैर योजना

मूल

2,87,00.00

2,25,93.00

2,25,93.00

पूनर्वि0 (-)61,07.00

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में द्वारा प्रावधान में ₹ 61,07.00 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई। जबकि भारत सरकार से ₹ 5,18,06.00 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।

- 901- राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि से घटाई राशि -
- 01- राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि से घटाई राशि प्रतिक्रिया-

#### गैर योजना

मूल (-)2,87,00.00

(-)2,25,93.00

+2,25,93.00

पूनर्वि0 61,07.00

₹ 2,25,93.00 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 61,07.00 लाख का आवर्धन मार्च 2020 में राज्य आपदा को ऋण राशि के समरूप स्थानान्तरण अनावश्यक सिद्ध हुआ बजट प्रावधान ऋणात्मक रखा गया था जोकि गलत लेखा प्रणाली को दर्शाती है।

₹ 2,25,93.00 लाख की अंतिम आधिक्य तथा बजट प्रावधान ऋणात्मक रखने के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

80- सामान्य-

102- आपदा उन्मुख क्षेत्रों में आकस्मिक योजनाओं पर व्यय-

01- आपदा उन्मुख क्षेत्रों के लिए आकस्मिक योजनाओं पर व्यय-

#### गैर गोजना

पूरक

0.01

3,00.00

(-)3,00.00

पुनर्वि0 2,99.99

₹ 3,00.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,99.99 लाख का आवर्धन उडीसा राज्य में सुपर चक्रवात दृश्य (तूफान) से ग्रसितों को सहायता उपलब्ध करने के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ ।

₹ 3,00.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

02- तेरहवें वित्तायोग के अन्तर्गत क्षमता निर्माण पर व्यय -

### गैर योजना

पूरक

0.01

10,00.00

(-)10,00.00

पुनर्वि0 9,99.99

₹ 10,00.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 9,99.99 लाख का आवर्धन खोज और बचाव के उपकरणों की खरीद के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ ।

₹ 10,00.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

05- क्षमता निर्माण-

#### गैर योजना

मूल

5,50.00

14,35.00

(-)14,35.00

पुनर्वि0

8,85.00

₹ 14,35.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 8,85.00 लाख का आवर्धन क्षमता निर्माण पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ ।

₹ 14,35.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

### 2506- भूमि सुधार-

102- चकबन्दी-

01- मुख्यालय स्थापना-

गैर योजना

मूल

4,11.05

2,21.46

2,21.36

(-)0.10

पुनर्वि0

(-)1,89.59

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,89.59 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, वेतनमानों के संशोधन न होने चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति और दूरभाष पानी व बिजली के बिलों पर कम व्यय के कारण हुई।

02- जिला स्थापना-

#### गैर योजना

मूल

3,55.16

1,71.27

1,71.26

(-)0.01

पुनर्वि0 (-)1,83.89

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,83.89 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, वेतनमानों में संशोधन न होने चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति और यात्रा पर कम व्यय के कारण हुई।

### 3454- जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-

02- सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-

110- राज विवरणिका तथा सांख्यिकी संस्करण-

02- आपदा प्रबन्धन कोष्ट-

### गैर योजना

मूल

64.35

38.70

42.49

+3.79

पुनर्वि0

(-)25.65

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 25.65 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने और वेतनमानों में संशोधन न होने के कारण हुई।

(iv) उपरोक्त आधिक्य मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-शीर्ष कुल अनुदान वास्तविक आधिक्य (+)

व्यय बचत (-)

(₹ लाखों में)

### 2029- भू-राजस्व-

103- भू-अभिलेख-

01- अधीक्षण-

### गैर योजना

मूल

पूरक 0.01

3,14.98

3, 15.17

+0.19

पुनर्वि0

38.27

2,76.70

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 38.27 लाख का आर्वधन पटवारी की परीक्षा करनें के कारण हुआ जोकि रिक्त पदों को न भरने और वेतनमानों में संशोधन न होने के कारण हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ ।

### 2030- स्टाम्प तथा पंजीकरण-

01- स्टाम्प न्याययिक

102- स्टाम्प बेचने पर व्यय -

01- स्टाम्प वैन्डर के द्वारा स्टाम्प बिक्री पर व्यय-

गैर योजना

मूल

1.00

19.37

13.53

(-)5.84

पुनर्वि0

18.37

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 18.37 लाख का आर्वधन टिकट विक्रेताओं को टिकट बिक्री पर छुट देने के कारण हुआ ।

02- स्टाम्प न्याययिकेतर-

101- स्टाम्प की लागत-

01- केन्द्रीय भण्डार नासिक-

गैर योजना

मूल

2,26.89

17,54.49

17,54.49

पुनर्वि0 15,27.60

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 15,27.60 लाख का आर्वधन सुरक्षा मुद्रणालय हैदराबाद और भारत सुरक्षा मुद्रणालय महाराष्ट्र के सम्बन्ध में लम्बित बिलों का भुगतान करने के कारण हुआ ।

102- स्टाम्प की बिक्री पर व्यय-

01- स्टाम्प विक्रेताओं की टिकट बिक्री-

गैर योजना

मूल

1.00

1,63.80

1,29.68

(-)34.12

पुनर्वि0

1,62.80

₹ 34.12 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,62.80 लाख का आवर्धन टिकट विक्रेताओं को टिकटों की बिक्री पर छूट देने के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ ।

₹ 34.12 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

02- नोटरीयत टिकटों की बिक्री-

गैर योजना

मूल

1.00

19.04

9.49

(-)9.55

पुनर्वि0

18.04

₹ 9.55 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 18.04 लाख का आवर्धन टिकट विक्रेताओं को टिकटों की बिक्री पर छूट देने के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।

₹ 9.55 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

03- राजस्व टिकटों की बिक्री-

गैर योजना

मूल 1.00

9.73 4.90

(-)4.83

पुनर्वि0

8.73

₹ 4.83 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 8.73 लाख का आवर्धन टिकट विक्रेताओं को राजस्व टिकटों की बिक्री पर छूट देने के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।

₹ 4.83 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

### 2053- जिला प्रशासन

093- जिला स्थापनाएं-

03- वक्फ न्याय प्राधिकरण पर व्यय-

#### गैर योजना

मूल 33.65

पूरक 0.01 59.60 57.58 (-)2.02

पुनर्वि0 25.94

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 25.94 लाख का आर्वधन बाह्य स्त्रोत सेवाओं के प्रभारों के भुगतान और वक्फ न्यायाधिकरण धर्मशाला के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन की अदायगी करने के कारण हुआ जोकि यात्रा पर कम व्यय के कारण हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ।

#### 2216- आवास-

05- साधारण पुल आवास-

053- मरम्मत एवं रखरखाव-

01- अन्य रखरखाव पर व्यय-

#### गैर योजना

मूल

8.26

21.29

24.96

+3.67

पुनर्वि0

13.03

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 13.03 लाख का आर्वधन आवासीय भवनों की मरम्मत पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

### 2401- फसल कृषि-कर्म-

111- कृषि अर्थव्यवस्था तथा सांख्यिकी-

04- कृषि गणना-

### केन्द्रीय प्रायोजित योजना

#### योजना

पूरक

0.08

78.88

82.54

+3.66

पुनर्वि0 78.80

₹ 3.66 लाख के अंतिमआधिक्य की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 78.80 लाख का आर्वधन मानदेय के भुगतान विविध वस्तुओं और वेतन के भुगतान पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

₹ 3.66 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

2702- लघु सिंचाई-80- सामान्य-800- अन्य व्यय-07- सिंचाई आंकडों की सुधार योजना-केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना पूरक 0.04 17.35 26.43 +9.08 पुनर्वि0 17.31 ₹ 9.08 लाख के अंतिमआधिक्य की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹17.31 लाख का आवर्धन वेतन के भुगतान के कारण हुआ जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुआ । ₹ 9.08 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)। प्रभारित विनियोजन में आधिक्य मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुआः-कुल विनियोजन शीर्ष वास्तविक आधिक्य (+) व्यय बचत (-) (₹ लाखों में) 2053- जिला प्रशासन-093- जिला स्थापना-01- सामान्य स्थापना-गैर योजना 1.20 +1.20 बिना बजट प्रावधान के ₹ 1.20 लाख के व्यय के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)। पुंजीगत प्रवर्ग (vi) दत्तमत्त अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-शीर्ष वास्तविक आधिक्य (+) कुल अनुदान बचत (-) (₹ लाखों में) 4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-01- कार्यालय भवन-051- निर्माण-30- राजस्व विभाग के भवनों का निर्माण-गैर योजना (i) (-)2,00.00मूल 2,00.00 2,00.00

तहसील/ उप- तहसील भवन-

33-

# विनियोग लेखे अनुदान संख्या - 5 (समाप्त)

### गैर योजना

 (ii) मूल
 1,00.00
 1,00.00
 62.97
 (-)37.03

 उपरोक्त दो मामलों में ₹ 2,37.03
 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 2,37.03 लाख की अतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

37- कानूनगो/पटवार भवनों का निर्माण-

योजना

मूल 7,90.00

7,51.27

2,95.27

(-)4,56.00

पुनर्वि0 (-)38.73

₹ 4,56.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 38.73 लाख की कमी संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई ।

₹ 4,56.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

### (vii) आपदा राहत निधि

तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक अधिसूचना संख्या न0 रेव (डी.एम.सी.) (एफ) 4-2/2000-VII दिनांक 21/2/2011 को भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार से सहायता लेने के उद्देश्य से राज्य आपदा प्रबंधन निधि का संगठन किया जो प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, ओलावृष्टि, चक्रवात, आग लगने और सूखा इत्यादि पर राहत दिलवा सके। भारत सरकार और राज्य सरकार निधि से क्रमशः 90:10 की औसत से अंशदान दिया जाना है।

तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर भारत सरकार से निधि हेतु अंशदान लोक लेखा में लेखा शीर्ष 8121- सामान्य और अन्य रिजर्व फण्ड तथा 122- राज्य आपदा प्रबंधन निधि के अंतर्गत राज्य आपदा प्रबंधन निधि के अधीन अन्य प्राप्त घटकों से अलग पहचान बनाने के लिए वर्गीकरण किया गया है। इसलिए यह फण्ड राज्य सरकार के सामान्य स्त्रोतों का हिस्सा नहीं है। निधि से किसी भी प्रकार का अप्रयुक्त अग्रिम शेष या अन्य कोई भी प्राधिकार भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट विधि से रखा जाता है। मुख्य सचिव के पदेन अध्यक्ष होने के नाते इस फण्ड का संचालन राज्य स्तरीय कमेटी द्वारा साथ किया जाता है।

कमेटी प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सिफारिश की गई राशि को मुख्य शीर्ष 2245- प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत, 05- राज्य आपदा प्रबंधन निधि, 101- रिजर्व फण्ड और जमा लेख का अंतरण राज्य आपदा प्रबंधन निधि से मुख्य शीर्ष 8121- सामान्य और अन्य रिजर्व फण्ड, 122- आपदा प्रबंधन निधि से स्थानान्तरण द्वारा इस फण्ड में 01 अप्रैल 2019 को ₹ 1,92.10 लाख अथ शेष लिया गया और ₹ 2,25,93.00 लाख (भारत सरकार से ₹ 1,97,23.00 लाख और राज्य सरकार से ₹ 28,70.00 लाख वर्ष के दौरान) क्रेडिट किए गए और इस प्रकार निधि योग ₹ 2,27,85.10 लाख अधिक हो गया। मार्च 2020 के अन्त में निधि में ₹ 2,27,85.10 लाख जमा रहे (विवरण हिमाचल प्रदेश सरकार के वर्ष 2019-20 के वित्त लेखों की विवरणी संख्या 21 में दर्शाया गया है)। मुख्यशीर्ष 2245 के अन्तर्गत कोई भी व्यय नहीं किया गया। अतः व्यय को मुख्यशीर्ष 8121 और 8235 को स्थानांतरित नहीं किया गया।

# विनियोग लेखे अनुदान संख्या-6- आबकारी और कराधान

(शीर्ष- 2039-राज्य उत्पाद शुल्क, 2040- बिक्री, व्यापार आदि पर कर, 2043- राज्य वस्तु एवं सेवा कर के अन्तर्गत संग्रहण प्रभार, 2045- वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क, 2059- लोक निर्माण-कार्य, 2216- आवास, 2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन,4047- राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 4059- लोक निर्माण कार्यो पर पूंजीगत परिव्यय तथा 4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय)।

ġ.				
	•	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजारों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवग	Ť			
दत्तमत				
मूल	81,04,50	1,12,99,09	98,67,55	(-)14,31,54
पूरव	চ 31,94,59	, , ,	, ,	
वर्ष के दौरा (31 मार्च 2	न अभ्यर्पित राशि 020)			14,31,34
पूंजीगत प्रव	र्ग			
दत्तमत				
मूल	7,00,00	7,08,23	6,93,52	(-)14,71
पूरव	8,23			
c \ \	~ ~			

### टिप्पणियां तथा अभियुक्तियां

- (i) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 14,31.54 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2020 में प्राप्त ₹ 31,94.59 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्याधिक सिद्ध हुआ ।
- (ii) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 14.71 लाख की बचत की दृष्टि से फरवरी 2020 में प्राप्त ₹ 8.23 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ तथा विभाग द्वारा कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई ।

### राजस्व प्रवर्ग

(iii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षौ के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक	आधिक्य (+)
		व्यय	बचत (-)
		(₹ लाखों में)	.,

#### 2039- राज्य उत्पाद शुल्क-

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

001- निदेशन तथा प्रशासन-

01- जिला स्थापना पर व्यय-

गैर योजना

मूल

7,55.30

7,15.66

7,15.65

(-)0.01

पुनर्वि0

(-)39.64

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 39.64 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण और यात्रा पर कम व्यय के कारण हुई।

104- लिकर और स्प्रिट की खरीद-

02- शराब की क्लीनिकल सैंपलिंग-

गैर योजना

मूल

45.00

10.56

10.56

पुनर्वि0

(-)34.44

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 34.44 लाख की कमी शराब की क्लीनिकल सैंपलिंग पर कम व्यय के कारण हुई।

### 2043- राज्य वस्तु एवं सेवा कर के अन्तर्गत संग्रहण प्रभार-

800- अन्य व्यय-

01- राज्य वस्तुएं एवं सेवा कर-

गैर योजना

मूल

1,29.00

36.93

36.93

पुनर्वि0

(-)92.07

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 92.07 लाख की कमी संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण हुई।

### 2045- वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर-

104- संग्रहण प्रभार यात्रियों तथा माल पर कर-

01- मुख्यालय की स्थापना-

गैर योजना

मूल

7,07.36

6,28.01

6,28.01

पुनर्वि0

(-)79.35

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 79.35 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, वाहनों की पैट्रोल/मरम्मत/ रखरखाव और विज्ञापन एवं प्रचार के प्रकाशन पर कम व्यय के कारण हुई।

02- जिला स्थापना-

गैर योजना

मूल

51,08.39

38,64.50

38,64.31

(-)0.19

पुनर्वि0 (-)12,43.89

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 12,43.89 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति और विभाग में दैनिक मजदूरों का नियमितीकरण करने के कारण हुई।

### 2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-

60- अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम -

110- अन्य बीमा योजनाएं-

02- छोटे व्यापारियों के लिए दुर्घटना समूह बीमा संरक्षण-

#### गैर योजना

मूल

50.00

पुनर्वि0

(-)50.00

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 50.00 लाख का समस्त प्रावधान बीमा मामलों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।

### 3604- स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा स्वत्वार्पण-

107- स्थानीय क्षेत्रों में माल आने पर कर-

01- स्थानीय शहरी निकायों को सहायता अनुदान-

#### गैर योजना

मूल

6, 18.40

5,71.49

5,71.49

पुनर्वि0

(-)46.91

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 46.91 लाख की कमी सहायता अनुदान कम जारी होने के कारण हुई।

(iv) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षौ के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-शीर्ष कुल अनुदान वास्तविक आधिक्य (+)

> व्यय (₹ लाखों में)

बचत (-)

### 2040- विक्रय एवं व्यापार इत्यादि पर कर-

101- संग्रहण प्रभार-

01- मुख्यालय तथा क्षेत्रीय कर्मचारी-

#### गैर योजना

मूल

2,18.41

पूरक

16,03.97

19,36.05

19,36.05

पुनर्वि0

1,13.67

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,13.67 लाख का आर्वधन मुल्य वर्धित कर जानकारी तकनीकी योजना पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

### 2059- लोक निर्माण् कार्य-

01- कार्यालय भवन-

053- रखरखाव तथा मरम्मत-

02- रखरखाव व्यय-

# विनियोग लेखे अनुदान संख्या-6 (समाप्त)

### गैर योजना

मूल 1.67

51.67 51.67

पुनर्वि0 50.00

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 50.00 लाख का आवर्धन कार्यालय भवनों की मरम्म्त/रखरखाव पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

# विनियोग लेखे अनुदान संख्या-7- पुलिस और सम्बद्ध संगठन

शीर्ष- 2055-पुलिस, 2056-जेल, 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2062- सतर्कता, 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 2216-आवास, 2250-अन्य सामाजिक सेवाएं, 4055-पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय, 4059-लोक निर्माण-कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, 4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय तथा 4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय।

		कुल अनुदान/ विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ हजारों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग			,	
दत्तमत				
मूल	14,29,07,80			
		14,33,06,14	12,20,59,44	(-)2,12,46,70
पूरक	3,98,34			
वर्ष के दौरान अ				
राशि (31 मार्च	2020)			2,11,91,04
प्रभारित				
मूल				
		17,61	17,60	(-)1
पूरक	17,61			
वर्ष के दौरान उ	<i>ाभ्यर्पित</i>			
राशि				
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	68,33,07			
		82,21,69	61,23,77	(-)20,97,92
पूरक	13,88,62			
वर्ष के दौरान अ	<b>ा</b> भ्यर्पित			12,17,38
राशि (31 मार्च	2020)			
		<del></del>	<del></del>	

### टिप्पणियां तथा अभ्युक्तियां

- (i) राजस्व प्रवर्ग में दत्तमत प्रावधान में ₹ 2,12,46.70 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2020 में प्राप्त ₹ 3,98.34 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ जबकि मूल अनुदान सारभूत रूप से अप्रयुक्त रहा।
- (ii) पूंजीगत प्रवर्ग में दत्तमत प्रावधान में ₹ 20,97.92 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2020 में प्राप्त ₹ 13,88.62 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ जबिक मूल अनुदान सारभूत रूप से अप्रयुक्त रहा तथा ₹ 12,17.38 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

#### राजस्व प्रवर्ग

(iii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-शीर्ष कुल अनुदान

वास्तविक

आधिक्य (+)

बचत (-) (₹ लाखों में)

2055- पुलिस-

001- निदेशन और प्रशासन-

01- निदेशालय-

गैर योजना

मूल

20, 13.58

16,70.28

16,70.28

पुनर्वि0 (-)3,43.30

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3,43.30 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने और वेतनमानों में संशोधन न होने के कारण हुई।

003- शिक्षा और प्रशिक्षण-

01- पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र-

गैर योजना

मूल

18,52.79

15,50.02

15,50.02

पुनर्वि0 (-)3,02.77

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3,02.77 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, वेतनमानों में संशोधन न होने और बिलों की प्राप्ति न होने के कारण हुई।

101- आपराधिक अन्वेषण और सतर्कता-

01- आपराधिक अन्वेषण-

गैर योजना

मूल

49,62.21

41,94.44

41,94.44

पुनर्वि0 (-)7,67.77

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 7,67.77 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, वेतनमानों में संशोधन न होने और चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि सुरक्षा उपकरणों की खरीद/मरम्मत और नई वाहनों की खरीद पर अधिक व्यय के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

02- राष्ट्रीय आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजना

पूरक

1,29.33

पुनर्वि0

(-)1,29.33

मार्च 2020 में अनुपूरक अनुदान द्वारा प्राप्त ₹ 1,29.33 लाख समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण अभ्यर्पित कर दिया गया ।

108- राज्य मुख्यालय पुलिस-

01- राज्य रिजर्व पुलिस-

गैर योजना

मूल

1,02,57.29

79,56.14

79,56.14

पुनर्वि0 (-)23,01.15

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 23,01.15 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, और वेतनमानों में संशोधन न होने के कारण हुई जोकि हथियारों, बारूद, वर्दी,वस्तुओं,बाह्य स्त्रोत वाहनों, पैट्रोल, तेल, रनेहक और वाहनों की मरम्मत पर अधिक व्यय से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

02- अन्य सरकारी संस्थाओं के लिए पुलिस-

गैर योजना

मूल

43,49.86

29,36.34

29,36.34

पुनर्वि0 (-)14,13.52

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 14,13.52 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने व वेतनमानों में संशोधन न होने के कारण हुई।

05- भारतीय रिजर्व वाहिनी-

गैर योजना

मूल

3,27,59.33

2,47,86.75

2,47,86.75

पुनर्वि0 (-)79,72.58

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 79,72.58 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने व वेतनमानों में संशोधन न होने के कारण हुई जबिक नए वाहनों की खरीद स्थानान्तरण व्यय बिलों की अधिक प्राप्ति,वर्दी, वस्तुओं,दूरभाष,पानी और बिजली प्रभारों पर अधिक व्यय के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

109- जिला पुलिस-

01- जिला कार्यकारिणी बल-

गैर योजना

मूल

6, 19, 55.40

5,38,11.32

5,38,11.32

पुनर्वि0 (-)81,44.08

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 81,44.08 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, व वेतनमानों में संशोधन न होने के कारण हुई जबिक लोक सभा मतदान के लिए वाहनों को किराए पर लेना, नए वाहनों की खरीद,दूरभाष,पानी और विद्युत प्रभारों पर अधिक व्यय के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

111- रेलवे पुलिस-

01- अपराध पुलिस-

#### गैर योजना

मूल

5,69.18

3,96.82

3,96.82

पुनर्वि0

(-)1,72.36

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,72.36 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने और वेतनमानों में संशोधन न होने के कारण हुई ।

114- बेतार तथा कम्प्यूटर-

01- पुलिस रेडियो कर्मचारी वर्ग-

#### गैर योजना

मूल

26,58.75

21,59.13

21,59.13

पुनर्वि0 (-)4,99.62

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 4,99.62 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, वेतनमानों में संशोधन न होने और बिलों को भेजने की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि दूरभाष, पानी और विद्युत प्रभारों पर अधिक व्यय के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

115- पुलिस बल का आधुनिकीकरण-

02- स्रक्षा सम्बन्धी व्यय-

### गैर योजना

मूल

98.44

35.57

35.57

पुनर्वि0

(-)62.87

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 62.87 लाख की कमी मानदेय पर कम व्यय के कारण हुई।

116- न्यायालिक विज्ञान-

01- राज्य फौरंसिक विज्ञान प्रयोगशाला-

#### गैर योजना

मूल

8,37.35

7,28.63

7,28.48

(-)0.15

पुनर्वि0 (-)1,08.72

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,08.72 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने और वेतनमानों में संशोधन न होने के कारण हुई जोकि डीओक्सीराइवो न्यूक्लिक एसिड किट की खरीद और रखरखाव कार्य पर अधिक व्यय के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

03- न्यायालिक विज्ञान प्रयोगशाला की सशक्तिकरण-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजना

पूरक

2,69.00

83.12

83.12

पुनर्वि0

(-)1,85.88

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,85.88 लाख की कमी बाह्य स्त्रोत सेवाओं के बिलों की कम प्राप्ति डीओक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड किटों, उपभोग्य तथा रखरखाव कार्य की खरीद पर कम व्यय होने के कारण हुई।

### 2056- जेल-

101- जेल-

01- जेलों की स्थापना-

गैर योजना

मूल

30,47.58

29,09.50

29,09.50

पुनर्वि0 (-)1,38.08

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,38.08 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने व वेतनमानों में संशोधन न होने के कारण हुई जोकि जेल के लिए किराने की वस्तुओं की खरीद और बाह्य स्त्रोत सेवाओं की अधिक नियुक्ति के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

02- जेलों के प्रशासन का आधुनिकीकरण-

गैर योजना

मूल

2,98.22

2,00.02

2,00.02

पुनर्वि0

(-)98.20

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 98.20 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने और वेतनमानों में संशोधन न होने के कारण हुई।

### 2062- सतर्कता-

104- राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों के सतर्कता आयोग-

01- राज्य सतर्कता तथा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो-

#### गैर योजना

मूल

32,57.96

25,07.76

25,07.76

पुनर्वि0

(-)7,50.20

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 7,50.20 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, व वेतनमानों में संशोधन न होने के कारण हुई जोकि नए वाहनों की खरीद, दूरभाष, पानी व विद्युत प्रभारों पर अधिक व्यय के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

02- सतर्कता निदेशालय-

गैर योजना

मूल

66.20

45.35

45.35

पुनर्वि0

(-)20.85

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 20.85 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने व वेतनमानों में संशोधन न होने के कारण हुई।

### 2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएँ-

106- नागरिक रक्षा-

01- मुख्यालय कर्मचारी वर्ग-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

गैर योजना

मूल

12.48

6.77

6.77

पुनर्वि0

(-)5.71

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 5.71 लाख की कमी संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण हुई।

01- मुख्यालय कर्मचारी वर्ग-

गैर योजना

मूल

30.90

18.44

18.44

पुनर्वि0

(-)12.46

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 12.46 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने व वेतनमानों में संशोधन न होने के कारण हुई।

107- होम गार्ड-

01- मुख्यालय कर्मचारी वर्ग-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

गैर योजना

मूल

21.14

11.21

11.21

पुनर्वि0

(-)9.93

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 9.93 लाख की कमी संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने,रिक्त पदों को न भरने और वेतनमानों में संशोधन न होने के कारण हुई।

गैर योजना

मूल

3,24.35

1,38.00

1,38.00

पुनर्वि0 (-)1,86.35

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,86.35 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, वेतनमानों में संशोधन न होने, संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने, दूरभाष, पानी व विद्युत बिलों पर कम व्यय होने के कारण हुई ।

02- जिला कर्मचारी वर्ग-

#### केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजना

मूल

4,41.30

4,12.22

4,12.22

पुनर्वि0

(-)29.08

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 29.08 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, वेतनमानों में संशोधन न होने और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

108- अग्नि संरक्षण तथा नियंत्रण-

01- मुख्यालय कर्मचारी वर्ग-

#### गैर योजना

मूल

91.03

66.18

66.18

पुनर्वि0 (-)24.85

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 24.85 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, वेतनमानों में संशोधन न होने और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति होने के कारण हुई।

### 2250- अन्य सामाजिक सेवाएं-

800- धार्मिक संस्थाओं को सहायता-

02- धार्मिक संस्थाओं को सहायता-

#### गैर योजना

मूल

3.50

पुनर्वि0

(-)3.50

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 3.50 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण कम कर दिया गया।

(iv) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षौ के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष

कुल अनुदान

वास्तविक

आधिक्य (+)

व्यय

बचत (-)

(₹ लाखों में)

### 2055- पुलिस-

101- अपराधिक अन्वेषण और सर्तकता-

02- राष्ट्रीय आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली-

#### गैर योजना

मूल

0.04

70.40

70.40

पुनर्वि0

70.36

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 70.36 लाख का आवर्धन राष्ट्रीय आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली के अन्तर्गत बाह्य स्त्रोत सेवाओं के भुगतान के कारण हुआ।

### 109- जिला पुलिस-

02- पंचायत चौकीदारों/गृह रक्षकों पर व्यय (समन सेवाओं हेतु)-

#### गैर योजना

मूल

3,00.00

3,50.15

3,50.15

पुनर्वि0

50.15

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 50.15 लाख का आवर्धन पंचायत चौकीदारों को वांरट/समनों को बांटने के कार्य पर भुगतान के लिए अनुदान जारी करने के कारण हुआ।

03- पुलिस के साथ कानून व्यवस्था हेतु तैनात गृह रक्षकों पर व्यय-

#### गैर योजना

मूल

49,82.89

65,34.16

65,34.16

पुनर्वि0

15,51.27

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹15,51.27 लाख का आवर्धन दैनिक वेतन भोगियों, गृह रक्षक स्वंय सेवक जो पुलिस के साथ डयुटी पर तैनात कानून और व्यवस्था बनाए रखने के भुगतान और यात्रा पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

115- पुलिस बल का आधुनिकीकरण-

01- जिला कार्यकारिणी बल-

### केन्द्रीय प्रायोजित योजना

#### गैर योजना

मूल

0.06

पूरक

0.01

1,64.05

1,19.59

(-)44.45

पुनर्वि0

1,63.98

₹ 44.45 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,63.98 लाख का आवर्धन नए वाहनों की खरीद, कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अधिक संगठन और उपकरणों की खरीद के कारण अत्याधिक सिद्ध हुआ।

₹ 44.45 लाख के अंतिम बचत के कारण प्रतिक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

#### गैर योजना

मूल

0.06

10.94

10.94

पुनर्वि0

10.88

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 10.88 लाख का आवर्धन कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अधिक संगठन और नए वाहनों की खरीद के कारण हुआ।

02- सुरक्षा संबधी व्यय-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना गैर योजना

मूल

2,59.69

3.77.73

3.77.73

पुनर्वि0

1,18.04

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,18.04 लाख का आवर्धन मानदेय की अदायगी यात्रा व्यय के दावों की अधिक प्राप्ति और सीमा क्षेत्र में मरम्मत कार्य पर अधिक व्यय करने के कारण हुआ जोकि दूरभाष, बिजली एवं पानी प्रभारों, बाह्य स्त्रोत वाहनों, पैट्रोल,तेल, स्नेहक और वाहनों की मरम्मत पर कम व्यय करने के कारण हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई ।

116- न्यायालिक विज्ञान-

02- महिलाओं और बच्चों के लिए साइबर अपराध की रोकथाम-

### केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजना

मूल

0.03

19.83

19.83

पुनर्वि0

19.80

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 19.80 लाख का आवर्धन कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अधिक संगठन के कारण हुआ।

### 2059- लोक निर्माण कार्य-

01- कार्यालय भवन-

053- रखरखाव और मरम्मत-

20- जेल विभाग के भवनों के रखरखाव पर व्यय-

#### गैर योजना

(i) मूल

51.15

1,01.15

1,01.15

पुनर्वि0

50.00

31- पुलिस विभाग के भवनों के रखरखाव पर व्यय-

#### गैर योजना

(ii) मूल

2,11.90

2,26.90

2.26.90

पुनर्वि0

15.00

47- अग्नि शमन विभाग के भवनों की मरम्मत एवं रखरखाव पर व्यय-

गैर योजना

(iii) मूल

9.55 9.55

पुनर्वि0 3.70

62- सर्तकता विभाग एवं भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरों के भवनों का रखरखाव-गैर योजना

5.85

(iv) मूल 4.38

27.61 27.61

पुनर्वि0 23.23

उपरोक्त चार मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 91.93 लाख की आवर्धन रखरखाव पर अधिक व्यय के कारण हुआ ।

### 2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएँ-

106- सिविल रक्षा-

02- जिला कर्मचारी वर्ग-

#### गैर योजना

मूल 5.48

6.83 6.83

पुनर्वि0 1.35

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1.35 लाख का आवर्धन दैनिक वेतन भोगियों को भुगतान के कारण हुआ ।

107- होम गार्ड-

02- जिला कर्मचारी वर्ग-

### गैर योजना

मूल 29,32.92

30,55.99 30,55.99

पुनर्वि0 1,23.07

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,23.07 लाख का आवर्धन गृह रक्षक कर्मचारयों की मजदूरी और उनके परिवारों को अतिशयोक्ति मुआवजों के भुगतान के कारण हुआ जोकि रिक्त पदों को न भरने और वेतनमानों में संशोधन न होने के कारण हुए बचत से अशतः संतुलित हुई।

108- अग्नि से संरक्षण तथा नियंत्रण-

02- जिला कर्मचारी वर्ग-

#### गैर योजना

मूल 30,11.74

32,78.95 32,78.86 (-)0.09

पुनर्वि0 2,67.21

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,67.21 लाख का आर्वधन दैनिक वेतन भोगी कर्मचारयों के भुगतान, अग्निरोधी सूट की खरीद, बिलों को भेजने की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ जो कि रिक्त पदों को न भरने, वेतनमानों में संशोधन न होने और चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों की कम प्राप्ति और दूरभाष,पानी और बिजली के बिलों पर कम व्यय के कारण हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

### 2216- आवास-

06- पुलिस आवास-

053- मरम्मत एवं रखरखाव-

02- राज्य फौरंसिक प्रयोगशाला के आवासीय भवनों की मुरम्मत-

### गैर योजना

मूल

0.01

4.00

4.00

पुनर्वि0

3.99

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3.99 लाख का आर्वधन पूल भवनों के रखरखाव पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

### पूंजीगत प्रवर्ग

दत्तमत प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-(v)

शीर्ष वास्तविक आधिक्य (+) कुल अनुदान

बचत (-)

(₹ लाखों में)

### 4055- पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय-

211- पुलिस आवास-

03- पुलिस बलों का आधुनिकीकरण-

### केन्द्रीय प्रायोजित योजना

#### गैर योजना

पूरक

0.01

पूरक

5,10.43 4,43.48 4,43.48

पुनर्वि0 (-)66.96

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 66.96 लाख की कमी मशीनों और उपकरणों की खरीद पर कम व्यय के कारण हुई।

### केन्द्रीय प्रायोजित योजना

#### योजना

(i) मूल 4,74.00 4,74.00

(-)4,74.00

#### योजना

(ii) मूल 28,83.00

31,15.65

27,53.87

(-)3,61.78

पूरक

2,32.65

# विनियोग लेखे अनुदान संख्या-7- (समाप्त)

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2020 में ₹ 8,35.78 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतिक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

05- राज्य फौरंसिक विज्ञान प्रयोगशाला का निर्माण-

योजना

मूल

7,35.00

4,49.00

4,16.00

(-)33.00

पुनर्वि0

(-)2,86.00

₹ 33.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,86.00 लाख की कमी संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 33.00 लाख की अंतिम बंचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

09- न्यायालिक विज्ञान प्रयोगशाला की सशक्तिकरण-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

गैर योजना

पूरक

4,60.00

30.98

30.98

पुनर्वि0 (-)4,29.03

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 4,29.03 लाख की कमी मशीनरी और उपकरणों की कम खरीद के कारण हुई।

### 4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-

800- अन्य व्यय-

02- अग्निशमन सेवा विभाग के कार्यालय भवनों का निर्माण-

योजना

मूल

10,71.00

6,51.02

6,51.02

पुनर्वि0

(-)4,19.98

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 4,19.98 लाख की कमी संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण हुई।

# विनियोग लेखे अनुदान संख्या-8 शिक्षा

(शीर्ष- 2059- लोक निर्माण-कार्य, 2202-सामान्य शिक्षा, 2205-कला एवं संस्कृति, 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण, 2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय तथा 6202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति के लिए ऋण)

		कुल अनुदान/ विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ हजारों में)	आधिक्य (+) बचत (-)			
राजस्व प्रवर्ग			,				
दत्तमत							
मूल	66,41,11,31			<b>()</b>			
पूरक	13	66,41,11,44	55, 30, 50, 64	(-)11,10,60,80			
वर्ष के दौरान अभ राशि (31 मार्च 2				10,70,28,85			
प्रभारित							
मूल				( )			
पूरक	29,50	29,50	29,31	(-)19			
वर्ष के दौरान अव राशि (31 मार्च 2				19			
पूंजीगत प्रवर्ग	पूंजीगत प्रवर्ग						
दत्तमत							
मूल	96,85,03	1,07,24,94	77, 01,95	(-)30,22,99			
पूरक	10,39,91	1,01,21,01	11, 01,00	( ) 00,22,00			
वर्ष के दौरान अभ राशि (31 मार्च 2				30,22,99			

### टिप्पणियां तथा अभ्युक्तियां

- (i) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 11,10,60.80 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 10,70,28.85 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ।
- (ii) पूंजीगत प्रवर्ग के दतमत प्रावधान में ₹ 30,22.99 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2020 में प्राप्त ₹ 10,39.91 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ जबकि मूल अनुदान भी सारभूत रूप से अप्रयुक्त रहा।

### राजस्व प्रवर्ग

(iii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षौ के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष कुल अनुदान वास्तविक आधिक्य (+)

व्यय बचत (-)

(₹ लाखों में)

### 2059- लोक निर्माण कार्य-

01- कार्यालय भवन-

053- रखरखाव तथा मरम्मत-

70- प्राथमिक पाठशालाओं के भवनों का रखरखाव-

योजना

मूल 14,02.00

9,56.48 9,56.48

पुनर्वि0 (-)4,45.52

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 4,45.52 लाख की कमी कोविड-19 के पूर्ण बन्द होने से निधियों का आहरण नहीं किया जा सका।

#### 2202- सामान्य शिक्षा-

01- प्रारम्भिक शिक्षा-

001- निदेशन एवं प्रशासन-

01- निदेशालय-

#### गैर योजना

मूल 22,05.07

पुनर्वि0 (-)3,64.51

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3,64.51 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने और वेतनमानों में संशोधन न होने के कारण हुई।

#### योजना

मूल 11,98.00

30.16 30.16

पुनर्वि0 (-)11,67.84

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 11,67.84 लाख की कोविड-19 के पूर्ण बन्द होने से निधियों को नहीं निकाला जा सका।

101- राजकीय प्राथमिक विद्यालय-

01- शिक्षा पर व्यय-

#### गैर योजना

मूल 17,93,04.31

पुनर्वि0 (-)4,08,26.51

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 4,08,26.51 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, वेतनमानों में संशोधन न होने, दैनिक वेतन भोगियों का नियमितीकरण न होने और बच्चो की कम उपस्थित के कारण हुई।

#### योजना

मूल

1,87.00

पुनर्वि0

(-)1,87.00

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,87.00 लाख का समस्त प्रावधान कोविड-19 के पूर्ण बन्द होने से निधियों को न निकालने के कारण कम कर दिया गया।

03- माध्यमिक स्कूल-

#### गैर योजना

(i) मूल

12,08,95.88

10,47,50.48

10,47,50.48

पुनर्वि0 (-)1,61,45.40

#### योजना

(ii) मूल

40,18.00

30, 13.54

30, 13.54

पुनर्वि0 (-)10,04.46

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,71,49.86 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, वेतनमानों में संशोधन न होने, और कोविड-19 के पूर्ण बन्द होने से निधियों को नहीं निकाला जा सका।

11- उर्दू और पंजाबी शिक्षकों पर खर्च-

#### योजना

मूल

90.00

38.04

44.08

+6.04

पुनर्वि0

(-)51.96

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 51.96 लाख की कमी मानदेय मामलों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

12- अटल वर्दी योजना-

#### योजना

मूल

22,30.00

20,68.46

21,54.34

+85.88

पुनर्वि0 (-)1,61.54

₹ 85.88 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,61.54 लाख की कमी कोविड-19 के कारण पूर्ण बन्द होने से निधियों को नहीं निकाला जा सका जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।

₹ 85.88 लाख के अंतिम आवर्धन के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

102- अराजकीय प्राथमिक पाठशालाओं को सहायता-

03- निजी पाठशालाओं में कमजोर वर्ग के छात्रों की फीस की प्रतिपूर्ति-

•			
य	ज	न	T

मूल

2,00.00

14.13

14.13

पुनर्वि0

(-)1,85.87

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,85.87 लाख की कमी कोविड-19 के कारण पूर्ण बन्द होने से निधियों का आहरण नहीं किया जा सका ।

104- निरीक्षण-

01- जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी-

#### गैर योजना

मूल

20,54.44

17,02.61

17,02.61

पुनर्वि0 (-)3,51.83

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3,51.83 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, वेतनमानों में संशोधन न होने और कोविड-19 के पूर्ण बन्द होने के कारण निधियों को नहीं निकाला जा सका जोकि बाह्य स्त्रोत वाहनों/ पैट्रोल, तेल स्नेहकों पर अधिक व्यय के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

02- खण्ड प्राथमिक शिक्षा अधिकारी-

#### गैर योजना

मूल

58,00.00

53,64.37

53,64.38

+0.01

पुनर्वि0 (-)4,35.63

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 4,35.63 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने और वेतनमानों में संशोधन न होने के कारण हुई जोकि बाह्य स्त्रोतों की अदायगी पर अधिक व्यय के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

107- अध्यापक प्रशिक्षण-

04- जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों पर व्यय-

### केन्द्रीय प्रायोजित योजना

#### योजना

(i) मूल

1.00

पुनर्वि0

(-)1.00

111- सर्व शिक्षा अभियान-

01- सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत

सहायता अनुदान-

#### केन्द्रीय प्रायोजित योजना

#### योजना

(ii) मूल

1.00

पुनर्वि0 (-)1.00

..

..

`			
या	5	₹	Π

(iii) मूल 1.00

पुनर्वि0 (-)1.00

उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा ₹ 3.00 लाख के समस्त प्रावधान को कम कर दिया गया जिसके कारण सूचित नहीं किए गए हैं।

04- समग्र शिक्षा अभियान-

### केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना

(i) मूल 2,53,16.00

2,38,88.93 2,38,88.93

पुनर्वि0 (-)14,27.07

#### योजना

(ii) मूल 28,11.00

26,54.32 26,54.32

पुनर्वि0 (-)1,56.68

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 15,83.75 लाख की कमी कोविड-19 के कारण पूर्ण बन्द होने से निधियों को नहीं निकाला जा सका।

#### 800- अन्य व्यय-

01- उपहार माध्याहन भोजन-

### केन्द्रीय प्रायोजित योजना

#### योजना

मूल 62,95.00

48,64.01 47,59.23 (-)1,04.78

पुनर्वि0 (-)14,30.99

₹ 1,04.78 लाख अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 14,30.99 लाख की कमी कोविड-19 के कारण पूर्ण बन्द होने से निधियों को नहीं निकाला जा सका जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुआ। जबकि ₹ 50,66.57 लाख का अनुदान भारत सरकार से प्राप्त हुआ।

₹ 1,04.78 लाख अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

#### गैर योजना

(i) मूल 5,00.00

4,84.79 4,84.79

पुनर्वि0 (-)15.21

#### योजना

(ii) मूल 17,83.00

14,65.48 14,65.48 ...

पुनर्वि0 (-)3,17.52

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3,32.73 लाख की कमी कोविड-19 के कारण पूर्ण बन्द होने से निधियों का आहरण नहीं किया जा सका ।

06- स्कूल प्रबन्धन कमेटी को अनुदान-

गैर योजना

(i) मूल 25.00

18.53 18.53

पुनर्वि0 (-)6.47

योजना

(ii) मूल 13,56.00

12,82.40 12,82.40

पुनर्वि0 (-)73.60

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 80.07 लाख की कमी 01/01/2020 के बाद अध्यापक को स्कूल प्रंबधन समिति के विस्तार की प्राप्ति न होने के कारण हुई।

- 02- माध्यमिक शिक्षा-
- 001- निदेशालय और प्रशासन-
- 01- निदेशालय-

गैर योजना

मूल 20,39.85

16,67.77 16,66.94

(-)0.83

पुनर्वि0 (-)3,72.08

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3,72.08 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने और वेतनमानों में संशोधन न होने के कारण हुई।

- 109- राजकीय माध्यमिक विद्यालय-
- 01- उच्चतर पाठशालाऐं-

### गैर योजना

मूल 22,02,96.35

पूरक 0.01 19,76,60.20 19,73,07.74 (-)3,52.46 पुनर्वि0 (-)2,26,36.16

₹ 3,52.46 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,26,36.16 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने और वेतनमानों में संशोधन न होने के कारण हुई जोिक सूचना तकनीकी अध्यापकों की नियुक्ति के भुगतान/ अदायगी, भवनों का किराया, नगर निगम कर, लम्बित देनदारियों का भुगतान और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की अधिक प्राप्ति के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई जोिक अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 3,52.46 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

### योजना

मूल 21,06.00

16,74.20 15,04.21 (-)1,69.99

पुनर्वि0 (-)4,31.80

₹ 1,69.99 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4,31.80 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने और वेतनमानों में संशोधन न होने के कारण हुई जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ।

	₹ 1,69.99 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।					
05-	सूचना और संचार तकनीकी कार्यक्रम- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना					
(i)	मूल	1.00				
	पुनर्वि0	(-)1.00				
(ii)	<b>योजना</b> मूल	1.00				
	पुनर्वि0	(-)1.00				
06-	राष्ट्रीय माध्यमिव केन्द्रीय प्रायोजि योजना	क शिक्षा अभियान- त योजना				
(iii)	मूल	1.00				
	पुनर्वि0	(-)1.00		••		
(iv)	<b>योजना</b> मूल	1.00				
	पुनर्वि0					
10-	माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना					
(v)	मूल	1.00				
	पुनर्वि0 <b>योजना</b>	(-)1.00				
(vi)	मूल	1.00				
	· ·	(-)1.00				
		मलों में  मार्च 2020 में 3 जिसके कारण सूचित नही		)0 लाख के समस्त प्रावध न्तूबर 2020)।	ान को कम	
14-		पर विकलांगों के शिक्षा पर व्यय-				

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

# विनियोग लेखे

	अनुदान संख्या-8 (क्रमशः)						
	योजना						
(i)	मूल	91.00					
	पुनर्वि0	(-)91.00					••
	योजना						
(ii)	मूल	11.00					
	पुनर्वि0	(-)11.00					
	प्रावधान भारत र	मलों में मार्च 2020 में सरकार से निधियों की 11 अप्रयुक्त रही।					
15-	स्टूडेंट डिजीटल (लैपटॉप/टेबलेट <b>योजना</b>						
	मूल 1	11,85.00					
	C.		16,84.0	9		(-)16,84.0	)9
	पुनर्वि0	4,99.09					
	में ₹ 4,99.09	ाख की अंतिम बचत के लाख का आर्वधन श्रीरि यों को लेपटाप खरीदने	नेवासा रा	मानुजन स्टूडेंट र्	डेजिटल यो <b>ज्</b>	जना के अर्न्तग	
	₹ 16,84.09 ਕ	ाख की अंतिम बचत के	कारण प्र	नीक्षित थे (अक्तू	बर 2020)।		
16-	शिक्षक शिक्षा प्रो केन्द्रीय प्रायोजि योजना						
(i)	मूल	1.00					
	पुनर्वि0	(-)1.00					
	योजना						
(ii)	मूल	1.00					
	पुनर्वि0	(-)1.00					••
		मलों में मार्च 2020 में ायों की प्राप्ति न होने त					
21-	मुख्यमंत्री ज्ञान व गेर योजना	दीप योजना-					

मूल 3,00.00

(-)70.00 70.00

पुनर्वि0 (-)2,30.00

₹ 70.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,30.00 लाख की कमी लाभार्थियों से आवेदनों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई ।

₹ 70.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

24- प्रचलित सूचना एवं संचार तकनीक प्रयागशालाओं और अन्य प्रयोगशाला सुविधाओं का उन्नयन/रखरखाव -

योजना

मूल

32,90.00

पुनर्वि0 (-)32,90.00

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 32,90.00 लाख का समस्त प्रावधान ई-बिड को अंतिम रूप न दिए जाने और पूर्णबन्द होने के कारण कम कर दिया गया।

27- मेधा प्रोत्साहन योजना-

#### गैर योजना

मूल

5,00.00

1,83.79

1,42.81

(-)40.98

पुनर्वि0 (-)3,16.21

₹ 40.98 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3,16.21 लाख की कमी लाभार्थियों से आवेदनों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 40.98 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

29- समग्र शिक्षा अभियान-

### केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजना

मूल

1,95,80.00

78,98.94

78,98.94

पुनर्वि0 (-)1,16,81.06

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,16,81.06 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

#### योजना

मूल

21,72.00

8,77.66

8,77.66

पुनर्वि0 (-)12,94.34

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 12,94.34 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा जारी निधियों के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी कम जारी होने के कारण हुई।

30- खेल से स्वास्थ्य योजना-

### गैर योजना

पूरक

0.01

1,12.17

(-)1,12.17

पुनर्वि0

1,12.16

₹ 1,12.17 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,12.16 लाख का आर्वधन राज्य में नई योजना लागू होने के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुई।

₹ 1,12.17 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

- 03- विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा-
- 102- विश्वविद्यालय को सहायता-
- 01- हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय-

#### योजना

मूल

69,10.00

50,88.22

50,88.22

पुनर्वि0 (-)18,21.78

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹18,21.78 लाख की कमी संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण हुई।

- 103- राजकीय कालेज तथा संस्थान-
- 01- राजकीय महाविद्यालय-

#### गैर योजना

मूल

3,22,83.23

2,79,13.29

2,79,13.23

(-)0.06

पुनर्वि0 (-)43,69.94

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 43,69.94 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने,वेतनमानों में संशोधन न होने, लाभार्थियों से आवेदनों की कम प्राप्ति और पूर्णबन्द होने के कारण हुई जोकि यात्रा पर अधिक व्यय, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की प्राप्ति, किराये दर और कर बिलों पर हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

#### योजना

मूल

3,80.00

2,79.72

2,79.72

पुनर्वि0 (-)1,00.28

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,00.28 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने और वेतनमानों में संशोधन न होने के कारण हुई।

02- प्रशिक्षण महाविद्यालय-

#### गैर योजना

मूल

3,72.08

2,23.88

2,23.83

(-)0.05

पुनर्वि0 (-)1,48.20

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,48.20 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, वेतनमानों में संशोधन न होने और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

07- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजना

मूल

42,35.00

13,32.86

13,32.86

पुनर्वि0 (-)29,02.14

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 29,02.14 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

योजना

मूल

4,71.00

1,48.10

1,48.10

पुनर्वि0 (-)3,22.90

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3,22.90 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा निधि जारी करने के अनुपात में राज्य की कम हिस्सेदारी जारी करने कारण हुई।

09- खेल से स्वास्थ्य योजना-

गैर योजना

पूरक

0.01

1,05.58

(-)1,05.58

पुनर्वि0

1,05.57

₹ 1,05.58 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,05.57 लाख का आर्वधन राज्य में नई योजना लागू होने के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 1,05.58 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

04- प्रौढ शिक्षा-

103- ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम-

05- साक्षर भारत योजनाएं-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजना

(i) मूल

1.00

पुनर्वि0

(-)1.00

योजना

(ii) मूल

1.00

पुनर्वि0 (-)1.00

उपरोक्त दो मामलों में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 2.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया और राज्य की हिस्सेदारी भी अप्रयुक्त रही।

05- भाषा विकास-

103- संस्कृत शिक्षा-

01- संस्कृत पाठशालाओं का आधुनिकीकरण-

गैर योजना

मूल

6,65.05

5,34.83

5,34.83

पुनर्वि0

(-)1,30.22

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,30.22 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने और वेतनमानों में संशोधन न होने के कारण हुई।

योजना

मूल

35.00

पुनर्वि0

(-)35.00

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 35.00 लाख का समस्त प्रावधान रिक्त पदों को न भरने के कारण कम कर दिया गया।

80- सामान्य-

107- छात्रवृतियां-

07- अस्वच्छ व्यवसाय में लगे लोगों

के बच्चों को छात्रवृत्ति पर व्यय-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजना

मूल

2.00

पुनर्वि0

(-)2.00

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 2.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।

08- अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों को पोस्ट मैट्रिक

छात्रवृति योजना-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजना

पूरक

0.01

6,90.75

(-)6,90.75

पुनर्वि0

6,90.74

₹ 6,90.75 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 6,90.74 लाख का आर्वधन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ। जबकि भारत सरकार से ₹ 8,64.30 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।

₹ 6,90.75 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

#### योजना

मूल

5,00.00

5,00.00

(-)5,00.00

5,00.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

09- अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति योजना-

### केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजना

(i) मूल

70.00

पुनर्वि0 (-)70.00

योजना

(ii) मूल

1.00

पुनर्वि0 (-)1.00

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 71.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया और राज्य की हिस्सेदारी भी अप्रयुक्त रही।

18- कल्पना चावला छात्रवृति योजना-

#### गैर योजना

मूल

2,12.00

2,12.00

(-)2,12.00

₹ 2,12.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

19- मुख्य मंत्री प्रोत्साहन योजना-

### गैर योजना

मूल

3.18

60.00

(-)60.00

पुनर्वि0

56.82

₹ 60.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 56.82 लाख का आर्वधन छात्रवृति मामलों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 60.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

20- आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य श्रेणी के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति-

### केन्द्रीय प्रायोजित योजना

#### योजना

मूल

3,50.00

पुनर्वि0

(-)3,50.00

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 3,50.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया ।

800- अन्य व्यय-

01- राष्ट्रीय कैडेट कोर सामान्य स्थापना-

#### गैर योजना

मूल

6,08.83

4,95.87

4,95.87

पुनर्वि0 (-)1,12.96

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,12.96 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने और वेतनमानों में संशोधन न होने के कारण हुई।

17- राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद सोलन-

#### गैर योजना

मूल

3,36.79

3,08.75

3,08.75

पुनर्वि0

(-)28.04

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 28.04 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने और वेतनमानों में संशोधन न होने के कारण हुई।

### 2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडे वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण-

03- पिछडे वर्गों का कल्याण-

277- शिक्षा-

06- अल्पसंख्यक समुदाय को छात्रवृत्ति-

#### केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजना

मूल

50.00

1.22

1.22

पुनर्वि0

(-)48.78

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 48.78 लाख की कमी कोविड-19 के कारण पूर्णबन्द होने से निधियों का आहरण नहीं किया जा सका। जबकि भारत सरकार से ₹ 1.22 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।

### 2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-

02- समाज कल्याण-

101- विकलांग व्यक्तियों का कल्याण-

01- विकलांग बच्चों का कल्याण-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजना

मूल 30.00

1.36

पुनर्वि0 (-)28.64

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 28.64 लाख की कमी गैर योजना से देनदारियों को पूरा करने के कारण किया गया जोकि हिमाचल प्रदेश बजट मैनुअल 1971 के पैरा 12.9(1) के (v) का उल्लंघन है।

(iv) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षौ के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष कुल अनुदान वास्तविक आधिक्य (+) व्यय बचत (-)

(₹ लाखों में)

### 2202- सामान्य शिक्षा-

01- प्रारम्भिक शिक्षा-

107- अध्यापक प्रशिक्षण-

04- जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों पर व्यय-

#### योजना

मूल 1.00

पूरक 0.05 16,00.32 16,00.33 +0.01

पुनर्वि0 15,99.27

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 15,99.27 लाख का आवर्धन वेतन की अदायगी के कारण हुआ।

800- अन्य व्यय-

05- प्रारम्भिक शिक्षा के अर्न्तगत अभिभावक/शिक्षक

संघ को सहायता अनुदान-

#### योजना

मूल 10,98.00

23, 25.11 23, 25.11

पुनर्वि0 12,27.11

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 12,27.11 लाख का आवर्धन अभिभावक शिक्षक संघ के वेतन के भुगतान के कारण हुआ।

02- माध्यमिक शिक्षा-

101- निरीक्षण-

01- निरीक्षणालय-

#### गैर योजना

मूल 16,41.06

17,95.18 17,95.08 (-)0.10

पुनर्वि0 1,54.12

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,54.12 लाख का आवर्धन वेतन के भुगतान और बाह्य स्त्रोत वाहनों/पैट्रोल,तेल व स्नेहक पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

109- राजकीय माध्यमिक शिक्षा-

20- स्कूल प्रंबधन समिति को सहायता अनुदान-

#### गैर योजना

मूल

25.00

10,03.01

10,03.01

पुनर्वि0

9,78.01

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 9,78.01 लाख का आवर्धन अध्यापकों को स्कूल प्रबंधन समिति के भुगतान के कारण हुआ।

25- बोर्ड परीक्षाओं के दौरान क्लोज सर्किट टेलिविजन किराये पर लेना-

#### योजना

पूरक

12.00

92.00

92.00

पुनर्वि0

80.00

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 80.00 लाख का आवर्धन राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल और परीक्षा केन्द्र में बन्द सर्किट टी0वी0 की स्थापना के कारण हुआ।

800- अन्य व्यय-

01- उच्चतर शिक्षा के अर्न्तगत अभिभावक/ शिक्षक संघ को सहायता अनुदान-

#### योजना

मूल

6,58.00

22,08.88

22,08.88

पुनर्वि0

15,50.88

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 15,50.88 लाख का आवर्धन अभिभावक शिक्षक संघ के वेतन के भुगतान पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

02- निजि संस्थानों के निरीक्षण पर व्यय-

#### गैर योजना

मूल

50.00

66.00

66.00

पुनर्वि0

16.00

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 16.00 लाख का आवर्धन सदस्यों की विशेष जाँच टीम को पारिश्रमिक के भुगतान के कारण हुआ।

03- विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा-

102- विश्वविद्यालय के सहायता-

01- हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय-

#### गैर योजना

मूल

10,50.00

12,87.50

12,87.50

पुनवि0

2,37.50

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,37.50 लाख का आर्वधन हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय कर्मचारियों को वेतन भुगतान के कारण हुआ।

07- केन्द्रीय कलस्टर विश्वविद्यालय-

गैर योजना

पूरक

0.02

1,98.00

1,98.00

पुनर्वि0

1,97.98

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,97.98 लाख का आर्वधन सरदार वल्लभ भाई पटेल कलस्टर विश्वविद्यालय मण्डी के कर्मचारियों के वेतन भुगतान पर अधिक व्यय के कारण हुआ |

104- निजी कालेजों तथा संस्थानों को सहायता-

01- निजी महाविद्यालयों को सहायता-

योजना

मूल

8,00.00

15,77.45

15,77.45

पुनर्वि0

7,77.45

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 7,77.45 लाख का आवर्धन सहायता अनुदान के लिए प्रस्तावों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

800- अन्य व्यय-

01- सरकारी महाविद्यालयों को अभिभावकों/शिक्षक

संघ के अर्न्तगत सहायता अनुदान-

गैर योजना

मूल

52.50

1,37.21

1,37.21

पुनर्वि0

84.71

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 84.71 लाख का आर्वधन विश्वविद्यालय में अभिभावक शिक्षक संघ के शिक्षकों को वेतन के भुगतान के कारण हुआ।

80- सामान्य-

004- अनुसंधान-

02- शिक्षा तकनीकी कार्यक्रम-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजना

मूल

8.00

12.13

12.13

पुनर्वि0

4.13

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4.13 लाख का आर्वधन वेतन के भुगतान के कारण हुआ |

800- अन्य व्यय-

08- सैनिक स्कूल पर व्यय--

गैर योजना

मूल

47.02

1,77.00

1,57.00

(-)20.00

पुनर्वि0

1,29.98

₹ 20.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,29.98 लाख का आर्वधन सैनिक स्कूल सुजानपुर के मेस व अकादिमक भवनों के छात्रावास के मरम्मत और रखरखाव के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।

₹ 20.00 लाख अन्तिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

16- स्कूली शिक्षा हेतू पर्यावरण अभिविन्यास-

### केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजना

मूल

6.00

9.19

9.19

पुनर्वि0

3.19

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3.19 लाख का आर्वधन वेतन के भुगतान और बकाया मंहगाई के कारण हुआ ।

### 2205- कला एवं संस्कृति-

105- सार्वजनिक पुस्तकालय-

01- राज्य एवं जिला पुस्तकालय-

गैर योजना

मूल

5,55.30

6,10.28

6,10.25

(-)0.03

पुनर्वि0

54.98

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 54.98 लाख का आर्वधन वेतन के भुगतान और वस्तुओं की खरीद के कारण हुआ ।

### पूंजीगत प्रवर्ग

(v) दत्तमत अनुदान प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षौ के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष

कुल अनुदान

वास्तविक

आधिक्य (+)

व्यय

बचत (-)

(₹ लाखों में)

### 4202- शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-

01- सामान्य शिक्षा-

201- प्राथमिक शिक्षा-

01- भवन-

योजना

(i) मूल

8,23.00

7,18.94

7,18.94

पुनर्वि0 (-)1,04.06

202- माध्यमिक शिक्षा-

01- भवन-

# विनियोग लेखे अनुदान संख्या-8 (समाप्त)

योजना

(ii) मूल 28,19.00

पूरक 6,64.91 32,87.40 32,87.40

पुनर्वि0 (-)1,96.51

उपरोक्त दो मामलों में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3,00.57 लाख की कमी कोविड-19 के कारण पूर्णबन्द होने से निधियों का आहरण नहीं किया जा सका।

05- सामान्य क्षेत्र के पिछड़ खण्डों में शिक्षित

छात्रावास का निर्माण-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजना

(i) मूल 37.00

पुनर्वि0 (-)37.00

योजना

(ii) मूल 4.00

पुनर्वि0 (-)4.00

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 41.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया और राज्य की हिस्सेदारी भी अप्रयुक्त रही ।

09- मुख्यमंत्री आदर्श विद्या केन्द्र-

गैर योजना

मूल 15,00.00

.. .. ..

पुनर्वि0 (-)15,00.00

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा ₹15,00.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण कम कर दिया गया।

203- विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा-

01- भवन-

योजना

मूल 45,02.00

पूरक 2,75.00 35,95.61 35,95.61

पुनर्वि0 (-)11,81.39

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 11,81.39 लाख की कमी कोविड-19 के कारण पूर्णबन्द होने से निधियों का आहरण नहीं किया जा सका।

# विनियोग लेखे अनुदान संख्या-9- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण

(शीर्ष- 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 2211-परिवार कल्याण, 2216-आवास, 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण तथा 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय)

	पारव्यय)	कुल अनुदान/ विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ हजारों में)	आधिक्य (+) बचत (-)	
राजस्व प्रवर्ग					
दत्तमत					
मूल	21,72,35,27				
		22,05,94,42	18,28,22,05	(-)3,77,72,37	
पूरक	33,59,15				
वर्ष के दौरान अ					
राशि (31 मार्च 2	2020)			3,72,54,25	
प्रभारित					
मूल					
		16,05	11,19	(-)4,86	
पूरक	16,05				
वर्ष के दौरान अ	भ्यर्पित				
राशि (31 मार्च 2	2020)			3,26	
पूंजीगत प्रवर्ग					
दत्तमत					
मूल	1,53,18,46				
C)	, , ,	1,98,36,80	1,73,06,45	(-)25,30,35	
पूरक	45, 18, 34				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित					
राशि (31 मार्च 2020) 25,30,36					

### टिप्पणियां तथा अभ्युक्तियां

- (i) राजस्व प्रवर्ग में दत्तमत प्रावधान में ₹ 3,77,72.37 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2020 में प्राप्त ₹ 33,59.15 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ जबिक मूल अनुदान भी सारभूत रूप से अप्रयुक्त रहा तथा ₹ 3,72,54.25 लाख का अभ्यर्पण भी अपर्याप्त सिद्ध हुआ ।
- (ii) पूंजीगत प्रवर्ग में दत्तमत प्रावधान में ₹ 25,30.35 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2020 में प्राप्त ₹ 45,18.34 लाख का अनुपूरक अनुदान तथा ₹ 25,30.36 लाख का अभ्यर्पण अत्याधिक सिद्ध हुआ।

#### राजस्व प्रवर्ग

(iii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-शीर्ष कुल अनुदान वास्तविव

आधिक्य (+)

बचत (-)

व्यय

(₹ लाखों में)

### 2059- लोक निर्माण कार्य-

01- कार्यालय भवन-

053- रख-रखाव और मुरम्मत-

36- चिकित्सा महाविद्यालय के भवनों का रख-रखाव-

#### योजना

पूरक

8,56.00

पूरक

5.00

5,14.63

5,14.63

पुनर्वि0 (-)3,46.37

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3,46.37 लाख की कमी रखरखाव कार्यों के कम निष्पादन के कारण हुई ।

### 2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-

01- शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ- पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

01- निदेशालय-

### गैर योजना

मूल

30,36.41

18,43.31

18,42.34

(-)0.97

पुनर्वि0 (-)11,93.10

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 11,93.10 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा वेतनमानों में संशोधन न होने के कारण हुई जोकि चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की अधिक प्राप्ति तथा विज्ञापनों और प्रचार पर अधिक व्यय से हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

#### योजना

मूल

1.00

पुनर्वि0

(-)1.00

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1.00 लाख की कमी पानी तथा विद्युत बिलों पर शून्य व्यय के कारण हुई।

02- जिला स्थापना-

#### गैर योजना

मूल

18,80.35

12,75.49

12,75.46

(-)0.03

पुनर्वि0 (-)6,04.86

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/ अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 6,04.86 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, वेतनमानों में संशोधन न होने, दूरभाष, पानी और बिजली के बिलों पर कम व्यय तथा रोगी कल्याण समिति के तहत विभिन्न श्रेणीयों के कर्मचारियों को सरकारी अनुबन्ध में परिवर्तित करने के कारण हुई ।

#### योजना

मूल

36.64

27.96

27.96

पुनर्वि0

(-)8.68

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 8.68 लाख की कमी आवदनों की कम प्राप्ति तथा कार्यालय मदों की खरीद न करने के कारण हुई ।

04- निदेशन, दन्त स्वास्थ्य सेवाएं-

#### गैर योजना

मूल

1,37.63

1,02.32

1,02.32

पुनर्वि0

(-)35.31

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 35.31 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा वेतनमानों में संशोधन न करने के कारण हुई ।

102- कर्मचारी राज्य बीमा योजना-

01- कर्मचारी राज्य बीमा योजना (अस्पताल तथा औषधालय)-

#### गैर योजना

मूल

2,70.50

पुनर्वि0

(-)2,70.50

मार्च 2020 में ₹ 2,70.50 लाख के समस्त प्रावधान को पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा सहिंतगत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण कम कर दिया गया ।

109- पाठशाला स्वास्थ्य योजना-

01- पाठशाला स्वास्थ्य सेवा-

#### गैर योजना

मूल

39.51

24.89

24.89

पुनर्वि0

(-)14.62

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 14.62 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, वेतनमानों में संशोधन न होन तथा संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण हुई।

110- अस्पताल तथा औषधालय-

03- शहरी स्वास्थ्य-

#### गैर योजना

मूल 2,42,09.92

पूरक 0.01 1,81,52.32 1,81,51.49

पुनर्वि0 (-)60,57.61

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 60,57.61 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, वेतनमानों में संशोधन न होने, रोगी कल्याण समिति के तहत विभिन्न श्रेणीयों के कर्मचारीयों को सरकारी अनुबन्ध में परिवर्तित न करने और विद्युत, पानी और दूरभाष बिलों पर कम व्यय के कारण हुई ।

08- नये स्वास्थ्य संस्थानों के लिए एक मुश्त प्रावधान-

#### योजना

मूल 1.00

पुनर्वि0 (-)1.00

मार्च 2020 में ₹ 1.00 लाख के समस्त प्रावधान को पुनर्विनियोजन द्वारा कार्यालय मदों की कोइ भी खरीद न करने के कारण कम कर दिया गया।

200- अन्य स्वास्थ्य सेवाएं-

01- दन्त क्लीनिक (शहरी)-

#### गैर योजना

मूल 43,98.66

43,35.53 43,35.52

(-) 0.01

(-)0.83

पुनर्वि0 (-)63.13

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 63.13 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, वेतनमानों में संशोधन न होने तथा सहायता अनुदान राशि के मामले प्राप्त न होने के कारण हुई जोकि चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की अधिक प्राप्ति के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

02- शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ- अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

01- निदेशालय

#### गैर योजना

मूल 5,29.71

4,08.71 4,08.80

+0.09

पुनर्वि0 (-)1,21.00

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,21.00 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने वेतनमानों में संशोधन न होने तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

02- जिला स्थापना-

#### गैर योजना

मूल 81,54.11

62,53.53 62,55.05 +1.52

पुनर्वि0 (-)19,00.58

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 19,00.58 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, वेतनमानों में संशोधन न करने तथा कोविड-19 से हुए पूर्णबन्द के कारण हुई।

101- आयुर्वेद-

01- आयुर्वेदिक चिकित्सालय-

गैर योजना

मूल

10,52.97

9,01.70

9,01.72

+0.02

पुनर्वि0 (-)1,51.27

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,51.27 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा वेतनमानों में संशोधन न होने के कारण हुई जोकि दूरभाष, बिजली तथा पानी के बिलों पर अधिक व्यय से हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

03- आयुर्वेदिक फार्मेसी-

गैर योजना

मूल

5,53.51

3,90.64

3,90.65

+0.01

पुनर्वि0 (-)1,62.87

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,62.87 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, वेतनमानों में संशोधन न होने तथा कोविड-19 से हुए पूर्णबन्द के कारण हुई।

03- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति-

110- अस्पताल तथा औषधालय-

01- ग्रामीण स्वास्थ्य-

गैर योजना

मूल

4,27,88.43

3,09,21.06

3,09,19.69

(-)1.37

पुनर्वि० (-)1,18,67.37

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,18,67.37 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, वेतनमानों में संशोधन न करने, रोगी कल्याण समिति के विभिन्न श्रेणीयों के कर्मचारियों को सरकारी अनुबन्ध में प्रतिवर्तित करने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति तथा बिजली,पानी व दूरभाष बिलों पर कम व्यय के कारण हुई।

योजना

मूल

44,96.36

37,10.91

37, 10.90

(-)0.01

पुनर्वि0 (-)7,85.45

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 7,85.45 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, वेतनमानों में संशोधन न करने, दूरभाष, बिजली व पानी के बिलों पर कम व्यय,मरम्मत कार्यों के कम निष्पादन होने तथा दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति के कारण हुई।

05- नये स्वास्थ्य संस्थानों के लिए एक मुश्त प्रावधान-

योजना

मूल

1.00

पुनर्वि0

(-)1.00

मार्च 2020 में ₹ 1.00 लाख के समस्त प्रावधान को पुनर्विनियोजन द्वारा कार्यालय मदों की शून्य खरीद होने के कारण कम कर दिया गया।

04- ग्रामीण स्वारथ्य सेवाएं-

चिकित्सा की अन्य पद्धतियाँ-

101- आयुर्वेद-

01- आयुर्वेदिक अस्पताल-

गैर योजना

मूल

2,77.76

2,32.89

2,32.88

(-)0.01

पुनर्वि0 (-)44.87

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 44.87 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, वेतनमानों में संशोधन न करने तथा कोविड-19 से हुए पूर्णबन्द के कारण हुई जोकि दूरभाष, बिजली व पानी के बिलों के अधिक भुगतान के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

02- आयुर्वेदिक औषधालय-

गैर योजना

मूल

1,06,73.54

पूरक

0.02

92,13.12

92, 13.15

+0.03

पुनर्वि0 (-)14,60.44

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 14,60.44 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, वेतनमानों में संशोधन न करने तथा कोविड-19 से हुए पूर्णबन्द के कारण हुई जोकि किराया बिलों की अधिक प्राप्ति तथा राज्य स्तरीय योगा दिवस के आयोजन के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

चिकित्सा शिक्षा,प्रशिक्षण 05-और अनुसंधान-

आयुर्वेद-101-

आयुर्वेदिक महाविद्यालय-01-

गैर योजना

मूल

18,61.02

13, 15.56

13, 15.49

(-)0.07

पुनर्वि0 (-)5,45.46

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 5,45.46 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, वेतनमानों में संशोधन न करने, आवेदनों की कम प्राप्ति से हुई जोकि लंबित देनदारियों के भुगतान से हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंत्लित हुई।

105- पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति-

01- इन्दिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, शिमला-

गैर योजना

मूल

2,11,78.60

1,71,89.47

1,64,73.71

(-)7,15.76

पुनर्वि0 (-)39,89.13

₹ 7,15.76 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/ अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 39,89.13 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, वेतनमानों में संशोधन न करने तथा बिजली,पानी और दूरभाष के बिलों पर कम व्यय के कारण हुई जोकि कोविड-19 मामलों के लिए आवश्यक वस्तुओं की अधिक खरीद तथा वाहनों की अधिक खरीद के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 7,15.76 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

03- विभिन्न विषयों पर स्वास्थ्य प्रशिक्षण-

### गैर योजना

मूल

4,30.40

3,08.34

3,08.34

पुनर्वि0 (-)1,22.06

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,22.06 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा वेतनमानों में संशोधन न होने के कारण हुई ।

#### योजना

मूल

35.00

1.07

1.07

पुनर्वि0 (-)33.93

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 33.93 लाख की कमी टेलीफोन, बिजली तथा पानी के बिलों पर कम व्यय होने के कारण हुई।

04- दन्त चिकित्सा महाविद्यालय-

### गैर योजना

मूल

19,29.73

16,07.51

16,07.49

(-)0.02

पुनर्वि0 (-)3,22.22

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3,22.22 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, वेतनमानों में संशोधन न करने बिजली,पानी व दूरभाष के बिलों पर कम व्यय के कारण हुई जोकि बाह्य स्त्रोत सेवाओं के अधिक भुगतान के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई ।

05- निदेशालय चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान-

#### गैर योजना

मूल

2,78.29

1,40.36

1,40.36

पुनर्वि0 (-)1,37.93

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,37.93 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा वेतनमानों में संशोधन न करने बिजली,पानी व टेलीफोन के बिलों पर कम व्यय के कारण हुई।

06- डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद चिकित्सा महाविद्यालय टांडा-

#### गैर योजना

मूल

1,13,05.33

1,07,72.02

1,07,22.31

(-)49.71

पुनर्वि0 (-)5,33.31

₹ 49.71 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 5,33.31 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा वेतनमानों में संशोधन न करने से हुई जोकि बाह्य स्त्रोत सेवाओं पर अधिक भुगतान, उपकरणों की अधिक खरीद, दूरभाष, बिजली व पानी के बिलों का अधिक भुगतान तथा दैनिक वेतन भोगियों की अधिक नियुक्ति के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 49.71 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

07- राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय

का उन्नयन-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजना

(i) मूल

1.00

(-)1.00

पुनर्वि0 **योजना** 

पाण

(ii) मूल

1.00

पुनर्वि0

(-)1.00

08- प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना-

योजना

(iii) मूल

1.00

पुनर्वि0

(-)1.00

उपरोक्त तीनों मामलों में ₹ 3.00 लाख का समस्त प्रावधान को मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा कम कर दिया गया जिसके कारण सूचित नहीं किये गये (अक्तूबर 2020)।

11- इंट्रा-म्यूरल अनुसन्धान निधि-

### गैर योजना

मूल

1,00.00

41.97

41.97

पुनर्वि0

(-)58.03

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 58.03 लाख की कमी इंट्रा-म्यूरल अनुसन्धान कार्य में कम व्यय होने के कारण हुई।

12- डॉ0 यंशवत सिंह परमार राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय नाहन-

गैर योजना

मूल

39,27.66

37,68.03

37,68.02

(-)0.01

पुनर्वि0

(-)1,59.63

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,59.63 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा वेतनमानों में संशोधन न करने के कारण हुई जोकि बाह्य स्त्रोत सेवाओं के अधिक भुगतान, कोविड-19 के लिए आवश्यक वस्तुओं के रखरखाव तथा वाहनों के अधिक खरीद से हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

14- पंडित जवाहर लाल नेहरू राजकीय

चिकित्सा महाविद्यालय चम्बा-

#### गैर योजना

मूल

31,01.65

पूरक

2,04.18

31,74.74

31,74.66

(-)0.08

पुनवि0

(-)1,31.09

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,31.09 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा वेतनमानों में संशोधन न करने के कारण हुई जोकि कोविड-19 में आवश्यक वस्तुओं की अधिक खरीद तथा वाहनों की अधिक खरीद के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

17- डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद मेडिकल कालेज टांडा में डोरिएट्रिक केन्द्र-

### केन्द्रीय प्रायोजित योजना

#### योजना

पूरक

4,88.44

पुनर्वि0

(-)4,88.44

अनुपूरक अनुदान द्वारा प्राप्त ₹ 4,88.44 लाख के समस्त प्रावधान को मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा संहितागत औपचारिकता को पूरा न करने के कारण कम कर दिया गया।

06- लोक स्वास्थ्य-

101- रोगों का निवारण तथा नियंत्रण-

02- क्षय रोग अस्पताल-

#### गैर योजना

मूल

10, 19.49

7,06.82

7,06.81

(-)0.01

पुनर्वि0

(-)3,12.67

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3,12.67 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, वेतनमानों में संशोधन न करने, बिजली, पानी, दूरभाष बिलों पर कम व्यय तथा कोविड-19 से पूर्णबन्द के कारण हुई।

योजना

मूल

1,83.00

74.70

74.69

(-)0.01

पुनर्वि0

(-)1,08.30

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,08.30 लाख की कमी सामाग्री की खरीद,बिजली,पानी व दूरभाष बिलों पर कम व्यय होने के कारण हुई।

05- मानसिक चिकित्सा एवं पुनर्वास चिकित्सालय-

#### गैर योजना

मूल

85.50

पूरक

0.02

64.95

64.94

(-)0.01

पुनर्वि0

(-)20.57

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 20.57 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने तथा वेतनमानों में संशोधन न करने तथा कोविड-19 से पूर्णबन्द के कारण हुई। योजना

मूल

2,32.00

2,07.12

2,07.12

पुनवि0

(-)24.88

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 24.88 लाख की कमी उपकरणों की खरीद पर कम व्यय, दूरभाष,पानी तथा बिजली बिलों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अनुदान राशि मामलों की अधिक प्राप्ति के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

07- कुष्ठ रोग अस्पताल-

#### गैर योजना

मूल

4,64.17

2,33.54

2,32.65

(-)0.89

पुनर्वि0

(-)2,30.63

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,30.63 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने तथा वेतनमानों मे संशोधन न करने के कारण हुई।

#### योजना

मूल

20.00

पुनर्वि0

(-)20.00

₹ 20.00 लाख के समस्त प्रावधान को मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा टेलीफोन,पानी तथा बिजली बिलों पर कम व्यय होने के कारण कम कर दिया गया ।

08- गलागण्ड माला उपचार-

#### गैर योजना

मूल

25.72

11.88

11.88

पुनर्वि0 (-)13.84

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 13.84 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा वेतनमानों मे संशोधन न करने के कारण हुई।

			3	,	
21-	राष्ट्रीय उपार्ग केन्द्रीय प्रायो योजना		र्णता सहलक्षण कार्यक्रम-		
(i)	मूल	2.00			
	पुनर्वि0	(-)2.00			
23-	अघात केन्द्रों केन्द्रीय प्रायो योजना				
(ii)	मूल	1.00			
	पुनर्वि0	(-)1.00			••
(iii)	<b>योजना</b> मूल	1.00			
	उपरोक्त ती		 4.00 लाख के समस्त प्र क्षित थे (अक्तूबर 2020)।	•	 जन द्वारा कम कर
107- 01-		र प्रयोगशालाएं- प्रयोगशालाओं प	र व्यय-		
	मूल	2,48.31	1 67 20	4 67 27	(-)0.01
	मार्च 2020 न न भरने तथा व्यय करने वे अन्य प्रणालि मुख्यमंत्री आ गैर योजना	वेतनमानों में सं हे कारण हुए आ	1,67.38 /अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में शोधन न करने के कारण धेक्य से अंशतः प्रतिसन्तुित	हुई जोकि बाह्य स्त्रोत	मी रिक्त पदों को
	9.,	10,00.00	11,01.29	11,01.29	
	पुनर्वि0	(-)3,98.71			
		में अभ्यर्पण द्वारा ने के कारण हुई	प्रावधान में ₹ 3,98.71 व ।	लाख की कमी लाभार्थि	ायों द्वारा कम मांग
06-	निशुल्क दवा <b>गैर योजना</b>	ईयां-			
		15,00.00			
	पुनर्वि0	(-)1,59.01	13,40.99	13,40.99	

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,59.01 लाख की कमी निविदाओं को अंतिम रूप न दिये जाने के कारण हुई।

#### 2211- परिवार कल्याण-

001- निदेशन और प्रशासन-

01- राज्य मुख्यालय-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजना

(i) मूल 3,02.00

2,28.33 2,28.32 (-)0.01

पुनर्वि0 (-)73.67

गैर योजना

(ii) मूल 25.06

7.08 7.08 ...

पुनर्वि0 (-)17.98

उपरोक्त दोनों मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 91.65 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा वेतनमानों में संशोधन न करने तथा विकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

#### योजना

मूल 1.00

.. ..

पुनर्वि0 (-)1.00

₹ 1.00 लाख के समस्त प्रावधान को मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा दूरभाष, बिजली व पानी के बिलों पर कोई भी व्यय न होने के कारण कम कर दिया गया।

#### 02- जिला मुख्यालय-

#### केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजना

मूल 1,43.00

81.76 81.76

पुनर्वि0 (-)61.24

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 61.24 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा वेतनमानों में संशोधन न होने के कारण हुई।

#### गैर योजना

मूल 5,77.23

2,62.64 2,62.64 ...

पुनर्वि0 (-)3,14.59

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3,14.59 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने वेतनमानों में संशोधन न करने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति तथा बिजली,पानी व दूरभाष बिलों पर कम व्यय के कारण हुई।

		अनुद	ान संख्या-9 (क्रमर	(I:)	
	योजना				
	मूल	1.00			
	Ci				
	पुनर्वि0	(-)1.00			
	₹ 1.00	लाख के समस्त प्रावधान	न को मार्च 2020 में प्	पुनर्विनियोजन द्वारा दूर <sup>,</sup>	भाष, बिजली व
	पानी के वि	बिलों पर कोई भी व्ययः	न होने के कारण कम	कर दिया गया।	
003-	प्रशिक्षण-				
01-	सहायक र	उपचारिका मिडवाईफ/दाई	ई तथा		
		वास्थ्य विजिटर पर्यवेक्षक	का प्रशिक्षण इत्यादि-		
		ायोजित योजना			
(')	योजना	0.40.00			
(i)	मूल	2,42.00	4.45.00	4 45 20	()0.00
	ਧਜਰਿੰ∩	(-)96.64	1,45.36	1,45.30	(-)0.06
	· ·				
(::)	गैर योजन				
(ii)	मूल	1,97.22	1 11 06	1 11 05	(-)0.01
	प्रनर्ति∩	(-)85.26	1,11.96	1,11.95	(-)0.01
404	J				
101- 01-		रिवार कल्याण सेवाएं- त्रों में परिवार कल्याण के	<del></del>		
01-		त्रा न पारपार कल्याण क <b>ायोजित योजना</b>	ту- -		
	योजना				
(iii)	मूल	30,25.00			
` ′	Ci		26,18.06	26, 18.06	
	पुनर्वि0	(-)4,06.94			
	गैर योजन	ना			
(iv)	मूल	1,03,97.63			
			71,37.43	71,37.39	(-)0.04
	•	(-)32,60.20			
		वार कल्याण सेवाएं-			
01-		ों में परिवार कल्याण केन	द्र-		
	कन्द्राय प्र योजना	ायोजित योजना			
(v)	मूल	4,24.00			
(*)	9,1	4,24.00	3,38.29	3,38.29	
	पुनर्वि0	(-)85.71	,	•	
	ँ गैर योजन				
(vi)	मूल	14, 15.81			
` /	G	•	7,40.30	7,40.30	
	पुनर्वि0	(-)6,75.51			

उपरोक्त छः मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 46,10.26 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा वेतनमानों में संशोधन न करने के कारण हुई।

200- अन्य सेवाएं तथा प्रतियां-

02- इन्दिरा गांधी बालिका सुरक्षा योजना-

#### गैर योजना

मूल

20.00

7.00

7.00

पुनर्वि0

(-)13.00

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 13.00 लाख की कमी विभिन्न वस्तुओं पर कम व्यय के कारण हुई ।

#### योजना

(i) मूल

70.00

48.20

48.20

पुनर्वि0 (-)21.80

03- सर्वश्रेष्ठ महिला जन्म अनुपात के लिए पंचायतों को अतिरिक्त विकास अनुष्ठान-गैर योजना

(ii) मूल

50.00

35.00

35.00

पुनर्वि0 (-)15.00

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 36.80 लाख की कमी प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

04- भ्रूण हत्या के सूचक को प्रोत्साहन -

#### योजना

मूल

1.00

पुनर्वि0

(-)1.00

₹ 1.00 लाख के समस्त प्रावधान को मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा कम कर दिया गया जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत प्रावधान-05-

#### केन्द्रीय प्रायोजित योजना

#### योजना

मूल

2,49,08.00

1,77,07.00 1,77,07.00

पुनर्वि0 (-)72,01.00

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 72,01.00 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई । जबकि ₹ 1,71,84.00 लाख का अनुदान भारत सरकार से प्राप्त हुआ ।

06- राष्ट्रीय स्वास्थय बीमा योजना-

					ळ ( <b>₹</b> लाखों ३	ाय में)	बचत	(-)
. ,	शीर्ष	`	कुल अनु		वास्तवि	क	आधिक्य	
(iv)	प्राप्ति के कारप <b>उपरोक्त बचत</b>	ग हुइ। ' <b>निम्नवत् शीर्षां</b>	के अन्तर्गत हुए	ु आधिक्य	ंसे अंशतः !	प्रतिसंतुलित ह	ई:-	
		(-)3.53 अभ्यर्पण द्वारा प्रा	वधान में ₹ 3.53	४ लाख र्क	ो कमी चिवि	न्त्सा प्रतिपूर्ति	दावों की	कम
		() 6 = 5	10.	.53	10.5	53		
	<b>गैर योजना</b> मूल	14.06						
10-		ानीयों को चिकि	त्सा व्यय का प्री	तेपूर्ति-				
	अन्य कार्यक्रम-	9						
	•	सुरक्षा तथा कल	याण कार्यक्रम-					
2235-	द्वारा संहितागत	ां औपचारिकताओं <b>धा तथा कल्याण</b> -					યુ. <b>ા</b> વા નવ	1011
	•	(-)1.00 मामलों में ₹ 3,6	5 00 लाख के	समस्त पा	तधान को म	ार्च २०२० में	<u>प्रचर्तिनियं</u>	ोत्त्वन
(iii)		1.00						
	केन्द्रीय प्रायोजि योजना	नत योजना						
09-	पुनर्वि0 (- राष्ट्रीय स्वास्थ	-)3,63.00 य सुरक्षा योजना-						
(ii)	मूल	3,63.00						
08-	राष्ट्रीय एम्बुलेंर केन्द्रीय प्रायोजि योजना							
	पुनर्वि0	(-)1.00						
(i)	मूल	1.00						
07-	अनुदान प्राप्त ह् मात्री सेवा योज <b>योजना</b>	-						
	जिसके कारण	के समस्त प्रावश प्रतीक्षित थे (३			-			
	•	(-)1.00	\ (		~~ <i>,</i>	••	0	
	मूल	1.00						
	केन्द्रीय प्रायोजि योजना	नत योजना						

2059- लोक निर्माण कार्य-

01- कार्यालय भवन-

053- रख-रखाव और मुरम्मत-

49- स्वास्थ्य विभाग के भवनों का रखरखाव-

#### गैर योजना

(i) पूरक

0.01

30.72

30.72

पुनर्वि0

30.71

50- आयुर्वेद विभाग के भवनों का रखरखाव-

### गैर योजना

(ii) मूल

0.01

1,00.00

1,00.00

पुनर्वि0 99.99

53- दन्त विभाग के भवनों का रख रखाव-

#### गैर योजना

(iii) मूल

0.01

10.93

10.93

पुनर्वि0

10.92

उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,41.62 लाख का आवर्धन कार्यालय भवनों पर मुरम्मत तथा रखरखाव पर अधिक व्यय होने के कारण हुआ।

#### 2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-

01- शहरी स्वास्थ्य सेवाएं पाश्चात्य चिकित्सा -

110- अस्पताल तथा औषधालय -

03- शहरी स्वास्थ्य-

#### योजना

मूल

44,00.00

पूरक 0.01

55,80.53

55,79.65

(-)0.88

पुनवि0

11,80.52

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 11,80.52 लाख का आर्वधन अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान कोठीपुरा को अधिक ऊर्जा उपलब्ध करवाने के कारण हुआ जोकि दूरभाष, बिजली व पानी के बिलों पर कम व्यय, रिक्त पदों को न भरने वेतनमानों को संशोधन न करने तथा सामाग्री की कम खरीद करने के कारण हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ।

07- बायो मेडिकल वेस्ट-

#### गैर योजना

मूल

55.34

87.51

87.74

+0.23

पुनर्वि0

32.17

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 32.17 लाख का आर्वधन नगर निगम को बायो मैडिकल वैस्ट के बिलों का भुगतान करने के कारण हुआ जोकि संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ।

05- चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान-

101- आयुर्वेद-

05- राष्ट्रीय आयुर्वेदा,योगा, यूनानी, सिद्धा तथा होम्योपैथी मिशन-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजना

मूल

5,03.00

28,69.72

28,69.72

पुनर्वि0

23,66.72

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 23,66.72 लाख का सारभूत आर्वधन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति होने के कारण हुआ। जबकि ₹ 15,88.07 लाख का अनुदान भारत सरकार से प्राप्त हुआ।

#### योजना

मूल

56.00

3,18.86

3,18.86

पुनर्वि0

2,62.86

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,62.86 लाख का सारभुत आर्वधन केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की अधिक हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुआ।

105- पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति-

01- इन्दिरा गांधी चिकित्सा

महाविद्यालय, शिमला-

#### योजना

मूल 11,43.00

पूरक 1,03.10

13,35.59

15,35.59

+2,00.00

पुनर्वि0

89.49

₹ 2,00.00 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 89.49 लाख का आवर्धन सामग्री तथा आपूर्ति पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि कोविड-19 में आवश्यक वस्तुओं की कम खरीद तथा सहायता अनुदान के मामलें कम प्राप्त होने के कारण हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई तथा अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

₹ 2,00.00 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

06- डाक्टर राजेन्द प्रसाद मैडिकल कालेज टांडा-

#### योजना

मूल 9,02.00

9,02.00

9,51.99

+49.99

₹ 49.99 लाख की अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

13- डाक्टर राधाकृष्णन राजकीय मैडिकल कालेज हमीरपुर-

#### गैर योजना

मूल 13,76.14

पूरक 1,56.47 22,13.11 22,13.11

पुनर्वि0 6,80.50

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 6,80.50 लाख का आर्वधन अतिरिक्त कर्मचारियों की अधिक नियुक्ति, कोविड-19 में आवश्यक वस्तुओं के संरक्षण, बाह्य स्त्रोत सेवाओं को अधिक भुगतान तथा किराया बिलों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ जोिक दूरभाष, बिजली व पानी के बिलों पर कम व्यय से हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ।

15- लाल बहादुर शास्त्री राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल नैर चौक-

#### गैर योजना

मूल 34,40.22

पूरक 0.36 52,35.64 52,36.48 +0.84

पुनर्वि0 17,95.06

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 17,95.06 लाख का आर्वधन अतिरिक्त कर्मचारियों की अधिक नियुक्ति, बाह्य स्त्रोत सेवाओं के अधिक भुगतान, बाह्य स्त्रोत वाहनों के भुगतान, पैट्रोल, तेल, रनेहक व वाहनों की मरम्मत के भुगतान, दूरभाष, बिजली व पानी के अधिक भुगतान, कोविड-19 में आवश्यक वस्तुओं के अधिक संरक्षण तथा सामग्री व एम्बुलैंस की खरीद पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

18- स्वास्थ्य विज्ञान के लिए हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय-

#### गैर योजना

पूरक 0.02

1,22.00 1,22.00

पुनर्वि0 1,21.98

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,21.98 लाख का आर्वधन नवनिर्मित अटल चिकित्सा तथा अनुसंधान विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश को सहायता प्रदान करने के कारण हुआ।

06- लोक स्वास्थ्य-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

04- औषध प्रशासन तथा खाद्य स्रक्षा-

#### गैर योजना

मूल 2,38.72 पूरक 0.03 3,04.23 3,04.22 (-)0.01 पुनर्वि0 65.48

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 65.48 लाख का आवर्धन वेतन का अधिक भुगतान, खाद्य व सम्बन्धित वस्तुओं के अधिक सैंपल प्राप्त करने भारतीय सुरक्षा प्राधिकरण खाद्य/अधिसूचित प्रयोगशालाओं में सम्बन्धित वस्तुओं का विश्लेषण किया गया तथा बाहरी स्त्रोतों पर अधिक व्यय होने के कारण हुआ ।

- 101- रोगों का निवारण तथा नियन्त्रण-
- 21- राष्ट्रीय उपार्जित प्रतिरक्षी अपूर्णता सहलक्षण कार्यक्रम-

#### योजना

मूल	1,30.00			
पूरक	3,76.92	5,51.01	5,51.01	
पुनर्वि0	44.09			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 44.09 लाख का आवर्धन रोगियों को मुफ्त/ निशुल्क उपचार प्रदान करने के कारण हुआ।

200- अन्य चिकित्सा पद्धतियां-

08- हिमाचल स्वास्थ्य सेवा योजना-

#### गैर योजना

मूल

5,00.00

17,00.00

17,00.00

पुनर्वि0

12,00.00

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 12,00.00 लाख का आवर्धन हिमाचल स्वास्थ्य सेवा योजना ज्यादा लागू करने के कारण हुआ।

09- सहारा योजना-

#### गैर योजना

पूरक

0.01

3,71.48

3,71.48

पुनवि0

3,71.47

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3,71.47 लाख का आवर्धन नई स्वास्थ्य योजना लागू करने के कारण हुआ |

#### 2216- आवास-

05- साधारण पूल आवास-

053- रखरखाव एवं मरम्मतें-

01- अन्य रखरखाव व्यय-

#### गैर योजना

(i) पूरक

9.25

47.06

47.06

पुनर्वि0

37.81

05- निदेशक चिकित्सा शिक्षा के आवासीय भवनों का रखरखाव-गैर योजना

(ii) मूल

5.28

53.28

53.28

पुनर्वि0

48.00

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 85.81 लाख का आवर्धन सरकारी आवासीय भवनों की मरम्मत व रखरखाव करने के कारण हुआ।

### पुंजीगत प्रर्वग

(v) दतमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष

कुल अनुदान

वास्तविक

आधिक्य (+)

व्यय

बचत (-)

(₹ लाखों में)

### 4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-

01- शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-

	अस्पताल तथा शहरी स्वास्थ्य- <b>योजना</b>		·	,	
	मूल पूरक पुनर्वि0		33,66.35	33,66.35	
			ावधान में ₹ 25.85 रणों की खरीद पर कम	लाख की कमी क्षेत्रीय व्यय के कारण हुई।	अधिकारियों से
03-	दंत चिकित्सा <sup>र</sup> गैर योजना	सेवा के तहत विक	ास कार्य-		
	मूल	33.31			
			5.39	5.39	
	पुनर्वि0	(-)27.92			
		अभ्यर्पण द्वारा प्राव न करने के कारण		ख की कमी मशीनरी तथ	ा उपकरणों की
02-	ग्रामीण स्वास्थ्य	ग सेवाएं-			
	अस्पताल तथा				
01-	ग्रामीण स्वास्थ्य •	<b>I</b> –			
	योजना —				
	<b>C</b> 1	39,17.00	07 77 00	07.77.00	
	पूरक पुनर्वि0	88.64 (-)2 27 71	37,77.93	37,77.93	
	· ·		···· ÷ = 0 0 7 1 -	<del></del>	- <del></del>
		अभ्यपण द्वारा प्रावः ने के कारण हुई।	યાન 4 ₹ 2,27.71 લ	ाख की कमी संहितागत र	आपचारिकताआ
03-	चिकित्सा शिक्ष	ा, प्रशिक्षण तथा अ	नुसंधान-		
	पाश्चात्य चिकि				
01-	मैडिकल काले				
	केन्द्रीय प्रायोजि योजना	नत याजना			
(i)	मूल	1.00			
(1)	.101	1.00			
	पुनर्वि0	(-)1.00			••
05-	नाहन के चिकि केन्द्रीय प्रायोजि योजना	न्त्सा महाविद्यालय <b>ात योजना</b>	का निर्माण-		
(ii)	मूल	1.00			
` /	C				
	पुनर्वि0	(-)1.00			
	₹ 2.00 लाख	के समस्त प्रावधान	को मार्च २०२० में ३	अभ्यर्पण द्वारा कम कर दि	या गया जिसके

कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

# विनियोग लेखे अनुदान संख्या-9 (समाप्त)

06- हमीरपुर में चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण-केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना

मूल

23,03.00

11,05.04

11,05.04

पुनर्वि0

(-)11,97.96

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 11,97.96 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति होने के कारण हुई।

07- चम्बा में चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजना

मूल

10,38.00

पुनर्वि0

(-)10,38.00

₹ 10,38.00 लाख के समस्त प्रावधान को मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण कम कर दिया गया।

# विनियोग लेखे अनुदान संख्या-10- लोक निर्माण कार्य- सड़कें, पुल तथा भवन

(शीर्ष- 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2216-आवास, 3054-सड़क तथा पुल, 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, 4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय तथा 5054-सड़कों तथा पुलों पर पूंजीगत परिव्यय)

		कुल अनुदान/ विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ हजारों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	35,40,27,60	35,69,93,68	28,33,10,73	(-)7,36,82,95
पूरक	29,66,09			,
वर्ष के दौरान अ राशि (31 मार्च				7,36,44,63
प्रभारित				
मूल		46,36	40,77	(-)5,59
पूरक	46,36	40,30	40,77	(-)0,09
वर्ष के दौरान अ राशि	ाभ्यर्पित			
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	12,92,53,03	18,08,14,36	16,24,20,50	(-)1,83,93,86
पूरक	5,15,61,33			(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
वर्ष के दौरान अ राशि (31 मार्च				2,47,47,42
प्रभारित				
मूल	2,00,00	1,04,46,02	6,92,23	(-)97,53,79
पूरक	1,02,46,02			.,
वर्ष के दौरान अ राशि	गभ्यर्पित			

### टिप्पणियाँ तथा अभ्युक्तियाँ

- (i) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 7,36,82.95 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2020 में प्राप्त ₹ 29,66.09 लाख की अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ जबिक मूल प्रावधान भी सारभूत रूप से अप्रयुक्त रहा जोिक अच्छा बजट बनाने तथा व्यय पर प्रभावी नियन्त्रण की आवश्यकता की ओर इंगित करता है।
- (ii) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 1,83,93.86 लाख के अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2020 में प्राप्त ₹ 5,15,61.33 लाख का अनुपूरक अनुदान तथा ₹ 2,47,47.42 लाख का अभ्यर्पण अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (iii) पूंजीगत प्रवर्ग में प्रभारित विनियोजन में ₹ 97,53.79 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2020 में ₹ 1,02,46.02 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ और विभाग द्वारा किसी भी राशि का अभ्यर्पण नहीं किया गया।

#### राजस्व प्रवर्ग

(iv)	दत्तमत प्राव	दत्तमत प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई :-				
	शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक	आधिक्य (+)	
				व्यय (₹ लाखों में)	बचत (-)	
2059-	लोक निर्माण	ग कार्य-		(- /		
80-	सामान्य-					
001-	निदेशन और	र प्रशासन-				
01-	निदेशन-					
	गैर योजना					
(i)	मूल	22,08.47				
	पूरक	3.58	15,14.02	15, 12.57	(-)1.45	
	पुनर्वि0	(-)6,98.03				
03-	डिजाईन-					
	गैर योजना					
(ii)	मूल	6,19.07				
			3,67.77	3,67.27	(-)0.50	
	पुनर्वि0	(-)2,51.30				
04-	वास्तुकला-					
	गैर योजना					
(iii)	मूल	2,69.06				
			2,06.70	2,06.69	(-)0.01	
	पुनर्वि0	(-)62.36			.,	

उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 10,11.69 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने और वेतनमानों में संशोधन न करने के कारण हुई।

051- निर्माण-

01- सरकारी गैर आवासीय भवन-

योजना

मूल

1,80.00

1,53.05

1,53.05

पुनर्वि0

(-)26.95

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 26.95 लाख की कमी सरकारी भवनों की मरम्मत पर कम व्यय के कारण हुई।

03- शिमला/धर्मशाला स्थित विधान सभा भवन-

#### योजना

मूल

20.00

पूरक

40.00

20.00

20.00

पुनर्वि0 (-)40.00

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 40.00 लाख की कमी कोविड-19 के कारण लॉकडाऊन/कर्फयू लगने से हुई।

052- मशीनरी तथा उपकरण-

02- मरम्मत तथा रखरखाव-

#### गैर योजना

मूल

44.34

12.38

12.38

पुनर्वि0 (-)31.96

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 31.96 लाख की कमी मशीनरी तथा उपकरणों के रखरखाव पर कम व्यय के कारण हुई।

053- रख-रखाव और मरम्मत-

03- निष्पादन-

#### गैर योजना

मूल

1,44,56.18

1,04,84.85

1,04,84.85

पुनर्वि0 (-)39,71.33

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 39,71.33 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा वेतनमानों का संशोधन न होने के कारण हुई ।

04- गैर आवासीय भवनों के रख-रखाव पर व्यय-

#### गैर योजना

मूल

30,97.62

29,32.71

29,33.40

+0.69

पुनर्वि0 (-)1,64.91

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,64.91 लाख की कमी कार्यालय भवनों की मरम्मत पर कम व्यय के कारण हुई।

05- कार्य भारित कर्मचारियों को स्थाई स्थापना में बदलना-

गैर योजना

मूल 1,27,42.30

85,34.92

85,33.94

(-)0.98

पुनर्वि0 (-)42,07.38

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 42,07.38 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा वेतनमानों का संशोधन न होने के कारण हुई।

06- वसूलियों के समायोजन हेतुरख-रखाव का प्रावधान-

गैर योजना

मूल 1

1,27,42.30

85,34.92

76,73.58

(-)8,61.34

पुनर्वि0 (-)42,07.38

₹ 8,61.34 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 42,07.38 लाख की कमी वसूली के समायोजन के लिए रखरखाव के प्रावधान पर कम व्यय के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 8,61.34 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

#### 2216- आवास-

05- सामान्य मूल निवास-

053- मरम्मत तथा रखरखाव-

01- अन्य रखरखाव व्यय-

गैर योजना

मूल 20,99.44

18,65.11

18,63.68

(-)1.43

पुनर्वि0 (-)2,34.33

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,34.33 लाख की कमी आवासीय भवनों के रखरखाव पर कम व्यय के कारण हुई।

### 3054- सड़कें तथा पुल-

01- राष्ट्रीय राजमार्ग-

337- सड़क कार्य-

01- राष्ट्रीय राजमार्ग का रखरवाव-

गैर योजना

मूल

5,88.50

5,23.28

5,23.28

पुनर्वि0 (-)65.22

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 65.22 लाख की कमी कोविड-19 के कारण लॉकडाऊन/कर्फयू लगने से हुई।

04- जिला और अन्य सड़कें-

105- रख-रखाव तथा मरम्मत-

03- सड़कों के रखरखाव पर व्यय-

#### गैर योजना

मूल

69,28.86

पुनर्वि0

(-)69,28.86

₹ 69,28.86 लाख का समस्त प्रावधान मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा हिमाचल प्रदेश सड़क तथा अन्य आधारिक संरचना विकास निगम से विभिन्न सड़कों के रखरखाव की निधि को निर्माण कार्य विभाग में बदलने के कारण कम कर दिया गया।

05- लोक निर्माण विभाग कार्यशाला नाहन फाउण्डरी-

#### गैर योजना

मूल

70.63

14.25

15.21

+0.96

पुनर्वि0

(-)56.38

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 56.38 लाख की कमी चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों के कम प्राप्त होने, रिक्त पदों को न भरने तथा वेतनमानों में संशोधन न होने के कारण हुई ।

06- वसूलियों के समायोजन हेतु रख-रखाव का प्रावधान-

#### गैर योजना

मूल

7,53,55.36

4,55,69.69

4,62,92.31

+7,22.62

पुनर्वि0 (-)2,97,85.67

₹ 7,22.62 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,97,85.67 लाख की कमी वसूली के समायोजन के लिए रखरखाव के प्रावधान पर कम व्यय के कारण हुई जोकि अत्याधिक सिद्ध हुई।

₹ 7,22.62 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

07- स्थाई स्थापना में बदले गए कार्य प्रभारित कामगार सडक निर्माण कार्य-

#### गैर योजना

मूल

7,53,55.36

पूरक

, 58.00

5,30,27.21

5,30,21.98

(-)5.23

पुनर्वि0 (-)2,23,86.15

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,23,86.15 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा वेतनमानों में संशोधन न करने के कारण हुई।

13- अन्य रखरखाव व्यय-मशीनरी और उपकरण-

#### गैर योजना

(i) मूल

3,33.96

2,73.56

2,75.20

+1.64

पुनर्वि0 (-)60.40

योजना

(ii) मूल 2,00.00

> 1,64.10 1,64.30

> > 11,22.25

+0.20

पुनर्वि0 (-)35.90

पुल तथा अन्य रख-रखाव पर व्यय-14-

गैर योजना

(iii) मूल 12,42.70

11,16.87

+5.38

पुनर्वि0 (-)1,25.83

उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,22.13 लाख की कमी मुख्यतः कोविड-19 में पूर्णबन्द लगाने के कारण हुई।

17- सड़को के रख-रखाव पर व्यय-

गैर योजना

मूल 21,96.83

> 22,43.31 21,73.31

(-)70.00

पुनर्वि0 46.48

₹ 70.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 46.48 लाख का आवर्धन सडकों की मरम्मत के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ ।

₹ 70.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

योजना

70.00 पूरक

70.00

(-)70.00

फरवरी 2020 में अनूपूरक अनुदान द्वारा प्राप्त ₹ 70.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा जिसके कारण प्रतीक्षित थे(अक्तूबर 2020)।

18- पूलों के रखरखाव पर व्यय-

गैर योजना

मूल

8,44.93

7,54.37

7,54.37

पुनर्वि0

(-)90.56

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 90.56 लाख की कमी कोविड-19 में पूर्णबन्द/कर्फय् के कारण हुई।

19- निष्पादन-

गैर योजना

मूल 1,73,38.55

पूरक

20.75 1,28,89.66 1,28,87.87

(-)1.79

पुनर्वि0 (-)44,69.64

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 44,69.64 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, वेतनमानों में संशोधन न करने तथा बिजली, पानी व टेलीफोन बिलों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

20- वसूलियों के समायोजन हेतु रख-रखाव का प्रावधान-

गैर योजना

मूल 3,21,11.40

2,13,00.50

2, 14, 13.76

+1,13.26

पुनर्वि0 (-)1,08,10.90

₹ 1,13.26 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,08,10.90 लाख की कमी वसूलियों के समायोजन हेतुरखरखाव पर कम व्यय होने के कारण हुई जोकि अत्याधिक सिद्ध हुई।

₹ 1,13.26 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

21- स्थाई स्थापना में बदले गए कामगार

मशीनरी एवं उपकरण-

#### गैर योजना

(i) मूल 89,34.85

पूरक 12.00

62,85.17 62,84.32

(-)0.85

पुनर्वि0 (-)26,61.68

22- स्थाई स्थापना में बदले गए कामगार-पुल (सेतू)-

#### गैर योजना

(ii) मूल 92,19.39

पूरक 12.00

68,69.36

68,69.54

+0.18

पुनर्वि0 (-)23,62.03

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 50,23.71 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने तथा वेतनमानों में संशोधन न होने के कारण हुई।

23- स्थाई स्थापना में बदले गए कामगार

सडक निर्माण कार्य-

#### गैर-योजना

मूल 1,39,57.16

पूरक 10.00

95,20.40

95, 19.55

(-)0.85

पुनर्वि (-)44,46.76

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 44,46.76 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, वेतनमानों में संशोधन न करने तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

27- माननीय मुख्यमंत्री के अधीन स्वतन्त्र गुणवत्ता नियंत्रण जाँच उड़ान दस्ता-

#### योजना

मूल

4,00.00

30.97

+30.97

पुनर्वि0 (-)4,00.00

₹ 30.97 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 4,00.00 लाख की कमी संहितागत औपचारिकता को पूरा न करने के कारण हुई तथा अनावश्यक सिद्ध हुई।

₹ 30.97 लाख का व्यय बिना बजट प्रावधान किया गया जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

800- अन्य व्यय-

04- ग्रामीण सडकें-

#### योजना

मूल

2,00.00

1,51.15

1,50.94

(-)0.21

पुनर्वि0

(-)48.85

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 48.85 लाख की कमी मुख्यतः कोविड-19 में पूर्णबन्द/कर्फयु के कारण हुई।

80- सामान्य-

001- निदेशन और प्रशासन-

01- निदेशन और पर्यवेक्षण-

#### गैर योजना

मूल

60, 14.61

पूरक

2.00

41,36.42

41,36.29

(-)0.13

पुनर्वि0 (-)18,80.19

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 18,80.19 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, वेतनमानों में संशोधन न करने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति, बाहरी स्त्रोत वाहनों, पैट्रोल, तेल, स्नेहक तथा वाहनों की मरम्मत पर कम व्यय के कारण हुई।

#### 05- वास्तुकार-

#### गैर योजना

मूल

6,37.25

पूरक

1.80

4,41.85

4,41.85

पुनर्वि0

(-)1,97.20

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,97.20 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, वेतनमानों में संशोधन न करने, बाहरी स्त्रोतों वाहनों, पैट्रोल, तेल, स्नेहक तथा वाहनों की मरम्मत पर कम व्यय के कारण हुई।

800- अन्य व्यय-

03- आउटपुट आधारित कार्य निष्पादन

रखरखाव अनुबन्ध-

#### गैर योजना

मूल

23,54.00

3,45.36

3,45.36

पुनर्वि0 (-)20,08.64

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 20,08.64 लाख की सारभूत कमी कोविड-19 में पूर्णबन्द/कर्फयु के कारण हुई ।

(v) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुईः-शीर्ष कुल अनुदान वास्तविक आधिक्य (+) व्यय बचत (-) (₹ लाखों में)

2059- लोक निर्माण कार्य-

80- सामान्य-

799- उच्चंत-

01- स्कन्ध-

गैर योजना

(i) मूल 90,00.00

2,35,93.86 2,35,93.86

पुनर्वि0 1,45,93.86

02- स्कन्ध विनिर्माण-

गैर योजना

(ii) मूल 40,00.00

51,00.31 51,00.31

पुनर्वि0 11,00.31

03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-

गैर योजना

(iii) मूल 50,00.00

99,65.56 99,65.56

पुनर्वि0 49,65.56

उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,06,59.73 लाख का सारभूत आवर्धन विभिन्न विभागों द्वारा निर्माण कार्य के लिए सामग्री की खरीद भण्डारण (Storage) के कारण हुआ ।

#### 3054- सड़क तथा पुल-

04- जिला और अन्य सड़कें-

105- मरम्मत तथा रखरखाव-

02- अन्य रखरखाव व्यय सड़क निर्माण कार्य-

गैर योजना

मूल 2,37,44.68

3, 18, 21.36 3, 18, 56.26

+34.90

प्नर्वि0 80,76.68

₹ 34.90 लाख की अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 80,76.68 लाख का आवर्धन विभिन्न सड़कों के मरम्मत करने के कारण हआ जोकि दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति करने से हुई कमी से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ जोकि अपर्याप्त सिद्ध हआ।

₹ 34.90 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

15- अन्य रखरखाव व्यय-सडक निर्माण कार्य-

#### गैर योजना

मूल 38,86.77

41,65.23

42,29.85

+64.62

पुनर्वि0

2,78.46

₹ 64.62 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,78.46 लाख का आवर्धन विभिन्न सड़कों के रखरखाव पर अधिक व्यय करने के कारण हुआ जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

₹ 64.62 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

16- मशीनरी तथा उपकरण के रखरखाव पर व्यय-

#### गैर योजना

मूल

2,68.43

3,07.38

3,07.38

पुनर्वि0

38.95

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 38.95 लाख का आवर्धन मशीनरी तथा उपकरणों के रख रखाव पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

### पूंजीगत प्रवर्ग

(vi) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष

कुल अनुदान

आधिक्य (+)

व्यय बचत (-)

(₹ लाखों में)

वास्तविक

### 4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-

01- कार्यालय भवन-

051- सामान्य पूल आवास का निर्माण-

04- जिला प्रशासन-

योजना

(i) मूल

1,20.00

90.40

90.40

पुनर्वि0 (-)29.60

38- भवनों के विवाचन मामलों की अदायगी (भवन)-गैर योजना

10.80

(ii) पूरक

0.35

पुनर्वि0 (-)10.45

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 40.05 लाख की कमी कोविड-19 में पूर्णबन्द/कर्फयू के कारण हुई।

0.35

### 4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय-

01- सरकारी आवासीय भवन-

106- सामान्य पूल आवास-

01- विभिन्न जिलों में आवासीय भवनों का निर्माण-

4	<b>\</b>	
गर	याजना	

(i) मूल 15,00.00

11,48.66 11,48.67

+0.01

पुनर्वि0 (-) 3,51.34

योजना

(ii) मूल 37,88.00

26,26.30 26,26.29

(-)0.01

पुनर्वि0 (-)11,61.70

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 15,13.04 लाख की कमी अति आवश्यक कार्यों के निर्माण पर कम व्यय के कारण हुई।

### 5054- सड़कों तथा पुलों पर पूंजीगत परिव्यय-

04- जिला तथा अन्य सड़कें-

101- पुल-

01- पुलों का निर्माण-

#### गैर योजना

(i) मूल 15,00.00

5,59.31 5,59.31

पुनर्वि0 (-) 9,40.69

#### योजना

(ii) मूल 2,00.00

पूरक 5,50.33 2,39.55 2,39.55

पुनर्वि0 (-)5,10.78

337- सड़क निर्माण कार्य-

02- ग्रामीण सड़कों का निर्माण-

### योजना

(iii) मूल 52,39.00

पूरक 31,94.88 81,71.07 81,71.07

पुनर्वि0 (-)2,62.81

06- प्रतिपूरक पौधारोपण (वन भूमि की लागत और नेट प्रेजेन्ट वैलयु की अदायगी)-

#### गैर योजना

(iv) पूरक 3,66.51

1,74.71 1,74.71

पुनर्वि0 (-)1,91.80

#### योजना

(v) मूल 10,00.00

पूरक 17,56.01 27,14.82 27,14.82

पुनर्वि0 (-)41.19

उपरोक्त पाँच मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 19,47.27 लाख की कमी कोविड-19 में पूर्णबन्द/कर्फयू के कारण हुई।

09- प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना कार्यों के अन्तर्गत कार्यक्रम एवं प्रशासनिक व्यय निधि-

योजना

मूल 39,49.00

90,30.00

87,39.00

(-)2,91.00

पूरक

50,81.00

₹ 2,91.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

10- ब्लैक स्पॉटस का सुधार-

गैर योजना

मूल

40,00.00 39.79.04

39,31.01

(-)48.03

पुनर्वि0 (-)20.96

₹ 48.03 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 20.96 लाख की कमी कोविड-19 में पूर्णबन्द/कर्फयू के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 48.03 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

11- मुख्यमंत्री सड़क योजना-

गैर योजना

मूल 50,00.00

26,80.43

27, 15.62

+35.19

पुनर्वि0 (-)23,19.57

₹ 35.19 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 23,19.57 लाख की कमी कोविड-19 में पूर्णबन्द/कर्फयू के कारण हुई जोकि अत्याधिक सिद्ध हुई।

₹ 35.19 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

12- बरोटीवाला-परवाणु और बरोटीवाला गुनाई

परवाणु सड़क को चौड़ा करना-

गैर योजना

मूल

1.00

1.00

+1.00

पुनर्वि0 (-)1.00

₹ 1.00 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1.00 लाख की कमी संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण हुई जोकि अनुचित सिद्ध हुई।

₹ 1.00 लाख का व्यय बिना प्रावधान के हुआ जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

16- भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से प्राप्त

प्रशासनिक और आकस्मिक प्रभार-

<u>~</u>	_	
गर	या	जना

पुनर्वि0

(-)3,00.00

(i) मूल 0.01 पूरक 1,16.80 50.80 50.80 पुनर्वि0 (-)66.01मुख्य जिला और अन्य के तहत 17-मशीनरी और उपकरणों की खरीद-योजना (ii) मूल 1,00.00 पुनर्वि0 (-)1,00.00राष्ट्रीय ग्रामीण एवं कृषि विकास बैंक के 19-अन्तर्गत सड्क निर्माण-योजना (iii) मूल 3,96,75.00 2,30,16.48 2,30,16.48 पुनर्वि0 (-)1,66,58.52 उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,68,24.53 लाख की कमी कोविड-19 में लगे पूर्णबन्द/कर्फयू के कारण हुई। विश्व बैंक राज्य सड्कें-21-योजना मूल 75,00.00 पुनर्वि0 (-)75,00.00₹ 75,00.00 लाख के समस्त प्रावधान को मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण कम कर दिया गया। हिमाचल सड़क सुधार योजना-23-गैर योजना 25,00.00 मूल 24,64.22 24,77.06 +12.84 पुनर्वि0 (-)35.78मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 35.78 लाख की कमी कोविड-19 में लगे पूर्णबन्द/कफर्यू के कारण हुई । माननीय मुख्यमंत्री के अधीन स्वतन्त्र 24-गुणवता नियंत्रण जाँच उड़ान दस्ता-योजना मूल 3,00.00

₹ 3,00.00 लाख के समस्त प्रावधान को मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण कम कर दिया गया।

उपरोक्त बचत निम्नवत् शीर्षौ के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-(vii)

शीर्ष वास्तविक आधिक्य (+) कुल अनुदान व्यय बचत (-)

(₹ लाखों में)

### 4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-

- 01- कार्यालय भवन-
- 051- सामान्य पुल आवास का निर्माण-
- 07- लोक निर्माण-

योजना

(i) मूल 4,49.00 पूरक 6,63.00 11,74.99 11,74.99 पुनर्वि0 62.99

सामान्य प्रशासन-12-

योजना

(ii) मूल 1,50.00

> 2,03.55 2,03.55

पुनर्वि0 53.55

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,16.54 लाख का आवर्धन चले हुए कार्यों को समाप्त करने के कारण हुआ।

सामान्य-80-

051- निर्माण-

अन्य प्रशासनिक सेवाएं-05-

योजना

10,00.00 मूल

> 29,95.25 29,95.25

पुनर्वि0 19,95.25

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 19,95.25 लाख का अनुदान मांग संख्या 04 के अंतर्गत व्यय को गलत बुक करने के कारण हुआ। इस तरह की बुकिंग हिमाचल प्रदेश की बजट नियमावली 1971 के पैरा 12.5 (i) तथा हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम, 2009 के नियम 44(3) का उल्लंघन है।

### 5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-

04- जिला तथा अन्य सड़कें-

337- सडक निर्माण कार्य-

02- ग्रामीण सड़कों का निर्माण-

#### गैर योजना

मूल

60,00.00

94,32.96

1,60,76.45

+66,43.49

पुनर्वि0

34,32.96

₹ 66,43.49 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 34,32.96 लाख का आवर्धन कोविड-19 में लगे पूर्णबन्द के कारण हुआ जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

₹ 66,43.49 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

20- केन्द्रीय निधि के अन्तर्गत सड़कों

का निर्माण-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना-

योजना

मूल

72,39.00

पूरक

17,17.00

91,94.52

91,94.52

पुनर्वि0

2,38.52

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,38.52 लाख का आवर्धन लंबित देनदारियों के कारण हुआ।

### (viii) प्रभारित विनियोजन में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष

कुल विनियोजन

वास्तविक

आधिक्य (+)

त्रारा

बचत (-)

(₹ लाखों में)

### 5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-

04- जिला तथा अन्य सङ्कें-

337- सडक निर्माण कार्य-

02- ग्रामीण सड़कों का निर्माण-

#### गैर योजना

पूरक

66,97.02

66,97.02

53.54

(-)66,43.48

₹ 66,43.48 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

15- मध्यस्थता मामलों के भुगतान

(सड़कें एवं पुल)-

#### गैर योजना

पूरक

35,49.00

35,49.00

(-)35,49.00

फरवरी 2020 में अनुपूरक अनुदान द्वारा प्राप्त ₹ 35,49.00 लाख का समस्त विनियोजन अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

(ix) उपरोक्त बचत निम्नवत् शीर्षौ के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष कुल विनियोजना वास्तविक आधिक्य (+)

व्यय

बचत (-)

(₹ लाखों में)

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-

04- जिला तथा अन्य सड़कें-

337- सड़क निर्माण कार्य-

15- मध्यस्थता मामलों के भुगतान (सड़के एवं पुल)-

योजना

मूल 2,00.00 2,00.00 6,38.69 +4,38.69

₹ 4,38.69 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

### (x) उच्चंत लेन देन-

अनुदान के अंतर्गत लघु-शीर्ष 'उच्चंत' के अंतर्गत लेखांकित किए गए व्यय में ₹ 6,24,08.08 लाख (₹ 6,24,08.08 लाख राजस्व प्रवर्ग में तथा पूंजीगत प्रवर्ग में ₹ 0.00 व्यय) सम्मिलित है।

यह शीर्ष अंतिम लेखा शीर्ष नहीं है बल्कि यह उन कुछ अंतिस लेन देनों के समायोजन के लिए है जिनके संबन्ध में लेनदेन को पूर्ण तथा अंतिम रूप से लेखांकित मानने के पूर्व आगामी अदायगी या मूल्य का समायोजन आवश्यक है । तदनुसार इस शीर्ष के अंतर्गत लेन-देनों को, यदि उन्हें अंतिम लेखा शीर्ष के अंतर्गत समायोजित नहीं किया जाता तो, उसे वर्षानुवर्ष आगे ले जाया जाता है।

उच्चंत शीर्ष के तीन उप-खंड है:-

- (1) स्कन्ध
- (2) विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम तथा
- (3) कार्यशाला उच्चंत ।

इन प्रत्येक उपखंडों के अंतर्गत लेनदेनों के स्वरूप तथा उनके लेखांकन का वर्णन निम्न प्रकार से है:-

#### (i) स्कन्ध:-

इस शीर्ष को ऐसी सामग्री के मूल्य को डेबिट किया जाता है जिसे किसी विशेष कार्य हेतु नहीं बिल्क मंडलों के सामान्य उपयोग के लिए प्राप्त किया गया हो । इसमें निर्माण कार्यों की जारी की गई सामग्री अथवा अन्य मंडलों को अंतरित अथवा अन्यथा निपटाई गई सामग्री के मूल्य से क्रेडिट किया जाता है । अतः यह उप शीर्ष स्टॉक में पड़ी सामग्री तथा विनिर्माण से संबंधित असमायोजित प्रभारों, यदि कोई हो, के मूल्य के संदर्भ में डेबिट बकाया दर्शाएगा।

### (ii) विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिमः-

यह उप-शीर्ष, क्रेडिट पर बेचे गए स्टॉक, निक्षेप-निर्माण कार्यों पर प्राप्त निक्षेपों से अधिक किए गए व्यय, भंडार, जो अभी प्राप्त नहीं हुए है, हेतु की गई अदायगी, अपलेखित न किए गए रोकड या भंडारों की क्षिति तथा सरकारी कर्मचारियों आदि से वसूल की जाने वाली राशि से संबंधित मूल्य के संदर्भ में डेबिटों के समायोजन के लिए है। इस प्रकार डेबिट-शेष, वसूली योग्य राशि को दर्शाता है।

### (iii) कार्यशाला उच्चंतः-

इस उप-शीर्ष को, विभागीय कार्यशालाओं में कार्यों या अन्य संचालनों पर किए गए सभी प्रभारों को डेबिट किया जाता है। कार्य की पूर्णता पर, उस कार्य से संबद्ध प्रभारों को जो इस उप-शीर्ष को डेबिट किए गए हों, को वसूली अथवा संबंधित अंतिम शीर्ष को अंतरण द्वारा समाशोधित किया जाता है। इस प्रकार इस शीर्ष के अंतर्गत डेबिट-शेष अपूर्ण कार्यों/संचालनों या कार्यों पर किए गए व्यय आदि से संबद्ध प्रभारों, जो वसूल या समायोजित नहीं किए गए हैं, को दर्शाता है।

विभिन्न उप-शीर्षों के अधीन अथ तथा अन्त शेषों सहित, वर्ष 2019-20 के दौरान इस अनुदान के अन्तर्गत लेखाबद्ध किए गए 'उच्चंत' लेनदेनों का विश्लेषण, निम्नवत दिया जाता है:-

# विनियोग लेखे अनुदान संख्या - 10 (समाप्त)

शीर्ष		01 अप्रैल 2019	डैबित	ट क्रैडिट	31 मार्च 2020
		को प्रारम्भिक शेष			को अन्त शेष
		डैबिट (+)	(\$	₹ लाखों में)	डैबिट (+)
		क्रेडिट (-)			क्रैडिट (-)
राजस्ट	। प्रवर्ग				
2059-	लोक निर्माण	कार्य			
80-	सामान्य-				
799-	उच्चंत-				
01-	स्कन्ध-	(-)2,08,55.99	3,83,26.87	4,17,01.71	(-)2,42,30.83*
02-	स्कन्ध				
	विनिर्माण-	+17,24.83	56,83.17	46,29.72	+27,78.28
03-	विविध लोक				
	निर्माण कार्य	+4, 18, 13.03	1,83,98.04	2,49,44.63	+3,52,66.44
	अग्रिम-				
04-	कार्यशााला				
	उच्चंत-	+0.07	0.00	0.00	+0.07
कुल 20	059	+2,26,81.94	6,24,08.08	7,12,76.06	+1,38,13.96
कुल रा	जस्व प्रवर्ग	+2,26,81.94	6,24,08.08	7,12,76.06	+1,38,13.96
पूंजीगत	। प्रवर्ग				
5054-	सड़कों तथा	पुलों पर			
	पूंजीगत परि				
03-	राज्य उच्च म	नार्ग			
799-	उच्चंत-				
01-	स्कन्ध-	(-)15.03	0.00	0.00	(-)15.03*
02-	स्कन्ध				
	विनिर्माण-	(-)16.87	0.00	0.00	(-)16.87*
03-	विविध लोक	निर्माण			
	कार्य अग्रिम-	(-)22.98	0.00	0.00	(-)22.98*
04-	कार्यशााला				
	उच्चंत-	(-)1,99.52	0.00	0.00	(-)1,99.52*
कुल ५०	054	(-)2,54.40	0.00	0.00	(-)2,54.40*
कुल पूं	जीगत प्रवर्ग-	(-)2,54.40	0.00	0.00	(-)2,54.40*
कुल माँ	ाँग का जोड़-	+2,24,27.54	6,24,08.08	7,12,76.06	+1,35,59.56

<sup>\*</sup> ऋणात्मक शेषों के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

# विनियोग लेखे अनुदान संख्या-11- कृषि

(शीर्ष- 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2216-आवास, 2401- फसल कृषि-कर्म, 2402- मृदा तथा जल संरक्षण, 2403-पशु पालन, 2407-बागान, 2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, 2435- अन्य कृषि कार्यक्रम, 2810-नई तथा नवीकरण ऊर्जा, 4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय तथा 4402- मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय)

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजारों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग			,	
दत्तमत				
मूल ४,४	49,42,00			()
पूरक :	37,60,23	4,87,02,23	4,53,58,28	(-)33,43,95
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				33,43,21
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	74,64,97			
		74,64,97	66, 16, 76	(-)8,48,21
पूरक				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित				
राशि (31 मार्च 2020)				8,22,99
		टिप्पणियाँ तथा अभ्युक्ति	<b>ग्याँ</b>	

राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 33,43.95 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी (i) 2020 में प्राप्त ₹ 37,60.23 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्व हुआ जबकि मूल अनुदान भी सारभूत रूप से अप्रयुक्त रहा।

#### राजस्व प्रवर्ग

दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षौ के अन्तर्गत हुई:-(ii)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक	आधिक्य (+)
		व्यय	बचत (-)
		(₹ लाखों में)	
2401- फसल- कृषि-कर्म-			
001- निदेशन तथा प्रशासन-			

01- निदेशालय-

गैर योजना

(i)	मूल	13,22.19			
	पूरक	0.01	9,81.36	9,81.15	(-)0.21
	पुनर्वि0	(-)3,40.84			

02- जिला एवं क्षेत्रीय कर्मचारी-

गैर योजना

(ii) मूल 25,79.33

> 17,01.02 17,01.02

पुनर्वि0 (-)8,78.31

बीज -103-

बीजों का वितरण-01-

गैर योजना

(iii) मूल 15,28.95

> पूरक 0.01 11,41.56 11,41.56

पुनर्वि0 (-)3,87.40

उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 16,06.55 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

खाद तथा उर्वरक-105-

भू- विज्ञान तथा रसायन -04-

गैर योजना

(i) मूल 5,65.22

> 3,53.47 3,53.47

पुनर्वि0 (-)2,11.75

गुण नियन्त्रक प्राप्तियों का विकास (उर्वरक नियंत्रण प्रयोगशाला)-07-

गैर योजना

(ii) मूल 83.55

> 55.30 55.30

पुनर्वि0 (-)28.25

उपरोक्त दो मामलों मे मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,40.00 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

प्राकृतिक खेत खुशहाल किसान-12-

#### गैर योजना

मूल 10,00.00

पूरक 0.03 8,61.86 6,61.98 (-)1,99.88

पुनर्वि0 (-)1,38.17

₹ 1,99.88 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,38.17 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

₹ 1,99.88 लाख के अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण-109-

सामान्य कृषि विस्तार-25-

#### गैर योजना

मूल

29,11.30

20,82.58

20,82.50

(-)0.08

पुनर्वि0

(-)8,28.72

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 8,28.72 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

- 111- कृषि अर्थव्यवस्था तथा सांख्यिकी-
- 01- कृषि सांख्यिकी विभाग (समय पर रिपोर्टिंग योजना)-

#### केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजना

मूल

80.00

50.14

50.14

पुनर्वि0

(-)29.86

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 29.86 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

#### गैर योजना

मूल

1,10.10

54.12

54.12

पुनर्वि0 (-)55.98

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 55.98 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

- 113- कृषि इंजीनियरिंग-
- 01- कृषि उपकरण तथा संयत्र-

#### गैर योजना

मूल

97.93

66.81

66.81

पुनर्वि0

(-)31.12

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 31.12 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति और दैनिक वेतन भोगियों को काम पर कम लगाने के कारण हुई।

- 115- लघु/ उपांतक किसानों तथा कृषि श्रम की योजना-
- 01- मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना-

#### योजना

मूल

26.00

14.30

14.30

पुनर्वि0

(-)11.70

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 11.70 लाख की कमी किसानों द्वारा आापातकालीन दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

		3	•	•			
800-	अन्य व्यय	_					
13-	राष्ट्रींय कृषि विकास योजना- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना						
(i)		5,63.00					
		(-)1,50.28	4,12.72	4,12.72			
	योजना						
(ii)	मूल	62.00					
	पुनर्वि0	(-)15.41	46.59	46.59			
16-	खाद्य सुरक्षा मिशन- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना						
(iii)	मूल	9,77.00					
	~	(-)1,11.28	8,65.72	8,65.72			
	उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,76.97 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति और राज्य की हिस्सेदारी के अनुपात में कम व्यय के कारण हुई जबिक भारत सरकार से ₹ 18,97.71 लाख का अनुदान क्रमांक संख्या (i) से प्राप्त हुआ था।						
18-	मुख्यमंत्री ग्रीन हाउस रेनोवेशन योजना-						
	गैर योजना						
(i)	मूल	3,00.00					
	पुनर्वि0	(-)3,00.00					
19-	मुख्यमंत्री जैविक खेती पुरस्कार योजना- <b>गैर योजना</b>						
(ii)	मूल	50.00					
	पुनर्वि0	(-)50.00					
20-	फसल विविधिकरण योजना (जापान अतंराष्ट्रींय सरकारी अभिकरण) बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना चरण-II <b>योजना</b>						
(iii)	मूल	1,50.00					
	पनर्वि0	(-)1.50.00					

जल से कृषि को बल योजना-गैर योजना (iv) मूल 25,00.00 22,11.08 22,11.08 पुनर्वि0 (-)2,88.92प्रवाह सिंचाई योजना-22-गैर योजना (v) 25,00.00 मूल 21,90.97 21,90.97 पुनर्वि0 (-)3,09.03उपरोक्त पाँच मामलों में मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 10,97.95 लाख की कमी मुख्यतः किसानों से कम प्रतिक्रिया प्राप्त होने के कारण हुई। सौर सिंचाई योजना-23-गैर योजना मूल 30,00.00 19,53.69 19,53.69 पुनर्वि0 (-)10,46.31मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 10,46.31 लाख की कमी मुख्यतः किसानों से मामलों की कम प्राप्ति के कारण हुई। परम्परागत कृषि विकास योजना-24-केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना (i) मूल 8,05.00 1,54.50 1,54.50 पुनर्वि0 (-)6,50.50योजना (ii) मूल 92.00 17.16 17.16 पुनर्वि0 (-)74.8425- मृदा स्वास्थय उर्वरता पर राष्ट्रीय परियोजना-केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना (iii) मूल 2,18.00 (-)0.192,01.13 2,01.32 पुनर्वि0 (-)16.68

उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 7,42.02 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई इसी कारण राज्य का हिस्सा अप्रयुक्त रहा।

### 2402- भू तथा जल संरक्षण-

101- मृदा सर्वेक्षण और परीक्षण-

01- कृषि योग्य बंजर भूमि का संरक्षण (कृषि विभाग)-

गैर योजना

(i) मूल 2,74.70

1,76.39 1,76.39

पुनर्वि0 (-)98.31

102- मृदा संरक्षण -

01- कृषि भूमि भू- संरक्षण (कृषि विभाग)-

गैर योजना

पुनर्वि0

(ii) मूल 23,63.29

पूरक 2.83

(-)5,54.34

18,11.77 18,11.73

(-)0.04

03- भू-संरक्षण अनुंसधान निरूपन केन्द्र की स्थापना (कृषि विभाग)-गैर योजना

(iii) मूल 60.12

47.15 47.15

पुनर्वि0 (-)12.97

04- नदी घाटी परियोजना में भू-संरक्षण

(कृषि विभाग)-

गैर योजना

(iv) मूल 1,86.18

1,15.65 1,15.65

पुनर्वि0 (-)70.53

उपरोक्त चार मामलो में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 7,36.15 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

800- अन्य व्यय-

04- प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना-

#### केन्द्रीय प्रायोजित योजना

#### योजना

मूल 13,03.00

पूरक 0.01 6,63.32 6,00.41 (-)62.91

पुनर्वि0 (-)6,39.69

₹ 62.91 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 6,39.69 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई जबकि भारत सरकार से ₹ 12,42.00 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।

₹ 62.91 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

योजना

मूल 1,45.00

पूरक 0.01 73.35 73.35

पुनर्वि0 (-)71.66

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 71.66 लाख की कमी मुख्यतः भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई इसी कारण राज्य का हिस्सा अप्रयुक्त रहा।

#### 2407- बागान-

01- चाय-

800- अन्य व्यय-

01- हिमाचल प्रदेश में चाय विकास-

गैर योजना

मूल 1,43.09

97.91 97.91

पुनर्वि0 (-)45.18

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 45.18 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

### 2810- नई तथा नवीनीकरण ऊर्जा-

01- जैव ऊर्जा-

103- बायोमास-

01- गोबर गैस संयंत्र की स्थापना-

गैर योजना-

मूल 5,97.50

4,41.95 4,41.95

पुनर्वि0 (-)1,55.55

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,55.55 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई। मुख्य शीर्ष 2810-नई और नवीकरण ऊर्जा के अन्तर्गत उपमुख्यशीर्ष 01-बायोएनर्जी मुख्य एवं लघुशीर्ष की लेखाओं की सूची में नहीं दर्शाया गया है जोकि पिछले दो वर्षों से गलत तरीके से संचालित की जा रही थी।

### (iii) उपरोक्त बचत निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष कुल अनुदान वास्तविक आधिक्य (+)

व्यय ``` बचत (-)

(₹ लाखों में)

### 2401- फसल- कृषि-कर्म-

104- कृषि फार्म-

03- मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना-

#### गैर योजना

पूरक 0.01

9,98.14 9,98.14

पुनर्वि0 9,98.13

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 9,98.13 लाख का आवर्धन किसानों से भूमि सरंक्षण/सुरक्षा उपकरण के मामलों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

- 109- विस्तार तथा किसानों का प्रशिक्षण-
- 27- प्रौद्योगिकी एवं विस्तार पर राष्ट्रीय मिशन-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना-

योजना

(i) मूल 8,25.00 पूरक 0.01 11,38.93 11,38.93 . पुनर्वि0 3,13.92

30- बीज और उपजाऊ सामग्री पर उप-मिशन-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना-

योजना

(ii) मूल 3,05.00

4,11.33 4,11.33

पुनर्वि0 1,06.33

योजना

(iii) मूल 33.00

45.72 45.72

पुनर्वि0 12.72

उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4,32.97 लाख का आवर्धन मुख्यतः भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ और इसी तरह राज्य की हिस्सेदारी उस अनुपात में प्रदान की गई।

31- कृषि मेकेनाईजेशन पर उप-मिशन-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना-

योजना

(i) मूल 8,25.00 पूरक 7,57.31 34,27.80 34,27.80 पुनर्वि0 18,45.49

योजना

(ii) मूल 92.00

3,80.68 3,80.68

पुनर्वि0 2,88.68

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 21,34.17 लाख का आवर्धन मुख्यतः भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

32- राष्ट्रीय बांस मिशन-केन्द्रीय प्रायोजित योजना-

योजना

(i) पुनर्वि0 2,07.30 2,07.30 2,07.30 .

योजना

(ii) पुनर्वि0 23.03 23.03 23.03

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,30.33 लाख का आवर्धन मुख्यतः भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ और इसी तरह राज्य की हिस्सेदारी उस अनुपात में प्रदान की गई।

निधियों को मूल/अनुपूरक अनुदान द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए था। बिना प्रावधान के पुनर्विनियोजन अनुचित था तथा हिमाचल प्रदेश की बजट पुस्तिका के पैरा संख्या 12.5 का उल्लंघन है।

800- अन्य व्यय-

14- फसल विविधिकरण योजना (जापान अंतराष्ट्रीय सहकारी अभिकरण)-

गैर योजना

.. 2,95.61 +2,95.61

₹ 2,95.61 लाख का व्यय बिना प्रावधान के किया गया; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

### 2402- भू-तथा जल सरंक्षण-

800- अन्य व्यय-

03- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना-

योजना

मूल 3,55.00

7,05.19 6,88.09 (-)17.10

पुनर्वि0 3,50.19

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3.50.19 लाख का आवर्धन मुख्यतः भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

#### योजना

मूल 40.00

75.13 75.13 .

पुनर्वि0 35.13

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 35.13 लाख का आवर्धन मुख्यतः भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ ओर इसी अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी प्रदान की गई।

#### 2403- पशुपालन-

107- चारा तथा चारागाह विकास-

05- उत्तम चारा उत्पादन योजना-

योजना

मूल 4,00.00

6,96.99 6,96.99

पुनर्वि0 2,96.99

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,96.99 लाख का आवर्धन किसानों से चारा और चारा बीज की मांग की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

### पूंजीगत प्रवर्ग

(iv) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष कुल अनुदान वास्तविक आधिक्य (+)

्रव्यय बचत (-)

(₹ लाखों में)

### 4401- फसल कृषि कर्म पर पूजींगत परिव्यय-

103- बीज-

01- अभिवृद्धि बीजों का क्रय-

गैर योजना

मूल 39,97.58

39,69.29 39,69.29

पुनर्वि0 (-)28.29

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 28.29 लाख की कमी मुख्यतः अभिवृद्धि बीजों की कम खरीद के कारण हुई।

### 4402- मृदा तथा जल सरंक्षण पर पूंजीगत परिव्यय-

102 मृदा सरंक्षण-

02- लघु किसान विकास एजेंसी-

योजना

मूल 7,00.00

पुनर्वि0 (-)7,00.00

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 7,00.00 लाख का समस्त प्रावधान मुख्यतः परियोजनाओं को मंजूरी न मिलने के कारण कम कर दिया गया।

03- सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के माध्यम

से प्रभावी सिंचाई योजना-

योजना

मूल 16,00.00

पुनर्वि0 (-)91.66

₹ 26.03 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 91.66 लाख की कमी कार्य के कम निष्पादन के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 26.03 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

# विनियोग लेखे अनुदान संख्या-11- (समाप्त)

- (v) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुईः-शीर्ष कुल अनुदान वास्तविक आधिक्य (+) व्यय बचत (-) (₹ लाखों में)
- 4402- मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय
  - 102- मृदा संरक्षण-
  - 02- लघु किसान विकास संस्थान-**योजना**

.. 0.82 +0.82 ₹ 0.82 लाख का व्यय बिना प्रावधान के किया गया; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020) I

# विनियोग लेखे अनुदान संख्या- 12 - उद्यान

(शीर्ष- 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2216-आवास, 2401-फसल कृषि-कर्म, 2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, 4401- फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय, 4402- मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय तथा 6401- फसल कृषि-कर्म के लिए ऋण)

पूजागत पारव्यय तथा 6401- फसल कृषि-कम क लिए ऋण)							
राजस्व	. uaií		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजारों में)	आधिक्य (+) बचत (-)		
दत्तमत							
	मूल	3,50,92,00	3,74,98,83	2,96,34,84	(-)78,63,99		
	पूरक	24,06,83	0,14,00,00	2,30,04,04	( )10,00,00		
	वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)						
पूंजीगत दत्तमत	त प्रवर्ग						
	मूल	16,35,63	16,35,63	15,40,19	(-)95,44		
	पूरक						
	दौरान अभ्या 31 मार्च 202				95,44		
(11.41	01 11-1 202	,	टेप्पणियाँ तथा अभ्युक्ति	याँ			
(i) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 78,63.99 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2020 में प्राप्त ₹ 24,06.83 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक और ₹ 32,73.93 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ जबिक मूल अनुदान भी सारभूत रूप से अप्रयुक्त रहा।							

राजस्व प्रवर्ग

(ii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक	आधिक्य (+)
		व्यय	बचत (-)
		(₹ लाखों में)	

### 2401- फसल कृषि-कर्म-

119- बागवानी तथा वनस्पति फसलें-

01- निदेशालय-

गैर योजना

मूल 12,77.08

9,42.63 9,42.63

पुनर्वि0 (-)3,34.45

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3,34.45 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

02- जिला तथा अधीनस्थ कर्मचारी-

गैर योजना

मूल

30,94.25

23,10.66

23, 10.51

(-)0.15

पुनर्वि0 (-)7,83.59

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 7,83.59 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

05- उद्यान विकास-

गैर योजना

मूल

16,74.16

15,37.49

15,22.49

(-)15.00

पुनर्वि0 (-)1,36.67

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,36.67 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, बिजली, पानी और दूरभाष बिलों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि नए वाहनों की खरीद पर अधिक व्यय के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई।

06- वनस्पति पोषण कार्यक्रम-

गैर योजना

मूल

1,39.20

1,16.16

1,16.16

पुनर्वि0

(-)23.04

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 23.04 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

योजना

मूल

14.00

10.73

10.73

पुनर्वि0

(-)3.27

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3.27 लाख की कमी पौधों की पोषण सामग्री की कम खरीद के कारण हुई।

09- मधुमखी पालन योजना-

गैर योजना

मूल

3,48.79

2,29.84

2,29.84

पुनर्वि0 (-)1,18.95

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,18.95 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।



मूल

9.00

5.76

5.76

पुनर्वि0

(-)3.24

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3.24 लाख की कमी बागवानी सामग्री, मशीनरी ओर उपकरणों की खरीद पर कम व्यय के कारण हुई।

### 10- पुष्प कृषि विकास-

#### गैर योजना

मूल

1,48.43

1,13.35

1,13.35

पुनर्वि0

(-)35.08

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 35.08 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने और दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति के कारण हुई।

#### योजना

मूल

10.00

4.10

4.10

पुनर्वि0

(-)5.90

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 5.90 लाख की कमी फुलों की खेती की सामग्री की खरीद पर कम व्यय के कारण हुई।

#### 11- राजकीय उधानों तथा पौधशालाओं

की स्थापना तथा रख-रखाव-

#### गैर-योजना

मूल

9,69.12

6,01.06

6,01.06

पुनर्वि0

(-)3,68.06

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3,68.06 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

#### योजना

मूल

22.00

7.34

7.34


पुनर्वि0

(-)14.66

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 14.66 लाख की कमी सामग्री की खरीद पर कम व्यय, किराए, दर और कर से सम्बन्धित दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

15- खुम्ब खेती परियोजना -

# विनियोग लेखे



मूल

7,35.39

18-

26-

(-)0.015,31.21 5,31.20

पुनर्वि0 (-)2,04.18

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,04.18 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

#### योजना

मूल

43.00

26.54

26.54

पुनर्वि0

(-)16.46

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 16.46 लाख की कमी बागवानी सामग्री की खरीद पर कम व्यय और किराया, दर और कर बिलों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

35- अर्थव्यवस्था तथा सांख्यिकी-

#### योजना

मूल

12.00

6.96

6.96

पुनर्वि0 (-)5.04

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण प्रावधान में ₹ 5.04 लाख की कमी मुख्यतः बाह्य स्त्रोतों पर कम व्यय के कारण हुई।

50- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-

#### केन्द्रीय प्रायोजित योजना

#### योजना

मूल

2,67.00

2,12.95

2,12.95

पुनर्वि0

(-)54.05

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 54.05 लाख की कमी मुख्यतः भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई। जबिक भारत सरकार से ₹ 18,97.71 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।

#### योजना

मूल

30.00

23.97

23.97

पुनर्वि0

(-)6.03

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 6.03 लाख की कमी मुख्यतः भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई इसी कारण राज्य की हिस्सेदारी भी अप्रयुक्त रही।

51- सेब तथा आम की फसल के लिए

मौसम आधारित बीमा-

#### योजना

मूल

16,45.00

11,89.51

11,89.51

पुनर्वि0 (-)4,55.49

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 4,55.49 लाख की कमी मुख्यतः बीमा प्रीमियम के भुगतान की कम आवश्यकता के कारण हुई।

57-	उद्यान वि <b>योजना</b>	वेकास परियोजना-			
	मूल	78,97.00			
	C,		40,00.00		(-)40,00.00
	पुनर्वि0	(-)38,97.00			
	प्रावधान		ो कमी विश्व बैंक द्वारा	2020 में पुनर्विनियोजन वित्त पोषित परियोजना	
	₹ 40,00 2020) I	).00 लाख का समस्त	प्रावधान अप्रयुक्त रहा;	जिसके कारण प्रतीक्षि	त थे (अक्तूबर
62-	प्रधानमंत्री <b>योजना</b>	ो कृषि सिंचाई योजना-			
	मूल	72.00			
			46.76	46.76	
	पुनर्वि0	(-)25.24			
	निधि का कारण हु का अनुद	ं उपयोग नहीं किया ज ए आधिक्य से अंशतः प्र ान प्राप्त हुआ।	ा सका जोकि भारत स	₹ 25.24 लाख की क रकार से निधियों की अ जभारत सरकार से ₹ 4	धिक प्राप्ति के
64-	प्लास्टिक <b>गैर योज</b>	क्रेटस पर उपदान- <b>ना</b>			
(i)	मूल	2,00.00			
	पुनर्वि0	(-)2,00.00			
69-	मुख्यमंत्री <b>गैर योज</b>	ंग्रीन हाउस नवीकरण यं ना	ोजना-		
(ii)	मूल	1,00.00			
	पुनर्वि0	(-)1,00.00			
70 -	प्राकृतिक <b>गेर योज</b>	ं खेती खुशहाल किसान- <b>ना</b>			
(iii)	मूल	1.00			
	पुनर्वि0	(-)1.00		••	
71-	बागवानी	सुरक्षा योजना-			

गैर योजना

(iv) मूल

1.00

पुनर्वि0

(-)1.00

उपरोक्त चार मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3,02.00 लाख का समस्त प्रावधान निविदा प्रक्रिया को बहुत देर से पूरा करने और कंपनी सम्बन्धी वस्तुओं की आपूर्ति न होने के कारण कम कर दिया गया और निधि अप्रयुक्त रही।

72- हिमाचल पुष्प क्रान्ति योजना-

#### गैर योजना

मूल

10,00.00

9,81.67

8,59.77

(-)1,21.90

पुनर्वि0

(-)18.33

₹ 1,21.90 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

73- मुख्यमंत्री मधु विकास योजना--

#### गैर योजना

मूल

5,00.00

2,73.81

2,73.81

पुनर्वि0 (-)2,26.19

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,26.19 लाख की कमी मुख्यतः किसानों से योजना के अन्तर्गत मामलों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

75- मुख्यमंत्री खुम्ब विकास योजना--

#### गैर योजना

मूल

5,00.00

2,98.84

2,98.84

पुनर्वि0 (-)2,01.16

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,01.16 लाख की कमी मुख्यतः किसानों के खुम्ब इकाई कार्यों को पूरा न करने कारण हुई।

77- हिमाचल उपोष्णकटिबंधीय उद्यान सिंचाई और अतिरिक्त मूल्य संवर्धन परियोजना-

#### योजना

पूरक

0.01

4,00.00

(-)4,00.00

पुनर्वि0

3,99.99

₹ 4,00.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3,99.99 लाख का आवर्धन मुख्यतः नई परियोजनाओं को लागू करने के कारण हुआ जोकि अनुचित सिद्ध हुआ।

₹ 4,00.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

(iii) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई:-शीर्ष कुल अनुदान वास्तविक आधिक्य (+)

व्यय

बचत (-)

(₹ लाखों में)

2401- फसल कृषि-कर्म-

119- बागवानी तथा वनस्पति फसलें-

04- पौध संरक्षण योजना-

गैर योजना

मूल

0.01

33.79

33.79

पुनर्वि0

33.78

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 33.78 लाख का आवर्धन मुख्यतः कीटनाशकों पर उपदान प्रदान करने के लिए अतिरिक्त आवश्यकता के कारण हुआ।

22- उद्यानिक विपणन स्कीम-

योजना

मूल

9,03.00

21,05.00

21,05.00

पुनर्वि0 12,02.00

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 12,02.00 लाख का आवर्धन मुख्यतः किसानों के बकाया दावों का अधिक समाशोधन करने के कारण हुआ।

56- उद्यान एकीकृत विकास मिशन-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजना

मूल

11,85.00

16,43.53

16,43.53

पुनर्वि0

4,58.53

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4,58.53 लाख का आवर्धन मुख्यतः भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

योजना

मूल

1,71.49

2,63.21

2,10.21

(-)53.00

पुनर्वि0

91.72

₹ 53.00 लाख की बचत की अंतिम दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 91.72 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।

₹ 53.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

62- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-

# विनियोग लेखे अनुदान संख्या - 12 (समाप्त)

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजना

मूल

5,92.00

9,93.60

9,93.60

पुनर्वि0

4,01.60

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4,01.60 लाख का आवर्धन मुख्यतः भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

74- एंटी हेल नेट पर उपदान -

#### गैर योजना

मूल

20,00.00

पूरक

20,39.56

20,39.56

पुनर्वि0

39.56

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 39.56 लाख का आवर्धन मुख्यतः ओला विरोधी जालों के मामलों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

### 2415- कृषि अनुसंधान और शिक्षा-

01- फसल कृषि कर्म-

004- अनुसंधान-

03- डॉ0 यशवन्त सिंह परमार बागवानी और वानिकी

विश्वविद्यालय की सहायता के लिए अनुदान-

#### योजना

मूल

59,23.00

पूरक

9,23.49

94,23.00

94,23.00

पुनर्वि0

25,76.51

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 25,76.51 लाख का आवर्धन मुख्यतः कर्मचारियों की पेंशन और वेतन की लम्बित देनदारी का समाशोधन करने के कारण हुआ।

### पूंजीगत प्रवर्ग

(iv) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत शीर्षों के अन्तर्गत हुई:--

शीर्ष

कुल अनुदान

वास्तविक

(₹ लाखों में)

आधिक्य (+)

व्यय

बचत (-)

# 4401- फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय-

119- बागवानी तथा साग भाजी फसलें-

02- पौद्य संरक्षण औजारों की खरीद-

#### गैर योजना

मूल

12,93.10

11,97.69

11,97.69

पुनर्वि0 (-)95.41

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 95.41 लाख की कमी मुख्यतः पूर्ण बन्द के कारण आपूर्ति आदेश को पूरा नहीं किया जा सकने के कारण हुई।

# विनियोग लेखे अनुदान संख्या -13-सिंचाई, जलापूर्ति तथा स्वच्छता

(शीर्ष- 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2215-जलापूर्ति तथा सफाई, 2216- आवास, 2700-मुख्य सिंचाई, 2701- मध्यम सिंचाई, 2702-लघु सिंचाई, 2711-बाढ नियंत्रण तथा जल निकास, 4215-जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय,4700- मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय,4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 4705-कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय तथा 4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय)

पारव्यव	ताला ४/।।-वाढ़ ।नवत्र	ण परिवाजनाजा पर	पूजागरा पारव्यव)	
		कुल अनुदान/	वास्तविक	आधिक्य (+)
		विनियोजन	व्यय	बचत (-)
			(₹ हजारों में)	
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	25,86,53,61			
		25,86,53,73	23,58,63,14	(-)2,27,90,59
पूरक	12			
वर्ष के दौरान अभ (31 मार्च 2020) <i>प्रभारित</i>				2,28,34,00
मूल				
		21,63	12,37	(-)9,26
पूरक	21,63			
वर्ष के दौरान अर				9,25
(31 मार्च 2020)				
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	7,09,04,61	8,86,71,48	9,34,79,48,	+48,08,00
पूरक	1,77,66,87	3,33,11,13	0,01,10,10,	. 10,00,00
वर्ष के दौरान अभ	-यर्पित			
राशि				
प्रभारित				
मूल	••			
	0.05.50	9,25,50	9,48,20	+22,70
पूरक	9, 25, 50			
वर्ष के दौरान अव	भ्यपित राशि			

### विनियोग लेखे अनुदान संख्या-13 (क्रमशः) टिप्पणियां तथा अभ्युक्तियां

- (i) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत अनुदान में ₹ 48,07,99,467 के आधिक्य का नियमितीकरण अपेक्षित है।
- (ii) पूंजीगत प्रवर्ग के प्रभारित विनियोजन में ₹ 22,70,296 के आधिक्य का नियमितीकरण अपेक्षित है।
- (iii) राजस्व प्रवर्ग में दत्तमत प्रावधान में ₹ 2,27,90.59 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 2,28,34.00 लाख का अभ्यर्पण अत्याधिक सिद्ध हुआ।
- (iv) राजस्व प्रवर्ग में प्रभारित विनियोजन में ₹ 9.26 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2020 में प्राप्त ₹ 21.63 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्याधिक सिद्ध हुआ।
- (v) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 48,08.00 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से फरवरी 2020 में प्राप्त ₹ 1,77,66.87 लाख का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त सिद्ध हुआ।
- (vi) पूंजीगत प्रवर्ग के प्रभारित विनियोजन में ₹ 22.70 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से फरवरी 2020 में प्राप्त ₹ 9,25.50 लाख का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

#### राजस्व प्रवर्ग

(vii) दत्तमत अनुदान में बचत निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक	आधिक्य (+)
		व्यय	बचत (-)
		(₹ लाखों में)	

### 2215- जलापूर्ति तथा सफाई-

01- जलापूर्ति-

001- निदेशन तथा प्रशासन

01- निदेशन-

#### गैर योजना

मूल 38,97.72 पूरक 0.01 25,05.91 25,05.90 (-)0.01 पुनर्वि0 (-)13,91.82

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 13,91.82 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

#### 02- निष्पादन-

#### गैर योजना

मूल 1,40,64.49 पूरक 0.01 96,57.79 96,58.08 +0.29 पुनर्वि0 (-)44,06.71

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 44,06.71 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

005- सर्वेक्षण तथा जांच पड़ताल-

01- सर्वेक्षण तथा अन्वेक्षण खण्ड-

#### गैर योजना

मूल

2,73.38

1,91.65

1,91.66

+0.01

पुनर्वि0 (-)81.73

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 81.73 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

101- शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम-

02- विभिन्न जिलों में शहरी जलापूर्ति योजनाओं का रख-रखाव व मरम्मत-

#### गैर योजना

मूल

2,40,82.80

2,11,35.08

2,11,38.88

+3.80

पुनर्वि0 (-)29,47.72

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 29,47.72 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, विद्युत बिलों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

04- वसूलियों का समायोजन करने हेतु रख-रखाव में प्रावधान-

#### गैर योजना

मूल

1,07,97.10

80, 12.74

80,08.94

(-)3.80

पुनर्वि0 (-)27,84.36

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 27,84.36 लाख की कमी वसूलियों के कम समायोजन के कारण हुई।

102- ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम-

03- ग्रामीण पेय जलापूर्ति योजना का रखरखाव तथा मरम्मत-

#### गैर योजना

मूल

6,20,59.09

4,95,11.66

4,95,13.99

+2.33

पुनर्वि0 (-)1,25,47.43

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,25,47.43 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति और प्रशिक्षण शिवरों के कम आयोजन के कारण हुई जोकि मानदेय और बिजली बिलों पर अधिक व्यय के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

12- वसूलियों के समायोजन करने हेतु रखरखाव में प्रावधान-गैर योजना

मूल 4,30,88.38

2,89,40.99

2,92,91.55

+3,50.56

पुनर्वि० (-)1,41,47.39

₹ 3,50.56 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,41,47.39 लाख की कमी वसूलियों के कम समायोजन के कारण हुई जोकि अत्याधिक सिद्ध हुई।

₹ 3,50.56 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

14- राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम-

#### केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजना

मूल

11,00.00

6,35.63

6,35.63

पुनर्वि0 (-)4,64.37

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4,64.37 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई। जबकि भारत सरकार से ₹ 1,57,98.23 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।

### 2700- मुख्य सिंचाई-

01- शाहनहर परियोजना (गैर वाणिज्यिक) -

001- निदेशन और प्रशासन-

01- स्थापना पर व्यय-

#### गैर योजना

मूल 10,75.43

पूरक 0.01

पुनर्वि0 (-)3,15.55

7,59.89 7,59.89

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3,15.55 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

799- उचंत-

01- स्टॉक-

योजना

(i) मूल 2,78.30

0.15 0.15

पुनर्वि0 (-)2,78.15

02- स्टॉक विनिर्माण-

	योजना					
(ii)	मूल	2,02.40				
			10	0.33	10.33	
	पुनर्वि0	(-)1,92.07				
		मामलों में मार्च : खरीद और उच्चत	•		प्रावधान में <b>₹ 4,70</b> के कारण हुई।	).22 लाख की कर्म
03-	विविध लोक <b>योजना</b>	निर्माण अग्रिम-				
	मूल	1,45.48				
	पुनर्वि0	(-)1,45.48				
		में पुनर्विनियोजन ह के अर्न्तगत कम			मस्त प्रावधान सामर्ग्र या गया।	ो की कम खरीद औ
2701-	मध्यम सिंचा	ई -				
11-	गिरी बाटा प	गरियोजना (गैर वार्ग	णेज्यक)-			
	निदेशन तथा	•	,			
	स्थापना पर					
01	गैर योजना					
	मूल	38.70				
	C		4	1.66	4.66	
	पुनर्वि0	(-)34.04				
	मार्च 2020 कारण हुई।	में अभ्यर्पण द्वारा	प्रावधान में ₹	34.04 लार	<b>ब की कमी</b> रिक्त	पदों को न भरने वं
799-	उच्चंत-					
01-	उच्चंत (स्टॉ	क) पर व्यय-				
(i)	योजना					
	मूल	3.30				
	पुनर्वि0	(-)3.30				
02-	स्टॉक निर्मात <b>योजना</b>	π-				
(ii)	मूल	1.10				
	पुनर्वि0	(-)1.10				

03-	विविध लोक <b>योजना</b>	निर्माण अग्रिम-	`	,	
(iii)	मूल	1.10			
	पुनर्वि0	(-)1.10			
			020 में पुनर्विनियोजन : सामग्री की कम आवश्यव		
<i>12-</i> 001- 01-	बल्ह घाटी पां निदेशन एवं प्र स्थापना पर व <b>गैर योजना</b>		ਧ)-		
	मूल	98.37			
	गर्सिक	(-)72.06	24.41	24.40	(-)0.01
	•	(-)73.96	· -	0 00 %	, , ,
	माचे 2020 म हुई।	विअभ्यपेण द्वारा प्रावध	ग्रान में ₹ 73.96 लाख व	ठी कमी रिक्त पदी क	र्ग न भरने के कारण
799- 01-	उच्चंत- उच्चंत (स्टॉक	5) पर व्यय-			
(i)	योजना				
	मूल	3.30			
	पुनर्वि0	(-)3.30	••		
02-	स्टॉक निर्मात <b>योजना</b>	<b>[</b> -			
(ii)	मूल	1.10			
	पुनर्वि0	(-)1.10			
03-	विविध लोक <b>योजना</b>	निर्माण अग्रिम-			
(iii)	मूल	2.20			
	पुनर्वि0	(-)2.20			
			020 में पुनर्विनियोजन : सामग्री की कम आवश्यव		

	भाभौर सार्रि निदेशन तथ	हेब परियोजना (गैर वाणि ग्रा प्रशासन-	ाज्यिक)-		
01-	स्थापना पर <b>गैर योजना</b>				
(i)	मूल	17.68			
		()	13.44	13.44	
	पुनाव0	(-)4.24			
		सिंचाई परियोजना (गैर	वाणिज्यिक)-		
001-	रखरखाव ३	और मरम्मत-			
01-	अन्य रखरर <b>गैर योजना</b>				
(ii)	मूल	65.97			
			38.53	40.14	+1.61
	पुनर्वि0	(-)27.44			
		ो मामलों में मार्च 2020 के कारण हुई।	में अभ्यर्पण द्वारा प्रावध	ान में ₹ 31.68 लाख व	ने कमी रिक्त पद
799-	उच्चंत-				
01-	उच्चंत (स्टे	ॉक) पर व्यय-			
(i)	योजना	•			
	मूल	22.00			
	पुनर्वि0	(-)22.00			
02-	स्टॉक निर्म	ता-			
0Z	योजना				
(ii)	मूल	4.40			
	पुनर्वि0	(-)4.40			
	J	• •			
03-	ावावध लाव <b>योजना</b>	ह निर्माण अग्रिम-			
(iii)	मूल	1.65			
	पुनर्वि0	(-)1.65			

उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 28.05 लाख का समस्त प्रावधान परियोजना को पूरा करने के लिए सामग्री की कम आवश्यकता के कारण कम कर दिया गया।

16-	बहाव सिंचा	ई परियोजना सिधाटा	(गैर वाणिज्यिक)-		
001-	निदेशन और	र प्रशासन-			
01-	स्थापना पर	व्यय-			
	गैर योजना				
	मूल	3,54.06			
			1,90.01	1,90.00	(-)0.01
	पुनर्वि0	(-)1,64.05			
	मार्च 2020	में पनर्विनियोजन/अभ	यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹	1.64.05 लाख की क	मी रिक्त पदों को न
	भरने के का	•	<del></del>	,	
799-	उच्चंत-				
01-	उच्चंत (स्टॉ <b>योजना</b>	क) पर व्यय-			
(i)	मूल	93.50			
,	C1				
	पुनर्वि0	(-)93.50			
02-	स्टॉक निर्मा <b>योजना</b>	ण–			
(ii)	मूल	16.50			
	<del></del>	()40.50			
	पुनाव0	(-)16.50			
03-	विविध लोक <b>योजना</b>	निर्माण अग्रिम-			
(iii)	मूल	38.50			
( )	Cl		••		
	पुनर्वि0	(-)38.50			
	उपरोक्त ती	न मामलों में मार्च 2	020 में पुनर्विनियोजन ह आवश्यकता न होने के		
20-	फिनासिंह प	रियोजना (गैर वाणिरि	ज्यक)-		
799-	उच्चंत-	•	,		
02-	स्टॉक निर्मा <b>योजना</b>	ण–			
(i)	मूल	55.00			
(-/	φ.,	22.00	16.52	16.52	
	पुनर्वि0	(-)38.48	.0.02	13.32	

		- · ·		, , ,	
03-	विविध लोक <b>योजना</b>	निर्माण अग्रिम-			
(ii)	मूल	35.20			
	पुनर्वि0	(-)35.20			
21-		ग बटांटा मध्यम योजना (गैर वाणिज्यिक)-			
799-	उच्चंत-				
01-	स्टॉक-				
	योजना				
(iii)	मूल	55.00			
	पुनर्वि0	(-)55.00			
02-	स्टॉक निर्मा <b>योजना</b>	ण–			
(iv)	मूल	11.00			
	पुनर्वि0	(-)11.00			••
03-	लोक निर्माप <b>योजना</b>	ा विविध अग्रिम-			
(v)	मूल	4.95			
	पुनर्वि0	(-)4.95			
2702-	लघु सिंचाई	-			
01-	सतही जल-				
799-	उचंत-				
02-	स्टॉक निर्मा <b>योजना</b>	ण–			
(vi)	मूल	4,40.00			
			1,01.50	1,06.24.	+4.74
	पुनर्वि0	(-)3,38.50			
03-	लोक निर्माप <b>योजना</b>	ा विविध अग्रिम-			
(vii)	मूल	3,30.00	1 00 05	1 00 05	
	पुनर्वि0	(-)1,49.15	1,80.85	1,80.85	

उपरोक्त सात मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 6,32.28 लाख की कमी उच्चंत शीर्ष के अर्न्तगत सामग्री की कम खरीद और कम बुकिंग के कारण हुई।

03- रखरखाव-

102- उठाऊ सिंचाई योजनाएं-

01- अन्य रखरखाव व्यय-

#### गैर योजना

मूल

52,62.46

51,92.77

52,45.98

+53.21

पुनर्वि0 (-)69.69

₹ 53.21 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 69.69 लाख की कमी बिजली के बिलों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अत्याधिक सिद्ध हुई।

₹ 53.21 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

80- सामान्य-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

01- स्थापना पर व्यय-

#### गैर योजना

मूल

1, 16, 35.35

76,91.73

76,91.76

+0.03

पुनर्वि0 (-)39,43.62

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 39,43.62 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति, पैट्रोल,तेल,रनेहक और वाहनों की मरम्मत पर कम व्यय के कारण हुई जोकि वाहनों की खरीद के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

02- वर्क चार्ज स्टाफ के लिए स्थापना पर व्यय-

#### गैर योजनो

मूल

2,74,11.87

2,05,47.96

2,05,48.35

+0.39

पुनर्वि0 (-)68,63.91

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 68,63.91 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई ।

06- वसूलियों का समायोजन करने हेतु रखरखाव में प्रावधान-

#### गैर योजना

मूल

2,74,11.87

2,00,73.05

2,00,75.25

+2.20

पुनर्वि0 (-)73,38.82

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 73,38.82 लाख की कमी वसूली के कम समायोजन के कारण हुई।

#### 2711- बाढ़ नियन्त्रण तथा जल निकास-

01- बाढ नियन्त्रण-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

01- निदेशन-

#### गैर योजना

मूल

4,90.16

3,47.52

3,47.52

पुनर्वि0 (-)1,42.64

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,42.64 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

### (viii) उपरोक्त बचत मुख्यतःनिम्नवत शीर्षो के अर्न्तगत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष कुल अनुदान वास्तविक आधिक्य (+) व्यय बचत (-) (₹ लाखों में)

### 2215- जलापूर्ति तथा सफाई-

01- जलापूर्ति-

001- निदेशन तथा प्रशासन

07- हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण पेयजल परियोजनाओं के लिए परियोजना प्रंबधन इकाई-

#### गैर योजना

मूल 0.01 पूरक 0.07 54.03 53.85 (-)0.18 पुनर्वि0 53.95

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 53.95 लाख का आर्वधन नए कार्यालय के निर्माण और नए बनाए गए पदों को भरने के कारण हुआ।

005- सर्वेक्षण जाँच पडताल-

02- आउटसोर्सिंग द्वारा विभागीय प्रस्ताव रिपोर्ट तैयार करना-

#### गैर योजना

मूल

57.75

2,23.35

2,00.66

(-)22.69

पुनर्वि0 1,65.60

₹ 22.69 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,65.60 लाख का आवर्धन विशेषज्ञ को परामर्श शुल्क का भुगतान करने के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ ।

₹ 22.69 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

102- ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम-

13- दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के वेतन तथा सामग्री हेतु व्यय-गैर योजना

मूल

43,74.47

83,82.34

80,21.34

(-)3,61.00

पुनर्वि0

40,07.87

₹ 3,61.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 40,07.87 लाख का आवर्धन जलापूर्ति योजना के रखरखाव के लिए अधिक आवश्यकता और मजदूरी के अन्तर्गत अधिक वसूली के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।

₹ 3,61.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

पूरक

0.01

24.10

11.21

(-)12.89

पुनर्वि0 24.09

₹ 12.89 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 24.09 लाख का आवर्धन भू-जलापूर्ति योजना के रखरखाव के लिए अधिक आवश्यकता के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।

₹ 12.89 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे। (अक्तूबर 2020)।

799- उच्चंत-

01- उच्चंत पर व्यय (स्टॉक)-

योजना

मूल

56,92.50

2, 18, 36.89

2, 18, 55.36

+18.47

पुनर्वि0 1,61,44.39

₹ 18.47 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,61,44.39 लाख का आवर्धन विभिन्न योजनाओं के लिए सामग्री की अधिक खरीद और उच्चंत शीर्ष के अर्न्तगत अस्थायी बुंकिंग होने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

₹ 18.47 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

03- विविध लोक निर्माण अग्रिम-

योजना

मूल

51,86.50

1,43,33.62

1,43,36.41

+2.79

पुनर्वि0 91,47.12

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 91,47.12 लाख का आवर्धन विभिन्न योजनाओं के लिए सामग्री की अधिक खरीद और उच्चंत शीर्ष के अर्न्तगत अस्थायी बुंकिंग होने के कारण हुई जब भी योजनाओं पर वास्तव में उपयोग किया जाता तो इस राशि को उल्टा दर्ज किया जाएगा।

### 2216- आवासीय -

05- साधारण पूल आवास-

053- रखरखाव और मरम्मत-

01- अन्य रखरखाव व्यय-

#### गैर योजना

मूल

5.26

7.63

7.63

पुनर्वि0

2.37

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2.37 लाख का आवर्धन भवनों के रखरखाव कार्य के अधिक निष्पादन के कारण हुआ।

### 2701- मध्यम सिंचाई -

20- फिनासिंह परियोजना (गैर वाणिज्यिक)-

799- उचंत-

01- स्टॉक-

#### योजना

(i) मूल

2,20.00

10,24.14

10,24.14

पुनर्वि0 8,04.14

### 2702- लघु सिंचाई -

01- सतही जल-

799- उचंत-

01- स्टॉक-

#### योजना

(ii) मूल

16,50.00

20,04.97

20,04.97

पुनर्वि0

3,54.97

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 11,59.11 लाख का आवर्धन विभिन्न योजनाओं के लिए सामग्री की अधिक खरीद, उच्चेंत शीर्ष के अर्न्तगत अस्थायी बुकिंग के कारण हुआ।

80- सामान्य-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

07- दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के वेतन तथा सामग्री हेतु व्यय-

#### गैर योजना

मूल

16,37.28

23,21.66

23,24.92

+3.26

पुनर्वि0

6,84.38

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 6,84.38 लाख का आवर्धन सिंचाई योजनाओं के रखरखाव और अधिक वसूली के समायोजन के लिए निधियों की अधिक आवश्यकता के कारण हुआ।

### 2711- बाढ़ नियन्त्रण तथा जल निकास-

01- बाढ़ नियन्त्रण-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

01- निदेशन-

योजना

पूरक 0.01

2,73.00

2,73.00

पुनर्वि0 2,72.99

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,72.99 लाख का आवर्धन रेणुका जी बांध में पानी के घटक के लिए राज्य की हिस्सेदारी के भुगतान के कारण हुआ।

799- उच्चंत-

01- स्टॉक-

योजना

(i) मूल 3,79.50

24,03.46 24,03.46

पुनर्वि0 20,23.96

03- विविध लोक निर्माण अग्रिम-

योजना

(ii) मूल 75.90

27,22.75 27,22.75

पुनर्वि0 26,46.85

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 46,70.81 लाख का आवर्धन विभिन्न योजनाओं के लिए सामग्री की अधिक खरीद, उच्चत शीर्ष के अर्न्तगत अस्थायी बुकिंग के कारण हुआ।

800- अन्य व्यय-

02- स्वां योजना के लिए मुरम्मत एवं रखरखाव-

गैर योजना

मूल 97.81

1,13.34 1,15.02

+1.68

पुनर्वि0 15.53

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 15.53 लाख का आवर्धन योजनाओं के रखरखाव कार्य के निष्पादन के कारण हुआ।

प्रभारित विनियोजन में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षौ के अन्तर्गत हुई:-(ix) शीर्ष कुल विनियोजन वास्तविक आधिक्य (+) बचत (-) व्यय (₹ लाखों में) 2215- जलापूर्ति तथा सफाई-01-जलापूर्ति-

निदेशन तथा प्रशासन-001-

निष्पादन-02-गैर योजना

पूरक 9.25

पुनर्वि0 (-)9.25

अनुपूरक विनियोजन द्वारा प्राप्त ₹ 9.25 लाख के समस्त विनियोजन को मार्च 2020 में अर्भ्यपण द्वारा महामारी कोविड-19 के कारण कोष से निधियों को नहीं निकलवाने के कारण कम कर दिया गया।

### पूंजीगत प्रवर्ग

दत्तमत अनुदान में आधिक्ये मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:- $(\mathbf{x})$ 

> शीर्ष वास्तविक आधिक्य (+) कुल अनुदान बचत (-) व्यय (₹ लाखों में)

### 4215- जलापूर्ति तथा स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय-

01- जलापूर्ति-

102- ग्रामीण जलापूर्ति-

01- विभिन्न जिलों में ग्रामीण जलापूर्ति योजनाएं-

मूल 11,16.00

> 12,07.69 11,63.34 (-)44.35

पुनर्वि0 91.69

₹ 44.35 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 91.69 लाख का आवर्धन ग्राम पंचायतों के लिए निधियों की अधिक आवश्यकता के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।

₹ 44.35 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

16- ग्रामीण आधारभूत सरंचना विकास निधि/ राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक-

#### योजना

मूल

98,00.00

1,06,53.00

1,02,74.92

(-)3,78.08

पुनर्वि0

8,53.00

₹ 3,78.08 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 8,53.00 लाख का आवर्धन नाबार्ड के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं के निर्माण कार्य पूरा करने के लिए निधियों की अधिक आवश्यकता के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।

₹ 3,78.08 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

23- राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम-

#### केन्द्रीय प्रायोजित योजना

#### योजना

मूल

61,39.00

94,62.98

1,52,14.35

+57,51.37

पुनर्वि0

33,23.98

₹ 57,51.37 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 33,23.98 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

₹ 57,51.37 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

#### योजना

मूल

10,73.60

14,01.44

13,09.84

(-)91.60

पुनर्वि0

3.27.84

₹ 91.60 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्चे 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3,27.84 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।

₹ 91.60 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

### 4700- मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-

01- शाहनगर परियोजना (गैर वाणिज्यिक)-

800- अन्य व्यय-

01- नहरें-

#### गैर योजना

पुनर्वि0 4.52

4.52

(-)4.52

₹ 4.52 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4.52 लाख का आवर्धने निजी भूमि को किराए पर लेने के लिए मुआवजे के भुगतान के कारण हुआ परन्तु अप्रयुक्त रहने के कारण अनावश्यक सिद्ध हुआ निधियों को मूल /पूरक अनुदानों से प्राप्त किया जाना चाहिए

था। बिना प्रावधान के पुनर्विनियोजन अनुचित तथा हिमाचल प्रदेश की बजट पुस्तिका 1971 के पैरा 12.5 का उल्लघंन है।

₹ 4.52 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

### 4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-

सतही जल-

विभिन्न जिलों में उठाऊ सिंचाई योजनाएं-01-

योजना

मूल 2,86.00 2,86.00

3,37.60

+51.60

₹ 51.60 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना 06-

(त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम)के अन्तर्गत विभिन्न

जिलों में उठाऊ सिंचाई योजना-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजना

मूल

44,36.00

80,87.94

80,38.00

(-)49.94

पुनर्वि0 36,51.94

₹ 49.94 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 36,51.94 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।

₹ 49.94 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

#### योजना

मूल

4,94.00

57.14

5,51.14

4,96.74

(-)54.40

पुनर्वि0

₹ 54.40 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 57.14 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ इसी कारण राज्य की हिस्सेदारी उस अनुपात में प्रदान की जोकि अनावश्यक सिद्ध हुई।

₹ 54.40 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

नाबार्ड के अन्तर्गत वर्षा जल संग्रहण-09-

#### योजना

पूरक

0.01

4,75.00

4,75.00

पुनर्वि0 4,74.99

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4,74.99 लाख का आवर्धन योजना के अर्न्तगत निर्माण के लिए निधियों की अधिक आवश्यकता के कारण हुआ।

### 4711- बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय--

01- बाढ़ नियन्त्रण-

800- अन्य व्यय-

05- ग्रामीण आधारिक संरचना विकास निधि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के अन्तर्गत बाढ़ नियन्त्रण कार्य पर व्यय-

योजना

मूल

3,63.00

4,51.51

+88.51

₹ 88.51 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे। (अक्तूबर 2020)।

13- बाढ़ प्रंबधन कार्यक्रम के अन्तर्गत दौलतपुर से गगरेट पुल तक स्वां तथा इसकी चार सहायक नदियों का तटीयकरण-

3,63.00

#### केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजना

मूल

40.00

पूरक 1,77,66.83

2,67,64.26

2,67,64.26

पुनर्वि0

89,57.43

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 89,57.43 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

#### योजना

मूल

25,01.00

25,00.00

26,74.00

+1,74.00

पुनर्वि0

(-)1.00

₹ 1,74.00 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

### (xi) उपरोक्त आधिक्य निम्नवत् शीर्षौ के अन्तर्गत हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआः-

शीर्ष

कुल अनुदान

वास्तविक

आधिक्य (+)

વ્યય

बचत (-)

(₹ लाखों में)

### 4215- जलापूर्ति तथा स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय-

01- जलापूर्ति-

101- शहरी जलापूर्ति-

01- विभिन्न जिलों में शहरी जलापूर्ति योजनाएं-

#### योजना

मूल

53,86.00

52,71.94

52,66.22

(-)5.72

पुनर्वि0

(-)1,14.06

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,14.06 लाख की कमी कार्य के कम निष्पादन के कारण हुई।

102- ग्रामीण जलापूर्ति-

01- विभिन्न जिलों में ग्रामीण जलापूर्ति योजनाएं-

#### गैर योजना

पूरक

0.01

24.77

(-)24.77

पुनर्वि0

24.76

₹ 24.77 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 24.76 लाख का आवर्धन क्षतिपूर्ति भूमि के भुगतान के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 24.77 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

22- ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि (राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक) के अन्तर्गत हैण्ड पंप की स्थापना-

#### योजना

मूल

8,53.00

44.08

+44.08

पुनर्वि0 (-)8,53.00

₹ 44.08 लाख के बिना प्रावधान के व्यय की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 8,53.00 लाख का समस्त प्रावधान निर्माण कार्य के निष्पादन न होने के कारण कम कर दिया गया जोकि अवास्तविक सिद्ध हुआ।

₹ 44.08 लाख के बिना प्रावधान के व्यय के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

24- मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल आपूर्ति बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना के अन्तर्गत (राष्ट्रीय विकास बैंक)-

#### योजना

(i) मूल

1,00,07.00

पुनर्वि० (-)1,00,07.00

		<b>બ</b> નુ	तार संख्या । ३ (प्रानर	1.)	
25-		प्राप्त परियोजनाओं ल निकासी परियोजन	<del>ग</del> एं-		
(ii)	मूल	1.00		0.08	+0.08
	पुनर्वि0	(-)1.00			
26-	•	आपूर्ति योजनाओं क वीनीकरण (बाह्य सह			
(iii)	मूल	1.00			
	पुनर्वि0	(-)1.00			
	मल निकासी त ग्रामीण सफाई ग्रामीण क्षेत्रों के योजना		योजनाएं-		
(iv)	मूल	1.00		0.08	+0.08
	पुनर्वि0	(-)1.00		0.06	+0.00
			020 में पुनर्विनियोजन संस्था से निधियों की		
	उपरोक्त क्रमांव प्रतिक्षित थे (अ	, ,	(iv) पर <b>₹</b> 0.16 लाख	ा का व्यय बिना बजट	प्रावधान के कारण
700- 01- 800- 01-	शाहनगर परियं अन्य व्यय- नहरें- योजना	<b>गर पूंजीगत परिव्यय</b> - ोजना (गैर वाणिज्यि			
	पूरक	0.02	23.01		(-)23.01
	पुनर्वि0	22.99			( )23.01

₹ 23.01 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 22.99 लाख का आवर्धन मध्यस्थता मामलों की देनदारी का भुगतान करने के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 23.01 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

		अनु	दान संख्या-13 (क्रम	शः)	
4702-	लघु सिंचाई	पर पूंजीगत परिव्यय	<u>-</u>		
101-	सतही जल-				
02-	विभिन्न जि	लों में उठाऊ सिंचाई	योजनाएं-		
	योजना				
(i)	मूल	2,00.00	2,00.00	1,78.10	(-)21.90
03-	•	। और ग्रामीण विकास			
	_	भेन्न जिलों में उठाऊ	सिंचाई योजना-		
<b></b>	योजना				()
(ii)	मूल	44,89.00	44,89.00	42,02.21	(-)2,86.79
	उपरोक्त दो	मामलों में ₹ 3,08.6	9 लाख की अंतिम बचत	के कारण प्रतीक्षित थे	(अक्तूबर 2020)।
04-	नाबार्ड के 3	मन्तर्गत विभिन्न जिलों	में बहाव सिंचाई योजना	[-	
	योजना				
	मूल	31,42.00			
	<b>C</b> (		23,90.53	23,90.53	
	पुनर्वि0	(-)7,51.47			
	_	में पुनर्विनियोजन द्वा	रा ₹ 7,51.47 लाख व	नी कमी कार्य के कम	निष्पादन के कारण
	हुई।				
06-		कृषि सिंचाई योजना			
		गई लाभ कार्यक्रम)के	अन्तर्गत विभिन्न		
		उाऊ सिंचाई योजना-			
	गैर योजना	4.50.00	4.50.00	4.00.00	( )50.00
		4,50.00	4,50.00	4,00.00	(-)50.00
			के कारण प्रतीक्षित थे (3	भक्तूबर 2020)।	
07-		कृषि सिंचाई योजना			
	•	गाई लाभ योजना)	~ ′ ′		
		विभिन्न जिली में जल <b>ोजित योजना</b>	न प्रवाह सिंचाई योजना-		
	कन्द्राय प्राय योजना	गाजत याजना			
	मूल	29,58.00			
	701	29,30.00	24,44.40	24,35.77	(-)8.63
	पनर्वि0	(-)5,13.60	21,11110	21,00111	( ) 5.55
	· ·		ा ₹ 5,13.60 लाख की	कमी भारत सरकार से र्	निधियों की कम
		•	न सरकार से <b>₹</b> 3,24,56.		
	योजना	3	: 3,2 1,00		3
	मूल	3,29.00			
	C	•	2,71.86	2,50.31	(-)21.55
	<del></del>	()57.44			. ,

पुनर्वि0 (-)57.14

₹ 21.55 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 57.14 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई इसी कारण राज्य की हिस्सेदारी अप्रयुक्त रही जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 21.55 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

10- जल से कृषि को बल-

#### गैर योजना

मूल

25,00.00

पुनर्वि0 (-)25,00.00

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 25,00.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं के पूरा न होने के कारण कम कर दिया गया।

11- जल संरक्षण द्वारा हिमाचल प्रदेश के किसानों की आय दोगुनी करने हेतु योजना (बाह्य सहायता द्वारा)-

मूल

66.00

0.94

+0.94

पुनर्वि0 (-)66.00

₹ 0.94 लाख का बिना बजट प्रावधान की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 66.00 लाख का समस्त प्रावधान निधियां प्रदान करने वाली संस्था से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।

102- भू-जल-

03- नाबार्ड के अन्तर्गत विभिन्न जिलों में टयूववेल योजना-योजना

मूल

13,47.00

13,47.00

12,18.50

(-)1,28.50

₹ 1,28.50 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

### 4705- कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय-

313- लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत कमान क्षेत्र विकास-

01- लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत कमान क्षेत्र विकास-

#### केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजना

मूल

26,06.00

पुनर्वि0 (-)26,06.00

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 26,06.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।

		3	•	,	
	योजना				
	मूल	25,92.00			
			23,03.00	22,14.22	(-)88.78
	पुनर्वि0	(-)2,89.00			
	की कमी भ	ाख की अंतिम बचत व गरत सरकार से निधि प्रयुक्त रही जोकि अपर	यों की प्राप्ति न हो	•	
	₹ 88.78 की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।				
4711-	बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय				
01-	बाढ़ नियन्त्रण-				
800-	अन्य व्यय-				
10-	बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला मण्डी तथा हमीरपुर में जाहू तक सीर खडड का तटीयकरण बाढ नियन्त्रण कार्य पर व्यय-				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	योजना				
(i)	मूल	6.00			
	पुनर्वि0	(-)6.00			
	योजना				
(ii)	मूल	1.00			
	~			••	
	पुनर्वि0	(-)1.00			
12-	बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के अन्तर्गत तृतीय चरण में पंजाब सीमा की तरफ स्वां खडड में बाढ सरक्षण कार्य- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना				
(iii)	मूल	1.00			
	पुनर्वि0	(-)1.00			
15-	बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के अन्तर्गत				
	•	रिरा में छौंछ खडड में बा जित योजना	ढ सरक्षण कार्य-		

			3,1	/	
	योजना				
(iv)	मूल	6.00			
	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	( )			
	पुनर्वि0	(-)6.00			
16-			औट का तटीयकरण-		
	केन्द्रीय प्रायोजि	नत योजना			
(**)	योजना	4.00			
(v)	मूल	1.00			
	पुनर्वि0	(-)1.00			
17-	जिला शिमला केन्द्रीय प्रायोजि		का तटीयकरण-		
	योजना	7(() 4()()()			
(vi)	मूल	2.00			
,	C1				
	पुनर्वि0	(-)2.00			
	योजना				
(vii)	मूल	1.00			
	पुनर्वि0	(-)1.00			
18-	Ü		यक नदियों का तहसील		
10			गमुखी तथा रक्कड़		
	(कांगड़ा) में त		3		
	केन्द्रीय प्रायोजि	नत योजना			
	योजना				
(viii)	मूल	1.00			
	पुनर्वि0	(-)1.00			
19-			गरली खड्ड का तटीयकरण-		
	केन्द्रीय प्रायोजि	जत योजना			
<i>(</i> : \	योजना				
(ix)	मूल	1.00			
	पुनर्वि0	(-)1.00			
0.4	•		<del></del>		
21-			कार्यक्रम के अन्तर्गत नहायक नदियों का तटीयकरण-		
	स्तरामा धक्क	जार इसका र	कायक चाल्ता का प्रटावक्रमा-		

केन्द्रीय	प्रायोजित	योजना
योजना		

(x) मूल 1.00

पुनर्वि0 (-)1.00

22- हिमाचल प्रदेश बाढ तथा नदी प्रबंधन परियोजना (बाह्य सहायता प्राप्त)-केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना

(xi) मूल 1.00

पुनर्वि0 (-)1.00

उपरोक्त ग्यारह मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 22.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया इसी कारण राज्य की हिस्सेदारी भी अप्रयुक्त रही।

(xii) प्रभारित विनियोजन में आधिक्य मुख्यतः निम्नवत शीर्ष के अन्तर्गत हुआः-

शीर्ष कुल विनियोजन वास्तविक आधिक्य (+) व्यय बचत (-) (₹ लाखों में)

### 4700- मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-

01- शाहनगर परियोजना (गैर वाणिज्यिक)-

800- अन्य व्यय-

01- नहरें-

योजना

पूरक 8,79.96 8,79.96

9,07.49

+27.53

₹ 27.53 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

### (xiii) उच्चंत लेन-देन

- (i) इस अनुदान के अन्तर्गत सम्मिलित व्यय ₹ 4,52,64.42 लाख में (राजस्व प्रवर्ग के अन्तर्गत ₹ 4,52,64.42 लाख और पूंजीगत प्रवर्ग के अंतर्गत ₹ 0.00) 'उच्चंत' लघु शीर्ष के अन्तर्गत लेखाबद्व किए गये है।
- (ii) उच्चंत लेन-देनों के स्वरूप का वर्णन अनुदान संख्या-10 लोक निर्माण कार्य- सड़कें, पुल तथा भवन के अन्तर्गत पैरा नं0- (x) में किया गया है।
- (iii) इस अनुदान के अन्तर्गत वर्ष 2019-20 के दौरान लेखाबद्ध किए गए 'उच्चंत' लेन-देनों का विश्लेषण विभिन्न उप शीर्षों के अन्तर्गत प्रारम्भिक एवं अंतिम शेषों सहित नीचे दिया गया है:-

शीर्ष		01 अप्रैल 2019	डैबिट	क्रैडिट	31 मार्च 2020
	7	को प्रारम्भिक शेष			को अन्त शेष
		डेबिट (+)			डेबिट (+)
		क्रेडिट (-)	(₹	लाखों में)	क्रेंडिट (-)
राजस्व प्र	वर्ग				
2215-	जलापूर्ति तथा	स्वच्छता-			
01-	जलापूर्ति-				
799-	उच्चंत-				
01-	स्कन्ध-	+20,94.09	2,18,55.36	2,31,46.36	+8,03.09
02-	स्कन्ध विनिर्मा	ण- +21,62.76	5,03.44	3,14.42	+23,51.78
03-	विविध लोक नि	नेर्माण			
	कार्य अग्रिम-	+4,32,43.38	1,43,36.41	1,93,04.05	+3,82,75.74
कुल	योग 2215-	+4,75,00.23	3,66,95.21	4,27,64.83	+4,14,30.61
2700-मुर	ख्य सिंचाई-				
•	शाह नहर				
	परियोजना (गै	र वाणिज्यिक)-			
799-	उच्चंत-				
01-	स्कन्ध-	+5,88.25	0.15	9.16	+5,79.24
02-	स्कन्ध				
	विनिर्माण-	+32.52	10.33	0.00	+42.85
03-	विविध लोक ि	नेर्माण			
	कार्य अग्रिम-	(-)30.44	0.00	0.00	(-)30.44*
कुल	योग 2700-	+5,90.33	10.48	9.16	+5,91.65

160

शीर्ष	01 अप्रैल 2019 को प्रारम्भिक शेष डैबिट (+)		डैबिट	क्रैडिट	31 मार्च 2020 को अन्त शेष डैबिट (+)
		क्रैडिट (-)	(₹ ऌ	गखों में)	क्रौडिट (-)
2701-	मध्यम सिंचाई-				
11-	गिरी बाटा परियोज	ाना (गैर वाणिज्यि	क)		
799-	उच्चंत-				
01-	स्कन्ध-	(-)3.96	0.00	0.00	(-)3.96*
02-	स्कन्ध विनिर्माण-	(-)8.41	0.00	0.00	(-)8.41*
03-	विविध लोक				
	निर्माण कार्य अग्रि	H- +35.11	0.00	0.00	+35.11
कुल	योग- 2701-11-	+22.74	0.00	0.00	+22.74
15-	चंगर क्षेत्र सिंचाई	परियोजना (गैर व	गाणिज्यिक) -		
799-	उच्चंत-				
01-	स्कन्ध-	(-)0.54	0.00	0.00	(-)0.54*
02-	स्कन्ध विनिर्माण-	(-)2.42	0.00	0.00	(-)2.42*
03-	विविध लोक				
	निर्माण कार्य अग्रि	H- +5.93	0.00	0.00	+5.93
कुल-	2701-15-	+2.97	0.00	0.00	+2.97
16-	सिधाटा बहाव सिंच	गई परियोजना	(गैर वाणिज्यिक)	-	
799-	उच्चंत-				
01-	स्कन्ध-	+2.09	0.00	0.00	+2.09
02-	स्कन्ध विनिर्माण-	+1.75	0.00	0.00	+1.75
03-	विविध लोक				
	निर्माण कार्य अग्रि	F- (-)3.93	0.00	0.00	(-)3.93*
कुल-27	701-16-	(-)0.09	0.00	0.00	(-)0.09*
20-	फीना सिंह नहर प	रियोजना (गैर वा	णिज्यिक) -		
799-	उच्चंत-				
01-	स्कन्ध-	+8,64.35	10,24.14	8,61.83	+10,26.66
02-	स्कन्ध विनिर्माण-	+38.50	16.52	0.00	+55.02
03-	विविध लोक निर्मा	ग			
	कार्य अग्रिम-	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल- 2	701-20-	+9,02.85	10,40.66	8,61.83	+10,81.68

161

शीर्ष		अप्रैल 2019 प्रारम्भिक शेष	डैबिट	क्रैडिट	31 मार्च 2020 को अन्त शेष
		डैबिट (+)			डैबिट (+)
		क्रैडिट (-)	(₹ ਕਾ	खों में)	क्रैडिट (-)
21-	हल्टी सुनराग बंट	ान्टा नादौन मध्यम	म सिंचाई परियोजनाः	_	
799-	उच्चंत-				
01-	स्कन्ध-	0.00	0.00	0.00	0.00
02-	स्कन्ध विनिर्माण-	+2.01	0.00	0.00	+2.01
03-	विविध लोक				
	निर्माण कार्य अग्रि	म- (-)0.01	0.00	0.00	(-)0.01*
कुल	-2701-21-	+2.00	0.00	0.00	+2.00
80-	सामान्य-				
799-	उच्चंत-				
01-	स्कन्ध-	+1,85.80	0.00	0.00	+1,85.80
02-	स्कन्ध विनिर्माण-	(-) 26.20	0.00	0.00	(-)26.20*
03-	विविध लोक				
	निर्माण कार्य अग्रि	म- +1,24.24	0.00	0.00	+1,24.24
कुल	-2701-80-	+2,83.84	0.00	0.00	+2,83.84
	2701-	+12,14.31	10,40.66	8,61.83	+13,93.14
	लघु सिंचाई-				
	सतही जल-				
	उच्चंत-				
	स्कन्ध-	+45.73	20,04.97	20,46.28	+4.42
	स्कन्ध विनिर्माण-	+1,79.29	1,06.24	71.49	+2,14.04
03-	विविध लोक				( ) I
	निर्माण कार्य अग्रि	<u>'</u>	1,80.85	2,11.98	(-)1,90.96*
कुल	2702-01-	+ 65.19	22,92.06	23,29.75	+ 27.50
80-	सामान्य-				
	उच्चंत-				/ \ <b></b>
	रकन्ध-	(-) 6,28.73	0.00	0.00	(-)6,28.73*
	रकन्ध विनिर्माण-	+5,53.79	0.00	0.00	+5,53.79
03-	विविध लोक निर्मा		2.22	0.00	:0.45.57
	कार्य अग्रिम-	+3,15.57	0.00	0.00	+3,15.57
<u>कुल</u>	2702-80-	+2,40.63	0.00	0.00	+2,40.63
कुल	2702-	+3,05.82	22,92.06	23,29.75	+2,68.13

162

शीर्ष		गप्रैल 2019 रम्भिक शेष	डैबिट	क्रैडिट	31 मार्च 2020 को अन्त शेष
		डैबिट (+)			डैबिट (+)
		क्रैडिट (-)	(₹ ₹	लाखों में)	क्रैडिट (-)
2711-बा	ढ़ नियंत्रण तथा जल			<u> </u>	<u>```</u>
01-	बाढ. नियंत्रण-				
799-	उच्चंत-				
01-	स्कन्ध	+69,96.02	24,03.46	26,91.01	+67,08.47
02-	स्कन्ध विनिर्माण-	+4,80.25	99.80	10.19	+5,69.86
03-	विविध लोक				
	निर्माण कार्य अग्रिम-	+4,16.10	27,22.75	3,20.35	+28,18.50
कुल	2711- +	78,92.37	52,26.01	30,21.55	+1,00,96.83
		75,03.06	4,52,64.42	4,89,87.12	+5,37,80.36
	त प्रवर्ग-		0		
	जलपूर्ति तथा सफाई	पर पूंजीगत	परिव्यय-		
	जलापूर्ति-				
	उच्चंत-				
	स्कन्ध-	+30.71	0.00	0.00	+30.71
•	4215-	+30.71	0.00	0.00	+30.71
	मुख्य सिंचाई पर पूंज				
	शाहनहर परियोजना	(गेर वाणिज्यि	क)-		
	उच्चंत-				
	स्कन्ध-	+38.42	0.00	0.00	+38.42
	स्कन्ध विनिर्माण-	+37.54	0.00	0.00	+37.54
03-	विविध लोक	00.00	0.00	0.00	00.00
	निर्माण कार्य अग्रिम-		0.00	0.00	+96.89
कुल 47		+1,72.85	0.00	0.00	+1,72.85
	मध्यम सिंचाई पर पूं	•	1-		
	मध्यम सिंचाई पर व्य उच्चंत-	14-			
		( ) 0.45	0.00	0.00	( ) 0 4 5 *
	रकन्ध-	(-)0.15	0.00	0.00	(-)0.15*
	स्कन्ध विनिर्माण-	+10.82	0.00	0.00	+10.82
03-	विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-	.40.54	0.00	0.00	.40 54
			0.00	0.00	+13.54
कुर	र 4701-01-	+24.21	0.00	0.00	+24.21

163

शीर्ष		अप्रैल 2019 ारम्भिक शेष डैबिट (+)	डैबिट	क्रैडिट	31 मार्च 2020 को अन्त शेष डैबिट (+)
		क्रैडिट (-)	(₹ लार	वों में)	क्रैडिट (-)
15-	चंगर क्षेत्र परियोजन	ना (गैर वाणिज्यिव	5)-		
799-	उच्चंत-				
01-	स्कन्ध-	+83.49	0.00	0.00	+83.49
02-	स्कन्ध विनिर्माण-	+2.98	0.00	0.00	+2.98
03-	विविध लोक				
	निर्माण कार्य अग्रिम	(-)2.72	0.00	0.00	(-)2.72*
कुल	ī-4701-15-	+83.75	0.00	0.00	+83.75
16-	सिधाता बहाव सिंच	ाइ योजना (गैर व	गणिज्यिक)-		
799-	उच्चंत-				
01-	स्कन्ध-	+68.54	0.00	0.00	+68.54
02-	स्कन्ध विनिर्माण-	(-)14.71	0.00	0.00	(-)14.71*
03-	विविध लोक				
	निर्माण कार्य अग्रिम	- +32.91	0.00	0.00	+32.91
कुल-47	701-16-	+86.74	0.00	0.00	+86.74
80-	सामान्य-				
799-	उच्चंत-				
01-	स्कन्ध-	(-)1,32.94	0.00	0.00	(-)1,32.94*
02-	रकन्ध विनिर्माण-	(-)0.83	0.00	0.00	(-)0.83*
03-	विविध लोक निर्माण	Т			
	कार्य अग्रिम-	+1,55.24	0.00	0.00	+1,55.24
कुल-यो	ग 4701-80-	+21.47	0.00	0.00	+21.47
कुल-	4701-	+2,16.17	0.00	0.00	+2,16.17

164 विनियोग लेखे अनुदान संख्या-13 (समाप्त)

शीर्ष		1 अप्रैल 2019	डैबिट	क्रैडिट	31 मार्च 2020
	को	प्रारम्भिक शेष			को अन्त शेष
		डेबिट (+)			डैबिट (+)
		क्रैडिट (-)	(₹ लाख	इमें)	क्रेडिट (-)
4702-ਕਾ	वु सिंचाई पर पूंज <u>ी</u>	गत परिव्यय-			
799-	उच्चंत-				
01-	स्कन्ध-	(-)6,08.15	0.00	0.00	(-)6,08.15*
02-	स्कन्ध विनिर्माण-	(-)12.72	0.00	0.00	( <del>-</del> )12.72*
03-	विविध लोक निम	र्गण			
	कार्य अग्रिम-	+5,64.43	0.00	0.00	+5,64.43
कुल	4702-	(-)56.44	0.00	0.00	(-)56.44 <sup>*</sup>
4711-	बाढ़ नियन्त्रण पर	र पूंजीगत परिव्यय-			_
799-	उच्चंत-				
01-	स्कन्ध-	(-)8.77	0.00	0.00	(-)8.77*
02-	स्कन्ध विनिर्माण-	+9.98	0.00	0.00	+9.98
03-	विविध लोक निम	र्गण			
	कार्य अग्रिम-	+27.88	0.00	0.00	+27.88
कुल	4711-	+29.09	0.00	0.00	+29.09
कुल-पूंजी	गत प्रवर्ग	+3,92.38	0.00	0.00	+3,92.38
कुल मांग	Γ	+5,78,95.44	4,52,64.42	4,89,87.12	+5,41,72.74

टिप्पणीः \* ऋणात्मक शेषों के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

## विनियोग लेखे अनुदान संख्या- 14-पशुपालन, दुग्ध विकास एंव मत्स्य

(शीर्ष- 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2216-आवास, 2403-पशु पालन, 2404-डेरी विकास, 2405-मछली पालन, 4403-पशु पालन पर पूंजीगत परिव्यय तथा 4405-मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व प्रवर्ग दत्तमत		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ हजारों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
	4,06,03,15	4,06,03,22	3,36,22,31	(-)69,80,91
पूरक	7			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पि राशि (31 मार्च 2020				54,98,93
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	18,46,02	20,34,91	14,92,58	(-)5,42,33
पूरक	1,88,89			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पि	त			
राशि (31 मार्च 2020	)			5,42,32

### टिप्पणियां तथा अभ्युक्तियां

- (i) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 69,80.91 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2020 में प्राप्त ₹ 0.07 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ और मूल अनुदान भी सारभूत रूप से अप्रयुक्त रहा। ₹ 54,98.93 लाख का अभ्यर्पण भी अपर्याप्त सिद्ध हुआ।
- (ii) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 5,42.33 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2020 में प्राप्त ₹ 1,88.89 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ जबिक मूल अनुदान भी सारभूत रूप से अप्रयुक्त रहा। जोिक ठीक से बजट बनाने और व्यय पर प्रभावी नियन्त्रण की आवश्यकता को इंगित करता है।

#### राजस्व प्रवर्ग

(iii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक	आधिक्य (+)
		व्यय	बचत (-)
		(₹ लाखों में)	

### 2403- पशु पालन-

001- निदेशन और प्रशासन-

01- मुख्यालय स्थापना-

गैर योजना (i) मूल 5,54.94 (-)0.014,96.80 4,96.79 पुनर्वि0 (-) 58.14 क्षेत्रीय स्थापना-02-गैर योजना (ii) मूल 1,37.32 88.57 88.56 (-)0.01पुनर्वि0 (-)48.75जिला प्रशासन-03-गैर योजना (iii) मूल 13,33.75 11,10.67 11,13.46 +2.79पुनर्वि0 (-)2,23.08पशु चिकित्सा सेवाएं और पशु स्वास्थ्य-101-अस्पताल तथा औषधालय-01-गैर योजना (iv) 2,77,28.43 मूल 2,21,54.70 2,21,53.31 (-)1.39

पुनर्वि0 (-)55,73.73

उपरोक्त चार मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 59,03.70 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

#### योजना

मूल

9,08.22

9,19.96

8,33.36

(-)86.60

पुनर्वि0

11.74

₹ 86.60 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

07- खुर एवं मुँह की बिमारियों पर नियन्त्रण-

### केन्द्रीय प्रायोजित योजना

### योजना

(i) मूल 3,48.87 पूरक 0.01 1,38.93 1,38.92 (-)0.01 पुनर्वि0 (-)2,09.95

#### योजना

(ii) मूल 45.33 पूरक 0.01 13.48 13.48 . पुनर्वि0 (-)31.86

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,41.81 लाख की कमी मुख्यतः सामग्री और आपूर्ति की कम खरीद के कारण हुई।

पशुओं की बिमारियों के नियन्त्रण के लिए राज्य को सहायता-10-केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना (i) मूल 68.00 28.79 28.79 पुनर्वि0 (-)39.21योजना (ii) मूल 7.56 2.65 2.65 पुनर्वि0 (-)4.91उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 44.12 लाख की कमी साम्रगी व वस्तुओं की कम खरीद और शिविरों के कम आयोजन के कारण हुई। 13- पेस्ट डेस पेंटाईटिस रूमिनेंटस नियन्त्रण कार्यक्रम-केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना (i) मूल 30.00 9.53 9.53 पुनर्वि0 (-)20.47योजना (ii) मूल 3.33 1.07 1.07 पुनर्वि0 (-)2.26उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 22.73 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति और मशीनरी की कम साम्रगी की खरीद के कारण हुई। 102- पश् तथा भैंस विकास-02- पश् प्रजजन फार्म योजना-गैर योजना (i) मूल 6,24.53 4,31.65 4,31.66 +0.01 पुनर्वि0 (-)1,92.8806- वीर्य प्रयोगशालाओं की स्थापना-गैर योजना (ii) मूल 5,30.18

4,12.81

पुनर्वि0

(-)1,17.37

4,12.80

(-)0.01

उपरोक्त दो मामलों में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3,10.25 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

18- गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को चारे के लिए अनुदान-

### गैर योजना

मूल

4,00.00

4,00.00

(-)4,00.00

₹ 4,00.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

- 103- कुक्कुट विकास-
- 02- कुकुट विकास पर व्यय-

### गैर योजना

मूल

4,26.56

3,34.46

3,34.47

+0.01

पुनर्वि0 (-)92.10

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 92.10 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

09- 5000 ब्रायलर योजना-

### गैर योजना

मूल

2,00.00

2,79.00

(-)2,79.00

पुनर्वि0

79.00

₹ 2,79.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 79.00 लाख का आवर्धन कुक्कुट इकाई की स्थापना न होने के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 2,79.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

- 104- भेड तथा ऊन विकास-
- 01- चंबा में ऊन विशलेषण प्रयोगशाला-

#### गैर योजना

(i) मूल

42.27

8.39

8.38

(-)0.01

पुनर्वि0 (-)33.88

04- भेड़ एवं ऊन विकास पर व्यय-

#### गैर योजना

(ii) मूल

5,36.61

4,44.05

4,44.05

पुनर्वि0 (-)92.56

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,26.44 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने और मामलों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

	5				5 .	
10-	गरीबी रेखा र <b>गैर योजना</b>	से नीचे के कृषक को	बकरी पालन योज	गना−		
	मूल	2,00.00	2,00.00		(-)	2,00.00
	₹ 2,00.00 2020) I	लाख का समस्त प्र	गवधान अप्रयुक्त	रहा; जिसके कारण	ग प्रतीक्षित थे	(अक्तूबर
	अन्य पशु धन गौवंश संबर्धन <b>गैर योजना</b>	ा विकास- न बोर्ड को सहायता-				
(i)	मूल	5,00.00				
	पुनर्वि0 <b>योजना</b>	(-)5,00.00				
(ii)	मूल	1.00				
	पुनर्वि0	(-)1.00				
		मामलों में मार्च 2020 प्रावधान गौ सेवा अ	•			
10-	भेड व बकरी <b>योजना</b>	पालन को प्रोत्साहन-	-			
	मूल	66.00	66.00			(-)66.00
	₹ 66.00 ਕੀ	ाख का समस्त प्रावधा	न अप्रयुक्त रहा; ि	जेसके कारण प्रतीक्षि	ात थे (अक्तूबर	2020) ا
	विस्तार तथा पशु चिकित्स केन्द्रीय प्रायो योजना	ा परिषद को सहायता	<sup>·</sup> अनुदान-			
(i)	मूल	6.00				
	पुनर्वि0	(-)2.00	4.00	4.00		
	<sup>ु</sup> योजना					
(ii)	मूल	6.00	4.00	4.00		
	0	(-)2.00 मामलों में मार्च 202	4.00	4.00	<b>₹</b> 4.00 ਨਜ਼ਹੂਰ	 ਨੀ ਨਸੀ
		नानला न नाय 202 र से निधियों के कम				

अनुपात में कम जारी की गई।

### 2404- डेयरी विकास-

001- निदेशन और प्रशासन-

01- मुख्यालय कर्मचारी वर्ग-

गैर योजना

मूल

54.03

31.48

31.48

पुनर्वि0

(-)22.55

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 22.55 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

03- एकीकृत दुग्ध विकास परियोजना-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजना

मूल

1.00

पुनर्वि0

(-)1.00

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।

04- दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाओं को सहायता अनुदान-

गैर योजना

मूल

3,00.00

पुनर्वि0 (-)3,00.00

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3,00.00 लाख का समस्त प्रावधान माँग संख्या 14 से माँग संख्या 18 को स्थान्तरण करने के कारण कम कर दिया गया। इस तरह का स्थान्तरण हिमाचल प्रदेश की बजट नियमावली के पैरा 12.5 (i) वित्तीय नियम 1971 तथा वित्तीय नियम 2009 के नियम 44 (3) का उल्लघंन है।

#### 2405- मत्स्य पालन-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

02- जिला स्तरीय-

गैर योजना

मूल

12,99.78

9,88.32

9,88.79

+0.47

पुनर्वि0 (-)3,11.46

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3,11.46 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि बाह्य स्त्रोतों पर अधिक व्यय के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई।

101- अंतर्देशीय मतस्य पालन-

06- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-

`		
या	जना	

(i) मूल 35.00 61.10 .. (-)61.10 पुनर्वि0 26.10 योजना

(ii) ਸ੍ਰੁਲ 1.00 6.23 .. (-)6.23

पुनर्वि0 5.23

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 67.33 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 31.33 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ जोकि अनुचित सिद्ध हुआ। जबकि भारत सरकार से क्रमांक न0 (i) में ₹ 18,97.71 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।

उपरोक्त दो मामलो में ₹ 67.33 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

07- नीली क्रांति-एकीकृत मत्स्य पालन प्रबंधन एवं विकास-

### केन्द्रीय प्रायोजित योजना

#### योजना

7,14.00 मूल पूरक 0.01 9,11.95 5,63.62 (-)3,48.33पुनर्वि0 1,97.94 योजना मूल 79.48 1,07.44 70.97 (-)36.47पुनर्वि0 27.96

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 3,84.80 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,25.90 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 3,84.80 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

(iv) उपरोक्त बचत निम्नवत् शीर्षौ के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष कुल अनुदान वास्तविक आधिक्य (+) व्यय बचत (-) (₹ लाखों में)

### 2403- पशुपालन-

101- पशु चिकित्सा सेवाएं और पशु स्वास्थ्य-

11- राष्ट्रीय पशु रोग सूचना प्रणाली-

#### केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजना

मूल 0.01

3.00 3.00 ...

पुनर्वि0 2.99

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2.99 लाख का आवर्धन कार्यालय वस्तुओं की खरीद पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

102- पशु तथा भैंस विकास-

13- पशु गणना-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

#### योजना

मूल 0.01

पूरक 0.01

15.42 15.42

पुनर्वि0 15.40

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 15.40 लाख का आवर्धन प्रगणकों और पर्यवेक्षकों कें भुगतान पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

16- गोजातीय नस्ल प्रजनन पर राष्ट्रीय परियोजना-

0.01

#### योजना

मूल

98.49 98.49

पुनर्वि0 98.48

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 98.48 लाख का आवर्धन मंडी और शिमला के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम और दुग्ध विकास को लागू करने के कारण हुआ।

19- गौ सेवा आयोग-

#### गैर योजना

मूल 0.01

पूरक 0.01 5,00.00 5,00.00

पुनर्वि0 4,99.98

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4,99.98 लाख का आवर्धन गायों के कल्याण और संरक्षण के लिए गौवंश समवर्धन बोर्ड से निधियों के स्थानान्तरण करने के कारण हुआ।

800- अन्य व्यय-

01- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-केन्द्रीय प्रायोजित योजना-

योजना-

(i) मूल 4,74.00

4,86.48 4,86.48

पुनर्वि0 12.48

02- राष्ट्रीय पशुधन मिशन-केन्द्रीय प्रायोजित योजना-

योजना-

(ii) मूल 0.03

पूरक 0.01 12,54.91 12,54.91

पुनर्वि0 12,54.87

योजना-

(iii) मूल

0.03

1,68.74

1,68.74

पुनर्वि0

1,68.71

उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 14,36.06 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ। जबकि भारत सरकार से ₹ 18,97.71 लाख का अनुदान क्रमांक संख्या (i) में प्राप्त हुआ।

### 2404- डेयरी विकास-

191- सहकारी समितियों तथा अन्य

निकायों को सहायता-

02- हिमाचल प्रदेश दुग्ध संगठन को

सहायता अनुदान-गैर योजना

मूल

3,00.01

3,37.71

3,37.71

पुनर्वि0

37.70

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 37.70 लाख का आवर्धन सहकारी संस्थाओं को सहायता अनुदान प्रदान करने के कारण हुआ।

### पूंजीगत प्रवर्ग

(v) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष

कुल अनुदान

वास्तविक

आधिक्य (+)

व्यय बचत (-)

(₹ लाखों में)

### 4403- पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय-

101- पशु चिकित्सा सेवाएं और पशु स्वास्थ्य-

01- भवन कार्यक्रम-

गैर योजना

मूल

7,48.57

2,51.18

2,51.18

पुनर्वि0

(-)4,97.39

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 4,97.39 लाख की कमी मशीनरी की खरीद न होने के कारण हुई।

योजना-

मूल

7,90.00

7,45.08

7,45.08

पुनर्वि0

(-)44.92

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 44.92 लाख की कमी कोविड-19 के कारण निधियों की निकासी न होने के कारण हुई।

# विनियोग लेखे अनुदान संख्या - 14-(समाप्त)

### 4405- मत्स्य पालन पर पूंजीगत परिव्यय-

101- अन्तर्देशीय मछली पालन-

05- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्य-

योजना

मूल

6.00

3.00

3.00

पुनर्वि0

(-)3.00

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3.00 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा हिस्सेदारी पद्वित में परिवर्तन के कारण हुआ। जबिक भारत सरकार से ₹ 18,97.71 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।

## विनियोग लेखे अनुदान संख्या-15 - योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना

(शीर्ष- 2202-सामान्य शिक्षा, 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 2401-फसल कृषि-कर्म, 2402-मृदा तथा जल संरक्षण, 2403-पशु-पालन, 2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, 2851- ग्राम तथा लघु उद्योग, 3451-सचिवालय-आर्थिक सेवायें, 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला एंव संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय, 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, 4215-जलापूर्ति एवं स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय, 4401- फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय,4402- मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय, 4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय,4406- वानिकी तथा वन्य जीवों पर पूंजीगत परिव्यय, 4702-लघु सिचांई पर पूंजीगत परिव्यय, 4851-ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय, 5002- भारतीय रेल-वाणिज्यिक लाईनों पर पूंजीगत परिव्यय, 5054-सड़कों एवं सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय तथा 5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय)

યુગાગરા -	11(44)			
		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजारों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	74,65,20			
		74,65,20	51,96,41	(-)22,68,79
पूरक				
वर्ष के दौरान अभ्य	पर्पित			
राशि (31 मार्च 20				22,68,78
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	3,03,99,00			
		3,03,99,00	1,88,65,29	(-)1,15,33,71
पूरक				.,
वर्ष के दौरान अभ्य	पर्पित			
राशि (31 मार्च 20	020)			30,39,88

### टिप्पणियां तथा अभ्युक्तियां

(i) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 1,15,33.71 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में प्राप्त ₹ 30,39.88 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

### राजस्व प्रवर्ग

(ii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष कुल अनुदान वास्तविक आधिक्य (+) व्यय बचत (-)

(₹ लाखों में)

### 2202- सामान्य शिक्षा-

01- प्रारम्भिक शिक्षा-

101- राजकीय प्राथमिक विद्यालय-

01- शिक्षा पर व्यय-

#### गैर योजना

मूल

1,58.98

77.42 77.42

पुनर्वि0 (-)81.56

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 81.56 लाख की कमी कोविड-19 से पूर्णबन्द/कर्फ्यू के कारण हुए कम व्यय के कारण हुई।

03- माध्यमिक विद्यालय-

#### गैर योजना

मूल

1,84.95

71.35 71.35

पुनर्वि0 (-)1,13.60

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,13.60 लाख की कमी मार्च महीने के दौरान कोविड-19 से पूर्णबन्द/कर्फ्यू के कारण हुए कम व्यय, रिक्त पदों को न भरने और वेतनमान संशोधनों के न होने के कारण हुई।

#### योजना

मूल

1,00.00

पुनर्वि0 (-)1,00.00

मार्च 2020 में ₹ 1,00.00 लाख का समस्त प्रावधान रिक्त पदों को न भरने और वेतनमान संशोधनों के न होने के कारण अभ्यर्पण द्वारा कम कर दिया गया।

800- अन्य व्यय-

01- मध्याहन आहार योजना-

#### योजना

मूल

2,20.00

1,06.87

1,06.87

पुनर्वि0 (-)1,13.13

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,13.13 लाख की कमी केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी कम जारी करने के कारण हुई। जबकि भारत सरकार से ₹ 50,66.57 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।

#### 2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-

- 03- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति-
- 101- स्वास्थ्य उप-केन्द्र-
- 01- स्वास्थ्य उप-केन्द्र-

#### गैर योजना

मूल

13,74.89

9,86.16

9,86.15

(-)0.01

पुनर्वि0 (-)3,88.73

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3,88.73 लाख की कमी दूरभाष,विद्युत और जल के बिलों पर हुए कम व्यय, रिक्त पदों को न भरने, वेतनमान संशोधनों के न होने, मशीनरी, उपकरणों की खरीद न होने और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

- 103- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र-
- 01- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र -

#### गैर योजना

मूल

3,29.73

2,51.73

2,51.74

+0.01

पुनर्वि0 (-)78.00

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 78.00 लाख की कमी मशीनरी तथा उपकरणों की खरीद न होने, रिक्त पदों को न भरने,वेतनमान संशोधनों के न होने, सामग्री की कम खरीद और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

- 104- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र-
- 01- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र-

#### गैर योजना

मूल

88.44

28.01


28.00

(-)0.01

पुनर्वि0 (-)60.43

मार्च 2020में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 60.43 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने,वेतनमान संशोधनों के न होने और सामग्री की कम खरीद के कारण हुई।

- 110- अस्पताल तथा औषधालय-
- 01- ग्रामीण स्वास्थ्य-



मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 29.56 लाख की कमी सामग्री की कम खरीद, रिक्त पदों को न भरने और वेतनमान संशोधनों के न होने के कारण हुई।

	खरीद, रिक्त	पदों को न भरने उ	और वेतनमान संशोधनों के न	न होने के कारण हुई।		
119-	फसल कृषि कर्म- बागवानी तथा वनस्पति फसलें- उद्यान विकास- गैर योजना					
	मूल	15.17				
	पुनर्वि0	(-)11.59	3.58	3.59	+0.01	
		•	अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में खरीद के कारण हुई।	₹ 11.59 लाख की	कमी बागवार्न	
11-	राजकीय उद्य <b>गेर योजना</b>	ानों तथा पौद्यशाल	ाओं की स्थापना तथा रख-र	खाव-		
	मूल	11.38				
	पुनर्वि0	(-)7.84	3.54	3.54		
	मार्च 2020 मे	नं पुनर्विनियोजन/अ	ाभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ नांतरित करने के कारण हुई		सरकारी सामग्री	
<i>01-</i> 102-	वानिकी तथा वानिकी समाज तथा प समाजिक वारि					
	गैर योजना					
		5,39.80				
	पुनर्वि0	(-)1.34.22	4,05.58	4,05.58		
	मार्च 2020 मे	i पुनर्विनियोजन/अ	भ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1 की कम खरीद और भुगताः			
2851-	ग्रामीण तथा व	लघु उद्योग-				
	लघु उद्योग- लघु उद्योगों हे गैर योजना	हेतु उपदान-				
	मूल	2.00				

पुनर्वि0

(-)2.00

मार्च 2020 में ₹ 2.00 लाख का समस्त प्रावधान लाभार्थियों से मांग की प्राप्ति न होने के कारण अभ्यर्पण द्वारा कम कर दिया गया।

28- ग्रामीण इंजीनियरिंग आधारित उद्योग केंद्र-

### गैर योजना

मूल

33.05

पुनर्वि0

(-)33.05

मार्च 2020 में ₹ 33.05 लाख का समस्त प्रावधान योजना को देरी से अंतिम रूप देने के कारण अभ्यर्पण द्वारा कम कर दिया गया।

### 3451- सचिवालय-आर्थिक सेवाएं-

101- नीति आयोग-

01- मुख्यालय-

योजना

मूल

7,53.11

5.72.84

5,72.81

(-)0.03

पुनर्वि0 (-)1,80.27

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,80.27 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने और वेतनमान संशोधनों के न होने के कारण हुई।

02- जिले-

#### योजना

मूल

5,37.79

4, 19.37

4,19.36

(-)0.01

पुनर्वि0 (-)1,18.42

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,18.42 लाख की कमी बैठकों के कम आयोजन अधिकारियों/कर्मचारियों के कम स्थानांतरण,रिक्त पदों को न भरने, वेतनमान संशोधनों के न होने तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

20- राज्य अभिनव निधि-

#### योजना

मूल

2,00.00

पुनर्वि0 (-)2,00.00

मार्च 2020 में ₹ 2,00.00 लाख का समस्त प्रावधान अन्य विभागों से अभिनव के प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण अभ्यर्पण द्वारा कम कर दिया गया।

21- सत्त विकास हेतु लक्ष्य-

	योजना				
	मूल	26.10			
	-		0.91	0.91	
	पुनर्वि0	(-)25.19			
		में पुनर्विनियोजन/अः र कम व्यय के कारप		में ₹ 25.19 लाख की	कमी विविध वस्तुओं
पूंजीग	त प्रवर्ग				
(iii)	दत्तमत अनुद	प्तन में बचत मुख्यतः	निम्नवत् शीर्षों के अ	न्तर्गत हुई:-	
	शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
				्यप ( <b>₹</b> लाखों में)	44(1 ( )
	संस्कृति पर	रूद, कला तथा पूंजीगत परिव्यय-			
	सामान्य शिक्ष				
	प्रारम्भिक शि				
07-	भवनों का नि <b>योजना</b>	ोमोण-			
(i)	मूल	7,00.00			
(1)	9,,	1,00.00	5,34.75	5,34.75	
	पुनर्वि0	(-)1,65.25	3,3 3	0,0 0	
202-	माध्यमिक शि	ाक्षा-			
06-	भवनों का ि <b>योजना</b>	नेर्माण-			
(ii)	मूल	5,00.00			
	<b>C</b> 1		4,17.37	4,17.37	
	पुनर्वि0	(-)82.63			
<b>4210</b> -	चिकित्सा तश् पर पूंजीगत	था लोक स्वास्थ्य परिव्यय-			
02-	ग्रामीण स्वार	थ्य सेवाएं-			
	प्राथमिक स्व				
01-	प्राथमिक स्व (निर्माण कार				
	योजना				
(iii)	मूल	6,00.00			
	-,		34.05	34.05	
	पुनर्वि0	(-)5,65.95			

		3	`	,	
03-	चिकित्सा शिक्ष	ग, प्रशिक्षण तथा अनुस	ंधान-		
101-	आयुर्वेद-	-			
01-	आयुर्वेद (निर्माण् <b>योजना</b>	ण कार्य)-			
(iv)	मूल	70.00			
			52.74	52.74	
	पुनर्वि0	(-)17.26			
	•	र्म पर पूंजीगत परिव्यय	[ <del>-</del>		
119-	बागवानी तथा	वनस्पति फसलें-			
03-	भवन -				
	योजना				
(v)	मूल	75.00			
	~		2.01	2.01	
	पुनर्वि0	(-)72.99			
-008	अन्य व्यय-				
01-	भवन-				
	योजना				
(vi)	मूल	40.00			
	~	<b>(</b> )	16.06	16.06	
	पुनर्वि0	(-)23.94			
		गमलों में मार्च 2020 ीं के कम निष्पादन के	•	ार्पण द्वारा प्रावधान में	₹ 9,28.02 लाख
4402-	मृदा तथा जल	संरक्षण पर पूंजीगत	परिव्यय-		
800-	अन्य व्यय-				
01-	कृषि-				
	योजना				
	मूल	45.00	00.04	00.00	( ) 55 05
	पुनर्वि0	44.34	89.34	33.69	(-)55.65
	•		की दक्ति से मार्च अ	)20 में पुनर्विनियोजन	्राम् पात्रधान में
				के कारण हुआ जोकि	
	₹ 55.65 लाख	व की अंतिम बचत के	कारण प्रतीक्षित थे (	अक्तूबर 2020)।	
4406-	वानिकी और वन्य जीवों				
	पर पूंजीगत प				

01- वानिकी-

800- अन्य व्यय-

02- वानिकी-

योजना

मूल

80.00

22.40

42.93

+20.53

पुनर्वि0 (-)57.60

₹ 20.53 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 57.60 लाख की कमी कार्यों के कम निष्पादन के कारण हुई जोकि अत्याधिक सिद्ध हुई।

₹ 20.53 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

### 4851- ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय-

102- लघु उद्योग-

09- ग्राम तथा लघु उद्योग-

योजना

मूल

45.00

पुनर्वि0 (-)45.00

मार्च 2020 में ₹ 45.00 लाख का समस्त प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन के कारण पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा कम कर दिया गया।

### 5002- भारतीय रेल-वाणिज्यिक लाइनों पर पूंजीगत परिव्यय-

01- पूंजी का लाभांश दायित्व-

120- नई लाइनें (निर्माण)-

01- रेलवे लाइनों का निर्माण-

योजना

मूल

26, 19.00

पुनर्वि0 (-)26,19.00

मार्च 2020 में ₹ 26,19.00 लाख् का समस्त प्रावधान रेलवे कार्यों के परिवहन विभाग में स्थानांतरित करने के कारण अभ्यर्पण द्वारा कम कर दिया गया।

..

### 5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-

04- जिला तथा अन्य सड़कें-

800- अन्य व्यय-

06- पिछडे क्षेत्रों की सडकें-

योजना

(i) मूल 33,13.00

40,53.40 24,65.10

(-)15,88.30

पुनर्वि0 7,40.40

5475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-

800- अन्य व्यय-

01- विकेन्द्रीयकृत नियोजन क्षेत्र-योजना

(ii) मूल 79,52.00

83,76.85 56,44.62

(-)27,32.23

पुनर्वि0 4,24.85

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 43,20.53 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 11,65.25 लाख का आवर्धन कार्यों के अधिक निष्पादन के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ ।

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 43,20.53 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020) ।

02- विधायक क्षेत्र स्थानीय विकास निधि योजना-

योजना

मूल 1,02,00.00

97,97.99 64,52.42

(-)33,45.57

पुनर्वि0 (-)4,02.01

₹ 33,45.57 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4,02.01 लाख की कमी विधान सभा प्रति सदस्य आवंटन में कमी के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 33,45.57 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

03- स्थानीय जिला नियोजन विकास में जन सहयोग-

योजना

मूल 22,00.00

18,58.67 11,66.24

(-)6,92.43

पुनर्वि0 (-)3,41.33

₹ 6,92.43 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3,41.33 लाख की कमी लाभार्थियों के हिस्से को कम जमा करने के कारण, सरकारी हिस्सेदारी को कम आहरित किये जा सकने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 6,92.43 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

04-	मुख्यमंत्री ग्राग् <b>योजना</b>	म पथ योजना-			
	मूल	6,00.00	6,00.00	4,99.82	(-)1,00.18
	₹ 1,00.18 ₹	लाख की अंतिम बन	वत के कारण प्रतीक्षित थे	ो (अक्तूबर 2020)।	
05-	जिला योजन	। अधिकारियों/कर्मच	गरियों		
	के लिए आव	ास का निर्माण-			
	योजना				
	मूल	60.00			
	पुनर्वि0	(-)60 00			
			:		<u> </u>
		। र 60.00 लाख व ण द्वारा कम कर वि	का समस्त प्रावधान संहित देया गया।	त्तागत आपचारिकताआ	का पूरा न करन क
(iv)	उपरोक्त बच	त मुख्यतः निम्नवत्	् शीर्षों के अन्तर्गत हुए	आधिक्य से अंशतः प्रा	तेसंतुलित हुई:-
	शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक	आधिक्य (+)
				व्यय	बचत (-)
4045	<del></del>			(₹ लाखों में)	
4215-	जलापूर्ति तथ पर पूंजीगत प				
01-	जलापूर्ति-	नारव्यय			
	ग्रामीण जलाप	गर्ति-			
	विभिन्न जिल	-,			
	जल आपूर्ति	स्कीमें-			
	योजना				
(i)	मूल	12,20.00			
	~		13,76.59	13,76.59	
	पुनर्वि0	1,56.59			
	-	पूंजीगत परिव्यय-			
$\alpha$		। सेवाएं तथा पशु	खास्थ्य-		
01-	भवन कार्यक्र		खास्थ्य-		
	भवन कार्यक्रग् <b>योजना</b>	FI .	स्वास्थ्य-		
(ii)	भवन कार्यक्र		स्वास्थ्य- 49.32	49.32	

## विनियोग लेखे अनुदान संख्या-15 (समाप्त)

## 4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-

- 101- सतही जल-
- 01- विभिन्न जिलों में उठाऊ सिंचाई योजनाएं-योजना
- (iii) मूल 40.00

77.58 77.58

पुनर्वि0 37.58

उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,03.49 लाख का आवर्धन कार्यों के अधिक निष्पादन के कारण हुआ।

## विनियोग लेखे अनुदान संख्या-16- वन और वन्य जीवन

(शीर्ष- 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2402-मृदा तथा जल संरक्षण, 2406-वानिकी एवं वन्य प्राणी, 2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, 4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय तथा 4406-वानिकी और वन्य प्राणियों पर पूंजीगत परिव्यय)

	u.	कुल अनुदान/ विनियोजन	वास्तविक व्यय ( <b>₹</b> हजारों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग			(* * * * * * )	
दत्तमत				
मूल	5,92,47,27			
		5,92,47,35	4,47,22,41	(-)1,45,24,94
पूरक	8			
वर्ष के दौरान अभ्य				
राशि (31 मार्च 20	020)			1,45,19,57
प्रभारित				
मूल				
		3,99	3,54	(-)45
पूरक	3,99			
वर्ष के दौरान अभ्य	यर्पित			
राशि (31 मार्च 20	020)			46
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	18,43,50			
C		18,43,50	12,09,87	(-)6,33,63
पूरक				
वर्ष के दौरान अभ्य	यर्पित			
राशि (31 मार्च 20	020)			6,33,63
टिप्पणियाँ तथा अभ्युक्तियाँ				
(i) राजस्व प्रवर्ग के प्रभारित विनियोजन में ₹ 0.45 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 0.46 लाख				

(i) राजस्व प्रवर्ग के प्रभारित विनियोजन में ₹ 0.45 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 0.46 लाख का अभ्यर्पण अत्याधिक सिद्ध हुआ।

#### राजस्व प्रवर्ग

(ii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक	आधिक्य (+)
		व्यय	बचत (-)
		(₹ लाखों में)	

2059- लोक निर्माण कार्य-

01- कार्यालय भवन-

053- रख-रखाव और मरम्मत-

69- वन विभाग हेतु रख-रखाव पर व्यय-

गैर योजना

मूल

40.04

40.04

पुनर्वि0 (-)10.37

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 10.37 लाख की कमी मुख्यतः कोविड-19 में रखरखाव कार्यों के कम निष्पादन के कारण हुई।

#### 2402- भू तथा जल संरक्षण-

102- मृदा संरक्षण-

12- स्रक्षात्मक वनीकरण मृदा संरक्षण और प्रदर्शन (वन विभाग)-

गैर योजना

मूल

13,67.57

50.41

8,84.39

8,84.39

पुनर्वि0 (-)4,83.18

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 4,83.18 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति के कारण हुई।

योजना

मूल

8,97.00

7,95.12

7,95.12

पुनर्वि0 (-)1,01.88

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,01.88 लाख की कमी मुख्यतः दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति के कारण हुई।

#### 2406- वानिकी तथा वन्य जीवन -

01- वानिकी-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

01- निदेशालय-

#### गैर योजना

मूल

16,05.21

10,02.62

10,02.61

(-)0.01

पुनर्वि0 (-)6,02.60

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 6,02.60 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने तथा वेतनमानों में सशोधन न करने के कारण हुई।

02- परिमण्डल/मण्डलीय स्थापना-

#### गैर योजना

मूल

3,69,35.31

2,78,63.85

2,78,58.32

(-)5.53

पुनर्वि0 (-)90,71.46

मार्च 2020 में पुनिर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 90,71.46 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

#### योजना

मूल 11,47.00

7,89.90 7,8

7,89.90

पुनर्वि0 (-)3,57.10

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3,57.10 लाख की कमी पैट्रोल, तेल, रनेहक और वाहनों की मरम्मत पर कम व्यय, पानी,बिजली व टेलीफोन बिलों की कम प्राप्ति तथा कोविड-19 में सामग्री की खरीद पर कम व्यय होने के कारण हुई।

- 070- संचार तथा भवन-
- 01- भवनों, सड़कों तथा रास्तों का रखरखाव-

#### योजना

मूल

8,80.00

7,26.38

7,26.37

(-)0.01

पुनर्वि0 (-)1,53.63

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,53.63 लाख की कमी रखरखाव कार्यों के कम निष्पादन तथा कोविड-19 के दौराने बिलों के भुगतान न होने के कारण हुई।

- 101- वन संरक्षण, विकास और संपोषण-
- 01- वनों की चकबन्दी तथा सीमांकन-

#### गैर योजना

(i) मूल 18.21

6.90 6.90

पुनर्वि0 (-)11.31

योजना

(ii) मूल 50.00

25.97 25.97

पुनर्वि0 (-)24.03

02- वन पुर्नोत्पादन-गैर योजना

गर पाजगा

(iii) मूल 37.84

1.50

1.50

पुनर्वि0 (-)36.34

उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 71.68 लाख का कमी दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति तथा सामग्री की खरीद पर कम व्यय के कारण हुई।

03- एकीकृत वन सुरक्षा योजना-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजना

मूल 2,59.00

1,70.92

1,70.92

पुनर्वि0 (-)88.08

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 88.08 लाख की कमी दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति, भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने, सेगोष्ठियों और कार्यशालाओं के आयोजन पर कम व्यय, रखरखाव कार्यों के कम निष्पादन तथा कोविड-19 में सामग्री की खरीद पर कम व्यय के कारण हुई।

#### योजना

मूल

29.00

21.89

21.89

पुनर्वि0

(-)7.11

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 7.11 लाख की कमी मुख्यतः केन्द्रीय हिस्सेदारी प्राप्त न होने से राज्य की हिस्सेदारी को अभ्यर्पित करने के कारण हुई।

04- कार्मिक योजना संगठन-

योजना

मूल

45.00

29.71

29.71

पुनर्वि0 (-)15.29

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 15.29 लाख की कमी दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति तथा सामग्री की खरीद पर कम व्यय के कारण हुई।

08- हिमाचल प्रदेश वन इको सिस्टम कलाइमेट प्रूफिंग प्राजेक्ट-

#### योजना

मूल

32,91.00

29,64.36

29,64.36

पुनर्वि0 (-)3,26.64

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3,26.64 लाख की कमी पौधारोपण कार्यों, लैंटाना घास हटाने व मिट्टी संरक्षण की कम मांग प्राप्त होने तथा रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

10- हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकीय प्रबंधन और

आजीविका सुधार परियोजना-

#### योजना

मूल

23,03.00

पूरक 0.03

19,94.49

19,94.48

(-)0.01

पुनर्वि0 (-)3,08.54

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3,08.54 लाख की कमी सामग्री की खरीद, पैट्रोल, तेल, रनेहक और वाहनों की मरम्मत पर कम व्यय के कारण हुई।

102- सामाजिक और फार्म वानिकी-वृक्ष आवरण में सुधार-04-योजना मूल 13,50.00 12,90.59 12,90.79 +0.20 पुनर्वि0 (-)59.41मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 59.41 लाख की कमी दैनिक वेतन भोगियों को भुगतान न करने, कार्यों के कम निष्पादन तथा कोविड-19 में सामग्री की खरीद पर कम व्यय के कारण हुई। विभागीय पौधारोपण और सार्वजनिक वितरण 05-हेतु नर्सरिया लगाना/बढ़ाना -योजना मूल 8,85.00 8,38.40 8,38.40 पुनर्वि0 (-)46.60मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 46.60 लाख की कमी दैनिक वेतन भोगियों को भुगतान न करने तथा सामग्री की खरीद पर कम व्यय के कारण हुई। वृक्षारोपण और नर्सरियों का रख-रखाव-07-योजना मूल 2,75.00 2,20.35 2,20.35 पुनर्वि0 (-)54.65मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 54.65 लाख की कमी मुख्यतः दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति के कारण हुई। उद्यानों के एकीकृत विकास हेत् 33-अभियान-राष्ट्रीय बाँस योजना-केन्दीय प्रायोजित योजना योजना (i) 9.00 मूल पुनर्वि0 (-)9.00योजना (ii) मूल 1.00

34- राज्य वन विकास एजेंसी द्वारा राष्ट्रीय वनारोपण कार्यक्रम का क्रियान्वयन-

(-)1.00

पुनर्वि0

		अ	नुदान संख्या-16 (क्रम	राः)	
	केन्द्रीय प्रा योजना	योजित योजना			
(iii)	मूल	2,69.00	45.42	45.42	
	पुनर्वि0	(-)2,23.58			
	योजना				
(iv)	मूल	30.00	5.05	5.05	
	पुनर्वि0	(-)24.95			
35-	के अन्तर्गत	षे पर राष्ट्रीय मिशन ा कृषि-वानिकी मिशन <b>योजित योजना</b>	[ <del>-</del>		
(v)	मूल	1,00.00			
			28.40	28.40	
	पुनर्वि0	(-)71.60			
	योजना				
(vi)	मूल	10.00	0.00	0.00	
	पुनर्वि0	(-)6.70	3.30	3.30	
	की कमी भ की हिस्सेट ₹ 2,45.41	भारत सरकार द्वारा क द्वारी कम जारी करने । लाख का अनुदान प्र	020 में पुनर्विनियोजन/अभ्र म निधियाँ जारी करनें तथ के कारण हुई। जबकि गप्त हुआ।	ा केन्द्रीय हिस्सेदारी के	अनुपात में राज्य
36-		उद्यान योजना-			
	योजना				
	मूल	20.00			
	मार्च 2020	(-)20.00 ) में ₹ 20.00 लाख । होने के कारण कम	 का समस्त प्रावधान अभ्र कर दिया गया।	 यर्पण द्वारा योजना के	 अन्तर्गत कार्य के
37-		ता एवं जलवायु लची			
01		न्नेए एकीकृत विकास			
	पूरक	26,93.00			
	पूरक पुनर्वि0	0.01 (-)14,73.42	12, 19.59	12,19.59	

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 14,73.42 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

38- सामुदायिक वन संवर्धन योजना-

योजना

मूल

2,00.00

1,73.12

1,73.12

पुनर्वि0

(-)26.88

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 26.88 लाख की कमी कोविड-19 में कार्यशालाओं के आयोजन पर कम व्यय तथा बिलों व मजदूरी का भुगतान न करने के कारण हुई।

40- वनावर्धन संचालन-

योजना

मूल

2,00.00

1,50.43

1,50.43

पुनर्वि0 (-)49.57

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 49.57 लाख की कमी दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति तथा सेमिनारों एवं कार्यशालाओं के आयोजन पर कम व्यय होने के कारण हुई।

105- वन उत्पाद -

01- सरकारी ऐजैंसी द्वारा वनों से

लकड़ी तथा अन्य उत्पाद हटाना-

गैर योजना

मूल

66.25

17.35

17.35

पुनर्वि0

(-)48.90

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 48.90 लाख की कमी दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति के कारण हुई।

02- उपभोक्ताओं और खरीदारों द्वारा वनों से इमारती

लकडी और अन्य उत्पाद हटाना-

गैर योजना

मूल

27.75

पुनर्वि0

(-)27.75

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 27.75 लाख का समस्त प्रावधान मुख्यतः दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति के कारण कम कर दिया गया।

03- प्रवाहित काष्ठ तथा समपृहित वनोत्पादन-

गैर योजना

मूल

30.98

16.27

16.27

पुनर्वि0 (-)14.71

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 14.71 लाख की कमी दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति के कारण हुई।

05- शटल और बोबिन निर्माणशाला स्थापना-योजना 22.00 मूल 16.65 16.65 पुनर्वि0 (-)5.35मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 5.35 लाख की कमी मुख्यतः बिलों के भुगतान न होने के कारण हुई। 07- वनों से चीड़ की पतियों का संग्रह एवं निष्कासन पर आधारित उद्योगों में निवेश हेतु उपदान-योजना (i) मूल 10.00 पुनर्वि0 (-)10.00800- अन्य व्यय-08- रमृति वन योजना-योजना (ii) मूल 20.00 पुनर्वि0 (-)20.00उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2020 में ₹ 30.00 लाख का समस्त प्रावधान पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा कोविड-19 के कारण योजना का निष्पादन न होने तथा देय राशि जारी न होने के कारण कम कर दिया गया। 09- विद्यार्थी वन मित्र योजना-योजना मूल 2,00.00 65.32 65.32 पुनर्वि0 (-)1,34.68मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,34.68 लाख की कमी कोविड-19 में देय राशि का भुगतान तथा रखरखाव कार्यों के न होने के कारण हुई। वन समृद्धि जन समृद्धि-10-योजना मूल 1,50.00 93.58 93.58 पुनर्वि0 (-)56.42

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 56.42 लाख की कमी सामग्री की खरीद पर कम व्यय, कोविड-19 में कुछ बिलों के भुगतान न किये जा सकने, प्रशिक्षण कार्यक्रमों के कम आयोजन तथा दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति के कारण हुई।

- 02- पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव-
- 110- वन्य जीव सरंक्षण-
- 01- वन्य प्राणी-

#### गैर योजना

मूल

13,57.70

9,62.71

9,62.71

पुनर्वि0 (-)3,94.99

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3,94.99 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा वेतनमानों में संशोधन न होने के कारण हुई।

#### योजना

मूल

3,35.00

2,31.26

2,31.26

पुनर्वि0 (-)1,03.74

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,03.74 लाख की कमी संगोष्ठियों व शिविरों के आयोजनों पर कम व्यय, दैनिक वेतन भोगियों के नियमितीकरण तथा पैट्रोल, तेल, स्नेहक और वाहनों की मरम्मत पर कम व्यय के कारण हुई।

10- राष्ट्रीय पार्कों और शरण स्थलों

के विकास हेत् सहायता-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजना

मूल

3,04.00

2,73.05

2,73.05

पुनर्वि0

(-)30.95

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 30.95 लाख की कमी दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति, सामग्री की खरीद, संगोष्ठियों व कार्यशालाओं के आयोजन पर कम व्यय के कारण हुई ।

## योजना

मूल

60.50

29.81

29.81

पुनर्वि0

(-)30.69

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 30.69 लाख की कमी केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी कम जारी करने के कारण हुई।

- 111- प्राणी उपवन/चिड़ियाघर-
- 01- हिमालयन प्राणी उपवन व कृषकों का विकास-

गैर योजना

मूल

2,20.90

1,94.93

1,94.93

पुनर्वि0

(-)25.97

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 25.97 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

योजना

मूल

2,10.00

1.28.42

1.28.42

पुनर्वि0

(-)81.58

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 81.58 लाख की कमी दैनिक वेतन भोगियों के नियमितीकरण, पैट्रोल, तेल, स्नेहक, वाहनों की मरम्मत तथा बिजली बिलों पर कम व्यय के कारण हुई।

02- हिमाचल प्रदेश चिड़ियाघर संरक्षण और प्रजनन सोसायटी

के लिए सहायता अनुदान-

योजना

मूल

3,75.00

1,75.00

1,75.00

पुनर्वि0 (-)2,00.00

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,00.00 लाख की कमी आवश्यकताओं की कम प्राप्ति के कारण हुई।

(iii) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-शीर्ष कुल अनुदान वास्तविक आधिक्य (+)

्रव्यय बचत (-)

(₹ लाखों में)

#### 2406- वानिकी तथा वन्य जीवन-

01- वानिकी-

102- सामाजिक और फार्म वानिकी-

39- प्रायोगिक सिल्वीकल्चरल फेलिंग-

योजना

मूल

2,00.00

5,48.98

5,48.98

पुनर्वि0 3,48.98

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3,48.98 लाख का आवर्धन कांटेदार तारों की खरीद व कंक्रीट सीमेंट बाउ पोस्ट पर अधिक व्यय, दैनिक वेतन भोगियों की अधिक नियुक्ति के कारण हुआ जोकि संगोष्ठियों व कार्यशालाओं के आयोजन पर कम व्यय तथा मरम्मत कार्यों के कम निष्पादन के कारण हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ।

41- एक बूटा बेटी के नाम-गैर योजना

पूरक

0.04

29.79

29.79

पुनर्वि0

29.75

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 29.75 लाख का आवर्धन किटों की खरीद व नवजात बालिका के मातापिता के नाम पटिका बनाने में अधिक व्यय करने तथा जन जागरण कार्यक्रमों के अधिक आयोजन करने के कारण हुआ।

## पूंजीगत प्रवर्ग

(iv) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष

कुल अनुदान

वास्तविक

आधिक्य (+)

व्यय

बचत (-)

(₹ लाखों में)

## 4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय-

01- सरकारी आवासीय भवन-

700- अन्य आवास-

10- वानिकी के अन्तर्गत निर्माण-

योजना

मूल

6,50.00

4,44.64

4,44.64

पुनर्वि0 (-)2,05.36

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,05.36 लाख की कमी पूर्णबन्द में ठेकेदारों द्वारा कुछ अपूर्ण कार्यों का भुगतान न किया जा सकने के कारण हुई।

## 4406- वानिकी तथा वन्य प्राणियों पर पूंजीगत परिव्यय-

01- वानिकी-

070- संचार तथा भवन-

01- सडके तथा पुल-

योजना

मूल

1,50.00

1,25.50

1,25.50

पुनर्वि0

(-)24.50

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 24.50 लाख की कमी मुख्यतः कोविड-19 में कार्यों के पूरा न होने तथा पूरा हुए कुछ कार्यों के बिलों का भुगतान न होने के कारण हुई।

## विनियोग लेखे अनुदान संख्या-16 (समाप्त)

02- भवन-योजना

मूल 9,50.00

5,94.64 5,94.64

पुनर्वि0 (-)3,55.36

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3,55.36 लाख की कमी कोविड-19 में कार्यों के पूरा न होने तथा पूरा हुए कुछ कार्यों के बिलों का भुगतान न होने तथा नगर निगम शिमला द्वारा अनुमोदित न होने के कारण हुई।

- 02- पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीवन-
- 110- वन्य जीव-
- 03- वन्य प्राणी-

योजना

मूल 30.00

18.28 18.28

पुनर्वि0 (-)11.72

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 11.72 लाख की कमी मुख्यतः कोविड-19 में कार्यों के पूरा न होने के कारण हुई।

10- राष्ट्रीय पार्कों एवं शरण स्थलों

के विकास के लिए सहायता-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजना

मूल 45.00

11.65

पुनर्वि0 (-)33.35

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 33.35 लाख की कमी भारी बर्फबारी के कारण सड़क प्रंबधन कार्य के संचालित न होने के कारण हुई।

योजना

मूल 4.50

1.15 1.15

पुनर्वि0 (-)3.35

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3.35 लाख की कमी मुख्यतः केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी जारी न करने के कारण हुई।

## विनियोग लेखे अनुदान संख्या - 17-निर्वाचन

(शीर्ष- 2015-निर्वाचन, 2059-लोक निर्माण-कार्य तथा 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएँ और 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिवयय)

राजस्व दत्तमत	प्रवर्ग		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजारों में)	आधिक्य (+) बचत (-)		
	मूल	65,78,16					
			97,73,79	86,69,12	(-)11,04,67		
	पूरक	31,95,63					
	दौरान अभ्यर्पित						
राशि (	31 मार्च 2020	))			2,49,92		
पूंजीगत	न प्रवर्ग						
दत्तमत							
	मूल						
			8,00,00	8,00,00			
	पूरक	8,00,00					
वर्ष के	दौरान अभ्यर्पित	त					
राशि							
टिप्पणियाँ तथा अभ्युक्तियाँ							
(i)	2020 में प्राप		की अनुपूरक अनुद	ख की अंतिम बचत की ान अत्याधिक सिद्ध हुआ	•		

# राजस्व प्रवर्ग

(ii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षौ के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक	आधिक्य (+)
		व्यय	बचत (-)
		(₹ लाखों में)	

## 2015- निर्वाचन-

101- निर्वाचन आयोग-

01- राज्य निर्वाचन आयोग-

गैर योजना

मूल 1,90.85

1,33.10 1,32.74 (-)0.36

पुनर्वि0 (-)57.75

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 57.75 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरन के कारण हुई।

103- मतदाता सूचियों का निर्माण और मुद्रण-

01- विधानसभा-

#### गैर योजना

मूल 5,52.47 पूरक 2,11.08 8,66.73 4,40.79 (-)4,25.94 पुनर्वि0 1,03.18

₹ 4,25.94 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,03.18 लाख का आवर्धन मानदेय के भुगतान, छपाई के कागज की अधिक खरीद, बाह्य स्त्रोतों पर, अन्य प्रभारों, विज्ञापनों और प्रचार पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 4,25.94 लाख की सारभूत अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

105- संसद के चुनाव आयोजन के लिए प्रभार-

01- संसद-

## गैर योजना

मूल 42,17.02 पूरक 27,49.97 66,15.05 61,86.61 (-)4,28.44 पुनर्वि0 (-)3,51.94

₹ 4,28.44 लाख की सारभूत बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3,51.94 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, मानदेय, बाह्य स्त्रोतों के मोटर वाहनों और अन्य प्रभारों की कम अदायगी के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 4,28.44 लाख की सारभूत अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

108- मतदाताओं को फोटोयुक्त पहचान पत्र जारी करना-

01- मतदाताओं को फोटोयुक्त पहचान पत्र जारी करना-

#### गैर योजना

मूल 39.96 पूरक 19.99 50.68 50.68 पुनर्वि0 (-)9.27

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 9.27 लाख की कमी कार्यालय वस्तुओं की खरीद पर कम व्यय के कारण हुई।

(iii) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षौ के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष कुल अनुदान वास्तविक आधिक्य (+) व्यय बचत (-)

(₹ लाखों में)

## 2015- निवार्चन-

102- निर्वाचन अधिकारी-

## विनियोग लेखे अनुदान संख्या-17(समाप्त)

01- मुख्य निर्वाचन अधिकारी तथा उसके कर्मचारी-

## गैर योजना

मूल 15,39.67 पूरक 46.97 16,49.06 16,49.05 (-)0.01 पुनर्वि0 62.42

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 62.42 लाख का आवर्धन अतिरिक्त महंगाई भत्ते के भुगतान और बाह्य स्त्रोतों व कार्यालय वस्तुओं पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोिक चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति, यात्रा भत्ते और कर्मचारियों को कम प्रशिक्षण के कारण हुई बचत से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुआ।

## विनियोग लेखे अनुदान संख्या - 18- उद्योग, खनिज, आपूर्ति एवं सूचना प्रौद्योगिकी

(शीर्ष- 2057-पूर्ति तथा निपटान, 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2216-आवास, 2851- ग्रामीण तथा लघु उद्योग, 2852-उद्योग, 2853-अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग, 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, 4851-ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय तथा 6885- उद्योग तथा खनिज के लिए अन्य ऋण)

	,	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजारों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	2,34,05,75			
		2,34,05,75	1,33,54,12	(-)1,00,51,63
पूरक	••			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				84,70,49
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	46,90,00			
		46,90,00	27,84,09	(-)19,05,91
पूरक				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				19,05,89

## टिप्पणियाँ तथा अभ्युक्तियाँ

(i) राजस्व प्रवर्ग में दत्तमत प्रावधान में ₹ 1,00,51.63 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में ₹ 84,70.49 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

#### राजस्व प्रवर्ग

(ii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक	आधिक्य (+)
		व्यय	बचत (-)
		(₹ लाखों में)	

#### 2216- आवास-

05- सामान्य पूल आवास-

053- रख रखाव और मरम्मत-

01- अन्य रख-रखाव व्यय-

## विनियोजन लेखे नदान संख्या-18 (कमशः)

		अनु	दान संख्या-18 (क्रमश	गः)	
	गैर योजना				
	मूल	3.54			
	पुनर्वि0	(-)3.54		••	
		में ₹ 3.54 लाख का र दिया गया।	समस्त प्रावधान कार्य वे	त्रे निष्पादन न होने के	ठे कारण अभ्यर्पण
2851-	ग्रामीण तथा	लघु उद्योग-			
	लघु उद्योग- लघु उद्योगों <b>योजना</b>	हेतु उपदान-			
	मूल	5.00			
		(-)4.00	1.00	1.00	
	· ·	में अभ्यर्पण द्वारा प्रावध	धान में ₹ 4.00 लाख र्क	ो कमी उपदान के ति	लेए कम मांग की
10- औद्योगिक विकास एवं प्रशिक्षण- <b>गैर योजना</b>					
	मूल	1,00.00			
	~		40.14	40.14	••
	पुनवि0	(-)59.86			
			ावधान में ₹ 59.86 ल 1 व्यय के कारण हुआ।	गाख की कमी प्रशिष्ट	क्षण शिविरों और
13-	जिला उद्योग <b>गैर योजना</b>	ग केन्द्र-			
	मूल	16,56.54			
			14,50.37	14,50.33	(-)0.04
	पुनर्वि0	(-)2,06.17			
	चिकित्सा प्र	तिपूर्ति दावों की कम	ाधान में ₹ 2,06.17 ला प्राप्ति, कार्यालय वस्तु3 जम यात्रा, वाहनों पेट्रोल	भों की खरीद पर क	म व्यय, कार्य के
15-	सॉफ्टवेयर प्र गैर योजना	गौद्योगिकी पार्क की स	थापना-		
	मूल	4.13			
	<del></del>	()4.00	0.11	0.11	
	पुनर्वि0	(-)4.02			

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 4.02 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

## अनुदान संख्या-18 (क्रमशः)

19- सूचना एवं प्रौद्योगिकी और ई-गवर्नेंस-

योजना

मूल

5,95.00

5,53.67

4,09.07

(-)1,44.60

पुनर्वि0

(-)41.33

₹ 1,44.60 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 41.33 लाख की कमी विभिन्न एंजिसयों द्वारा ई-जिला, ई-कार्यालय और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन का अंतिम तिमाही में भुगतान की प्रक्रिया न होने तथा कार्य के निष्पादन न होने के कारण हुई जोकि बाह्य स्त्रोतो पर अधिक व्यय के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 1,44.60 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

## विशेष केंद्रीय सहायता-

#### योजना

मूल

17,20.00

10,51.91

11,97.14

+1,45.24

पुनर्वि0 (-)6,68.09

₹ 1,45.24 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 6,68.09 लाख की कमी मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के कार्यान्वयन में देरी और ई-कार्यालय की हार्डवेयर खरीद को रद्द करने के कारण हुई जोकि अत्यधिक सिद्ध हुई।

₹ 1,45.24 लाख की अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

23- आपदा जोखिम न्यूनीकरण-

## योजना

मूल

1.00

..

पुनर्वि0

(-)1.00

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान अन्य विविध वस्तुओं पर व्यय न होने के कारण कम कर दिया गया।

24- खाद्य प्रसंस्करण हेतु राज्य मिशन-

## गैर योजना

मल

5,00.00

5.00.00

(-)5,00.00

₹ 5,00.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

#### योजना

मूल

3,29.00

2,70.66

(-)2,70.66

पुनर्वि0

(-)58.34

₹ 2,70.66 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 58.34 लाख की कमी लाभार्थियों से मांग की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

## अनुदान संख्या-18 (क्रमशः)

	₹ 2,70.66 2020) I	लाख का समस्त	प्रावधान	अप्रयुक्त	रहा;	जिसके	कारण	प्रतीक्षित	त थे	(अक्तूबर
25-	लघु उद्योगों <b>गैर योजना</b>	को ब्याज अनुदान-								
(i)	मूल	1,00.00								
	पुनर्वि0	(-)1,00.00								••
26-	ऊमायल केन <b>गैर योजना</b>	द्र-								
(ii)	मूल	1,00.00								
	पुनर्वि0	(-)1,00.00		••						••
28-	ग्रामीण इंजी <b>योजना</b>	नियरिंग आधारित उ	उद्योग केन	द्र-						
(iii)	मूल	1.00								
	पुनर्वि0	(-)1.00		••						
103-	हथकरघा उ	द्योग-								
25-	राष्ट्रीय हथक <b>योजना</b>	रघा विकास कार्यद्र	<b>क्रम</b> -							
(iv)	मूल	13.00								
	पुनर्वि0	(-)13.00								
		र मामलों में मार्च माँग के न प्राप्तः						ख का	समस्	त प्रावधान
104-	हस्तशिल्प उ	द्योग-								
05-	हस्तशिल्प क <b>गेर योजना</b>	न सर्वेक्षण-								
	मूल	4.69								
	<del></del> 4°	(),,,,,		3.57			3.55			(-)0.02
	Ü	(-)1.12				_				
	मार्च 2020 कारण हुई।	में अभ्यर्पण द्वारा प्र	ग्रावधान मे	⊺ <b>₹</b> 1.12	लाख	की क	मी रिक्त	ा पदों व	क्रो न	भरने के
107-	रेशम उत्पाद	न उद्योग-								
01-	रेशम उत्पाद	न उद्योग का विका	स-							

## अनुदान संख्या-18 (क्रमशः)



मूल

6,29.12

5,57.42

5,57.39

(-)0.03

पुनर्वि0

(-)71.70

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 71.70 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति और कर्मचारियों द्वारा कम यात्रा व्यय करने के कारण हुई।

## योजना

मूल

1,00.00

79.25

79.22

(-)0.03

पुनर्वि0

(-)20.75

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 20.75 लाख की कमी लाभार्थियों से मांग की प्राप्ति न होने और कार्यालय वस्तुओं की खरीद पर कम व्यय के कारण हुई।

#### 800- अन्य व्यय-

10- मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना-

#### गैर योजना

मूल

1,00,00.00

31,80.75

31,80.77

+0.02

पुनर्वि0 (-)68,19.25

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 68,19.25 लाख की कमी दावों के कम निपटान के कारण हुई।

#### 2852- उद्योग-

80- सामान्य-

102- औद्योगिक उत्पादकता-

01- औद्योगिक क्षेत्रों का विकास एवं संवर्धन योजना-

#### गैर योजना

मूल

65.59

50.97

50.94

(-)0.03

पुनर्वि0

(-)14.62

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 14.62 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने,दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

#### योजना

मूल

1.00

पुनर्वि0

(-)1.00

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान प्रतिपूर्ति के भुगतान न होने के कारण कम कर दिया गया।

## अनुदान संख्या-18 (क्रमशः)

800- अन्य व्यय-

01- उत्पादन तथा कला प्रदर्शनी-

गैर योजना

मूल

11.17

2.87

2.86

(-)0.01

पुनर्वि0

(-)8.30

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 8.30 लाख की कमी, रिक्त पदों को न भरने और कार्यालय वस्तुओं की खरीद पर कम व्यय के कारण हुई।

#### योजना

मूल

1,00.00

59.31

59.31

पुनर्वि0

(-)40.69

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 40.69 लाख की कमी विज्ञापन और प्रचार पर कम व्यय के कारण हुई।

02- निवेश स्कीम को बढावा-

गैर योजना

(i) मूल

14,03.00

14,03.00

6,00.00

(-)8,03.00

योजना

(ii) मूल

97.00

97.00

56.95

(-)40.05

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 8,43.05 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

## 2853- अलौह खनन तथा धातु उद्योग-

02- खानों का विनियमन तथा विकास-

102- खनिज खोज-

01- खनिज अन्वेषण स्टाफ और अन्य कार्य-

#### गैर योजना

मूल

10,63.69

9,05.30

9,05.22

(-)0.08

पुनर्वि0

(-)1,58.39

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,58.39 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

#### योजना

मूल

46.00

25.55

25.54

(-)0.01

पुनर्वि0

(-)20.45

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 20.45 लाख की कमी, मशीनरी, उपकरणों और कार्यालय वस्तुओं की खरीद पर कम व्यय के कारण हुई।

# अनुदान संख्या-18 (क्रमशः)

(iii) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षौ के अंतर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतु					तिसंतुलित हुई:-
	शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
				(₹ लाखों में)	( )
2852-	उद्योग-				
80-	सामान्य-				
	निदेशन तथ	ा प्रशासन-			
01-	निदेशालय- <b>गेर योजना</b>				
	मूल	3,74.62			
			3,54.33	3,87.23	+32.90
	पुनर्वि0	(-)20.29		);	ν.
			क्य की दृष्टि से मार्च 2 पदों को न भरने के कार	~	
	₹ 32.90 ਕ	ाख के अंतिम आधिव	म्य के कारण प्रतीक्षित थे	। (अक्तूबर 2020)।	
पूंजीग	त प्रवर्ग				
(iv)	दत्तमत अनु	दान में बचत मुख्यतः	निम्नवत् शीर्षों के अंतर	र्गत हुई:-	
	शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
				(₹ लाखों में)	()
4059-	लोक निर्माप	ग कार्य पर पूंजीगत	परिव्यय-	,	
60-	अन्य व्यय-				
051-	निर्माण -				
01-	उद्योग-				
	योजना 				
	मूल	45.00	40.00	40.00	
	पुनर्वि0	(-)26.61	18.39	18.39	
	· ·		V		, ,
	माचे 2020 कारण हुई।	में अभ्यपेण द्वारा प्र	ावधान में <b>₹</b> 26.61 लाज	ख की कमी कार्य व	के कम निष्पादन के
4851-	ग्राम तथा ल	मघु उद्योगों पर पूंजी	गत परिव्यय-		
101-	औद्योगिक ध	क्षेत्र-			
02-		औद्योगिक क्षेत्रों का <b>ाजित योजना</b>	निर्माण-		
(i)		15,00.00			
	पुनर्वि0	(-)15,00.00			

# विनियोजन लेखे अनुदान संख्या-18 (समाप्त)

	योजना								
(ii)	मूल	3,75.00							
	<b>C</b> (			••					
	पुनर्वि0	(-)3,75.00							
800-	अन्य व्यय-								
05-	औद्योगिक अ	धोसरंचना उन्नय	न योजना-						
	केन्द्रीय प्रायो	जित योजना-							
	योजना								
(iii)	मूल	1.00							
	पुनर्वि0	(-)1.00							
	योजना								
(iv)	मूल	1.00							
	पुनर्वि0	(-)1.00							
	उपरोक्त चा	र मामलों में मा	र्च 2020 में ₹	18,77.00	लाख व	का समस्त	प्रावधान	कार्य	का
	निष्पादन न ह	होने के कारण अ	भ्यर्पण द्वारा कम	कर दिया ग	गया।				

## विनियोग लेखे अनुदान संख्या - 19- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता

(शीर्ष- 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण, 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 2236-पोषण, 4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय, 4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय तथा 6225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु ऋण)

राजस्व प्र दत्तमत	हेतु ऋण) वर्ग		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजारों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
Į	नूल 1 गूरक	0,47,75,06 1,06,63,61	11,54,38,67	10,55,13,25	(-)99,25,42
	 रान अभ्यपि मार्च 202 प्रवर्ग				86,92,75
	नूल गूरक	19,97,01	19,97,03	5,48,73	(-)14,48,30
	ोरान अभ्यपि मार्च 202				14,48,30

## टिप्पणियाँ तथा अभ्युक्तियाँ

(i) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 99,25.42 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2020 में प्राप्त ₹ 1,06,63.61 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्याधिक सिद्ध हुआ और ₹ 86,92.75 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

#### राजस्व प्रवर्ग

(ii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-शीर्ष कुल अनुदान वास्तविक आधिक्य (+) व्यय बचत (-) (₹ लाखों में)

2059- लोक निर्माण कार्य-

01- कार्यालय भवन-

053- रखरखाव तथा मुरम्मत-

77- महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यालय भवनों का रखरखाव -

योजना

मूल

75.00

18.68

18.68

पुनर्वि0

(-)56.32

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 56.32 लाख की कमी विभागीय भवनों के रखरखाव कार्यों के कम निष्पादन के कारण हुई।

2225- अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण-

01- अनुसूचित जातियों का कल्याण-

001- निदेशन और प्रशासन-

01- निदेशालय-

योजना

मूल

6,85.00

55.56

55.56

पुनर्वि0 (-)6,29.44

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 6,29.44 लाख की सारभूत कमी पैंशन सॉफटवेयर सर्वर विज्ञापन और प्रचार तथा कार्यालय वस्तुओं पर कम व्यय के कारण हुई।

02- जिला कर्मचारी वर्ग-

#### गैर योजना

मूल 11,30.96

पूरक 0.01

10,06.91 10,06.91

पुनर्वि0 (-)1,24.06

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,24.06 लाख की कमी, रिक्त पदों को न भरने, दैनिक वेतन भोगियों के नियमितिकरण के कारण हुई जोकि बाह्य स्त्रोतों पर अधिक व्यय के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई।

02- अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-

283- आवास-

01- आवास-

#### योजना

मूल 1,00.00

1,00.00

68.80

(-)31.20

₹ 31.20 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

03- पिछडे वर्गों का कल्याण-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

01- पिछड़ा श्रेणी आयोग/कमीशन -

## गैर योजना

मूल 1,27.92

पूरक 0.01 78.19 78.19

पुनर्वि0 (-)49.74

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 49.74 लाख की कमी अन्य पिछड़ा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति न होने और रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

102- आर्थिक विकास-

01- अन्य पिछड़े वर्गों का आर्थिक विकास-

#### गैर योजना

मूल

3.16

0.13

0.13

पुनर्वि0

(-)3.03

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3.03 लाख की कमी यात्रा पर कम व्यय के कारण हुई।

02- गुज्जर, लबाणा, गद्दी जातियों के कल्याण हेतु गठित बोर्ड-

## योजना

मूल

20.00

पुनर्वि0 (-)20.00

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 20.00 लाख का समस्त प्रावधान बोर्ड की बैठक न होने के कारण कम कर दिया गया।

80- सामान्य-

190- सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य

उपक्रमों को सहायता-

01- अल्पसंख्यक विकास निगम को

सहायता अनुदान-

## केन्द्रीय प्रायोजित योजना

## योजना

मूल

63.00

पुनर्वि0

(-)63.00

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 63.00 लाख का समस्त प्रावधान प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया ।

800- अन्य व्यय-

01- सिविल सेवाओं कोचिंग हेतु सहायता-

#### गैर योजना

मूल

5.00

0.80

0.80

पुनर्वि0

(-)4.20

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 4.20 लाख की कमी सिविल सेवाओं के लिए अनुशिक्षण के अन्तर्गत मामलों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

## 2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-

02- समाजिक कल्याण-

102- बाल कल्याण-

03- शिशु गृह-

गैर योजना

1,07.41

मूल

66.11

66.11

पुनर्वि0 (-)41.30

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 41.30 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, दैनिक वेतन भोगियों के नियमितिकरण और राज्य स्तरीये बाल दिवस के आयोजन न होने के कारण हुई।

#### योजना

मूल

2,09.00

99.85

99.85

पुनर्वि0 (-)1,09.15

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,09.15 लाख की कमी कुछ लाभार्थियों द्वारा 18 वर्ष की आयु पूरी न करने, रिक्त पदों को न भरने तथा आश्रम में राशन व बिस्तर आदि पर कम व्यय के कारण हुई।

## 05- एकीकृत शिश् कल्याण सेवाएं-

## केन्द्रीय प्रायोजित योजना

#### योजना

मूल

1,68,27.00

पूरक

11,98.63

1,56,35.98

1,56,35.98

पुनर्वि0 (-)23,89.65

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 23,89.65 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, किराए के आवास की मंजूरी, आगंनबाडी कार्यकर्ताओं के लिए विद्यालय किटों की कम खरीद, शिवरों के आयोजन के न होने, प्रशिक्षण के कम आयोजन और कार्यालय वस्तुओं की कम खरीद के कारण हुई। जबिक भारत सरकार से ₹ 2,34,04.05 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।

## योजना

मूल

31,87.00

25, 16.70

25, 16.70

(-)6,70.30

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 6,70.30 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, पूर्व विद्यालय किटों पर व्यय न होना, आगंनबाडी कार्यकर्ता के लिए शिविरों प्रशिक्षण के आयोजन न होने के कारण हुई जबकि आगंनबाडी कार्यकर्ता/सहायकों/मेनी आगंनबाडी कार्यकर्ता के बकाया भूगतान के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

०६- शिशुओं का उत्थान-

योजना

मूल

11.00

पुनर्वि0

(-)11.00

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 11.00 लाख का समस्त प्रावधान क्षेत्रीय कार्यालयों से प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।

11- आगंनबाडी कार्यकर्ता/सहायकों को मानदेय-

#### गैर योजना

मूल

54,60.64

पूरक

6,08.65

59,23.48

59,23.48

पुनर्वि0 (-)1,45.81

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,45.81 लाख की कमी आंगनबाडी कार्यकर्ताओं और सहायकों के रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

13- बेटी है अनमोल-

#### योजना

मूल

9,15.00

8,31.07

6,21.07

(-)2,10.00

पुनर्वि0 (-)83.93

₹ 2,10.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 83.93 लाख की कमी प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 2,10.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

15- एकीकृत शिशु संरक्षण योजना के अन्तर्गत शहरी तथा अर्ध शहरी क्षेत्रों में आवास एवं गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा संचालित शिशु घर-

## केन्द्रीय प्रायोजित योजना

#### योजना

मूल

9,28.00

8,81.01

8,81.01

पुनर्वि0

(-)46.99

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 46.99 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, कम प्रवेश और बाह्य स्त्रोतों पर कम व्यय के कारण हुई।

#### योजना

मूल

1,03.00

76.76

76.76

पुनर्वि0 (-)26.24

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 26.24 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने कम प्रवेश और बाह्य स्त्रोतों पर कम व्यय के कारण हुई।

राज्य बाल संरक्षण आयोग-18-गैर योजना 34.80 (-)34.80मूल 34.80 ₹ 34.80 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)। 20- बेटी बचाओ बेटी पढाओ-केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना मूल 1.00 पुनर्वि0 (-)1.00मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार द्वारा सीधे योजना के वित पोषण के कारण कम कर दिया गया। राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशुसदन योजना-21-केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना (i) मूल 1,70.00 14.19 14.19 पुनर्वि0 (-)1,55.81योजना (ii) मूल 10.00 3.47 3.47 पुनर्वि0 (-)6.53उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2020 में अभ्यपर्ण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,62.34 लाख की कमी शिशुसदनों को बन्द करने और निधियों के पर्याप्त मात्रा में बची हुई राशि की उपलब्धता के कारण हुई। महिला कल्याण-103-स्टेट होम्स-01-गैर योजना मूल 37.33 25.68 25.68 पुनर्वि0 (-)11.65

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 11.65 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, राशन, बिस्तर, बिजली और पानी के प्रभारों पर कम व्यय के कारण हुई।

	<b>योजना</b> मूल	60.00		
			24.38	24.38
	पुनर्वि0	(-)35.62		
		•		2 लाख की कमी राशन व बिस्तरों मा दिवस के उत्सव को न मनाने
07-	राजीव गांधी यें किशोरियों के प केन्द्रीय प्रायोजि योजना			
(i)	मूल	1.00		
	पुनर्वि0	(-)1.00		
	योजना			
(ii)	मूल	1.00		
	पुनर्वि0	(-)1.00		
	छोड़कर जाने		ले वर्ष के पर्याप्त बन	ाख के समस्त प्रावधान को स्कूल वी हुई राशि की उपलब्धता को
11-	बलात्कार पीड़ि <b>योजना</b>	ताओं को सहायता सेवाएँ-		
	मूल	20.00		
	पुनर्वि0	(-)20.00		
		पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 20.0 कर दिया गया।	00 लाख के समस्त !	प्रावधान को योजना को बंद करने
12-		नैतिक संकट से बचाव के 1 तर हेतु योजना-	लिए	
	मूल पूरक पुनर्वि0	1,10.00 0.01 (-)84.17	25.84	25.84

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 84.17 लाख की कमी प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण हुई।

होने के कारण हुई। 13- महिलाओं के लिए राज्य संसाधन केन्द्र-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजना

मूल

1,08.00

60.00

60.00

पुनर्वि0

(-)48.00

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 48.00 लाख की कमी पिछले वर्ष की अव्ययित निधि की उपलब्धता के कारण हुई।

15- मदर टेरेसा मातृ आश्रय संबल योजना-

गैर योजना

(i) मूल

1,02.65

69.77

69.77

पुनर्वि0 (-)32.88

18- विधवा पुनर्विवाह योजना-

योजना

(ii) मूल

60.00

46.50

46.50

पुनर्वि0 (-)13.50

उपरोक्त दो मामलों में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 46.38 लाख की कमी प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

19- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजना

मूल

6,73.00

1,64.91

1,64.91

पुनर्वि0 (-)5,08.09

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 5,08.09 लाख की कमी विभाग के एस्क्रो खाते में भारत सरकार से निधि की कम प्राप्ति के कारण हुई।

20- सशक्त महिला योजना-

योजना

मूल

3,01.00

2,37.34

2,37.34

पुनर्वि0

(-)63.66

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 63.66 लाख की कमी पंचायत में ब्लॉक और जिला स्तर के जागरूकता शिवरों के कम आयोजन के कारण हुई।

21- महिला शक्ति केन्द्र-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना

(i) मूल 5.00

...

पुनर्वि0 (-) 5.00

योजना

(ii) मूल 50.00

पुनर्वि0 (-)50.00

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 55.00 लाख का समस्त प्रावधान पिछले वर्ष की अव्ययित निधि की उपलब्धता के कारण कम कर दिया गया। जबकि भारत सरकार से ₹ 1,70.26 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।

22- पोषण अभियान-

## केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजना

(i) मूल 9,15.00 पूरक 12,53.48 10,62.34 10,62.34 पुनर्वि0 (-)11,06.14

योजना

(ii) मूल 80.00 पूरक 5,64.82 1,97.40 1,97.40 . पुनर्वि0 (-)4,47.42

उपरोक्त दो मामलों में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 15,53.56 लाख की कमी पूर्णबंद के कारण सम्बन्धित आपूर्तिकर्ताओं से मोबाइल फोन और अन्य आपूर्ति की प्राप्ति न होने के कारण हुई। जबकि भारत सरकार से ₹ 1,70.26 लाख का अनुदान क्रमांक संख्या (i) पर प्राप्त हुआ।

107- स्वैच्छिक संगठनों को सहायता-

03- हिमाचल प्रदेश राज्य विधि सेवा प्राधिकरण को सहायता-

योजना

मूल 2.00

पुनर्वि0 (-) 2.00

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2.00 लाख का समस्त प्रावधान कोविड-19 के कारण व्यय न होने के कारण कम कर दिया गया।

04- परिवार सहायता-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजना

मूल

4,00.00

3,27.80

3,27.80

पुनर्वि0

(-)72.20

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 72.20 लाख की कमी प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

09- वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजना

पूरक

75.00

पुनर्वि0 (-)75.00

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 75.00 लाख का समस्त प्रावधान कार्य योजना प्रस्तुत न करने के कारण कम कर दिया गया।

- 60- अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-
- 102- सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अधीन पैंशन-
- 01- सामाजिक सुरक्षा योजना के अन्तर्गत वृद्धावस्था पैंशन-केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजना

(i) मूल 34,31.00

34,07.78

पुनर्वि0 (-)23.22

गैर योजना

(ii) मूल 3,24,78.52

पूरक 45,32.50

3,69,88.73

3,69,88.73

34,07.78

पुनर्वि0 (-)22.29

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 45.51 लाख की कमी सामाजिक अँकेक्षण विभाग से लेखा परीक्षा बिल की प्राप्ति न होने के कारण हुई।

06- सामाजिक सुरक्षा योजना के अन्तर्गत

ट्रांसजेंडर्स को पैंशन-

	_	
गैर	या	जना

मूल

20.57

0.18

0.18

पुनर्वि0

(-)20.39

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 20.39 लाख की कमी प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

104- निक्षेप सहबद्घ बीमा योजना-

सरकारी भविष्य निधि-

01- निक्षेप सम्बद्ध बीमा योजना के अन्तर्गत देय राशि-गैर योजना

(i) मूल

2,20.00

1,43.24

1,44.11

+0.87

पुनर्वि0 (-)76.76

200- अन्य कार्यक्रम-

12- सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को अनुग्रहित भुगतान-

गैर योजना

(ii) मूल

6,00.00

4,24.12

4,22.76

(-)1.36

पुनर्वि0 (-)1,75.88

15- बेकसूर मोटर दुर्घटना की प्रतिपूर्ति अदायगी-

गैर योजना

(iii) मूल

1,00.00

50.47

50.47

पुनर्वि0 (-)49.53

उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3,02.17 लाख की कमी प्रत्याशित मामलों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

24- सफाई कर्मचारियों तथा जल उपचार संयंत्रों के कर्मचारियों को जीवन बीमा सुरक्षा-


गैर योजना

मूल

10.00

पुनर्वि0 (-)10.00

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 10.00 लाख के समस्त प्रावधान मामलों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।



₹ 7,63.71 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 11,92.59 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 7,63.71 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

## योजना

मूल

5,37.00

3,93.94

3,09.08

(-)84.86

पुनर्वि0 (-)1,43.06

₹ 84.86 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,43.06 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा जारी की गई निधि के अनुपात में अनुपातिक व्यय के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 84.86 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

(iii) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई :-

शीर्ष

कुल अनुदान

वास्तविक

आधिक्य (+)

व्यय

बचत (-)

(₹ लाखों में)

## 2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-

01- पुनर्वास-

202- अन्य पुनर्वास योजनाएं-

05- शराबबंदी और नशीली दवाओं के दुरूपयोग पर रोक की नीति-

## केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजना

पूरक

0.01

45.03

45.03

पुनर्वि0

45.02

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 45.02 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

#### योजना

पूरक

0.01

87.94

87.94

पुनर्वि0

87.93

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 87.93 लाख का आवर्धन राज्य में नशीली दवाओं के दुरूपयोग और शराब की रोकथाम पर विशेष अभियान के आयोजन और स्थापना पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

02- समाज कल्याण-

101- विकलांगों का कल्याण-

03- विकलांगों का उत्थान-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजना

मूल 48.00

पूरक 0.01 2,11.29 2,11.29

पुनर्वि0 1,63.28

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,63.28 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

## योजना

मूल 4,00.00

4,19.55 4,19.55

पुनर्वि0 19.55

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 19.55 लाख का आवर्धन पाँच कर्मचारियों के बकाया भुगतान के कारणा हुआ जोकि प्रस्तावों की कम प्राप्ति और रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई बचत से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुआ।

102- बाल कल्याण-

22- बलात्कार, बाल उत्पीडन और वस्तुस्थिति पृष्ठभूमि के मामूली पीडितों को पुनर्वास सहायता-

योजना

पूरक 0.01

9.44 9.44

पुनर्वि0 9.43

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 9.43 लाख का आवर्धन नई योजना के अन्तर्गत मामलों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

103- महिला कल्याण-

05- राज्य महिला आयोग-

#### गैर योजना

मूल 81.42

1,05.10 1,05.10

पुनर्वि0 23.68

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 23.68 लाख का आवर्धन अंतरिम राहत, मंहगाई भत्ते की दरों और विधि अधिकारी की नियुक्ति में वृद्धि होने के कारण हुआ।

15- मदर टेरेसा मातृ आश्रय संबल योजना-

योजना

(i) मूल 7,00.00

8,37.61 8,37.61

पुनर्वि0 1,37.61

17- मुख्यमंत्री कन्यादान योजना-

योजना

(ii) मूल 4,75.00

5,54.30 5,54.30

पुनर्वि0 79.30

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,16.91 लाख का आवर्धन लम्बित आवेदनों/प्रस्तावों की मंजूरी के निपटान के कारण हुआ।

19- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना-

योजना

मूल 74.00

1,30.61 1,04.49

(-)26.12

पुनर्वि0 56.61

₹ 26.12 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 56.61 लाख का आर्वधन भारत सरकार द्वारा जारी की गई निधि के अनुपात में व्यय के कारण हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ।

₹ 26.12 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

23- सक्षम गुडिया बोर्ड-

गैर योजना

पूरक 0.01

8.00

पुनर्वि0 7.99

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 7.99 लाख का आवर्धन मानदेय और कर्मचारियों के वेतन के भुगतान के कारण हुआ।

107- स्वैच्छिक संगठनों को सहायता-

02- अन्य स्वैच्छिक संगठन-

योजना

मूल 5,02.00

8,36.39 7,55.90 (-)80.49

पुनर्वि0 3,34.39

₹ 80.49 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3,34.39 लाख का आर्वधन राज्य समाज कल्याण बोर्ड के कर्मचारियों के बकाये की लम्बित देनदारियों के भुगतान के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।

₹ 80.49 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

60-	अन्य सामा	जिक सुरक्षा तथा कल	याण कार्यकम-	·	
800-	अन्य व्यय-	•			
03-	सिंचाई औ	र लोक निर्माण विभाग	के पेंशनर्स-		
	गैर योजना	Ī			
(i)	मूल	2,72.20			
	पूरक	72.40	5,62.65	5,62.61	(-)0.04
	पुनर्वि0	2,18.05			
04-	अर्थशास्त्र <b>गैर योजना</b>	और सांख्यिकी विभाग I	के पैंशनर्स-		
(ii)	मूल	15.55			
			24.52	24.52	
	पुनर्वि0	8.97			
05-	कोष तथा <b>गैर योजना</b>	लेखा विभाग के पैंशन I	र्स-		
(iii)	मूल	38.87			
	पूरक	9.00	78.03	77.97	(-)0.06
	पुनर्वि0	30.16			
07-	मत्स्य विभ <b>गैर योजना</b>	ाग के पैंशनर- I			
(iv)	मूल	7.77			
	पूरक	2.00	22.50	22.50	
	पुनर्वि0	12.73			
09-	सामाजिक <b>गैर योजना</b>	न्याय एवं अधिकारिता I	विभाग के पैंशनर-		
(v)	मूल	13.22			
			16.67	16.63	(-)0.04
	पुनर्वि0	3.45			
10-	नगर एवं ग्र <b>गैर योजना</b>	ग्राम योजना विभाग के I	पैंशनर-		
(vi)	मूल	5.44			
	पूरक	2.22	12.64	12.64	
	पुनर्वि0	4.98			
11-	तकनीकी वि गैर योजना	शिक्षा विभाग के पैंशन ।	र्स–		
(vii)	मूल	34.22			
. /	पूरक	9.16	72.66	72.66	••
	पुनर्वि0	29.28			

		3	•	,			
12-	कृषि विभाग के गैर योजना	पैशनर्स-					
(viii)	मूल	93.32					
	पूरक	39.15	2,32.32	2,32.32			
	पुनर्वि0	99.85					
13-	मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग के पैंशनर्स- <b>गेर योजना</b>						
(ix)	मूल	10.88					
	पूरक	4.00	30.88	30.86	(-)0.02		
	पुनर्वि0	16.00					
14-	उद्यान विभाग के पैंशनर्स- <b>गेर योजना</b>						
(x)	मूल	28.00					
,	पूरक	25.00	1,51.55	1,51.40	(-)0.15		
	पुनर्वि0	98.55					
15-	पशुपालन विभाग के पैंशनर्स- <b>गेर योजना</b>						
(xi)	मूल	93.32					
	पूरक	20.00	1,79.88	1,79.88			
	पुनर्वि0	66.56					
16-	उद्योग विभाग के पैंशनर्स- <b>गेर योजना</b>						
(xii)	मूल	24.88					
	पूरक	15.00	1,10.30	1,10.15	(-)0.15		
	पुनर्वि0	70.42					
17-	खाद्य और आपूर्ति विभाग के पैंशनर्स- <b>गेर योजना</b>						
(xiii)	मूल	28.00					
	पूरक	5.22	61.16	61.16			
	पुनर्वि0	27.94					
18-	परिवहन विभाग के पैंशनर्स- <b>गेर योजना</b>						
(xiv)	मूल	54.43					
,	पूरक	7.00	78.94	78.94			
	पुनर्वि0	17.51					
20-	जेल विभाग के पैंशनर्स-						

# विनियोग लेखे

अनुदान संख्या - 19-(क्रमशः)								
	गैर योजना	_						
(xv)	मूल	9.34						
	पूरक	1.50	20.34	20.34				
	पुनर्वि0	9.50						
21-	गृह रक्षा विभाग के पैंशनर्स-							
<i>(</i> • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	गैर योजना							
(xvi)	मूल	12.44	22.42	22.42				
	पूरक	1.50	20.40	20.40				
	पुनर्वि0	6.46	N N 6					
22-	सैनिक कल्याण विभाग हमीरपुर के पैंशनर्स- <b>गेर योजना</b>							
(xvii)	मूल	0.78						
	पूरक	1.50	6.78	6.78				
	पुनर्वि0	4.50						
23-	लोक संपर्क विभाग के पैंशनर्स- <b>गैर योजना</b>							
(xviii)		23.33						
(1111)	पूरक	5.00	49.10	49.10				
	पुनर्वि0	20.77						
24-	हिमाचल लोक प्रशासन संस्थान के पैंशनर्स- गैर योजना							
(xix)	मूल	1.55						
( )	पूरक	0.50	6.05	6.05				
	पुनर्वि0	4.00						
26-	ग्रामीण विकास विभाग के पैंशनर्स-							
	गैर योजना							
(xx)	٠,	69.99						
	पूरक	12.00	1,13.24	1,13.22	(-)0.02			
	पुनर्वि0	31.25						
27-	सचिवालय प्रशासन विभाग के पैंशनर्स- गैर योजना							
(xxi)	मूल	1,55.54						
	पूरक	14.72	2,75.52	2,74.49	(-)1.03			
	पुनर्वि0	1,05.26						
28-	हिमाचल प्रवे	क्ष आवासीय आयुक्त	नई दिल्ली के पैंशनर-					

# विनियोग लेखे

			विभिन्न संद				
		9	रान संख्या - 19-(क्र	मशः)			
	गैर योजना						
(xxii)	मूल	2.33					
	पुनर्वि0	0.00	11.33	11.33			
00	•	9.00 ज विभाग के पैंशनर्स					
29-	गैर योजना		_				
(xxiii)	मूल	31.10					
	पूरक	1.50	43.04	43.04			
	पुनर्वि0	10.44					
30-	भाषा कला और संस्कृति विभाग के पैंशनर्स- <b>गैर योजना</b>						
(xxiv)	मूल	2.48					
	पूरक	3.50	16.98	16.98			
	पुनर्वि0	11.00					
31-	पुलिस विभाग के पैंशनर्स- <b>गैर योजना</b>						
(xxv)	मूल	2,33.32					
	पूरक	65.00	6,05.58	6,05.58			
	•	3,07.26					
33-	माध्यमिक न गैर योजना	उच्चतर शिक्षा विभाग	के पैंशनर्स-				
(xxvi)	मूल	5,83.31					
		1,40.00	11,44.07	11,44.05	(-)0.02		
	पुनर्वि0	4,20.76					
34-	आयुर्वेदा वि गैर योजना	भाग के पैंशनर्स- '					
(xxvii)	मूल	31.10					
	पूरक		1,45.56	1,45.56			
	पुनर्वि0						
35-	स्वास्थ्य वि गैर योजना						
(xxviii)	मूल	2,73.24					
	पूरक		5,88.13	5,88.30	+0.17		
	पुनर्वि0	2,65.89					
36-	निर्वाचन विभाग के पैंशनर्स- <b>गैर योजना</b>						
(xxix)	मूल	5.13					
	पूरक	2.00	15.07	15.07			
	पुनर्वि0	7.94					

		जा <b>ुदा</b>	1 (104) 15 (37)	<b>\(\)</b>	
37-	राज्यपाल सी <b>गेर योजना</b>	चेवालय के पैंशनर्स-			
(xxx)	मूल	5.44			
, ,	C)		8.44	8.44	
	पुनर्वि0	3.00			
38-	उच्च न्यायाल गैर योजना	ाय एवं अधीनस्थ न्यार	गलयों के पैंशनर्स-		
. • >					
(xxxi)		69.99			
	C1	13.00	1,29.95	1,29.95	
	पुनर्वि0	46.96			
39-	लोक सेवा अ गेर योजना	गयोग के पैंशनर्स-			
(xxxii)	मूल	6.21			
	पूरक	3.50	23.21	23.21	
	पुनर्वि0				
40-	भू अभिलेख <b>गैर योजना</b>	विभाग के पैंशनर्स-			
(xxxiii)	मूल	55.21			
	पूरक	7.93	83.25	83.24	(-)0.01
	पुनर्वि0				( )
42-	श्रम एवं रोज <b>गेर योजना</b>	गार विभाग के पैंशनर	<del>-</del>		
(xxxiv)	मूल	20.21			
,	पूरक	1.50	29.19	29.19	
	पुनर्वि0	7.48			
43-	रथानीय लेख गैर योजना	ा परीक्षा विभाग के पैं	शनर्स-		
(xxxv)	मूल	1.55			
	पूरक	1.50	12.05	12.05	
	पुनर्वि0	9.00			
44-	भू एकत्रीकरा गेर योजना	ण के पैंशनर्स-			
(xxxvi)	मूल	10.88			
	CI		17.81	17.81	
	पुनर्वि0	6.93			
47-	अग्निशमन र	ोवा विभाग के पैंशनर	<del>1</del> -		

गैर	याजना
• •	-11 -1 11

	गेर योजना				
(xxxvii)	मूल	4.65			
	पूरक		37.60	37.60	
	पुनर्वि0	27.75			
49-	आबकारी और क	राधान विभाग के पैंशनर्स-	-		
	गैर योजना				
(xxxviii)	मूल	31.10			
	पूरक	10.00	69.67	69.67	
	पुनर्वि0	28.57			
50-	सहकारिता विभाग <b>गैर योजना</b>	के पैंशनर्स-			
(xxxix)	मूल	54.43			
	पूरक	7.00	87.39	87.39	
	पुनर्वि0	25.96			
	चिकित्सा शिक्षा व गैर योजना	ते पैंशनर्स-			
(xL)	मूल	48.21			
	पूरक	12.74	99.55	99.50	(-)0.05
	पुनर्वि0	38.60			
53-	आतिथ्य सत्कार र <b>गैर योजना</b>	संगठन के पैंशनर्स-			
(xLi)	मूल	2.32			
			6.82	6.82	
	3	4.50			
60-	महाधिवक्ता के पैं गैर योजना	शनर्स-			
(xLii)	मूल	1.55			
	पूरक	0.50	5.04	5.04	
	पुनर्वि0	2.99			
62-	खेल एवं युवा सेव गैर योजना	गओं के पैंशनर्स-			
(xLiii)	मूल	1.25			
	पूरक	1.00	6.21	6.21	
	पुनर्वि0	3.96			
63-	जनजातीय विकार गैर योजना	प के पैंशनर्स-			
(xLiv)	मूल	0.31			
			2.61	2.61	
	पुनर्वि0	2.30			

	·		<u> </u>	(** *** )	
65-	बदाबस्त आध् गैर योजना	प्रेकारी शिमला के	पशनस-		
(xLv)	मूल	7.78			
	पूरक	4.59	24.37	24.37	
	पुनर्वि0	12.00			
66-	लघु बचत सं गैर योजना	ांगठन के पैंशनर्स	_		
(xLvi)	मूल	0.78			
,	पूरक		6.34	6.34	
	पुनर्वि0				
67-	योजना विभा गैर योजना	ग के पैंशनर्स-			
(xLvii)	मूल	1.55			
,	पूरक	4.00	13.33	13.33	
	पुनर्वि0				
69-	सतर्कता एवं <b>गैर योजना</b>	भष्टाचार निरोधी	ब्यूरों के पैंशनर्स-		
(xLviii)	मूल	18.66			
	पूरक	4.00	39.66	39.66	
	पुनर्वि0	17.00			
70-	राज्य निर्वाच <b>गेर योजना</b>	न आयोग के पैंश	ानर्स-		
(xLix)	मूल	0.48			
	पूरक	0.50	2.15	2.15	
	पुनर्वि0	1.17			
71-	वन विभाग व गैर योजना	के पैंशनर्स-			
(L)	मूल	2,33.32			
, ,	पूरक	48.00	4,13.46	4,13.46	
	पुनर्वि0	1,32.14			
73-	प्रारंभिक शिक्ष <b>गेर योजना</b>	त्रा विभाग के पैंश	नर्स-		
(Li)	मूल	5,13.29			
` '	पूरक		14,50.72	14,50.65	(-)0.07
	पुनर्वि0				,
78-	लोक निर्माण	विभाग के पैंशन	ार्स-		

	3	ानुदान संख्या - 19-(क्रमश	:)		
गैर योजना					
मूल	2,79.98				
पूरक	1,34.44	8,67.87	8,67.87		
पुनर्वि0	4,53.45				
न्यायिक अकाद <b>गेर योजना</b>	मी के पैंशनर	<del>-</del>			
मूल	0.78				
पूरक	0.45	2.23	2.23		
पुनर्वि0	1.00				
राजस्व विभाग- <b>गेर योजना</b>					
मूल	99.24				
पूरक	30.00	1,74.75	1,74.75		
पुनर्वि0	45.51				
महिला एवं बात <b>गैर योजना</b>	न विकास विश	नाग के पैंशनर्स-			
मूल	7.78				
पूरक	5.00	31.00	31.00		
पुनर्वि0	18.22				
विज्ञान, तकनीर्क <b>गेर योजना</b>	ो और पर्याव	रण विभाग के पैंशनर्स-			
मूल	0.45				
		1.56	1.56		
पुनर्वि0	1.11				
	मूल पूरक पुनर्वि0 न्यायिक अकाव गैर योजना मूल पूरक पुनर्वि0 राजस्व विभाग- गैर योजना मूल पूरक पुनर्वि0 महिला एवं बाल गैर योजना मूल पूरक पुनर्वि0 विज्ञान, तकनीक गैर योजना	गैर योजना मूल 2,79.98 पूरक 1,34.44 पुनर्वि0 4,53.45 न्यायिक अकादमी के पैंशनर गैर योजना मूल 0.78 पूरक 0.45 पुनर्वि0 1.00 राजस्व विभाग- गैर योजना मूल 99.24 पूरक 30.00 पुनर्वि0 45.51 महिला एवं बाल विकास विभाग- गैर योजना मूल 7.78 पूरक 5.00 पुनर्वि0 18.22 विज्ञान,तकनीकी और पर्यावर गैर योजना मूल 0.45	गैर योजना मूल 2,79.98 पूरक 1,34.44 8,67.87 पुनर्वि0 4,53.45 न्यायिक अकादमी के पैंशनर्स- गैर योजना मूल 0.78 पूरक 0.45 2.23 पुनर्वि0 1.00 राजस्व विभाग- गैर योजना मूल 99.24 पूरक 30.00 1,74.75 पुनर्वि0 45.51 महिला एवं बाल विकास विभाग के पैंशनर्स- गैर योजना मूल 7.78 पूरक 5.00 31.00 पुनर्वि0 18.22 विज्ञान,तकनीकी और पर्यावरण विभाग के पैंशनर्स- गैर योजना मूल 0.45	मूल 2,79.98 पूरक 1,34.44 8,67.87 8,67.87 पुनर्वि0 4,53.45 न्यायिक अकादमी के पैंशनर्स- गैर योजना मूल 0.78 पूरक 0.45 2.23 2.23 पुनर्वि0 1.00 राजस्व विभाग- गैर योजना मूल 99.24 पूरक 30.00 1,74.75 पुनर्वि0 45.51 महिला एवं बाल विकास विभाग के पैंशनर्स- गैर योजना मूल 7.78 पूरक 5.00 31.00 पुनर्वि0 18.22 विज्ञान,तकनीकी और पर्यावरण विभाग के पैंशनर्स- गैर योजना मूल 0.45	गैर योजना मूल 2,79.98 पूरक 1,34.44 8,67.87 8,67.87 पुनर्वि0 4,53.45 न्यायिक अकादमी के पैंशनर्स- गैर योजना मूल 0.78 पूरक 0.45 2.23 2.23 पुनर्वि0 1.00 राजस्व विभाग- गैर योजना मूल 99.24 पूरक 30.00 1,74.75 1,74.75 पुनर्वि0 45.51 महिला एवं बाल विकास विभाग के पैंशनर्स- गैर योजना मूल 7.78 पूरक 5.00 31.00 31.00 पुनर्वि0 18.22 विज्ञान, तकनीकी और पर्यावरण विभाग के पैंशनर्स- गैर योजना मूल 0.45

92- हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक प्राधिकरण के पैंशनर्स-

गैर योजना

(Lvii) मूल 1.34

2.59 2.59

पुनर्वि0 1.25

उपरोक्त सतावन मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 36,12.17 लाख का आर्वधन चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की अधिक प्राप्ति के कारण् हुआ।

### पूंजीगत प्रवर्ग

(iv) दतमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई :-शीर्ष कुल अनुदान वास्तविक आधिक्य (+) व्यय बचत (-) ( ₹ लाखों में)

4225- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-

190-	सार्वजनिक	<i>का कल्याण-</i> क्षेत्र एवं अन्य उपद्र वित्त विकास निगम						
	मूल	8,52.00						
	पुनर्वि0	(-)8,52.00						
		में अभ्यपर्ण द्वारा ने के कारण कम व			लाख का	समस्त प्रावध	धान प्रस्तावों व	क्री
800-	सामान्य- अन्य व्यय- भवनों का ि <b>योजना</b>	नेर्माण-						
	मूल	3,00.00						
	•	(-)1,57.64 में अभ्यपर्ण द्वारा प्र	ग्रावधान में	1,42.36 ₹ 1,57.64 ₹	1,42 लाख की कर्म		 कम निष्पादन	के
03-	के छात्रावार	ते के छात्र/छात्राओं 1 का निर्माण- <b>ोजित योजना</b>						
(i)	मूल	2,94.00						
	पुनर्वि0	(-)2,94.00						
	योजना							
(ii)	मूल	1,00.00						
						••		
	पुनर्वि0	(-)1,00.00						
02-	पर पूंजीगत समाजिक व	ज्याण-	Т					
	बाल कल्याप							
03-	विशेष बच्चो <b>गैर योजना</b>	के लिए आवासीय	। संस्थान-					
(iii)	मूल	1.00						
	पुनर्वि0	(-)1.00						

## विनियोग लेखे अनुदान संख्या - 19-(समाप्त)

उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2020 में अभ्यपर्ण द्वारा ₹ 3,95.00 लाख का समस्त प्रावधान प्रास्तावों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।

800- अन्य व्यय-

01- भवनों का निर्माण-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजना

मूल 51.00

पूरक 0.01 पुनर्वि0 (-)31.56 19.45

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 31.56 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा कम अनुमोदन के कारण हुई।

19.45

6225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु ऋण-

01- अनुसूचित जातियों का कल्याण-

190- सार्वजनिक क्षेत्रों तथा अन्य उपक्रमों को ऋण-

01- एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के परिवारों के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए ब्याज मुक्त ऋण-योजना

मूल 1.00

पुनर्वि0 (-)1.00

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।

## विनियोग लेखे अनुदान संख्या - 20 - ग्रामीण विकास

(शीर्ष 2216-आवास, 2230- श्रम तथा रोजगार, 2501- ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम, 2505- ग्रामीण रोजगार, 2515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, 4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय तथा 4515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय)

		कुल अनुदान/ विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ हजारों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग			,	
दत्तमत				
मूल	14,63,62,84			
		14,63,62,87	11, 12, 45, 78	(-)3,51,17,09
पूरक	3			
वर्ष के दौरान अ				
राशि (31 मार्च 2	2020)			3,10,09,41
प्रभारित				
मूल				
		5,65	5,65	
पूरक	5,65			
वर्ष के दौरान अ	भ्यर्पिते			
राशि				
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	20,03,00			
		20,03,01	13,99,00	(-)6,04,01
पूरक	1			
वर्ष के दौरान अ	भ्यर्पित			
राशि				1
		0 0 "	C 4	

# टिप्पणियाँ तथा अभ्युक्तियाँ

- (i) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 3,51,17.09 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 3,10,09.41 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ।
- (ii) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 6,04.01 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 0.01 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक सिद्ध हुआ।

### राजस्व प्रवर्ग

(iii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षां के अन्तर्गत हुई:-शीर्ष कुल अनुदान वास्तविक आधिक्य (+) व्यय बचत (-) (₹ लाखों में)

#### 2216- आवास-

03- ग्रामीण आवास-

102- भूमिहीनों के लिए आवास स्थल की व्यवस्था-

04- मुख्यमंत्री आवास योजना-

योजना

मूल

8,22.00

10,71.00

10.50

(-)10,60.50

पुनर्वि0 2,49.00

₹ 10,60.50 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,49.00 लाख का आवर्धन मुख्यमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत मामलों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 10,60.50 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

05- गरीबी रेखा से निचे सामान्य श्रेणी के लिए

मुख्यमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत मुरम्मत योजना-

योजना

मूल

4,78.00

1,13.93

(-)1,13.93

पुनर्वि0 (-)3,64.07

₹ 1,13.93 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3,64.07 लाख की कमी संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 1,13.93 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

07- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजना

(i) मूल

24,28.00

(-)24,28.00

पुनर्वि0 **योजना** 

(ii) मूल

2.70.00

पुनर्वि0 (-)2,70.00

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 26,98.00 लाख के समस्त प्रावधान को मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा भारत सरकार से केन्द्रीय हिस्सेदारी प्राप्त न होने के कारण कम कर दिया गया तथा राज्य की हिस्सेदारी भी अप्रयुक्त रही।

### 2230- श्रम तथा रोजगार-

- 03- प्रशिक्षण-
- 003- दस्तकारों तथा पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण-

1,11.73

01- हिमाचल प्रदेश के सिलाई केन्द्र-

#### गैर योजना

मूल

49.52

61.96

+12.44

पुनर्वि0 (-)62.21

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 62.21 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा वेतनमानों में संशोधन न करने के कारण हुई।

### 2501- ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-

- 06- स्वरोजगार योजना-
- 101- स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना-
- 03- जिला ग्रामीण विकास अभिकरण-

### केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजना

5,19.00

5,19.00

3,22.62

(-)1,96.38

गैर योजना

(ii) मूल

(i) मूल

7,00.00

(-)3.40

6,96.60

6,64.16

(-)32.44

पुनर्वि0

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 2,28.82 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजाविका मिशन योजना-

### केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजना

मूल

17,77.00

7,27.40

4,76.61

(-)2,50.79

पुनर्वि0 (-)10,49.60

₹ 2,50.79 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 10,49.60 लाख की कमी भारत सरकार से निधियां प्राप्त न होने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई। जबिक भारत सरकार से ₹ 26,23.55 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।

₹ 2,50.79 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

			3		,		
	योजना						
(i)	मूल	1,97.00					
	पुनर्वि0	(-)1,97.00		••		••	••
07-	-	। उपाध्याय ग्रामीण					
0.	कौशल यो						
		योजित योजना					
	योजना						
(ii)	मूल	28,97.00					
	पुनर्वि0	(-)28,97.00					••
	<sup>ु</sup> योजना	,					
(iii)	मूल	3,21.00					
		(-)3,21.00					
-80		ाद मुखर्जी स्त्र्वर्न मि । <b>योजित योजना</b>	शन-				
	योजना	anom arom					
(iv)	मूल	29,32.00					
	— <u>a</u> -	()					
	-	(-)29,32.00					
()	योजना	0.05.00					
(v)	मूल	3,25.00					
	पुनर्वि0	(-)3,25.00		••			••
800-	अन्य व्यय-	_					
06-		कृषि सिंचाई योजन	T-				
		योजित योजना					
(vi)	योजना मञ	14 80 00					
(vi)	मूल	14,80.00					
	पुनर्वि0	(-)14,80.00					
	योजना						
(vii)	मूल	1,64.00					
	पुनर्वि0	(-)1,64.00					••
	3.1140	( ) 1,04.00					

07- बालिका गौरव पुरस्कार योजना-गैर योजना

(viii) मूल

1,50.00

पुनर्वि0 (-)1,50.00

उपरोक्त आठ मामलों में ₹ 84,66.00 लाख के समस्त प्रावधान को मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यपर्ण द्वारा भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने तथा राज्य की अनुपातिक हिस्सेदारी अप्रयुक्त रहने के कारण कम कर दिया गया। जबकि क्रम संख्या (ii) में भारत सरकार से ₹ 89.00 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।

### 2505- ग्रामीण रोजगार-

- 02- ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना-
- 101- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना-
- 01- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना-

योजना

मूल 2,96,15.00

1,73,77.10 1,73,77.10

पुनर्वि0 (-)1,22,37.90

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/ अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,22,37.90 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण हुई। जबकि भारत सरकार से ₹ 17,79.83 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।

### 2515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-

003- प्रशिक्षण-

01- पंचायती राज प्रशिक्षण केन्द्र-

गैर योजना

मूल 2,44.58

2,13.07 2,13.07

पुनर्वि0 (-)31.51

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 31.51 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, वेतनमानों में संशोधन न करने, मजदूरी पर कम व्यय तथा किराया बिलों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

101- पंचायती राज-

01- पंचायती राज विभाग-

गैर योजना

मूल 27,33.11

22,89.24 22,89.14 (-)0.10

पुनर्वि0 (-)4,43.87

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4,43.87 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, वेतनमानों में संशोधन न करने, पेट्रोल, तेल, रनेहकों/वाहनों की मुरम्मत टेलीफोन,पानी व बिजली आदि के बिलों पर कम व्यय तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

102- सामुदायिक विकास-

01- ग्रामीण विकास योजना-

गैर योजना

मूल

1,14,82.35

79,51.28

79,51.24

(-)0.04

पुनर्वि0 (-)35,31.07

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 35,31.07 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति व यात्रा भत्ते दावों की कम प्राप्ति, दैनिक वेतन भोगियों के नियमितीकरण तथा संहितागत औपचारिकताओं के पूरा न होने के कारण हुई।

16- कार्यालय भवन/भंडार का निर्माण/नवीनीकरण योजना-

योजना

मूल

7,23.00

7,16.40

2,50.12

(-)4,66.28

पुनर्वि0 (-)6.60

₹ 4,66.28 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

18- महिला मंडलों को प्रोत्साहन हेतु अनुदान-

योजना

(i) मूल

1,29.00

पुनर्वि0

(-)1,29.00

20- स्वच्छता योजना के अन्तर्गत राज्य प्रोत्साहन योजना-

योजना

(ii) मूल

2,17.00

पुनर्वि0

(-)2,17.00

23- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)-

योजना

(iii) मूल

7.00

पुनर्वि0

(-)7.00

उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 3,53.00 लाख के समस्त प्रावधान को मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा संहितागत औपचारिकताओं के पूरा न होने के कारण कम कर दिया गया।

197- पंचायत समितियों को सहायता-पंचायत समितियों को सहायता अनुदान-05-गैर योजना (-)9,05.49मूल 18,00.00 18,00.00 8,94.51 ₹ 9,05.49 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)। ग्राम पंचायतों को सहायता-पांचवे राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को अनुदान-04-मूल 1,07,99.12 1,02,63.45 99,48.53 (-)3,14.92पुनर्वि0 (-) 5,35.67 ₹ 3,14.92 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 5,35.67 लाख की कमी विभिन्न श्रेणीयों के रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई। ₹ 3,14.92 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)। वित्त आयोग के तहत ग्राम पंचायतों को प्रदर्शन अनुदान-06-गैर योजना मूल 59,72.00 पुनर्वि0 (-)59,72.00₹ 59,72.00 लाख के समस्त प्रावधान को मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया। उपरोक्त बचत निम्नवत् शीर्षौ के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई:-(iv) शीर्ष वास्तविक आधिक्य (+) कुल अनुदान व्यय बचत (-) (₹ लाख में) 2501- ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-06- स्वरोजगार कार्यक्रम-101- स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना-11- मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना-गैर योजना पूरक 0.01

पुनर्वि0 99.99

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 99.99 लाख का आवर्धन मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना के कार्यान्वयन के कारण हुआ।

1.00.00

1.00.00

800- अन्य व्यय-

03- मातृ शक्ति बीमा योजना-

गैर योजना

मूल

2,00.00

2,98.00

2,98.00

पुनर्वि0

98.00

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 98.00 लाख का आवर्धन लम्बित देनदारियों को निपटाने के कारण हुआ।

### 2505- ग्रामीण रोजगार-

02- ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना-

101- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना-

04- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना के अन्तर्गत सामाजिक लेखा परीक्षा इकाई का संचालन -केन्द्रीय प्रायोजित योजना-

योजना

पूरक

0.01

1,95.29

1,95.29

पुनर्वि0 1,95.28

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,95.28 लाख का आवर्धन भारत सरकार द्वारा निधियां जारी करने के कारण हुआ।

#### 2515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम-

101- पंचायती राज-

10- पंचायती राज अधिनियम के अन्तर्गत खिनजों पर रॉयल्टी के बदले सहायता अनुदान-

गैर योजना

मूल

45.83

45.83

पुनर्वि0

45.82

0.01

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 45.82 लाख का आवर्धन खनन अधिकारियों द्वारा टैक्स के आफलाइन एकत्रण को ग्राम पंचायतों में वितरण करने के कारण हुआ।

15- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना-

योजना

मूल

5,92.00

7,03.50

7,03.50

पुनर्वि0

1,11.50

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,11.50 लाख का आवर्धन भारत सरकार द्वारा निधियों की प्राप्ति के कारण हुआ। जबकि भारत सरकार से ₹ 6,00.00 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।

### योजना

मूल

66.00

78.17

78.17

पुनर्वि0

12.17

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 12.17 लाख का आवर्धन केन्द्रीय सरकार की हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य सरकार की हिस्सेदारी अधिक जारी करने के कारण हुआ।

- 102- सामुदायिक विकास-
- 23- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

केन्द्रीय प्रायोजित योजना-

योजना

मूल

59.00

पूरक

0.01 21,80.91 16,47.30

(-)5,33.61

पुनर्वि0 21,21.90

₹ 5,33.61 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 21,21.90 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति के कारण हुआ जोकि संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।

₹ 5,33.61 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

- 196- जिला परिषदों को सहायता-
- 04- पांचवें राज्य वित्तायोग के अन्तर्गत जिला परिषदों को अनुदान-

गैर योजना

(i) मूल

95,60.31

1,12,42.53

1,10,53.63

(-)1,88.90

पुनर्वि0

16,82.22

- 197- पंचायत समितियों को सहायता-
- 04- पांचवें राज्य वित्तायोग के अन्तर्गत पंचायत समितियों को सहायता अनुदान-गैर योजना

(ii) मूल

8,07.57

9,39.60

8,82.86

(-)56.74

पुनर्वि0

1,32.03

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 2,45.64 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 18,14.25 लाख का आवर्धन पंचायती राज संस्थानों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के मानदेय में वृद्धि तथा कर्मचारियों को स्थायी वेतनमान प्रदान करने के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 2,45.64 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

### पूंजीगत प्रवर्ग

दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-(v) शीर्ष वास्तविक आधिक्य (+) कुल अनुदान व्यय बचत (-) (₹ लाखों में) 4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय-ग्रामीण आवास-800- अन्य व्यय-01- पंचायात निरीक्षक/उप-निरीक्षकों के आवासों का निर्माण-योजना (-)1,15.00मूल 1,15.00 1,15.00 ₹ 1,15.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)। 4515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-101- पंचायती राज-03- ग्राम गौरव पट्ट-गैर योजना 4,00.00 मूल पुनर्वि0 (-)4,00.00₹ 4,00.00 लाख के समस्त प्रावधान को मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा पंचायत निधियों से ग्राम गौरव पथ का निर्माण न करने के कारण कम कर दिया गया। 103- गामीण विकास-02- मुख्यमंत्री लोक भवन-गैर योजना (-)4,75.00मूल 10,00.00 10,00.00 5,25.00 ₹ 4,75.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)। उपरोक्त बचत निम्नवत् शीर्ष के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई:-(vi) शीर्ष वास्तविक कुल अनुदान आधिक्य (+) व्यय बचत (-) (₹ लाखों में)

4515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-

101- पंचायती राज-

01- भवन-

## विनियोग लेखे अनुदान संख्या - 20 (समाप्त)

गैर योजना

पूरक

0.01

4,00.00

3,86.00

(-)14.00

पुनर्वि0

3,99.99

₹ 14.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3,99.99 लाख का आवर्धन पंचायत घरों/पंचायत सामुदायिक केन्द्रों की मुरम्मत/निर्माण के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।

₹ 14.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

## विनियोग लेखे अनुदान संख्या-21- सहकारिता

(शीर्ष- 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2425-सहकारिता, 4425-सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय तथा 6425-सहकारिता हेतु ऋण )

·	· <b>3</b> ,	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजारों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	33,52,79	24.72.60	20.05.04	(-)4,78,65
पूरक	1,20,90	34,73,69	29,95,04	(-)4,76,63
वर्ष के दौरान अ				
राशि (31 मार्च	2020)			4,78,66
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	2,00	0.4.00		0.50
पूरक	24,07,89	24,09,89	24,13,39	+3,50
वर्ष के दौरान अ	भ्यर्पित			
राशि (31 मार्च	2020)			1,00
		टिप्पणियाँ तथा अभ्युवि	तियाँ	

- (i) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 3,50,000 के आधिक्य का नियमितिकरण अपेक्षित है।
- (ii) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 4,78.65 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2020 में प्राप्त ₹ 1,20.90 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ और ₹ 4,78.66 लाख का अभ्यर्पण अत्यधिक सिद्ध हुआ जबिक मूल अनुदान भी सारभूत रूप से अप्रयुक्त रहा।
- (iii) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 3.50 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से ₹ 1.00 लाख का अभ्यर्पण अनुचित सिद्ध हुआ।

### राजस्व प्रवर्ग

(iv) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक	आधिक्य (+)
		व्यय	बचत (-)
		(₹ लाखों में)	

2425- सहकारिता-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

01- निदेशालय-

### गैर योजना

(i) मूल

5,04.51

3,19.49

3, 19.49

पुनर्वि0 (-)1,85.02

जिला कर्मचारी वर्ग-

#### गैर योजना

(ii) मूल 19,92.40

16,71.15

16,71.16

+0.01

पुनर्वि0 (-)3,21.25

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 5,06.27 लाख की कमी, रिक्त पदों को न भरने और वेतन मानों में संशोधन न होने के कारण हुई।

उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षौ के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-(v)

> शीर्ष वास्तविक कुल अनुदान

आधिक्य (+)

बचत (-)

(₹ लाखों में)

### 2425- सहकारिता-

101- सहकारी समितियों की लेखापरीक्षा-

01- लेखापरीक्षा कर्मचारी वर्ग-

#### गैर योजना

मूल 7,81.37

पूरक 47.58 8,51.78

8,51.78

पुनर्वि0

22.83

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 22.83 लाख का आवर्धन बाह्म स्त्रोत सेवाओं की लम्बित देनदारियों का निपटारा करने के कारण हुआ जबकि रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई बचत से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुआ ।

### पूंजीगत प्रवर्ग

दत्तमत अनुदान में आधिक्य मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुआः-(vi)

> शीर्ष वास्तविक आधिक्य (+) कुल अनुदान व्यय

बचत (-)

(₹ लाखों में)

### 6425- सहयोग के लिए ऋण-

107- जमा सहकारिताओं को कर्ज-

## विनियोग लेखे अनुदान संख्या-21 (समाप्त)

02- जमा सहकारिताओं को ऋण-

केंद्र प्रायोजित योजना

योजना

मूल

1.00

4.50

+4.50

पुनर्वि0

(-)1.00

₹ 4.50 लाख के बिना बजट प्रावधान के व्यय की दृष्टि से मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान बैंक द्वारा गलत मुख्यशीर्ष में अंकित करने के कारण कम कर दिया गया जोकि अनुचित सिद्ध हुआ।

₹ 4.50 लाख का व्यय बिना बजट प्रावधान के हुआ जिसके कारण प्रतीक्षित थे(अक्तूबर 2020)।

## विनियोग लेखे अनुदान संख्या-22- खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति

(शीर्ष- 2059-लोक निर्माण-कार्य,2236-पोषण, 2408-खाद्य भंडारण तथा भांडागार, 3456-नागरिक आपूर्ति, 3475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं तथा 4408- खाद्य भंडारण तथा भांडागार पर पूंजीगत परिव्यय 5475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय)

	कु	ल अनुदान/विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ हजारों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग			(•••••)	
दत्तमत				
मूल	2,75,36,07			
		3, 15, 26, 43	3,16,75,75	+1,49,32
पूरक	39,90,36			
वर्ष के दौरान अव राशि	न्यर्पित			
प्रभारित				
मूल		5,00	5,00	
पूरक	5,00	3,33	3,00	
वर्ष के दौरान अ राशि	भ्यर्पित			
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	2,00,00	2,36,43	2,17,72	(-)18,71
पूरक	36,43	, ,	, ,	( )
वर्ष के दौरान अव				
राशि (31मार्च 20	020)			18,70
		टिप्पणियाँ तथा अभ्य	ाक्तियाँ	

### टिप्पणियाँ तथा अभ्युक्तियाँ

- (i) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 1,49,32,006 के आधिक्य का नियमितीकरण अपेक्षित हैं ।
- (ii) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 1,49.32 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से फरवरी 2020 में प्राप्त ₹ 39,90.36 लाख का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

### राजस्व प्रवर्ग

(iii) दत्तमत अनुदान में आधिक्य मुख्यतः निम्नवत् शीर्षौ के अन्तर्गत हुआः-

शीर्ष कुल अनुदान वास्तविक आधिक्य (+)

व्यय बचत (-)

(₹ लाखों में)

### 2059- लोक निर्माण कार्य-

01- कार्यालय भवन-

053- रखरखाव तथा मरम्मत-

17- खाद्य और आपूर्ति विभाग के रखरखाव पर व्यय-

0.01

गैर योजना

मूल

27.55

27.55

पुनर्वि0 27.54

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 27.54 लाख का आवर्धन रखरखाव कार्य पर अधिक व्यय के कारण हुआ ।

### 2408- खाद्य भंडारण और भांडागार--

01- खाद्य-

102- खाद्य सहायता-

12- चीनी की खरीद-

#### गैर योजना

मूल 51,14.25

80,47.75 80,47.75

पुनर्वि0 29,33.50

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 29,33.50 लाख का आवर्धन चीनी उपदान के प्रतिपूर्ति के कारण हुआ ।

13- गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को गेहूं और चावल पर उपदान-

गैर योजना

मूल 5,00.00

11,97.44 13,47.00

+1,49.56

पुनर्वि0 6,97.44

₹ 1,49.56 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 6,97.44 लाख का आवर्धन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कोविड-19 के दौरान दो महीने का गेंहू आटा और चावल अग्रिम जारी करने के कारण हुआ जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

₹ 1,49.56 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

800- अन्य व्यय-

02- हिमाचल गृहिणी स्विधा योजना-

#### गैर योजना

20,00.00 मूल

पूरक 13,73.06 63,57.05 63,57.05

पुनर्वि0 29,83.99

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 29,83.99 लाख का आवर्धन राज्य में पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को मुफ्त गैस कनेक्शन प्रदान करने के कारण हुआ ।

#### उपरोक्त आधिक्य निम्नवत् शीर्षौ के अन्तर्गत हुई बचत के कारण अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-(iv)

शीर्ष वास्तविक आधिक्य (+) कुल अनुदान व्यय बचत (-)

(₹ लाखों में)

2236- पोषण-

02- पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण-

101- विशेष पोषण कार्यक्रम-

06- अन्नपूर्णा योजना-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजना

15.00 मूल

पुनर्वि0 (-)15.00

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 15.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत के खाद्य निगम द्वारा खाद्यान का आबंटन न करने के कारण कम कर दिया गया ।

### 2408- खाद्य भंडारण और भांडागार-

01- खाद्य

102- खाद्य सहायता-

11- दालों, गेहूं, चावल, तेल और आयोडीन युक्त नमक की उपदान पर खरीद-

गैर योजना

मूल 1,73,85.75

> 1,11,50.20 1,11,50.20

पुनर्वि0 (-) 62,35.55

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 62,35.55 लाख की सारभूत कमी उपदान वाली वस्तुओं की कम खरीद के कारण हुई।

### 3456- नागरिक आपूर्ति-

001- निदेशन और प्रशासन-

01- निदेशालय-

-		_
ı	Ţ	याजना
٠,	•	4171711

(i) मूल 4,30.81

3,45.18 3,45.18

पुनर्वि0 (-) 85.63

02- जिला कार्यालय-

गैर योजना

(ii) मूल 10,09.33

8,43.68 8,43.44 (-)0.24

पुनर्वि0 (-) 1,65.65

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,51.28 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

04- उपभोक्ता जागरूकता-

### केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजना

मूल 18.00

...

पुनर्वि0 (-)18.00

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 18.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।

### 3475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं-

106- भार और माप का विनियमन-

01- भार तथा माप संगठन-

गैर योजना

मूल 3,41.44

2,18.85 2,18.85 .

पुनर्वि0 (-) 1,22.59

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,22.59 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

### पूंजीगत प्रवर्ग

(v) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षौ के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष कुल अनुदान वास्तविक आधिक्य (+)

व्यय बचत (-) इ. नाम्से में)

(₹ लाखों में)

4408- खाद्य भंडारण और भांडागार पर पूंजी परिव्यय-

## विनियोग लेखे अनुदान संख्या-22 (समाप्त)

- 01- खाद्य-
- 101- खरीद तथा पूर्ति-
- 01- गेंहू की खरीद-

### गैर योजना

मूल 0.01 पूरक 6.00 पुनर्वि0 (-)6.01

₹ 6.01 का समस्त प्रावधान मार्च 2020 में कोविड-19 के कारण आपूर्तिकर्ताओं द्वारा मशीनों और उपकरणों की आपूर्ति न करने के कारण अभ्यर्पण द्वारा कम कर दिया गया।

- 02- भंडारण और भांडागार-
- 101- ग्रामीण गोदाम कार्यक्रम-
- 02- हिमाचल प्रदेश राज्य उपभोक्ता निवारण फोरम-

### केन्द्रीय प्रायोजित योजना

#### योजना

पूरक 27.33

14.64 14.64

पुनर्वि0 (-)12.69

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 12.69 लाख की कमी कोविड-19 में गैर भवन/भवन परिसंपत्ति की कम खरीद के कारण हुई।

## विनियोग लेखे अनुदान संख्या-23- विद्युत विकास

(शीर्ष 2045-वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क, 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2501-ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम, 2801-विद्युत, 4801- विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय तथा 6801-विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण)

(1-11-0	001114311111111111	tott av tetty vie ty		
		कुल अनुदान	वास्तविक	आधिक्य (+)
			व्यय	बचत (-)
			(₹ हजारों में)	
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	5,05,71,08			
G.		5,45,69,39	4, 16, 93, 46	(-)1,28,75,93
पूरक	39,98,31			
वर्ष के दौरान	अभ्यर्पित			
राशि (31 मार्च	2020)			14,86,75
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	4,29,39,01			
Ci.		6,79,39,00	5,21,92,36	(-)1,57,46,64
पूरक	2,49,99,99			
वर्ष के दौरान	अभ्यर्पित			
राशि (31 मार्च	2020)			2,02,12,74
मूल पूरक वर्ष के दौरान व	2,49,99,99 अभ्यर्पित	6,79,39,00	5,21,92,36	

### टिप्पणियाँ तथा अभ्युक्तियाँ

- (i) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 1,28,75.93 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2020 में प्राप्त ₹ 39,98.31 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ। जबकि मूल अनुदान भी सारभूत रूप से अप्रयुक्त रहा और ₹ 14,86.75 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ।
- (ii) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 1,57,46.64 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2020 में प्राप्त ₹ 2,49,99.99 लाख का अनुपूरक अनुदान तथा ₹ 2,02,12.74 लाख का अभ्यर्पण अत्याधिक सिद्ध हुआ।

#### राजस्व प्रवर्ग

(iii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक	आधिक्य (+)
		व्यय	बचत (-)
		(₹ लाखों में)	

2045- वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क-

103- संग्रहण प्रभार-विद्युत शुल्क-

01- विद्युत निरीक्षणालय-

### गैर योजना

मूल

3,10.94

1,73.44

1,73.44

पुनर्वि0

(-)1,37.50

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,37.50 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने और मौजूदा पदाधिकारियों की सेवानिवृति होने के कारण हुई ।

### 2801- विद्युत-

01- जल उर्जा उत्पादन-

101- विद्युत का क्रय-

01- सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड-

#### गैर योजना

मूल

10,00.00

पुनर्वि0 (-)10,00.00

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 10,00.00 लाख का समस्त प्रावधान कार्यान्वयन एजेंसियों से प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया ।

80- सामान्य-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

01- ऊर्जा निदेशालय-

#### गैर योजना

मूल

7.60.51

पूरक

0.03

5,08.09

5,07.91

(-)0.18

पुनर्वि0 (-)2,52.45

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,52.45 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

101- विद्युत बोर्डों को सहायता-

07- शुल्क रोल बैक पर अनुदान-

#### गैर योजना

मूल

4,75,00.00

पूरक

39,98.27

5,13,89.00

4,00,00.00

(-)1,13,89.00

पुनर्वि0 (-)1,09.27

₹ 1,13,89.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,09.27 लाख की कमी लाभार्थियों से उपदान मामलों की कम माँग के कारण हुई ।

₹ 1,13,89.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे(अक्तूबर 2020)।

उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षौ के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशत प्रतिसन्तुलित हुई:-(iv) शीर्ष कुल अनुदान वास्तविक आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाखों में) 2801- विद्युत-80- सामान्य-800- अन्य व्यय-03- मध्यस्थता शुल्क के भुगतान पर व्यय-गैर योजना मूल 5.00 17.51 17.51 पुनर्वि0 12.51 मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 12.51 लाख का आवर्धन व्यवसायिक और विशेष सेवाओं पर अधिक व्यय के कारण हुआ । पूंजीगत प्रवर्ग दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:- $(\mathbf{v})$ शीर्ष वास्तविक आधिक्य (+) कुल अनुदान व्यय बचत (-) (₹ लाखों में) 4801- विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-01- पनबिजली उत्पादन-190- सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-07- हिमाचल प्रदेश विद्युत संचारण निगम-योजना (i) 23,00.00 मूल पूरक 20,00.00 37,25.00 37,25.00 पुनर्वि0 (-)5,75.00हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड 09-योजना में अंशदान-योजना

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹19,84.00 लाख की कमी प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई ।

18,64.00

18,64.00

(ii)

मूल

पुनर्वि0

32,73.00

(-)14,09.00

6801- विद्यु	त परियोजनाओं	के	लिए	ऋण-
--------------	--------------	----	-----	-----

190- सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को ऋण-

01- हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम को ऋण-योजना

मूल

1,85,00.00

3,37.26

(-)3,37.26

पुनर्वि0 (-)1,81,62.74

₹ 3,37.26 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,81,62.74 लाख की सारभूत कमी एशियाई विकास बैंक द्वारा ऋणों को बन्द करने के कारण हुई; जोकि अनुचित सिद्ध हुई।

₹ 3,37.26 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

02- हिमाचल प्रदेश विद्युत संचारण निगम लिमिटेड को ऋण-

गैर योजना

पूरक

49,99.99

50,00.00

(-)50,00.00

पुनर्वि0

0.01

₹ 50,00.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

04- ऊर्जा परियोजनाओं के लिए के0एफ0डब्ल्यू

की हिस्सेदारी-

योजना

मूल

पूरक

66.00

..

(-)66.00

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 66.00 लाख का समस्त प्रावधान के के0एफ0डब्ल्यू ऋण द्वारा रह करने के कारण कम कर दिया गया।

(vi) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षौ के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशत प्रतिसन्तुलित हुई:-

शीर्ष

कुल अनुदान

वास्तविक

आधिक्य (+)

व्यय

बचत (-)

(₹ लाखों में)

## 6801- विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण-

190- सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को ऋण-

01- हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम को ऋण-

## विनियोग लेखे अनुदान संख्या-23 (समाप्त)

गैर योजना

मूल

0.01

3,48.80

+3,48.80

पुनर्वि0

(-)0.01

₹ 3,48.80 लाख के बिना प्रावधान के व्यय के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

02- हिमाचल प्रदेश विद्युत संचारण निगम लिमिटेड को ऋण-

योजना

मूल

94,00.00

2,74,00.00

3,68,54.56

+94,54.56

पूरक

1,80,00.00

₹ 94,54.56 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

## विनियोग लेखे अनुदान संख्या-24- मुद्रण और लेखन सामग्री

(शीर्ष- 2058-लेखन सामग्री तथा मुद्रण, 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2216-आवास, 4058-लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व प्रवर्ग	الرياس المراسط	<i>)</i> कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजारों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
दत्तमत				
मूल	29, 12, 80	00.00.57	00.40.40	()0.44.45
पूरक	1,19,77	30,32,57	28, 18, 12	(-)2,14,45
वर्ष के दौरान अभ्यर्पि	iत			
राशि (31 मार्च 2020	0)			2,05,32
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	41,58			
		41,58	41,58	
पूरक				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पि राशि	त			

## टिप्पणियाँ तथा अभ्युक्तियाँ

(i) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 2,14.45 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2020 में प्राप्त ₹ 1,19.77 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ जबकि मूल अनुदान भी अप्रयुक्त रहा ।

### राजस्व प्रवर्ग

(ii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-शीर्ष कुल अनुदान वास्तविक आधिक्य (+) व्यय बचत (-) (₹ लाखों में)

### 2058- लेखन सामग्री तथा मुद्रण-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

01- निदेशालय-

### गैर योजना

मूल

1,46.26

1,18.69

1,18.69

पुनर्वि0

(-)27.57

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 27.57 लाख की कमी रिक्त पदों का न भरने के कारण हुई।

- 103- सरकारी मुद्रणालय-
- 01- हिमाचल प्रदेश सरकारी मुद्रणालय-

### गैर योजना

मूल

19,22.87

पूरक

1.77

16,30.43

16,30.43

पुनर्वि0 (-)2,94.21

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,94.21 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि लोकसभा चुनाव के लिए लेखन सामग्री की खरीद, वार्षिक रखरखाव तथा नवीनीकरण पर अधिक व्यय के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई।

- 104- अन्य साधनों से मुद्रण की लागत-
- 01- निजि मुद्रणालय-

### गैर योजना

(i) मूल

11.74

9.45

9.45

पुनर्वि0

(-)2.29

02- अन्य सरकारी मुद्रणालय-

### गैर योजना

(ii) मूल

21.03

8.01

8.01

पुनर्वि0

(-)13.02

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 15.31 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

(iii) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षौ के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष

कुल अनुदान

वास्तविक

आधिक्य (+)

व्यय

बचत (-)

(₹ लाखों में)

## 2058- लेखन सामग्री तथा मुद्रण-

101- लेखन सामग्री भण्डार क्रय तथा आपूर्ति-

01- लेखन सामग्री-

## विनियोजन लेखे अनुदान संख्या-24 (समाप्त)

#### गैर योजना

मूल

4,47.78

5,60.40

5,60.40

पुनर्वि0

1,12.62

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,12.62 लाख का आवर्धन सामग्री और लेखन सामग्री की खरीद पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई बचत से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई।

102- फॉर्म का मुद्रण, भंडारण और वितरण-

01- फार्मो की आपूर्ति-

#### गैर योजना

मूल

7.99

17.38

17.38

पुनर्वि0

9.39

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 9.39 लाख का आवर्धन अतिरिक्त मंहगाई भत्ते और अन्तरिम राहत के भुगतान के कारण हुआ।

105- सरकारी प्रकाशन-

01- सरकारी विक्रय डिपो-

#### गैर योजना

मूल

51.56

61.32

52.19

(-)9.13

पुनर्वि0

9.76

₹ 9.13 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 9.76 लाख का आवर्धन अतिरिक्त मंहगाई भत्ते और अन्तरिम राहत के भुगतान के कारण हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ।

₹ 9.13 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

## विनियोग लेखे अनुदान संख्या-25- सड़क और जल परिवहन

(शीर्ष- 2041-वाहनों पर कर, 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 3055-सड़क परिवहन, 3056-अंतर्देशीय जल परिवहन,3075-अन्य परिवहन सेवाएं, 5002-भारतीय रेल-वाणिज्यिक लाइनों पर पूंजीगत परिव्यय, 5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत तथा 5056 अन्तर्देशीय जल परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय)

कुल अनुदान वास्तविक आधिक्य (+) व्यय बचत (-)

(₹ हजारों में)

### राजस्व प्रवर्ग दत्तमत

मूल 2,74,63,42

3,64,52,41 3,51,60,06

(-)12,92,35

पूरक 89,88,99

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)

3,47,85

## पूंजीगत प्रवर्ग

दत्तमत

मूल 62,27,01

2, 10, 58, 26 1, 92, 05, 19

(-)18,53,07

पूरक 1,48,31,25

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)

2,00

## टिप्पणियाँ तथा अभ्युक्तियाँ

- (i) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 12,92.35 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2020 में प्राप्त ₹ 89,88.99 लाख का अनुपूरक अनुदान क्रमशः अत्याधिक और ₹ 3,47.85 का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ।
- (ii) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 18,53.07 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2020 में प्राप्त ₹ 1,48,31.25 लाख का अनुपूरक अनुदान और ₹ 2.00 लाख का अभ्यर्पण क्रमशः अत्याधिक और अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

### राजस्व प्रवर्ग

(iii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष कुल अनुदान वास्तविक आधिक्य (+) व्यय बचत (-) (₹ लाखों में)

### 2041- वाहनों पर कर-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

01- मुख्यालय तथा क्षेत्र कर्मचारी वर्ग-

### गैर योजना

मूल 11,33.55

पूरक 1,99.00 12,06.20 2,62.03 (-)9,44.17

पुनर्वि0 (-)1,26.35

₹ 9,44.17 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,26.35 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने और कार्यान्वयन एजेंसियों से प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 9,44.17 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

### 2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-

60- अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-

101- गरीब परिवारों के लिए व्यैक्तिक दुर्घटना बीमा योजना-

68.00

04- यात्रियों को अनुग्रह अनुदान अदायगी-

#### गैर योजना

मूल

48.00 48.00

पुनर्वि0 (-) 20.00

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 20.00 लाख की कमी दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

### 3055- सड़क परिवहन-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

01- निदेशालय-

### गैर योजना

मूल 11,75.13

पूरक 55.00 10,86.64 10,86.30 (-)0.34

पुनर्वि0 (-)1,43.49

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,43.49 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने और दैनिक वेतन भोगियों के नियमितीकरण के कारण हुई।

## 04- कम्प्यूटरीकरण-

#### योजना

मूल 75.00

19.74 19.74

पुनर्वि0 (-)55.26

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 55.26 लाख की कमी मानक वस्तु के निष्पादन न करने के कारण हुई।

### 3056- अंतर्देशीय जल परिवहन-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

01- अंतर्देशीय जल परिवहन हेतु कर्मचारी वर्ग की व्यवस्था-

# विनियोग लेखे अनुदान संख्या-25- (समाप्त)

	योजना	3	,	,	
	मूल	1,00			
	पुनर्वि0	(-) 1.00			
		अभ्यर्पण द्वारा <b>₹</b> हे कारण कम कर	1.00 लाख का समस्त दिया गया।	प्रावधान संहितागत औ	पचारिकताओं को
पूंजीगत	। प्रवर्ग				
(iv)	दत्तमत अनुदान	। में बचत मुख्यतः	निम्नवत् शीर्षौ के अन्त	र्गत हुई:-	
( )	शीर्ष	3	ू कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
				व्यय (₹ लाखों में)	44(( ( )
	- <b>सडक परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय-</b> - भूमि तथा भवन-				
01-	बस स्टैंण्ड का <b>गेर योजना</b>	निर्माण-			
(i)	मूल	5,00.00	5,00.00		(-)5,00.00
	योजना				
(ii)		10,53.00	10,53.00		(-)10,53.00
03-	क्षेत्रीय परिवहन <b>योजना</b>	। अधिकारियों के १	भवनों का निर्माण-		
(iii)	मूल	1,50.00	1,50.00	1,14.93	(-)35.07
07-	परिवहन नगर <b>योजना</b>				
(iv)		2,63.00	2,63.00		(-)2,63.00
	उपरोक्त चार 2020)।	मामलों में ₹ 18,	51.07 लाख की अंतिम	। बचत के कारण प्रर्त	ोक्षित थे (अक्तूबर
08-	आदर्श निरीक्षण और प्रमाणन केन्द्र- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना				
	मूल	1,00			
	पुनर्वि0	(-) 1.00			
		पुनर्विनियोजन द्वार ने के कारण कम	रा ₹ 1.00 लाख का सम कर दिया गया।	नस्त प्रावधान संहितागत	। औपचारिकताओं

## विनियोग लेखे अनुदान संख्या-26- पर्यटन और नागर विमानन

(शीर्ष 2059-लोक निर्माण-कार्य, 3053-नागर विमानन, 3452-पर्यटन, 5053-नागर विमानन पर पंजीगत परिव्यय तथा 5452- पर्यटन पर पंजीगत परिव्यय)

	6011111 11110	14 (141 5752	1401 11 201111 1110	)	
			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत(-)
				(₹ हजारों में)	
राजस्व प्र	ग्वर्ग			,	
दत्तमत					
1	मूल	69, 20, 36			
			89, 16, 08	32,96,53	(-)56,19,55
τ	पूरक	19,95,72			
वर्ष के दें	ौरान अभ्यर्पित	Ī			
राशि (31	1 मार्च 2020)				82,55
पूंजीगत	प्रवर्ग				
दत्तमत					
1	मूल	57,79,00			
			66,29,00	37,33,57	(-)28,95,43
τ	पूरक	8,50,00			
वर्ष के दे	ौरान अभ्यर्पित	Ī			
राशि(31	मार्च 2020)				59,74

## टिप्पणियाँ तथा अभ्युक्तियाँ

- राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 56,19.55 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी (i) 2020 में प्राप्त ₹ 19,95.72 लाख का अनुपूरक अनुदान और ₹ 82.55 लाख का अभ्यर्पण क्रमशः अनावश्यक और अपर्याप्त सिद्ध हुआ जबिक मूल अनुदान भी सारभूत रूप से अप्रयुक्त रहा जोकि बेहतर बजट बनाने और व्यय पर प्रभावी नियन्त्रण की आवश्यकता को इंगित करता है।
- पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 28,95.43 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी (ii) 2020 में प्राप्त ₹ 8,50.00 लाख का अनुपूरक अनुदान तथा ₹ 59.74 लाख का अभ्यर्पण क्रमशः अनावश्यक और अपर्याप्त सिद्ध हुआ जबिक मूल अनुदान भी सारभूत रूप से अप्रयुक्त रहा।

#### राजस्व प्रवर्ग

दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-शीर्ष वास्तविक कुल अनुदान

> बचत (-) व्यय

आधिक्य (+)

(₹ लाखों में)

## 3452- पर्यटन-

80- सामान्य-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

01- निदेशालय-

## गैर योजना

मूल 2

2,08.46

पूरक

29.13

1,87.47

1,87.47

पुनर्वि0

(-)50.12

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 50.12 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, वेतनमान में संशोधन न होने तथा वाहनों की खरीद पर कम व्यय के कारण हुई।

02- क्षेत्रीय कर्मचारी वर्ग-

## गैर योजना

मूल

4,19.24

पूरक

6.67

4,05.80

4,05.80

पुनर्वि0

(-)20.11

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 20.11 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने और वेतनमान में संशोधन न होने के कारण हुई।

### योजना

मूल

30.00

10.00

10.00

पुनर्वि0

(-)20.00

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 20.00 लाख की कमी कार्य के कम निष्पादन के कारण हुई।

03- पर्यटन के लिए बुनियादी ढांचा विकास निवेश कार्यक्रम-

### योजना

मूल

52,37.00

पूरक

3,32.41

55,37.00

(-)55,37.00

पुनर्वि0

(-)32.41

₹ 55,37.00 लाख की अंतिम सारभूत बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 32.41 लाख की कमी प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि बाह्य स्त्रोत कर्मचारियों के वेतन में बढोतरी के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई जोकि अन्यायपूर्ण सिद्ध हुआ।

₹ 55,37.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

003- प्रशिक्षण-

01- प्रशिक्षणार्थियों के लिए शिष्यवृत्तियां/छात्रवृत्तियां-

## केन्द्रीय प्रायोजित योजना

#### योजना

मूल

2.00

पुनर्वि0

(-)2.00

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2.00 लाख का समस्त प्रावधान पूर्णबंद होने के कारण कम कर दिया गया।

योजना-

मूल

17.00

9.49

9.49

पुनर्वि0

(-)7.51

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 7.51 लाख की कमी पूर्णबंद होने और प्रस्तावों की प्राप्ति न हाने के कारण हुई।

104- संवर्धन तथा प्रचार-

08- पर्यटन संरचना के लिए प्रोत्साहन-

#### योजना

मूल

15.00

पूरक

28.44

31.60

31.60

पुनर्वि0 (-)11.84

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 11.84 लाख की कमी बैठकों के कम आयोजन के कारण हुई।

(iv) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षौ के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-शीर्ष कुल अनुदान वास्तविक आधिक्य (+)

व्यय

बचत (-)

(₹ लाखों में)

### 3452- पर्यटन-

80- सामान्य-

001- निदेशन और प्रशासन-

01- निदेशालय-

### योजना

मूल

17.00

89.68

89.68

पुनर्वि0

72.68

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 72.68 लाख का आवर्धन व्यवसायिक और विशेष सेवाओं के लम्बित बिलों पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

(v) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-शीर्ष कुल अनुदान वास्तविक

स्तविक आधिक्य (+) व्यय बचत (-)

(₹ लाखों में)

## 5053- नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-

02- विमान पत्तन-

102- एरोड्राम्स-

01- हैलीपैड और हवाई अडडों का निर्माण -

## विनियोग लेखे अनुदान संख्या-26 (समाप्त)

योजना

मूल 4,29.00

9,29.00 4,29.00

(-)5,00.00

पूरक 5,00.00

₹ 5,00.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

## 5452- पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-

01- पर्यटन अवसंरचना-

800- अन्य व्यय-

01- विभिन्न कार्यों का निर्माण-

### योजना

मूल 3,50.00

पूरक 3,50.00 6,40.26

2,70.74

(-)3,69.52

पुनर्वि0 (-)59.74

₹ 3,69.52 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 59.74 लाख की कमी सूरज कुण्ड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले के कम बिलों की प्राप्ति के कारण हुई जोकि अप्रयाप्त सिद्ध हुई।

₹ 3,69.52 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

03- नई राहें नई मंजिलें-

## गैर योजना

मूल 50,00.00

50,00.00

30,33.83

(-)19,66.17

₹ 19,66.17 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

## विनियोग लेखे अनुदान संख्या - 27 - श्रम, रोजगार और प्रशिक्षण

(शीर्ष- 2059- लोक निर्माण-कार्य, 2203- तकनीकी शिक्षा, 2216 आवास, 2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण, 2230- श्रम तथा रोजगार, 4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय, 4250- अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय तथा 6202- शिक्षा, खेलकूद, कला और संस्कृति के लिए ऋण)

राजस्व प्रवर्ग दत्तमत		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजारों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
मूल	2,97,63,42	2.50.20.00	2 40 44 20	( )20 27 74
पूरक	60,75,58	3,58,39,00	3,19,11,30	(-)39,27,71
वर्ष के दौरान अभ्यर्पि				04.50.00
राशि (31 मार्च 2020 •••••	))			31,52,36
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	83,78,29			
		83,78,29	83,05,59	(-)72,70
पूरक				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पि				
राशि (31 मार्च 2020	0)			72,70

## टिप्पणियाँ तथा अभ्युक्तियाँ

(i) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 39,27.71 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2020 में प्राप्त ₹ 60,75.59 लाख का अनुपूरक अनुदान तथा ₹ 31,52.36 लाख का अभ्यर्पण क्रमशः अनावश्यक और अपर्याप्त सिद्ध हुआ। जबिक मूल अनुदान भी सारभूत रूप से अप्रयुक्त रहा।

### राजस्व प्रवर्ग

(ii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुईः-शीर्ष कुल अनुदान वास्तविक आधिक्य (+) व्यय बचत (-) (₹ लाखों में)

## 2203- तकनीकी शिक्षा

001- निदेशन तथा प्रशासन-

01- निदेशालय-

### गैर योजना

मूल

2,93.90

2,21.02

2,21.02

पुनर्वि0

(-)72.88

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 72.88 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

105- बहुतकनीकी विद्यालय-

01- राजकीय बहुतकनीकी विद्यालय-

## गैर योजना

मूल

38,84.25

32,26.30

32,26.30

पुनर्वि0 (-)6,57.95

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 6,57.95 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति और दैनिक वेतन भोगियों के नियमितिकरण न होने के कारण हुई।

## योजना

मूल

10,70.00

10,46.30

10,47.43

+1.13

पुनर्वि0

(-)23.70

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 23.70 लाख की कमी संकाय की कम भर्ती, संगोष्ठियों/शिवरों के कम आयोजन होने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों एवं बिजली, दूरभाष, पानी के बिलों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अतिरिक्त मंहगाई भत्ते और अंतरिम राहत के बकाया भुगतान पर हुए अधिक व्यय के कारण अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

112- इजीनियरिंग/तकनीकी महाविद्यालय तथा संस्थान-

01- राजकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय/ तकनीकी कालेज तथा मूल संस्थान -

## गैर योजना

मूल

8,36.31

5,35.37

5,35.31

(-)0.06

पुनर्वि0

(-)3,00.94

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3,00.94 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, मशीनरी तथा उपकरणों की कम खरीद, अन्य प्रभारों पर कम व्यय, बिजली,दूरभाष, पानी के बिलों की कम प्राप्ति एवं दैनिक वेतन भोगियों के कम नियमितीकरण होने के कारण हुई।

#### योजना

मूल

12,10.00

11,58.33

11,58.34

+0.01

पुनर्वि0

(-)51.67

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 51.67 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, मशीनरी तथा उपकरणों की कम खरीद, अन्य प्रभारों पर कम व्यय, बिजली, दूरभाष, पानी के बिलों की कम प्राप्ति एवं दैनिक वेतन भोगियों के नियमितीकरण के कारण हुई जोकि अतिरिक्त मंहगाई भत्ते और अंतरिम राहत के बकाया भुगतान पर अधिक व्यय के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

03- निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को अनुदान-

### गैर योजना

मूल

10.00

पुनर्वि0

(-)10.00

मार्च 2020 में ₹ 10.00 लाख का समस्त प्रावधान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए सहायता अनुदान के आवेदनों की प्राप्ति न होने के कारण पुनर्विनियोजित द्वारा कम कर दिया गया।

## 2230- श्रम तथा रोजगार-

01- श्रम-

001- निदेशन और प्रशासन-

01- मुख्यालय कर्मचारी वर्ग-

## गैर योजना

मूल

1,65.46

1,11.11

1,11.11

पुनर्वि0

(-)54.35

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 54.35 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

101- औद्योगिक सम्बन्ध-

01- श्रम नियमों को लागू करना-

#### गैर योजना

मूल

5.28.20

पूरक

15.50

4,46.02

4,46.00

(-)0.02

पुनर्वि0

(-)97.68

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 97.68 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने तथा दैनिक वेतन भोगियों के नियमितीकरण के कारण हुई।

02- झगडों का निपटारा-

#### गैर योजना

मूल

1,70.96

पूरक

4.00

1,37.58

1,37.58

पुनर्वि0

(-)37.38

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 37.38 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, बिजली,दूरभाष, पानी के बिलों की कम प्राप्ति, लघु विभिन्न्ता और दौरों पर कम व्यय के कारण हुई।

10L 3/13 3/1 11 (1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1	102-	कार्य	की	परिस्थितयां	तथा	सुरक्षा-
----------------------------------------------------	------	-------	----	-------------	-----	----------

01- कारखानों का निरीक्षणालय-

### गैर योजना

मूल 4.94

पूरक 7.00 10.40 10.40

पुनर्वि0 (-)1.54

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1.54 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

- 02- रोजगार सेवाएं-
- 101- रोजगार सेवाएं-
- 01- रोजगार सेवाओं का आवरण विस्तार -

### गैर योजना

मूल 10,53.70

पूरक 6.50 8,86.99 8,86.97 (-)0.02

पुनर्वि0 (-)1,73.21

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,73.21 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने और दैनिक वेतन भोगियों के नियमितीकरण के कारण हुई।

02- व्यवसायिक सुझाव तथा रोजगार मंत्रणा-

### गैर योजना

मूल 34.83

26.29 26.29

पुनर्वि0 (-)8.54

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 8.54 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

### योजना

मूल 45.72

19.76 19.76

पुनर्वि0 (-)25.96

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 25.96 लाख की कमी बाह्य स्त्रोतों, कर्मचारियों की कम नियुक्ति, संगोष्ठियों के कम आयोजन, बिजली, दूरभाष, पानी के बिलों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

03- विश्व विद्यालय रोजगार तथा सुझाव-

### गैर योजना

(i) मूल 4.78 पूरक 6.30 8.63 8.63 .. पूनर्वि0 (-)2.45

## विनियोग लेखे

## अनुदान संख्या - 27 -(क्रमशः)

05- विशेष रोजगार कार्यालय अनुसूचित जाति-

### गैर योजना

(ii) मूल 16.08

5.94 5.94

पुनर्वि0 (-)10.14

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 12.59 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

03- प्रशिक्षण-

003- दस्तकारों तथा पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण-

05- दस्तकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण-

### गैर योजना

मूल 54,98.35

पूरक 2,21.00 53,17.90 53,17.82 (-)0.08

पुनर्वि0 (-)4,01.45

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4,01.45 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, संकाय की कम नियुक्ति, अन्य प्रभारों, किराया, दर, करों पर कम व्यय और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

#### योजना

मूल 8,12.00

15,61.31 7,86.06 (-)7,75.25

पुनर्वि0 7,49.31

₹ 7,75.25 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 7,49.31 लाख का आवर्धन अन्य प्रभारों और मानदेय के भुगतान पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि बाह्य वाहनों पर कम व्यय, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति, रिक्त पदों को न भरने, दैनिक वेतन भोगियों के नियमितीकरण पर कम व्यय के कारण हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 7,75.25 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

### 09- कौशल विकास भत्ता-

### गैर योजना

मूल 99,00.00

46,20.39 46,20.14 (-)0.25

पुनर्वि0 (-)52,79.61

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 52,79.61 लाख की कमी संगोष्ठियों के कम आयोजन, संबद्धता शुल्क, विज्ञापन प्रचार पर कम व्यय, बिजली, दूरभाष, पानी के बिलों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

10- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का मॉडल औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के रूप में उन्नयन-

`	
या	जना

मूल 50.00

पुनर्वि0 (-)50.00

मार्च 2020 में ₹ 50.00 लाख का समस्त प्रावधान संगोष्ठियों के आयोजन न होने, संबद्धता शुल्क पर व्यय न होने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा कम कर दिया गया।

(iii) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-शीर्ष कुल अनुदान वास्तविक आधिक्य (+) व्यय बचत (-)

व्यय (₹ लाखों में)

## 2230- श्रम एवं रोजगार-

03- प्रशिक्षण-

800- अन्य व्यय-

01- हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम -

33,75.75

### योजना

पुनर्वि0

मूल 3.00 पूरक 55,46.25

89,25.00 89,25.00

89,25.00

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 33,75.75 लाख का आवर्धन अतिरिक्त मंहगाई भत्ते और अंतरिम राहत के बकाया भुगतान पर हुए अधिक व्यय तथा सहायता उपदान के लिए प्रस्तावों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

## पूंजीगत प्रवर्ग

(iv) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-शीर्ष कल अनदान वास्त

कुल अनुदान वास्तविक आधिक्य (+) व्यय बचत (-)

(₹ लाखों में)

4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-

02- तकनीकी शिक्षा-

104- बहुशिल्प-

01- भवन-

गैर योजना

(i) मूल 1,00.00

69.00 69.00

पुनर्वि0 (-)31.00

105- इंजीनियरिंग/तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान-

01- भवन-

गैर योजना

(ii) मूल 2,00.00

1,42.00 1,42.00

पुनर्वि0 (-)58.00

## विनियोग लेखे अनुदान संख्या - 27 -(समाप्त)

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 89.00 लाख की कमी मशीनरी और उपकरणों की खरीद पर कम व्यय के कारण हुई।

## योजना

मूल

40,40.00

20,40.00

20,40.00

पुनर्वि0 (-)20,00.00

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 20,00.00 लाख की कमी कार्यों के कम निष्पादन के कारण हुई।

(v) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-शीर्ष कुल अनुदान वास्तविक आधिक्य (+) व्यय बचत (-)

(₹ लाखों में)

## 4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-

02- तकनीकी शिक्षा-

105- इंजीनियरिंग/तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान-

03- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के भवनों का निर्माण-

### गैर योजना

मूल

1,00.00

1,16.31

1,16.31

पुनर्वि0

16.31

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 16.31 लाख का आवर्धन मशीनरी और उपकरणों की खरीद पर हुए अधिक व्यय के कारण हुआ।

#### योजना

मूल

21,46.00

41,46.00

41,46.00

पुनर्वि0

20,00.00

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 20,00.00 लाख का आवर्धन कार्यों के अधिक निष्पादन के कारण हुआ।

## विनियोग लेखे

## अनुदान संख्या - 28- शहरी विकास, नगर और ग्राम योजना तथा आवास

(शीर्ष 2059- लोक निर्माण-कार्य,2215- जलापूर्ति तथा सफाई, 2216-आवास, 2217- शहरी विकास, 4215- जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय तथा 4217- शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय)

परिव्यय) राजस्व प्रवर्ग		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजारों में)	आधिक्य (+) बचत (-)		
दत्तमत						
मूल	5,26,12,39	5,26,12,44	4,32,82,67	(-)93,29,77		
पूरक	5			( )		
वर्ष के दौरान अभ्र राशि (31 मार्च 20				71,33,42		
प्रभारित						
मूल		4,64,55	4,64,55			
पूरक	4,64,55	1,01,00	1,01,00			
वर्ष के दौरान अभ् राशि	यर्पित					
पूंजीगत प्रवर्ग						
दत्तमत						
मूल	41,99,00	1,40,27,02	1,40,33,08	+6,06		
पूरक	98,28,02	, , ,	, , ,	•		
वर्ष के दौरान अभ्य राशि (31 मार्च 20				31,97		

## टिप्पणियाँ तथा अभ्युक्तियाँ

- (i) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 6,06,266 के आधिक्य का नियमितीकरण अपेक्षित है।
- (ii) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 93,29.77 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में ₹ 71,33.42 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ।
- (iii) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 6.06 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2020 में ₹ 31.97 लाख का अभ्यर्पण अन्यायपूर्ण सिद्ध हुआ।

## राजस्व प्रवर्ग

(iv) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षौ के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष कुल अनुदान वास्तविक आधिक्य (+)

व्यय बचत (-)

(₹ लाखों में)

2215- जलापूर्ति तथा स्वच्छता-

02- मल जल तथा सफाई-

105- सफाई सेवाएं

04- मुरम्मत और रखरखाव-

योजना

मूल 11,97.00

11,97.00

4,57.91

(-)7,39.09

₹ 7,39.09 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

## 2217- शहरी विकास-

80- सामान्य-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

01- स्थानीय निकायों का निदेशालय-

गैर योजना

मूल

3,28.59

2,56.20

2,56.20

पुनर्वि0

(-)72.39

मार्च 2020 में पुनविनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 72.39 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि परामर्श शुल्क के भुगतान पर अधिक व्यय के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई।

02- नगर एवं ग्राम योजना संगठन का निदेशालय-

#### गैर योजना

मूल

16,40.75

पूरक 0.01

12,51.80

12,51.81

+0.01

पुनर्वि0 (-)3,88.96

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3,88.96 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने और विशेष सैल मे लगे सेवानिवृत अधिकारियों के इस्तीफे के कारण हुई जोकि बाह्य स्त्रोतों से अधिक नियुक्ति और विज्ञापन, प्रकाशन, पानी, बिजली और दूरभाष बिलों की अधिक प्राप्ति पर हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई।

191- नगर निगम को सहायता स्वर्ण जंयती शाहगार योजना-

04- दीन दयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी

आजीविका मिशन-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

			अनुदान संख्या-28 (व्र	क्रमशः)	
	योजना			,	
(i)	मूल	1,00			
	पुनर्वि0	(-)1.00			
	योजना				
(ii)	मूल	1,00			
45-	पुनर्वि0 केन्द्रीय विच <b>गेर योजना</b>	(-)1.00 तायोग पुरस्कार-		··	
(iii)	मूल	18,34.56			
			12,62.89	12,62.89	••
	पुनर्वि0	(-)5,71.67			
			2020 में पुनर्विनियोजन/ः निधियां जारी न करने के	अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ कारण हुई।	5,73.67 लाख
49-	स्मार्ट सिटी केन्द्रीय प्राग् योजना	ं मिशन- <mark>योजित योजना</mark>			
	मूल	37,40.00			
	पुनर्वि0	(-)37,40.00			
		-	/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में की प्राप्ति न होने के कार	में ₹ 37,40.00 लाख सम एण हुई।	स्त प्रावधान भारत
	योजना				
	मूल	37,40.00			
			21,40.00	21,40.00	
	पुनर्वि0	(-)16,00.00			
		की प्राप्ति न होने व		0 लाख की कमी भारत के अनुपात में राज्य की हि	
50-		आवास योजना-सभ <mark>् योजित योजना</mark>	गि के लिए आवास (शहरीं)	)	
	मूल	5,00.00			
			1,56.29		(-)1,56.29
	पुनर्वि0	(-)3,43.71			

₹ 1,56.29 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3,43.71 लाख की कमी केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुई जोकि अवास्तविक सिद्ध हुई।

₹ 1,56.29 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

## योजना

मूल

55.00

17.37

17.37

पुनर्वि0

(-)37.63

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 37.63 लाख की कमी केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनूपात में राज्य की हिस्सेदारी जारी होने के कारण हुई।

51- पार्किंग का निर्माण-

### गैर योजना

(i) मूल

50.00

50.00

25.00

(-)25.00

52- बाल पार्को का विकास-

### गैर योजना

(ii) मूल

50.00

50.00

25.00

(-)25.00

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 50.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

55- कूडा संवर्धन संयत्र की स्थापना और

लैंड फिल साइट का विकास-

मूल

1,00

पुनर्वि0

(-)1.00

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा निधियां प्राप्त न होने के कारण कम कर दिया गया।

56- विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित ग्रेटर शिमला जलापूर्ति योजना-

### गैर योजना

मूल

1,19,00.00

1,07,39.00

1,07,39.00

पुनर्वि0 (-)11,61.00

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 11,61.00 लाख की कमी वेतन भुगतान के लिए अनुदान संख्या-13 में निधियों को प्रदान करने के कारण हुई। निधियों को मूल/पूरक अनुदानों द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए था। बिना प्रावधान के पुनर्विनियोजन अनुचित और हिमाचल प्रदेश बजट नियमावली पुस्तिका 1971 के पैरा 12.5 (i) एवं हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली, 2009 के निमय 44 (3) का उल्लंघंन है।

57- अटल श्रेष्ठ शहर योजना-

गैर योजना

मूल

2,00.00

2,00.00

(-)2,00.00

₹ 2,00.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

192- नगर पालिकाओं -नगर परिषदों को सहायता-

12- सृजन उन्नयन हेतू विशेष राज्य वित्तायोग पुरस्कार-

गैर योजना

मूल

2,00.00

पुनर्वि0 (-)2,00.00

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,00.00 लाख के समस्त प्रावधान को योजना के अन्तर्गत व्यय न होने के कारण कम कर दिया गया।

14- केन्द्रीय वित्तायोग पुरस्कार-

गैर योजना

मूल

35,65.97

24,23.74

24,23.74

पुनर्वि0 (-)11,42.23

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 11,42.23 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा दूसरी किस्त जारी न होने के कारण हुई।

18- प्रधानमंत्री आवास योजना-सभी के लिए आवास (शहरी)-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजना

मूल

12,56.00

10,00.59

1.22

(-)9,99.37

पुनर्वि0 (-)2,55.41

₹ 9,99.37 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,55.41 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों को कम जारी करने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 9,99.37 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

योजना

मूल

1,45.00

1,07.85

1,07.85

पुनर्वि0

(-)37.15

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 37.15 लाख की कमी केन्द्र की हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुई।

19- बाल पार्कों का विकास-

### गैर योजना

मूल

4,00.00

4,00.00

84.58

(-)3,15.42

₹ 3,15.42 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

- 193- नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र की सिनतियों या इसके समतुल्य को सहायता-
- 04- दीन दयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन-

## केन्द्रीय प्रायोजित योजना

### योजना

(i) मूल

1,00

(-)1.00

पुनर्वि0 योजना

(ii) मूल

1,00

पुनर्वि0 (-)1.00

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 2.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया और राज्य की हिस्सेदारी भी अप्रयुक्त रही।

13- केन्द्रीय वित्तायोग पुरस्कार-

## गैर योजना

मूल

7,73.47

5,26.37

5,26.37

पुनर्वि0 (-)2,47.10

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,47.10 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा दूसरी किस्त जारी नहीं होने के कारण हुई।

16- प्रधानमंत्री आवास योजना-सभी के लिए आवास (शहरी)-

## केन्द्रीय प्रायोजित योजना

### योजना

मूल

6,00.00

1,48.80

(-)1,48.80

पुनर्वि0 (-)4,51.20

₹ 1,48.80 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4,51.20 लाख की कमी भारत सरकार से कम निधियां जारी होने के कारण हुई जोकि अवास्तविक सिद्ध हुई।

₹ 1,48.80 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

## योजना

मूल

62.00

14.88

14.88

पुनर्वि0

(-)47.12

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 47.12 लाख की कमी केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनूपात में राज्य की हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुई।

17- बाल पार्कों का विकास-

### गैर योजना

मूल

1,00.00

1,00.00

(-)1,00.00

₹ 1,00.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

(v) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष

कुल अनुदान

वास्तविक

आधिक्य (+)

व्यय

बचत (-)

(₹ लाखों में)

## 2059- लोक निर्माण कार्य-

01- कार्यालय भवन-

053- रखरखाव तथा मुरम्मत-

10- नगर एवं ग्राम योजना विभाग के कार्यालय

भवनों का रखरखाव-

#### गैर योजना

मूल

0.01

10.01

10.01

पुनर्वि0

10.00

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 10.00 लाख का आवर्धन रखरखाव कार्य के अधिक निष्पादन के कारण हुआ।

## 2215- जलापूर्ति तथा स्वच्छता-

02- मल जल तथा सफाई-

105- सफाई सेवाएं-

04- मुरम्मत और रखरखाव-

## गैर योजना

मूल 3,50.00

पूरक 0.01 3,53.30 10,73.90

+7,20.60

पुनर्वि0

3.29

₹ 7,20.60 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

## 2216- आवास-

02- शहरी आवास-

105- भू-संपदा विनियमितीकरण और विकास अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत निर्मीचन -

01- हिमाचल प्रदेश भू-संपदा नियामक प्राधिकरण-

### गैर योजना

पूरक

0.02

1,00.00

1,00.00

पुनर्वि0

99.98

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 99.98 लाख का आवर्धन नए कार्यालय की स्थापना और योजना के लिए नए नियुक्त कर्मचारियों को वेतन का भुगतान करने के कारण हुआ।

### 2217- शहरी विकास-

80- सामान्य-

191- नगर निगम को सहायाता-

48- अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन-

### केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजना

मूल

26,03.00

36,37.38

34,29.38

(-)2,08.00

पुनर्वि0 10,34.38

₹ 2,08.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 10,34.38 लाख का आवर्धन भारत सरकार द्वारा केन्दीय हिस्सा जारी होने के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ। जबकि भारत सरकार से ₹ 67,92.05 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।

₹ 2,08.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

## योजना

मूल

2,78.00

4,45.66

4,45.66

पुनर्वि0

1,67.66

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,67.66 लाख का आवर्धन केन्द्रीय हिस्से के अनुपात में राज्य का हिस्सा जारी करने के कारण हुआ।

192- नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता-

04- दीनदयाल अन्तोदय योजना

राष्ट्रीय आजिविका मिशन-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

_			
या	ज	Ŧ	ı

मूल 1,46.00

6,22.31

6,22.31

पुनर्वि0

4,76.31

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4,76.31 लाख का आवर्धन भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुआ।

#### योजना

मूल

15.00

69.15

69.15

पुनर्वि0

54.15

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 54.15 लाख का आवर्धन केन्द्रीय हिस्से के अनुपात में राज्य का हिस्सा जारी करने के कारण हुआ।

16- स्वच्छ भारत मिशन हेतू सहायता अनुदान-

## केन्द्रीय प्रायोजित योजना

#### योजना

मूल

2,00.00

5,13.20

5,13.20

पुनर्वि0

3,13.20

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3,13.20 लाख का आवर्धन भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुआ। जबकि भारत सरकार से ₹ 7,63.20 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।

#### योजना

मूल

22.00

56.80

56.80

पुनर्वि0

34.80

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 34.80 लाख का आवर्धन केन्द्रीय हिस्से के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुआ।

17- अटल मिशन कायाकल्प और शहरी रूपांतरण-

### केन्द्रीय प्रायोजित योजना

#### योजना

मूल

11,00.00

18,68.87

18,68.87

पुनर्वि0

7,68.87

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 7,68.87 लाख का आवर्धन भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुआ। जबकि भारत सरकार से ₹ 67,92.05 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।

21- नगर पालिकाओं/नगर परिषद क्षेत्रों की सडकों की मुरम्मत-

- 4		
ग	₹	याजना

मूल 6,00.00

पूरक 0.01 8,00.00 8,00.00

पुनर्वि0 1,99.99

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,99.99 लाख का आवर्धन कार्यालय भवन के रखरखाव पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

## पूजीगत प्रवर्ग

(vi) दत्तमत अनुदान में आधिक्य मुख्यतः निम्नवत शीर्षों के अन्तर्गत हुआः-

शीर्ष कुल अनुदान वास्तविक आधिक्य (+)

व्यय बचत (-) (₹ लाखों में)

4215- जलापूर्ति तथा स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय-

02- मल निकासी तथा सफाई-

106- जलमल सेवाएं

02- विभिन्न जिलों में जलोस्तर मल व्यवस्था योजना-

योजना

मूल 29,92.00

63,42.00 63,80.03 +38.03

पूरक 33,50.00

₹ 38.03 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

## 4217- शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय-

01- राज्य की राजधानी का विकास-

190- सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश-

01- शिमला जल प्रबन्धन निगम लिमिटेड में इक्किठी/निवेश-

योजना

मूल 10,00.00 पुरक 64,78.02

02 75,04.90 75,04.90

पुनर्वि0 26.88

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 26.88 लाख का आवर्धन शिमला जल प्रबन्धन निगम लिमिटेड में निवेश के कारण हुआ।

(vii) उपरोक्त आधिक्य मुख्यतः निम्नवत् शीर्षौ के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हआः-

शीर्ष कुल अनुदान वास्तविक आधिक्य (+)

व्यय (**₹** लाखों में) बचत (-)

## 4217- शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय-

03- लघु तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-

## विनियोग लेखे अनुदान संख्या-28 (समाप्त)

051- निर्माण-

05- प्रारूप विकास योजना विस्तार-

योजना

मूल

2,07.00

1,48.15 1,48.15

पुनर्वि0

(-)58.85

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 58.85 लाख की कमी पूर्णबंद के दौरान बिलों की प्राप्ति न होने के कारण हुई।

## विनियोग लेखे अनुदान संख्या- 29 -वित्त

(शीर्ष- 2047- अन्य राजकोषीय सेवाएं, 2048- ऋण में कमी या परिहार के लिए विनियोग, 2049- ब्याज अदायगी, 2054- खजाना तथा लेखा प्रशासन, 2059- लोक निर्माण कार्य, 2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 2071- पैंशन तथा अन्य सेवा निवृति लाभ, 2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण्, 3451- सिचवालय आर्थिक सेवायें, 3454- जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, 6003- राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण, 6004- केन्द्रीय सरकार से ऋण तथा अग्रिम तथा 7610- सरकारी कर्मचारी आदि को ऋण)

		कुल अनुदान/ विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ हजारों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग			,	
दत्तमत				
मूल	67,74,49,49			
		67,81,25,28	55,68,29,36	(-)12,12,95,92
पूरक	6,75,79			
वर्ष के दौरान अभ				
राशि (31 मार्च 20 <i>प्रभारित</i>	020)			13,04,07,65
मूल	45,50,00,00			
		45,50,00,08	42,34,01,54	(-)3,15,98,54
पूरक	8			
वर्ष के दौरान अभ	यर्पित			
राशि (31 मार्च 2) पूंजीगत प्रवर्ग	020)			3,38,87
दत्तमत				
मूल	13,77,51			
		13,77,53	7,42,56	(-)6,34,97
पूरक	2			
वर्ष के दौरान अभ	यर्पित			
राशि (31 मार्च 20	020)			4,77,45
प्रभारित				
मूल	32,61,75,04			
		67,00,74,76	67,00,75,18	+42
पूरक	34, 38, 99, 72			
वर्ष के दौरान अभ	यर्पित राशि			5
(31 मार्च 2020)				

## टिप्पणियाँ तथा अभ्युक्तियाँ

- (i) पूंजीगत प्रवर्ग के प्रभारित विनियोजन पर हुए ₹ 42,183 के आधिक्य का नियमितीकरण अपेक्षित है।
- (ii) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत अनुदान में ₹ 12,12,95.92 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से, फरवरी 2020 में प्राप्त ₹ 6,75.79 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ जबिक मूल अनुदान सारभूत रूप से अप्रयुक्त रहा और ₹ 13,04,07.65 लाख का अभ्यर्पण अत्याधिक सिद्ध हुआ।
- (iii) राजस्व प्रवर्ग के प्रभारित विनियोजन में ₹ 3,15,98.54 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से, मार्च 2020 में ₹ 3,38.87 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ।
- (iv) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 6,34.97 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से, मार्च 2020 में ₹ 4,77.45 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ।
- (v) पूंजीगत प्रवर्ग के प्रभारित विनियोजन पर हुए ₹ 0.42 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से, फरवरी 2020 में प्राप्त ₹ 34,38,99.72 लाख का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

### राजस्व प्रवर्ग

(vi) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष कुल अनुदान वास्तविक आधिक्य (+) व्यय बचत (-) (₹ लाखों में)

## 2047- अन्य राजकोषीय सेवाएं-

103- लघु बचत संगठन-

01- लघु बचत संगठन-

गैर योजना

मूल 86.28

56.18 56.18

पुनर्वि0 (-)30.10

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 30.10 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, पैट्रोल, तेल रनेहक और वाहनों की मरम्मत पर कम व्यय के कारण हुई।

02- जिला स्थापना-

#### गैर योजना

मूल 69.91

39.31 37.24 (-)2.07

पुनर्वि0 (-)30.60

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 30.60 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

## 2048- ऋण की कमी या परिहार के लिए विनियोग-

101- ऋण शोधन निधि-

01- ऋण शोधन निधि हेतु हस्तांतरण-

गैर योजना

(i) मूल

1,00.00

पुनर्वि0 (-)1,00.00

200- अन्य विनियोग-

01- गांरटी निधि हेतु हस्तांतरण-

गैर योजना

(ii) मूल

1,00.00

पुनर्वि0 (-)1,00.00

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा ₹ 2,00.00 लाख का समस्त प्रावधान योजना बंद करने के कारण कम कर दिया गया।

## 2054- खजाना तथा लेखा प्रशासन-

095- लेखा एवं खजाना निदेशालय-

01- मुख्यालय संगठन-

गैर योजना

मूल

8,83.06

7,25.05

7,25.05

पुनर्वि0 (-)1,58.01

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,58.01 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, पेशेवरों की कम भर्ती, बिजली, पानी, दूरभाष बिलों और बाह्य स्त्रोतों पर कम व्यय के कारण हुई।

097- खजाना स्थापना-

01- जिला स्थापना तथा उप कोषागार-

गैर योजना

मूल

33,24.10

27,33.16

27,43.68

+10.52

पुनर्वि0 (-)5,90.94

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 5,90.94 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति और दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति के कारण हुई जोकि पैट्रोल, तेल, रनेहक और वाहनों की मरम्मत पर अधिक व्यय के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुआ।

098- स्थानीय निधि लेखा परीक्षा-

01- स्थानीय निधि लेखा परीक्षा संगठन-

गैर योजना

मूल

10,14.28

7,46.95

7,46.95

पुनर्वि0 (-)2,67.33

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,67.33 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

2071- पैंशन तथा अन्य सेवानिवृति लाभ-

01- नागरिक-

101- अधिवर्षिता तथा सेवानिवृति भत्ते-

03- 1.11.1966 से अधिवार्षिकी-

गैर योजना

मूल 35, 12, 77.05

30,07,34.59

32, 32, 42.50

+2,25,07.91

पुनर्वि0 (-)5,05,42.46

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 5,05,42.46 लाख की कमी मामलों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

₹ 2,25,07.91 लाख का अंतिम आधिक्य अतिरिक्त मंहगाई भत्ते, अंतरिम राहत दरों में वृद्धि और वृद्धावस्था भत्ते लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि के कारण हुआ।

102- पैंशन का साराशीकृत मूल्य-

02- 1.11.1966 से देय राशि-

गैर योजना

मूल 7, 10, 64.00

2,50,25.95

2,50,07.46

(-)18.49

पुनर्वि0 (-)4,60,38.05

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4,60,38.05 लाख की कमी मामलों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

104- उपदान-

02- 1.11.1966 से देय उपदान-

गैर योजना

मूल 6,71,40.00

4,98,12.11 4,97,37.02

(-)75.09

पुनर्वि0 (-)1,73,27.89

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,73,27.89 लाख की कमी मामलों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

₹ 75.09 लाख की अंतिम बचत अपेक्षा से कम उपदान मामलों की प्राप्ति के कारण हुई।

105- पारिवारिक पैंशन-

02- 1.11.1966 से देय राशि-

गैर योजना

मूल 8,85,78.07

7,61,53.80 6,31,63.24

(-)1,29,90.56

पुनर्वि0 (-)1,24,24.27

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,24,24.27 लाख की कमी मामलों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

## विनियोग लेखे

## अनुदान संख्या- 29 (क्रमशः)

₹ 1,29,90.56 लाख की अंतिम बचत अपेक्षा से कम पारिवारिक पैंशन मामलों की प्राप्ति के कारण हुई।

111- विधायकों को पैंशन-

01- राज्य के विधायक-

### गैर योजना

मूल

28,89.45

23,85.30

21,10.42

(-)2,74.88

पुनर्वि0 (-)5,04.15

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 5,04.15 लाख की कमी मामलों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

₹ 2,74.88 लाख की अंतिम बचत अपेक्षा से कम पैंशन मामलों की प्राप्ति के कारण हुई।

115- अवकाश नकदीकरण हितलाभ-

01- अवकाश भुगतान-

### गैर योजना

मूल

4,06,91.00

3,72,68.18

3,72,40.22

(-)27.96

पुनर्वि0 (-)34,22.82

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 34,22.82 लाख की कमी मामलों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

₹ 27.96 लाख का अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

## 2235- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण -

60- अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-

102- सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अन्तर्गत पैंशन-

05- अटल पैंशन योजना-

### गैर योजना

मूल

15,00.00

5,86.21

5,86.21

पुनर्वि0 (-)9,13.79

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 9,13.79 लाख की कमी योजना के अन्तर्गत उपर्यक्त अभिदाताओं की अनुपलब्धता के कारण हुई।

## 3451- सचिवालय-आर्थिक सेवाएं-

091- सम्बद्ध कार्यालय-

01- वित्त और सार्वजनिक उद्यम संस्थागत निदेशालय-

#### गैर योजना

मूल

20,00.00

1,62.73

1,62.73

पुनर्वि0 (-)18,37.27

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 18,37.27 लाख की कमी सहकारी संस्थाओं से मांग की कम प्राप्ति के कारण हुई।

## 3454- जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-

- 02- सर्वेक्षण तथा संाख्यिकी-
- 111- जन्म-मृत्यु सांख्यिकी-
- 01- मुख्यालय तथा जिला कर्मचारी वर्ग-

### गैर योजना

मूल

12,82.52

9,31.11

9,31.06

(-)0.05

पुनर्वि0 (-)3,51.41

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3,51.41 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने और बाह्य स्त्रोतों पर कम व्यय के कारण हुई।

02- यांत्रिक सारणीकरण अंग-

### गैर योजना

(i) मूल

20.65

11.69

11.69

पुनर्वि0 (-)8.96

03- राज्य आय अनुमान ईकाई अंक के सुधार की स्थापना-गैर योजना

(ii) मूल

26.56

7.67

7.65

(-)0.02

पुनर्वि0 (-)18.89

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 27.85 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

(vii) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अर्न्तगत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई:-

शीर्ष

कुल अनुदान

वास्तविक

आधिक्य (+)

व्यय

बचत (-)

(₹ लाखों में)

## 2054- खजाना तथा लेखा प्रशासन-

095- लेखा तथा खजाना-

04- विश्व बैंक की सहायता से एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना)-


योजना

मूल 10,00.000

पुरक 6,75.79 17,95.20 17,95.20

पुनर्वि0 1,19.41

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,19.41 लाख का आवर्धन पेशेवरों को परामर्श शुल्क के भुगतान के कारण हुआ जोकि बिलों की कम प्राप्ति, रिक्त पदों को न भरने और कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों, संगोष्ठियों और शिविरों के कम आयोजन के कारण हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ।



मूल 13,92.43

18,29.55 18,13.00 (-)16.55

पुनर्वि0 4,37.12

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4,37.12 लाख का आवर्धन पैंशन में अधिक भुगतान के कारण हुआ।

117- परिभाषित योगदान पैंशन योजना के लिए सरकारी योगदान-

01- अंशदायी पैंशन योजना-

गैर योजना

मूल

4,30,10.00

4,66,61.03

4,66,60.69

(-)0.34

पुनर्वि0

36,51.03

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 36,51.03 लाख का आवर्धन पैंशन के भुगतान के कारण हुआ।

(viii) प्रभारित विनियोजन में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अर्न्तगत हुई:-

शीर्ष

कुल विनियोजन

वास्तविक

आधिक्य (+)

व्यय

बचत (-)

(₹ लाखों में)

2049- ब्याज अदायगी-

01- ऑतरिक ऋण पर ब्याज-

101- बाजार ऋणों पर ब्याज-

प्रतिशत हिमाचल प्रदेश राज्य विकास ऋण (नए ऋण)

मूल

3,31,20.18

पुनर्वि० (-)3,31,20.18

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा ₹ 3,31,20.18 लाख का संपूर्ण विनियोजन निर्धारित समय के अनुसार ब्याज का भुगतान न करने के कारण कम कर दिया गया । ऐसा विनियोजन 2010-11 से किया जा रहा है।

200- अन्य आंतरिक ऋणों पर ब्याज-

07- कृषि और ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक-

गैर योजना

मूल

1,60,00.00

1,36,62.06 1,36,62.07

+0.01

पुनर्वि0 (-)23,37.94

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा ₹ 23,37.94 लाख की कमी निर्धारित समय के अनुसार ब्याज के कम भुगतान के कारण हुआ।

03- अल्प बचतों, भविष्य निधियों आदि पर ब्याज-

104- राज्य भविष्य निधियों पर ब्याज-

01- सामान्य भविष्य निधि-

गैर योजना

12,65,95.00

14,48,36.66 11,43,72.11

(-)3,04,64.55

पुनर्वि0 1,82,41.66

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोजन में ₹ 1,82,41.66 लाख का आवर्धन ब्याज के भुगतान के लिए निधियों की अधिक आवश्यकता के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ। ₹ 3,04,64.55 लाख की अंतिम बचत ब्याज दर के घटकर 8.9 प्रतिशत से 7.9 प्रतिशत होने के कारण हुई।

03- भारतीय सेवाएं भविष्य निधि-

### गैर योजना

मूल

10,59.00

10,59.00

4,14.49

(-)6,44.51

₹ 6,44.51 की अंतिम बचत बजट के पिछले वर्षों की प्रवृति के अनुसार रखने के कारण हुई ।

108- बीमा तथा पैंशन निधि पर ब्याज-

01- हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारी समूह बीमा स्कीम-

### गैर योजना

मूल

23,46.00

23,46.00

15.15.67

(-)8,30.33

₹ 8,30.33 लाख की अंतिम बचत ब्याज दर की 8 प्रतिशत से 7.9 प्रतिशत तक घटती प्रवृति के कारण हुई।

(ix) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अर्न्तगत प्रभारित विनियोजन पर हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई:-

शीर्ष

कुल विनियोजन

वास्तविक

आधिक्य (+)

व्यय

बचत (-)

(₹ लाखों में)

## 2049- ब्याज अदायगी-

01- आंतरिक ऋण पर ब्याज-

101- बाजार ऋणों पर ब्याज-

14- 8.73 प्रतिशत हिमाचल प्रदेश राज्य विकास ऋण 2022-

#### गैर योजना

(i) मूल

13,96.80

31,42.80

31,42.80

पुनर्वि0

17,46.00

21- 8.48 प्रतिशत हिमाचल प्रदेश राज्य विकास ऋण 2017-

### गैर योजना

(ii) पूरक

0.01

22,56.00

22,56.00

पुनर्वि0

22,55.99

23- 12.15 प्रतिशत हिमाचल प्रदेश राज्य विकास ऋण 2008-

4		١.	
ग	₹	या	जना

	गैर योजना				
(iii)	पूरक	0.01	15,85.50	15,85.50	
	पुनर्वि0	15,85.49	70,00.00	10,00.00	
49-	राज्य विकास	हिमाचल प्रदेश ऋण 2004-			
	गैर योजना				
(iv)	पूरक	0.01	42,15.00	42,15.00	
	पुनर्वि0	42,14.99	42, 13.00	42, 10.00	
50-	6.35 प्रतिशत राज्य विकास <b>गैर योजना</b>	हिमाचल प्रदेश ऋण 2004-			
(v)	पूरक	0.01			
			8,12.00	8,12.00	
	पुनर्वि0	8,11.99			
51-	8.50 प्रतिशत <b>गैर योजना</b>	पावर बाँड-			
(vi)	पूरक	0.01			
	पुनर्वि0	17 82 <i>1</i> 0	17,82.50	17,82.50	
	· ·				
52-	7.77 प्रातशत राज्य विकास <b>गैर योजना</b>	ि हिमाचल प्रदेश ऋण 2005-			
(vii)	पूरक	0.01			
			8,81.25	8,81.25	
	पुनर्वि0	8,81.24			
53-	7.39 प्रतिशत राज्य विकास <b>गैर योजना</b>	हिमाचल प्रदेश ऋण 2015-			
(viii)	पूरक	0.01			
	66		8,97.50	8,97.50	
	पुनर्वि0				
56-		हिमाचल प्रदेश			
	राज्य विकास गैर योजना	ૠ <sup>ጣ 2004-</sup>			
(ix)	पूरक	0.01			
			16,40.00	16,40.00	
	पुनर्वि0	16,39.99			

उपरोक्त नौ मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोजन मे ₹ 1,58,15.67 लाख का आवर्धन ब्याज के भुगतान के लिए निधियों की अधिक आवश्यकता के कारण हुआ।

115- भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम पर ब्याज-

01- भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम प्रभार पर ब्याज-

### गैर योजना

मूल

0.01

2,41.69

2,87.82

+46.13

पुनर्वि0

2,41.68

₹ 46.13 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से, मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोजन में ₹ 2,41.68 लाख का आवर्धन ब्याज के भुगतान के लिए निधियों की अधिक आवश्यकता के कारण हुआ जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

₹ 46.13 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

02- ओवरडाफ्ट पर ब्याज-

### गैर योजना

मूल

0.01

70.11

70.14

+3.03

पुनर्वि0

70.10

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोजन में ₹ 70.10 लाख का आवर्धन ब्याज के भुगतान के लिए निधियों की अधिक आवश्यकता के कारण हुआ।

116- 14 दिन के खजाना बिलों पर ब्याज-

01- 14 दिन के खजाना बिलों पर ब्याज -

#### गैर योजना

मूल

4,00.00

4,00.00

9,86.68

+5,86.68

₹ 5,86.68 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

200- अन्य आंतरिक ऋणों पर ब्याज-

05- राष्ट्रीय सरकारी विकास निगम से ऋण-

#### गैर योजना

मूल

10,00.00

11,96.14

11,96.14

पुनर्वि0

1,96.14

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोजन में ₹ 1,96.14 लाख का आवर्धन ब्याज के भुगतान के लिए निधियों की अधिक आवश्यकता के कारण हुआ।

305- ऋण का प्रबन्ध-

01- ऋण का प्रबन्ध-

### गैर योजना

मूल

5,60.00

5,90.00

6,33.86

+43.86

पुनर्वि0

30.00

₹ 43.86 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोजन में ₹ 30.00 लाख का आवर्धन ब्याज भुगतान के लिए निधियों की अधिक आवश्यकता के कारण हुआ जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

₹ 43.86 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

- 04- केन्द्रीय सरकार से ऋणों तथा अग्रिमों पर ब्याज-
- 101- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में योजनागत योजनाओं के लिए ऋणों पर ब्याज-
- 01- खण्ड विकास ऋण पर ब्याज-

गैर योजना

मूल 61,81.32

67,11.00

67,11.00

पुनर्वि0 5,29.68

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोजन में ₹ 5,29.68 लाख का आवर्धन ब्याज के भुगतान के लिए निधियों की अधिक आवश्यकता के कारण हुआ।

## पूंजीगत प्रवर्ग

(x) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष कुल अनुदान वास्तविक आधिक्य (+)

व्यय बचत (-)

(₹ लाखों में)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-

01- कार्यालय भवन-

051- निर्माण-

08- कोषागार संगठन-

योजना

मूल 4,00.00

3,91.05 2,61.55

(-)1,29.50

पुनर्वि0 (-)8.95

₹ 1,29.50 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

### 7610- सरकारी कर्मचारियों आदि को ऋण -

201- भवन निर्माण अग्रिम-

01- सरकारी कर्मचारियों को गृह निर्माण अग्रिम-

योजना

मूल 6,00.00

78.72 80.70 +1.98

पुनर्वि0 (-)5,21.28

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 5,21.28 लाख की कमी मामलों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

02-	मन्त्रियों/उप	मन्त्रियों तथा राज्य	सभा		
	के पीठासीन	अधिकारियों को अ	ग्रिम-		
	गैर योजना				
	मूल	50.00			
			30.00		(-)30.00
	पुनर्वि0	(-)20.00			
			वत की दृष्टि से, मार्च ों की प्राप्ति न होने के	_	
	₹ 30.00 ਕ	ाख की अंतिम बचत	न के कारण प्रतीक्षित थे	(अक्तूबर 2020)।	
03-	हाई कोर्ट के गैर योजना	ं जजों/लोकायुक्तः	इत्यादि के अग्रिम-		
(i)	मूल	7.50			
	पुनर्वि0	(-)7.50			
		को क्रय करने के रि राज्य विधान सभा	· · ·		
03		गर हेतु अग्रिम-	प्रणायप्रगारपा		
(ii)	मूल	20.00			
	पुनर्वि0	(-)20.00			
		मामलों में मार्च 20 होने के कारण हुअ	20 में अभ्यर्पण द्वारा <b>₹</b> त।	27.50 लाख का समस्त	1 प्रावधान मामलों
	अन्य अग्रिम शिक्षा ऋण-	-			
	गैर योजना	2.00.00			
	मूल	3,00.00	0.44	0.44	
	पनर्वि0	(-)2,91.86	8.14	8.14	••
		म पुनविनियोजन/अ के कारण हुई।	भ्यर्पण द्वारा प्रावधान में	₹ 2,91.86 लाख की	कमी मामली की
(xi)	उपरोक्त बन् शीर्ष	वत मुख्यतः निम्नवत्	् शीर्षों के अर्न्तगत हुए	आधिक्य से अंशतः प्रति वास्तविक	•
	रााप		कुल अनुदान	वास्तावक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
				्रय (₹ लाखों में)	44(( )
40 <u>50</u>	न्योट निर्माण	ग कार्य पर पूंजीग <b>त</b>	<del>யின</del> ை	, <b>,</b>	
4059 <sup>-</sup> 01-	कार्यालय भ		गरप्प		
	निर्माण-	4 1			

34- विश्व बैंक समर्थित एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली(बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना )के अन्तर्गत कोषागार भवन-

योजना

पुरक

0.01

1,01.77

1,01.77

पुनर्वि0

1,01.76

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,01.76 लाख का आवर्धन कार्यालय भवन के निर्माण के लिए निधियों की अधिक आवश्यकता के कारण हुआ।

39- स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग-

योजना

पूरक

0.01

2,90.40

2,90.40

पुनर्वि0

2,90.39

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,90.39 लाख का आवर्धन हिमाचल प्रदेश शहरी विकास प्राधिकरण से कार्यालय आवास खरीदनें के कारण हुआ।

प्रभारित विनियोजन में आधिक्य मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अर्न्तगत हुआः-(xii) शीर्ष

कुल विनियोजन

वास्तविक

आधिक्य (+)

बचत (-)

व्यय

(₹ लाखों में)

### 6003- राज्य सरकार का आंतरिक ऋण-

110- भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम-

03- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ओवर ड्राफ्ट और कमियां-

### गैर योजना

पूरक

9,23,63.73

9, 28, 31.71 9, 28, 32.19

+0.48

पुनर्वि0

4,67.98

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोजन में ₹ 4,67.98 लाख का आवर्धन भारतीय रिजर्व बैंक के लिए गए अर्थोपाय अग्रिम के पुनर्भुगतान के कारण हुआ।

## 6004- केन्द्रीय सरकार से ऋण तथा अग्रिम-

02- राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र की योजनागत स्कीमों के लिए ऋण-

101- एक मुश्त ऋण-

01- साधारण ऋण-

## गैर योजना

मूल

41,19.95

42,67.08

42,67.08

पुनर्वि0

1,47.13

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोजन में ₹ 1,47.13 लाख का आवर्धन ब्याज के भुगतान के लिए निधियों की अधिक आवश्यकता के कारण हुआ।

## विनियोग लेखे अनुदान संख्या- 29 (समाप्त)

(xiii) उपरोक्त आधिक्य निम्नवत् शीर्ष के अर्न्तगत प्रभारित विनियोजन पर हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ:-

शीर्ष कुल विनियोजन वास्तविक आधिक्य (+) व्यय बचत (-)

(₹ लाखों में)

6003- राज्य सरकार का आंतरिक ऋण-

108- राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण-

02- राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण-

गैर योजना

मूल 20,00.00

13,92.82 13,92.82

पुनर्वि0 (-)6,07.18

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोजन में ₹ 6,07.18 लाख की कमी निर्धारित समय के अनुसार ऋण के पुनर्भुगतान के कारण हुई।

## विनियोग लेखे अनुदान संख्या-30- विविध सामान्य सेवाएं

(शीर्ष- 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 2202- सामान्य शिक्षा, 2204-खेलकूद तथा युवा सेवाएं, 2205- कला एवं संस्कृति, 2220- सूचना तथा प्रचार, 2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण 2250- अन्य सामाजिक सेवाएं, 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, 4202- शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय तथा 4220-सूचना तथा प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय)

6	•	कुल अनुदान/ विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ हजारों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	91,08,97	97,27,51	85, 95, 84	(-)11,31,67
पूरक	6, 18, 54			
वर्ष के दौरान अभ्य राशि (31 मार्च 20				9,40,26
प्रभारित				
मूल		3,05,87		(-) 3, 05, 87
पूरक	3,05,87			
वर्ष के दौरान अभ्य	पर्पित राशि			
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	41,04,04	41,24,04	37,74,38	(-)3,49,66
पूरक	20,00			
वर्ष के दौरान अभ्य				
राशि (31 मार्च 20	020)			1,88,46
		<u> </u>	<u> </u>	

## टिप्पणियाँ तथा अभ्युक्तियाँ

- (i) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹11,31.67 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2020 में प्राप्त ₹ 6,18.54 लाख का अनुपूरक अनुदान और क्रमशः ₹ 9,40.26 लाख का अभ्यर्पण अनावश्यक तथा अपर्याप्त सिद्ध हुआ जबिक मूल अनुदान भी सारभूत रूप से अप्रयुक्त रहा।
- (ii) राजस्व प्रवर्ग के प्रभारित विनियोजन में ₹ 3,05.87 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2020 में प्राप्त ₹ 3,05.87 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ तथा विभाग द्वारा वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई जोकि बेहतर बजट बनाने और व्यय पर प्रभावी नियन्त्रण की आवश्यकता को इंगित करता है।

(iii) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 3,49.66 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2020 में प्राप्त ₹ 20.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ जबकि मूल अनुदान भी सारभूत रूप से अप्रयुक्त रहा तथा ₹ 1,88.46 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त हुआ।

### राजस्व प्रवर्ग

(iv) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष कुल अनुदान वास्तविक आधिक्य (+) व्यय बचत (-) (₹ लाखों में)

## 2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं-

003- प्रशिक्षण -

03- हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासनिक संस्थान-

#### गैर योजना

मूल

4,69.53

3,68.39

3,68.20

(-)0.19

पुनर्वि0 (-)1,01.14

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,01.14 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने और वेतनमानों में संशोधन न होने के कारण हुई जोकि बाह्य स्त्रोत सेवाओं के अधिक भुगतान, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की मजदूरी की दरों में अधिक वृद्धि और कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम के अधिक आयोजन के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

118- नागरिकता अधिनियम का प्रशासन-

01- राज्य सूचना आयोग पर व्यय-

### गैर योजना

मूल

2,55.32

2,35.62

2,35.61

(-)0.01

पुनर्वि0 (-)19.70

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 19.70 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने और वेतनमानों में संशोधन न होने के कारण हुई जोकि किराए के बिलों की अधिक प्राप्ति, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की अधिक नियुक्ति और सजावट पर अधिक व्यय के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

### 2202- सामान्य शिक्षा-

05- भाषा विकास-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

01- निदेशालय-

### गैर योजना

मूल

4,35.73

2,61.91

2,61.91

पुनर्वि0 (-)1,73.82

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,73.82 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने और वेतनमानों में संशोधन न होने के कारण हुई जोकि छात्रवृति के लिए छात्रों की अधिक पात्रता, बाह्य स्त्रोत सेवाओं का अधिक भुगतान, विज्ञापन और प्रचार पर अधिक व्यय और चिकित्सा प्रतिपूति दावों की अधिक प्राप्ति के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

102- आध्निक भारतीय भाषाओं और साहित्य का संवर्धन-

01- हिंदी का विकास-

#### गैर योजना

मूल

71.21

56.13

56.14

+0.01

पुनर्वि0

(-)15.08

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 15.08 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने और वेतनमानों में संशोधन न होने के कारण हुई।

## 2204- खेलकूद तथा युवा सेवाएं-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

01- निदेशालय-

#### गैर योजना

मूल

12,24.65

10,02.86

10,02.87

+0.01

पुनर्वि0

(-)2,21.79

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,21.79 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने और वेतनमानों में संशोधन न होने, बाह्य स्त्रोत सेवाओं का भुगतान, खेल वस्तुओं की खरीद और विभागीय गतिविधियों पर कम व्यय तथा कर्मचारियों द्वारा कम दौरे के कारण हुई।

## योजना

मूल

1,50.00

1,11.32

1,11.32

पुनर्वि0

(-)38.68

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 38.68 लाख की कमी रखरखाव और खेल वस्तुओं की खरीद पर कम व्यय के कारण हुई।

## 104- खेलकूद-

01- पर्वतीय संस्थान तथा सम्बन्धित खेलकूद, मनाली-

#### गैर योजना

मूल

5,30.40

पूरक

0.01

3,33.74

3,33.73

(-)0.01

पुनर्वि0

(-)1,96.67

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,96.67 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने,वेतनमानों में संशोधन न होने, दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति और पर्वतारोहण तथा खेल के लिए वस्तुओं की खरीद पर कम व्यय के कारण हुई।

800- अन्य व्यय-

04- हिमाचल खेल परिषद-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजना

मूल

1.00

पुनर्वि0

(-)1.00

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।

## 2205- कला एवं संस्कृति-

102- कला तथा संस्कृति का संवर्धन-

02- उत्सवों पर व्यय-

#### योजना

मूल 3,20.00 पूरक 0.01 पुनर्वि0 (-)82.70

2,37.31

2,16.31

(-)21.00

₹ 21.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 82.70 लाख की कमी सम्मेलन के आयोजन न होने के कारण हुई जोकि मामलों की अधिक प्राप्ति के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई। ₹ 21.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

04- कला केन्द्र-

### गैर योजना

मूल

36.03

25.64

25.60

(-)0.04

पुनर्वि0

(-)10.39

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 10.39 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने व वेतनमानों में संशोधन न होने और प्रदर्शनी पर कम व्यय के कारण हुई।

05- अन्य संस्थानों को सहायता

#### गैर योजना

(i) मूल 10.00

7.30

7.30

पुनर्वि0

(-)2.70

## योजना

(ii) मूल 30.00

16.45

16.45

पुनर्वि0 (-)13.55

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 16.25 लाख की कमी कोविड-19 के कारण अनुदान जारी न होने के कारण हुई।

07- वृत्तचित्र कलाकारों को वित्तीय सहायता-

## गैर योजना

मूल

30.00

0.52

0.52

पुनर्वि0

(-)29.48

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 29.48 लाख की कमी योजना में संशोधन के कारण हुई।

103- पुरातत्व विज्ञान-

01- प्राचीन कला और कला भू-निधि अधिनियम

1972 के क्रियान्वयन पर व्यय-

### गैर योजना

मूल

2,05.79

1,58.69

98.81

(-)59.88

पुनर्वि0

(-)47.10

₹ 59.88 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 47.10 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, वेतनमानों में संशोधन न होने और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि सहायता अनुदान के अधिक मामलों की प्राप्ति के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 59.88 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

#### योजना

मूल

1,19.00

1,18.46

8.19

(-)1,10.27

पुनर्वि0

(-)0.54

₹ 1,10.27 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

104- अभिलेखागार-

01- राजकीय अभिलेखागार की स्थापना-

#### गैर योजना

मूल

96.23

75.59

75.94

+0.35

पुनर्वि0

(-)20.64

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 20.64 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने व वेतनमानों में संशोधन न होने और संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण हुई।

107- संग्रहालय-

01- हिमाचल राजकीय संग्रहालय-

### गैर योजना

मूल

2,75.09

2,17.69

2,17.70

+0.01

पुनर्वि0

(-)57.40

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 57.40 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने और वेतनमानों में संशोधन न होने के कारण हुई।

## 2220- सूचना तथा प्रचार-

01- फिल्में-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

01- निदेशालय-

#### गैर योजना

मूल

6,64.18

5,68.70

5,68.69

(-)0.01

पुनर्वि0

(-)95.48

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 95.48 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, वेतनमानों में संशोधन न होने और विभिन्न मदों पर कम व्यय के कारण हुई।

02- जिला स्थापना-

### गैर योजना

मूल

8,60.72

7,27.90

7,27.88

(-)0.02

पुनर्वि0 (-)1,32.82

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,32.82 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने और वेतनमानों में संशोधन न होने के कारण हुई।

105- फिल्मों का निर्माण-

01- इलेक्ट्रोनिक प्रचार सामग्री का

उत्पादन और प्रदर्शन-

### गैर योजना

मूल

2,05.18

1,76.60

1,76.60

पुनर्वि0

(-)28.58

मार्च 2020 में पूनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 28.58 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, वेतनमानों में संशोधन न होने और कोविड-19 पूर्णबन्द के कारण हुए कम व्यय के कारण हुई।

60- अन्य-

102- सूचना केन्द्र-

01- प्रेस सूचना बैंक सेवाओं पर व्यय-

## गैर योजना

मूल

2,47.58

2,26.57

2,26.57

पुनर्वि0 (-)21.01

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 21.01 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, वेतनमानों में संशोधन न होने और कोविड-19 पूर्णबन्द के कारण हुए कम व्यय के कारण हुई जोकि बाह्य स्त्रोत सेवाओं के भुगतान पर हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

## 2250- अन्य सामाजिक सेवाएं-

103- पवित्र स्थानों, मंदिरों आदि का रखरखाव-

01- मंदिरों का प्रबन्ध-

#### गैर योजना

मूल

1,34.25

83.82

83.51

(-)0.31

पुनर्वि0 (-)50.43

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 50.43 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने और वेतनमानों में संशोधन न होने के कारण हुई।

02- मंदिरों के लिए रिवाल्विंग फंड हेतु सहायता अनुदान-

## गैर योजना

मूल

3,00.00

पुनर्वि0 (-)3,00.00

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3,00.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण कम कर दिया गया।

(v) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई:-शीर्ष कुल अनुदान वास्तविक आधिक्य (+)

व्यय बचत (-)

(₹ लाखों में)

### 2059- लोक निर्माण कार्य-

01- कार्यालय भवनों-

053- रखरखाव तथा मरम्मत-

23- सार्वजनिक संबंध विभाग तथा भवनों पर अनुरक्षण व्यय-

### गैर योजना

मूल

0.01

57.75

57.75

पुनर्वि0

57.74

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 57.74 लाख का आवर्धन कार्यालय भवनों की मरम्मत/रखरखाव के कारण हुआ।

## 2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं-

003- प्रशिक्षण-

02- हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण व्यय-

#### गैर योजना

मूल

84.51

1,12.06

1,12.06

पुनर्वि0

27.55

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 27.55 लाख का आवर्धन कर्मचारियों को अतिरिक्त मंहगाई भत्ते और अंतरिम राहत के भुगतान के कारण हुआ।

## 2205- कला एवं संस्कृति-

104- अभिलेखागार-

01- राजकीय अभिलेखागार की स्थापना-

### योजना

मूल 2.00

पूरक 0.01 11.04 11.04

पुनर्वि0 9.03

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 9.03 लाख का आवर्धन राज्य अभिलेखागार में लिखित विरासत के डिजिटलकरण के लिए सहायता प्रदान करने के कारण हुआ जोकि संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

## 2220- सूचना तथा प्रचार-

60- अन्य-

101- विज्ञापन और दृश्य प्रचार-

01- विज्ञापन और दृश्य प्रचार पर व्यय-

#### गैर योजना

मूल 12,29.32

पूरक 6,18.51 23,31.39 23,31.39

पुनर्वि0 4,83.56

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4,83.56 लाख का आवर्धन विज्ञापन और प्रचार पर अधिक व्यय, नए वाहनों की अधिक खरीद, बैठक और सम्मेलन पर अधिक व्यय और दूरभाष, बिजली और पानी के बिलों पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

102- सूचना केंद्र-

02- हिमाचल प्रदेश पत्रकार कल्याण योजना-

#### गैर योजना

मूल 50.00

1,22.64 1,22.64

पुनर्वि0 72.64

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 72.64 लाख का आवर्धन प्रदेश के सभी राज्य/जिला स्तर के मान्यता प्राप्त पत्रकारों को लैपटाप प्रदान करने के कारण हुआ।

107- गीत और नाटक सेवाएँ-

01- गीत और नाटक सेवाओं पर व्यय-

### गैर योजना

मूल 1,99.30

3,25.31 3,25.31

पुनर्वि0 1,26.01

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,26.01 लाख का आवर्धन विशेष प्रचार अभियान पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि रिक्त पदों को न भरने और वेतनमानों में संशोधन न होने के कारण हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ।

		-	3	` /	
(vi)	प्रभारित विनि शीर्ष	नेयोजन में बचत मु	ख्यतः निम्नवत् शीर्षौ के उ कुल विनियोजन	आधिक्य (+)	
	रााप		कुल ।वानवाजन	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
				(₹ लाखों में)	44(( )
2205-	कला एवं स	ांस्कृति-		(* ************************************	
	पुरातत्व विङ्	-			
	•	ा और भू-निधि			
		1972 के क्रियान्वय	ान पर व्यय-		
	पूरक	3,05.87	3,05.87		(-)3,05.87
	₹ 3,05.87	लाख का समस्त	विनियोजन अप्रयुक्त रहा; वि	जेसके कारण प्रतीर्व	क्षेत थे (अक्तूबर 2020)
पूंजीग	ात प्रवर्ग				
(vii)	दत्तमत अन	टान में बचत मख्य	तः निम्नवत् शीर्षों के अन्त	र्गत हर्ड:-	
(11)	शीर्ष	4	कुल अनुदान	वास्तविक	आधिक्य (+)
			3 3	व्यय	बचत (-)
				(₹ लाखों में)	
4059-	लोक निर्मा	ण पर पूंजीगत परि	रिव्यय-		
	सामान्य-				
	निर्माण-		, o ,		
06-	हिमाचल ल <b>योजना</b>	कि प्रशासन संस्था	न भवनों का निर्माण-		
	मूल	2,00.00	2,00.00	38.80	(-)1,61.20
	₹ 1,61.20	लाख की अंतिम ब	बचत के कारण प्रतीक्षित थे	(अक्तूबर 2020)।	
4202-	शिक्षा, खेल पर पूंजीगत	कूद, कला तथा र परिव्यय-	<b>ां</b> स्कृति		
03-	खेलकूद तश	था युवा सेवाएं-			
101-	युवक छात्रा	वास-			
01-	भवन-				
	योजना				
	मूल	5,00.00			
	_~~~	()	4,57.00	4,57.00	
	पुनर्वि0	(-)43.00			
	मार्च 2020 कारण हुई।	में अभ्यर्पण द्वारा !	प्रावधान में ₹ 43.00 लाख	की कमी प्रमुख क	ार्यो पर कम व्यय के
102-	खेल क्रीडा	स्थल-			
04-	मुख्य मंत्री <b>गेर योजना</b>	खेल विकास योजन	π-		
	मूल	6,80.00			
			5,79.80	5,79.80	
	पुनर्वि0	(-)1,00.20			

## विनियोग लेखे अनुदान संख्या-30 (समाप्त)

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,00.20 लाख की कमी योजना पर कम व्यय के कारण हुई।

## 4220- सूचना तथा प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय-

60- अन्य -

101- भवन-

01- लोक निर्माण-

योजना

मूल 30.00

पुनर्वि0 (-)30.00

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 30.00 लाख का समस्त प्रावधान कोविड-19 पूर्णबंद/कर्फ्यू के कारण कम कर दिया गया।

## विनियोग लेखे अनुदान संख्या - 31-जनजातीय विकास

(शीर्ष -2014 - न्याय प्रशासन, 2015- निर्वाचन, 2029- भू-राजस्व, 2030- स्टॉम्प तथा पंजीकरण, 2045- वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क, 2047- अन्य राजकोषीय सेवाएं, 2053-जिला प्रशासन, 2054-खजाना तथा लेखा प्रशासन, 2055- पुलिस, 2056- जेल, 2059-लेक निर्माण-कार्य, 2062-सतर्कता, 2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 2202- सामान्य शिक्षा, 2203-तकनीकी शिक्षा, 2204-खेलकुद तथा युवा सेवाएं, 2205- कला एवं संस्कृति, 2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 2211- परिवार कल्याण, 2215- जलापूर्ति तथा सफाई, 2216- आवास, 2217- शहरी विकास, 2220- सूचना तथा प्रचार, 2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसख्यकों का कल्याण, 2230- श्रम एवं रोजगार, 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 2236- पोषण, 2251- सचिवालय सामाजिक सेवाएं, 2401-फसल कृषि- कर्म, 2402- मुदा तथा जल सरंक्षण, 2403- पशु पालन, 2404- दुग्ध विकास, 2405- मछली पालन, 2406- वानिकी तथा वन्य प्राणी, 2408- खाद्य भण्डारण तथा भाण्डागार, 2415- कृषि अनुंसधान तथा शिक्षा, 2425- सहकारिता, 2435- अन्य कृषि कार्यक्रम, 2501-ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम, 2505- ग्राम रोजगार, 2506- भूमि-सुधार, 2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, 2702- लघु सिंचाई, 2810- नई तथा नवीकरण उर्जा, 2851-ग्रामीण तथा लघु उद्योग, 2852- उद्योग, 2853- अलौह खनन तथा धातु उद्योग, 3054- सड़कें तथा पुल, 3452- पर्यटन, 3454- जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 3456- सिविल आपूर्ति, 3475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं, 4055- पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय, 4059- लोक निर्माण कार्य पर पुंजीगत परिव्यय, 4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पुंजीगत परिव्यय, 4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय, 4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, 4215-जलापूर्ति तथा स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय, 4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय, 4225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय, 4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत व्यय, 4401- फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय, 4402- मृदा तथा जल सरंक्षण पर पूंजीगत परिव्यय, 4403- पशु पालन पर पूंजीगत परिव्यय,4405-मछली पालन पर पुंजीगत परिव्यय, 4406- वानिकी तथा वन्य प्राणियों पर पुंजीगत परिव्यय, 4408-खाद्य, भण्डारण तथा भाण्डागार पर पूंजीगत परिव्यय, 4425-सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय, 4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 4705-कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय, 4711-बाढ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 4801 - बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 4851-ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय, 5053- नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय, 5054- सड़कों तथा पूलों पर पूंजीगत परिव्यय, 5055- सड़क परिवहन पर पुंजीगत परिव्यय, 5452- पर्यटन पर पुंजीगत परिव्यय तथा 6801- बिजली परियोजनाओं के लिए ऋण)

कुल अनुदान/विनियोजन	वास्तविक	आधिक्य	(+)
	व्यय	बचत	(-)
	(₹ हजारों में)		

राजस्व प्रवर्ग

दत्तमत

मूल 13,60,01,92 13,60,02,36 9,88,63,75 (-)3,71,38,61

पूरक 44

	31	नुदान संख्या - 31(क्र	મશઃ)	
वर्ष के दौरान अभ्य राशि (31 मार्च 20				3,29,18,53
प्रभारित				
मूल		33,96	17,50	(-)16,46
पूरक	33,96			
वर्ष के दौरान अभ्य राशि (31 मार्च 20				7
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	3,75,37,95	4,39,52,49	3,45,48,47	(-)94,04,02
पूरक	64, 14, 54			

## टिप्पणियाँ तथा अभ्युक्तियाँ

92,72,79

- (i) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 3,71,38.61 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 3,29,18.53 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ।
- (ii) राजस्व प्रवर्ग के प्रभारित विनियोजन में ₹ 16.46 लाख की बचत की दृष्टि से फरवरी 2020 में प्राप्त ₹ 33.96 लाख का अनुपूरक अनुदान और ₹ 0.07 लाख का अभ्यर्पण क्रमशः अत्याधिक तथा अपर्याप्त सिद्ध हुआ।
- (iii) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 94,04.02 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2020 में प्राप्त ₹ 64,14.54 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यके सिद्ध हुआ।

### राजस्व प्रवर्ग

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित

राशि (31 मार्च 2020)

(iv) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-शीर्ष कुल अनुदान वास्तविक आधिक्य (+) व्यय बचत (-) (₹ लाखों में)

#### 2014- न्याय प्रशासन-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- सिविल तथा सत्र न्यायालय पर व्यय-

#### गैर योजना

(i) मूल 2,49.99

2,17.88 2,17.88

पुनर्वि0 (-)32.11

03- अन्य विधि अधिकारियों पर व्यय-गैर योजना

(ii) मूल 90.94

68.70

+0.03

पुनर्वि0 (-)22.24

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 54.35 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा वेतनमानों में संशोधन न होने के कारण हुई जोकि चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की अधिक प्राप्ति से हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

## 2029- भू-राजस्व-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- जिला स्थापना पर व्यय-

#### गैर योजना

(i) मूल 5,78.66

4,59.26 4,59.02 (-)0.24

68.73

पुनर्वि0 (-)1,19.40

03- प्राथमिक तथा पर्यवेक्षण भू-अभिलेख संस्थानों का सुदृढ़ीकरण (जिला प्रभार)-गैर योजना

(ii) मूल 1,30.42

75.34 75.34

पुनर्वि0 (-)55.08

## 2045- वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- करों की वसूली पर व्यय-

### गैर योजना

(iii) मूल 1,05.53

82.66 82.69 +0.03

पुनर्वि0 (-)22.87

उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,97.35 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा वेतनमानों में संशोधन न करने के कारण हुई।

### 2053- जिला प्रशासन-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- जिला स्थापना पर व्यय-

### गैर योजना

मूल 12,29.94

9,01.03 9,00.93 (-)0.10

पुनर्वि0 (-)3,28.91

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3,28.91 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, दूरभाष, बिजली, पानी बिलों व चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति तथा दौरों पर कम व्यय करने के कारण हुई जोकि बाह्य स्त्रोतों के वाहनों, पैट्रोल, तेल, रनेहक व वाहनों

की मरम्म्त पर अधिक व्यय, नए वाहनों की खरीद व दैनिक मजदूरी के अधिक भुगतान से हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

03- कर्मचारी वर्ग की नियुक्ति पर व्यय/ (विशेष केन्द्रीय सहायता)-

गैर योजना

मूल

2,08.24

1,50.59

1,50.62

+0.03

पुनर्वि0

(-)57.65

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 57.65 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, वेतनमानों के संशोधन न करने, बाहरी स्त्रोतों, पैट्रोल, तेल, रनेहकों व वाहनों की मरम्मत पर कम व्यय होने के कारण हुई।

### योजना

मूल

2,48.00

5,80.33

1,43.65

(-)4,36.68

पुनर्वि0

3,32.33

₹ 4,36.68 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3,32.33 लाख का आवर्धन किराया दर, व कन्धार गांव की रूनु कलौनी के प्रभावित परिवारों के भुस्खलन पर अधिक व्यय तथा टेलीफोन, बिजली व पानी के बिलों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 4,36.68 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

13- अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, भरमौर के कार्यालय पर व्यय-

#### गैर योजना

मूल

15.38

11.00

11.00

पुनर्वि0

(-)4.38

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 4.38 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने व वेतनमानों में संशोधन न होने के कारण हुई।

### 2054- खजाना तथा लेखा प्रशासन-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- जिला कोषागार तथा उप-कोषागार स्थापना पर व्यय-

#### गैर योजना

मूल

3,56.64

3,03.30

3,03.33

+0.03

पुनर्वि0

(-)53.34

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 53.34 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, वेतनमानों में संशोधन न होने, बिजली, टेलीफोन व पानी बिलों की कम प्राप्ति, बाह्य स्त्रोतों, पैट्रोल, तेल, रनेहक व वाहनों की मरम्मत पर कम व्यय एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

## 2055- पुलिस-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- प्लिस संगठनों पर व्यय-

### गैर योजना

मूल

59,94.40

44.81.69

44.81.76

+0.07

पुनर्वि0 (-)15,12.71

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 15,12.71 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा वेतनमानों में संशोधन न करने के कारण हुई।

अपराध अनुसंधान तथा सतर्कता पर व्यय-02-

## गैर योजना

(i) मूल 1,35.85

1,01.68

1,01.72

+0.04

पुनर्वि0 (-)34.17

पुलिस रेडियो कर्मचारी वर्ग पर व्यय-04-गैर योजना

(ii) मूल

8,50.14

7,00.02

7,00.06

+0.04

पुनर्वि0 (-)1,50.12

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,84.29 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा वेतनमानों में संशोधन न करने के कारण हुई।

### 2059- लोक निर्माण-कार्य-

01- कार्यालय भवन-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

02- सरकारी जिला राजस्व भवनों के रखरखाव तथा मरम्मत पर व्यय-गैर योजना

(i) मूल 5.17

2.88

2.88

पुनर्वि0 (-)2.29

नए औजारों तथा संयन्त्र की आपूर्ति 05-पर व्यय-

#### गैर योजना

(ii) मूल 16.78

10.94

10.94

पुनर्वि0 (-)5.84

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 8.13 लाख की कमी कोविड-19 में पूर्णबन्द/कर्फ्यू के कारण हुई।

स्कन्ध के अन्तर्गत व्यय (स्टॉक निर्माण)--80

गैर योजना

मूल

5,00.00

3,99.20

3,99.20

पुनर्वि0

(-)1,00.80

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,00.80 लाख की कमी विभिन्न विभागों द्वारा भवनों के निर्माण हेतु सामग्री की कम खरीद/भण्डारण करने के कारण हुई।

11- वसूलियों के समायोजन हेतु रखरखाव

का प्रावधान-

गैर योजना

मूल

11,61.03

1,14.47

1,14.47

पुनर्वि0 (-)10,46.56

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 10,46.56 लाख की कमी वसूलियों के समायोजन रखरखाव पर कम व्यय करने के कारण हुई।

80- सामान्य-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

02- स्थाई स्थापना में परिवर्तित

कार्य प्रभारित कर्मचारी वर्ग पर व्यय-

गैर योजना

मूल

11,94.22

8,06.49

9,37.12

+1,30.63

पुनर्वि0 (-)3,87.73

₹ 1,30.63 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2020 में ₹ 3,87.73 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा वेतनमानों में संशोधन न करने के कारण हुई जोकि अत्याधिक सिद्ध हुई।

₹ 1,30.63 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

05- प्राथमिक/माध्यमिक पाठशालाओं

का रखरखाव-

योजना

मूल

1,92.00

1,22.08

1,22.08

पुनर्वि0

(-)69.92

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 69.92 लाख की कमी कार्यालय भवनों के रखरखाव पर कम व्यय होने के कारण हुई।

2062- सतर्कता-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार रोधक ब्यूरो-

गैर योजना

मूल

1,94.21

1,36.06

+0.05

पुनर्वि0

(-)58.20

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 58.20 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने तथा वेतनमानों में संशोधन न होने के कारण हुई।

### 2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- अग्नि शमन केन्द्रों पर व्यय-

गैर योजना

मूल

1,38.53

1,05.92

1,05.97

+0.05

पुनर्वि0

(-)32.61

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 32.61 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने व वेतनमानों में संशोधन न करने तथा दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति के कारण हुई।

### 2202- सामान्य शिक्षा-

01- प्रारंभिक शिक्षा-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

02- खण्ड प्राथमिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय तथा कर्मचारियों पर व्यय-

गैर योजना

(i) मूल

4,61.58

2.63.94

2.63.93

(-)0.01

पुनर्वि0 (-)1,97.64

03- प्राथमिक पाठशालाओं पर व्यय-

गैर योजना

(ii) मूल

90, 18.15

72,48.82

72,48.82

पुनर्वि0 (-)17,69.33

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 19,66.97 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा वेतनमानों में संशोधन न करने के कारण हुई।

योजना

मूल

6,40.90

4,46.39

4,46.39

पुनर्वि0 (-)1,94.51

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,94.51 लाख की कमी आकस्मिक आधार पदों को चपड़ासी की पदोन्नती करने, टेलीफोन, बिजली, पानी बिलों की कम प्राप्ति, सेमीनारों/कार्यशालाओं के कम आयोजनों तथा छात्रवृति, वजीफा व रियायतों के कम आवदेनों की प्राप्ति के कारण हुई।

			अनुदान संर	ख्या - <b>31</b> (क्र	मशः)	
07-	जिला शिक्षा केन्द्रीय प्रायो योजना		संस्थानों पर व	यय-		
	मूल	1.00				
	पुनर्वि0	(-)1.00				
				मार्च 2020 में 1 कम कर दिय		पदों को न भरने तथ
10-	अभिभावक वि शिक्षा को अन् <b>योजना</b>		अन्तर्गत प्रारं	भिक		
	मूल	6,59.00				
	पुनर्वि0	(-)76.35		5,82.65	5,82.66	+0.01
	तथा वेतनमा	-				रिक्त पदों को न भरने हायता अनुदान पर कम
11-	गर्म पकाया इ केन्द्रीय प्रायो योजना	_	ध्याहन भोजन	<u>-</u>		
	मूल	8,61.00				
	पुनर्वि0	(-)5,52.14		3,08.86	3,08.86	
					लाख की कमी को विका अनुदान प्राप्त	वेड-19 में पूर्ण बन्द के हुआ।
	योजना					
	मूल	2,44.00				()
	पुनर्वि0	(-)1,23.67		1,20.33	1,20.32	(-)0.01
		•		द्वारा प्रावधान मे बन्दी के कारण		की कमी मानदेय बिले
12-	सर्व शिक्षा अ केन्द्रीय प्रायो योजना					
(i)	मूल	1.00				

पुनर्वि0 (-)1.00

	योजना				
(ii)	मूल	1.00			
	पुनर्वि0	(-)1.00			
				धान को मार्च 2020 र बताए गये (अक्तूबर 202	•
16-	अटल वर्द <b>योजना</b>	र्गे योजना-			
	मूल	3,05.00			
	0.0		2,99.47	28.14	(-)2,71.33
	पुनर्वि0	(-)5.53			
	₹ 2,71.3	33 लाख की अंतिम बच	ात के कारण प्रतीक्षित थे	पे (अक्तूबर 2020)।	
19-	۲,	गंजाबी अध्यापक- <b>गयोजित योजना</b>			
(i)	मूल	1.00			
(-)	<b>9</b>				
	पुनर्वि0	(-)1.00			
20-		र्मचारी वर्ग के छात्रों क <b>ायोजित योजना</b>	गे पूर्व-मैट्रिक छात्रवृति-		
(ii)	मूल	1.00			
	पुनर्वि0	(-)1.00			
			लाख के समस्त प्रावधा ाहीं बताए गये (अक्तूबर	न को मार्च 2020 में ३ <sup>-</sup> 2020)।	अभ्यर्पण द्वारा कम
21-		क्षा अभियान- <b>॥योजित योजना</b>			
(i)	मूल	34,60.00			
	~		19,76.66	19,76.66	
		(-)14,83.34			
<b></b>	योजना				
(ii)	मूल	3,83.00	0.40.04	0.40.04	
	पुनर्वि0	(-)1,63.36	2,19.64	2,19.64	
			020 में पुनर्विनियोजन/ र्णबन्द/कर्फ्यू के कारण इ	/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान हुई।	में ₹ 16,46.70

02- माध्यमिक शिक्षा-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

02- न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत माध्यमिक पाठशालाओं पर व्यय-

गैर योजना

मूल

49,01.39

38,81.46

38,81.46

पुनर्वि0 (-)10,19.93

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान मे ₹ 10,19.93 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने व वेतनमानों में संशोधन न करने के कारण हुई।

#### योजना

मूल

2,78.60

1,59.91

1,40.54

(-)19.37

पुनर्वि0 (-)1,18.69

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान मे ₹ 1,18.69 लाख की कमी दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति, दूरभाष, बिजली व पानी बिलों की कम प्राप्ति, संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने तथा योजना के अन्तर्गत कम छात्रों को शामिल करने के कारण हुई।

03- न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम से भिन्न

उच्च विद्यालय पर व्यय-

### गैर योजना

मूल

64,03.59

51,26.26

51,09.66

(-)16.60

पुनर्वि0 (-)12,77.33

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 12,77.33 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने व वेतनमानों में संशोधन न करने के कारण हुई।

#### योजना

मूल

6,65.40

2,85.13

2,85.13

पुनर्वि0

(-)3,80.27

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3,80.27 लाख की कमी संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने, सामग्री/मदों की खरीद पर कम व्यय, दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति तथा दूरभाष, बिजली व पानी के बिलों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

06- छात्राओं के शौचालयों के निर्माण पर व्यय-

### योजना

मूल

2.00

(-)1.00

1.00

1.00

पुनर्वि0

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1.00 लाख की कमी पाठशाला भवनों की मरम्मत पर कम व्यय होने के कारण हुई।

09-		यमिक शिक्षा अभियान- <b>योजित योजना</b>			
(i)	मूल	1.00			
	पुनर्वि0	(-)1.00			
	योजना				
(ii)	मूल	1.00			
	पुनर्वि0	(-)1.00			
		ो मामलों में ₹2.00 ल ाया; जिसके कारण नर्ह		ं को मार्च 2020 में अभ्य 2020)।	र्पण द्वारा कम
10-		अध्यापक संघ के तहत शिक्षा को सहायता-			
	मूल	90.00			
	— <u> </u>	() == ==	52.37	52.37	
		(-)37.63			
		) में अभ्यर्पण द्वारा प्रावध् ग्राप्त होने के कारण हुई		की कमी अभिभावक अध	यापक संघ से
12-	की मैरिट व	जाति/अनुसूचित जनजा के उन्नयन पर व्यय- <b>योजित योजना</b>	ते छात्रों		
	मूल	3.00			
	पुनर्वि0	(-)3.00			
		गाख के समस्त प्रावधा त न होने के कारण क		पुनर्विनियोजन द्वारा भार	त सरकार से
15-	अटल वर्दी <b>योजना</b>	योजना/मुख्य मंत्री वर्दी	योजना-		
	मूल	1,35.00			
	पुनर्वि0	(-)1,35.00			
		0 लाख के समस्त ताओं को पूरा न करने :		2020 में अभ्यर्पण द्वा <sup>.</sup> ा गया।	रा संहितागत
16-		क्षा के व्यवसायिकरण प् <b>योजित योजना</b>	र व्यय-		

	योजना				
(i)	मूल	1.00			
	~			••	••
	पुनर्वि0	(-)1.00			
	योजना				
(ii)	मूल	1.00			
	पुनर्वि0	(-)1.00		••	
17-	शिक्षक शिक्षा केन्द्रीय प्रायो योजना	। पर व्यय- जित योजना			
(iii)	मूल	2.00			
	~~				
	पुनर्वि0	(-)2.00			
	योजना				
(iv)	मूल	1.00			
	पुनर्वि0	(-)1.00			
	उपरोक्त चा	र मामलों में ₹ 5.00	) लाख के समस्त प्रावधान	को मार्च २०२० मे	पुनिर्विनियोजन
	द्वारा कम क	र दिया गया; जिसके	कारण नहीं बताए गये (अव	म्तूबर 2020)।	
18-	अनुसूचित ज	ानजाति के छात्रों के	लिए पूर्व		
	मैद्रिक छात्रव्	-			
	केन्द्रीय प्राया योजना	जित योजना			
	याजना मूल	1,06.00			
	ġ.,	1,00100	83.92		(-)83.92
	पुनर्वि0	(-)22.08			( )
	₹ 22.08 ਕ		त की दृष्टि से मार्च 2020 सरकार से केन्द्रीय हिस्से	_	
	₹ 83.92 ਕੀ	ख के समस्त प्रावधा	न अप्रयुक्त रहा जिसके का	रण प्रतीक्षित थे (अव	त्तूबर 2020)।
	योजना		•		
	मूल	12.00			
			9.32	9.32	
	पुनर्वि0	(-)2.68			
			ावधान में ₹ 2.68 लाख की हेस्सेदारी उसी अनुपात में क		स्सेदारी की कम

19-	(राष्ट्रीय म	स्तर पर विकल गध्यमिक शिक्षा <b>ायोजित योजना</b>	अभियान)-	समावेशी शिक्षा			
	मूल	12.00					
	पुनर्वि0	(-)12.00					
				को मार्च 2020 कारण कम क	में पुनर्विनियोजन र दिया गया।	द्वारा योजना को	समग्र
	<b>योजना</b> मूल	1.00					
	पुनर्वि0	(-)1.00					
		गाख के समस्त ों बताए गये (3			अभ्यर्पण द्वारा कम	कर दिया गया; नि	जेसके
22-	सहायता ३	ं संचार प्राद्यौगि अनुदान (चरण-] <b>ायोजित योजना</b>	व II)-				
(i)	मूल	1.00					
	पुनर्वि0	(-)1.00					
	योजना						
(ii)	मूल	1.00					
	पुनर्वि0	(-)1.00					
					समस्त प्रावधान जिसके कारण नही		
25-		क्षा अभियान- ायोजित योजना					
	मूल	26,75.00					
	पुनर्वि0	(-)20,02.68		6,72.32	6,72.32		
		-		ा द्वारा प्रावधान के कारण हुई	में ₹ 20,02.68 I	लाख की कमी	भारत

योजना

मूल

2,94.00

74.71

74.71

पुनर्वि0

(-)2,19.29

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,19.29 लाख की कमी केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य सरकार की हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुई।

26- प्रचिलि सूचना एवं संचार तकनीक प्रयोगशालो और अन्य प्रयोगशाला सुविधाओं का उन्न्यन/रखरखाव-

योजना

मूल

4,50.00

पुनर्वि0

(-)4,50.00

₹ 4,50.00 लाख के समस्त प्रावधान को मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा ई-बिड को अंतिम रूप न दिये जाने तथा पूर्ण बन्दी के कारण कम कर दिया गया।

03- विश्व विद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा-

796- जनजातिय क्षेत्र उप योजना-

02- डिग्री कालेजों पर व्यय-

## केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजना

मूल

12,15.00

20,12.16

(-)20,12.16

पुनर्वि0

7,97.16

₹ 20,12.16 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 7,97.16 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 20,12.16 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

### गैर योजना

मूल

8,14.69

5,42.79

5,42.82

+0.03

पुनर्वि0

(-)2,71.90

मार्च 2020 में अभ्यपर्ण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,71.90 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा वेतनमानों में संशोधन न करने के कारण हई।

#### योजना

मूल

1,51.50

2,39.17

15.61

(-)2,23.56

पुनर्वि0

87.67

₹ 2,23.56 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 87.67 लाख का आवर्धन दूरभाष, बिजली तथा पानी बिलों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 2,23.56 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को सहायता अनुदान-03-योजना 9,45.00 मूल 7,08.75 7,08.75 पुनर्वि0 (-)2,36.25मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,36.25 लाख की कमी कोविड-19 में पूर्णबन्दी/कर्फ्यू के कारण हुई। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान--80 केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना मूल 5,79.00 1,90.41 1,90.41 पुनर्वि0 (-)3,88.59मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3,88.59 लाख की कमी भारत सरकार से निधियां की कम प्राप्ति के कारण हुई। योजना मूल 64.00 21.16 21.16 पुनर्वि0 (-)42.84मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 42.84 लाख की कमी केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुई। सामान्य-80-जनजातिय क्षेत्र उप योजना-796-स्कूल शिक्षा के लिए वातावरण उन्मुखीकरण-01-केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना (i) मूल 1.00 पुनर्वि0 (-)1.002204- खेलकूद तथा युवा सेवाएं-796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-04- युवा एवं किशोर विकास हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम-केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना (ii) मूल 1.00

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 2.00 लाख के समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण द्वारा कम कर दिया गया; जिसके कारण नहीं बताए गये (अक्तूबर 2020)।

पुनर्वि0

(-)1.00

## 2205- कला एवं संस्कृति-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- सार्वजनिक पुस्तकालयों पर व्यय-

### गैर योजना

मूल

19.73

13.61

12.82

(-)0.79

पुनर्वि0

(-)6.12

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान मे ₹ 6.12 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने व वेतनमानों में संशोधन न करने तथा दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति के कारण हुई।

## 2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-

03- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं- पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- जिला स्थापना पर व्यय-

### गैर योजना

मूल

1,82.61

1,15.07

1,15.07

पुनर्वि0 (-)67.54

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान मे ₹ 67.54 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने तथा वेतनमानों में संशोधन न करने के कारण हुई।

### योजना

मूल

1,05.75

75.73

75.74

+0.01

पुनर्वि0

(-)30.02

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान मे ₹ 30.02 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, वेतनमानों में संशोधन न करने तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति होने के कारण हुई।

02- पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति कार्यक्रम पर व्यय-

#### गैर योजना

(i) मूल

8,37.12

6,08.72

6,08.73

+0.01

पुनर्वि0

(-)2,28.40

03- न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम पर व्यय (प्राथमिक स्वास्थय केन्द्र)-

### गैर योजना

(ii) मूल

10,33.42

7,98.45

7,98.45

पुनर्वि0 (-)2,34.97

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान मे ₹ 4,63.37 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने व वेतनमानों में संशोधन न करने के कारण हुई।

_			_
या	9	1	T

मूल 7,84.71

7,42.02 7,42.02

पुनर्वि0 (-)42.69

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 42.69 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने व वेतनमानों में संशोधन न करने के कारण, योजना के अन्तर्गत कम मांग, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति तथा दौरों पर कम व्यय होने के कारण हुई।

04- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियां-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

04- आयुर्वेदिक कार्यक्रमों पर व्यय-

## गैर योजना

मूल

5,94.42

4,76.47 4,76.39

(-)0.08

पुनर्वि0 (-)1,17.95

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान मे ₹ 1,17.95 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा वेतनमानों में संशोधन न करने के कारण हुई।

### योजना

मूल

6,07.79

4.24.81

4.24.74

(-)0.07

पुनर्वि0 (-)1,82.98

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान मे ₹ 1,82.98 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, वेतनमानों में संशोधन न करने, सामग्री/मदों की खरीद पर कम व्यय, दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति, बिजली, दूरभाष, पानी के बिलों तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

05- चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

03- डा0 राजेन्द्र प्रसाद चिकित्सा महाविद्यालय

टाण्डा का उन्न्यन-

### केन्द्रीय प्रायोजित योजना

### योजना

(i) मूल

1.00

पुनर्वि0 (-)1.00

योजना

(ii) मूल

1.00

पुनर्वि0 (-)1.00

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 2.00 लाख के समस्त प्रावधान को मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा कम कर दिया गया; जिसके कारण नहीं बताए गये (अक्तूबर 2020)।

	<i>लोक स्वार</i> जनजातीय	ख्य- क्षेत्र उप-योजना-			
01-	कर्मचारी व <b>गेर योजना</b>				
(i)	मूल	92.02			
			34.29	34.29	
	पुनर्वि0	(-)57.73			
03-	क्षय रोग अ <b>गैर योजना</b>	गरक्षण तथा आवसीय ।	परिचर्या पर व्यय-		
(ii)	मूल	16.64			
. ,			9.40	9.40	
	पुनर्वि0	(-)7.24			
04-	यौन संक्राग् <b>गेर योजना</b>	मक रोग नियन्त्रण का ।	र्यक्रम पर व्यय-		
(iii)	मूल	68.91			
			41.75	41.75	
	पुनर्वि0	(-)27.16			
05-	विस्तारित <b>गैर योजना</b>	रोग प्रतिरक्षा कार्यक्रम ।	पर व्यय-		
(iv)	मूल	1,43.14			
			1,07.88	1,07.88	
	पुनर्वि0	(-)35.26			
07-	कुष्ठ उन्मू <b>गेर योजना</b>	लन कार्यक्रम पर व्यय- I	-		
(v)	मूल	8.22			
			5.94	5.95	+0.01
	पुनर्वि0	(-)2.28			
			-	त/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान संशोधन न करने के क	
12-	राष्ट्रीय कुष	ञ्ठ नियन्त्रण निगरानी			
	इकाईयों व	ती स्थापना <b>-</b>			
	केन्द्रीय प्रा योजना	योजित योजना			
	मूल	31.00			
			19.39	19.39	
	पुनर्वि0	(-)11.61			
	मार्च २०२०	) में प्रनर्तिनियोत्त्रन टा	ग पातशान में ₹ 11 61	लाख की कमी रिक्त प	ाटों को न भुग्ने

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 11.61 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, वेतनमानों में संशोधन न करने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की प्राप्ति न होने तथा दौरों पर कम व्यय होने के कारण हुई।

15- अभिघात केन्द्र-केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना

(i) मूल

1.00

पुनर्वि0 (-)1.00

योजना

(ii) मूल

1.00

पुनर्वि0 (-)1.00

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 2.00 लाख के समस्त प्रावधान को मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा कम कर दिया गया; जिसके कारण नहीं बताए गये (अक्तूबर 2020)।

### 2211- परिवार कल्याण-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- परिवार नियोजन कार्यक्रम पर व्यय-

गैर योजना

मूल

55.60

26.16

26.16

पुनर्वि0 (-)29.44

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान मे ₹ 29.44 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा वेतनमानों में संशोधन न करने कारण हुई।

03- परिवार कल्याण कार्यक्रम पर व्यय-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजना

मूल

6,08.00

5,45.78

5,45.79

+0.01

पुनर्वि0

(-)62.22

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान मे ₹ 62.22 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, वेतनमानों में संशोधन न करने, दूरभाष, बिजली, पानी बिलों की कम प्राप्ति, दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति, मशीनरी उपकरणों, सामग्री की खरीद, कार्यालय भवनों की मरम्मत तथा दौरों पर कम व्यय होने के कारण हुई।

योजना

मूल

7.90

1.60

1.60

पुनर्वि0 (-)6.30

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान मे ₹ 6.30 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा वेतनमानों में संशोधन न करने के कारण हुई।

05- इंदिरा गांधी बालिका सुरक्षा योजना-

	योजना				
	मूल	6.50			
			3.75	3.75	
	पुनर्वि0	(-)2.75			
		) में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधा ने के कारण हुई।	ान मे ₹ 2.75 लाख की	कमी संहितागत औप	चारिकताओं को
06-		जे उत्कृष्ट महिला जन्मद तु अतिरिक्त विकास अनुव			
	मूल	5.00			
	पुनर्वि0	(-)5.00			
		ाख का समस्त प्रावधान व । कर दिया गया।	को मार्च 2020 में अभ्यप	र्भण द्वारा प्रस्तावों की प्र	ग्राप्ति न होने के
-80		मीण स्वास्थ्य मिशन- <b>योजित योजना</b>			
	मूल	34,06.00			
			15,38.00	15,38.00	
	पुनर्वि0	(-)18,68.00			
		) में पुनर्विनियोजन द्वारा निधियां जारी करने के व प्त हुआ।			
09-	, ,	ास्थ्य बीमा योजना पर व्य <b>योजित योजना</b>	गय-		
(i)	मूल	1.00			
	पुनर्वि0	(-)1.00			
	योजना				
(ii)	मूल	1.00			
	पुनर्वि0	(-)1.00			
		द्दो मामलों में ₹ 2.00 त ारा कम कर दिया गया;			•
10-		बुलेंस सेवा- <b>योजित योजना</b>			

### योजना

मूल

50.00

पुनर्वि0

(-)50.00

₹ 50.00 लाख के समस्त प्रावधान को मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।

## 2215- जलापूर्ति तथा सफाई-

01- जलापूर्ति-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

02- स्थाई स्थापना में परिवर्तित कार्य प्रभारित कर्मचारियों पर व्यय-

### गैर योजना

मूल

31,38.29

23,90.27

23,88.22

(-)2.05

पुनर्वि0 (-)7,48.02

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 7,48.02 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने व वेतनमानों में संशोधन, दौरों पर कम व्यय तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

08- ग्रामीण जलापूर्ति स्कीमों हेतु विद्युत प्रभार-

### योजना

मूल

3.50

0.12

0.12

पुनर्वि0

(-)3.38

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3.38 लाख की कमी ऊर्जा प्रभारों पर कम व्यय के कारण हुई।

09- वसूलियों के समायोजन हेतु रख-रखाव प्रावधान-

### गैर योजना

मूल

28,35.56

17,94.84

17,94.84

पुनर्वि0 (-)10,40.72

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 10,40.72 लाख की कमी वसूलियों के समायोजन हेतु रखरखाव पर कम व्यय के कारण हुई।

### 2216- आवास-

03- गामीण आवास-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- ग्रामीण क्षेत्रों में बेघर गरीबों को गांधी कुटीर योजना/इन्दिरा आवास योजना/ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरों का निर्माण-केन्द्रीय प्रायोजित योजना

		अनु	दान संख्या - 31 (क्रमश	÷)			
(i)	योजना						
	मूल	3,32.00					
	~						
	पुनवि0	(-)3,32.00					
(ii)	योजना						
	मूल	37.00					
	उपरोक्त व अभ्यर्पण ह	द्वारा प्रावधान में भारत	 9.00 लाख के समस्त प्राव 1 सरकार से केन्द्रीय हिस्से		•		
00	कर दिया						
08-	मुख्य मत्रा <b>योजना</b>	आवास योजना-					
	मूल	1,77.00					
			88.38	56.00	(-)32.38		
	पुनर्वि0	(-)88.62					
796-	₹ 88.62 लाख की कमी आवासीय भवनों की मरम्मत पर कम व्यय तथा संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।  ₹ 32.38 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।  साधारण पूल आवास- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना- रखरखाव तथा मरम्म्त पर व्यय- योजना  मूल 22.00						
	मूल	22.00	3.65	3.65			
	पुनर्वि0	(-)18.35					
		20 में पुनर्विनियोजन/ मरम्मत पर कम व्यय	'अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में । के कारण हुई।	₹ 18.35 लाख की	कमी आवासीय		
2217-	शहरी विव	<b>ज्ञास</b> -					
	छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-						
		। क्षेत्र उप-योजना-	<u> </u>				
04-	के लिए उ केन्द्रीय प्र योजना	ो आवास योजना-सर्भ गवास (शहरी)- <b>ायोजित योजना</b>	I				
	मुल	20.00					

1,59.00

.. (-)1,59.00

पुनर्वि0 1,39.00

₹ 1,59.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,39.00 लाख का आवर्धन भारत सरकार द्वारा अधिक निधियां जारी करने के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ। जबकि भारत सरकार से ₹ 1,56.60 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।

₹ 1,59.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

#### योजना

मूल

2.00

17.40

(-)17.40

पुनर्वि0

15.40

₹ 17.40 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 15.40 लाख का आवर्धन भारत सरकार द्वारा जारी अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुई जोकि अनावश्यक सिद्ध हुई।

₹ 17.40 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

### 2220- सूचना तथा प्रचार-

60- अन्य-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- जिला स्थापना पर व्यय-

#### गैर योजना

मूल

43.94

31.92

31.94

+0.02

पुनर्वि0

(-)12.02

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 12.02 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा वेतनमानों में संशोधन न करने के कारण हुई जोकि चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की अधिक प्राप्ति के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

02- प्रचार कार्यक्रम पर व्यय-

#### गैर योजना

मूल

1,07.62

79.10

79.15

+0.05

पुनर्वि0

(-)28.52

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 28.52 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा वेतनमानों में संशोधन न करने के कारण हुई जोकि बाह्य स्त्रोत सेवाओं के भुगतान पर अधिक व्यय होने के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

## 2225- अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, तथा अन्य पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यकों का कल्याण-

02- अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-

796- जन जातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए योजना पर व्यय-

		01,341	(1) (3) (1)	-)				
	केन्द्रीय प्रार योजना	योजित योजना						
	मूल	25.00						
	पुनर्वि0	(-)25.00			••			
	₹ 25.00 लाख के समस्त प्रावधान को मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा भारत सर से निधियां प्राप्त न होने के कारण कम कर दिया गया।							
	योजना							
(i)	मूल	45.00	4.00	4.00				
	पुनर्वि0	(-)40.07	4.93	4.93				
12-	कम्प्यूटर अ <b>योजना</b>	नुप्रयोग प्रशिक्षण-						
(ii)	मूल	60.00						
			39.82	39.82				
	पुनर्वि0	(-)20.18						
	उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 60.25 लाख की कर्म योजना के अंतर्गत प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।							
2230-	श्रम तथा रोजगार-							
	श्रम-							
		। क्षेत्र उप-योजना-						
01-	श्रम कानूनो <b>गेर योजना</b>	ं को लागू करने पर व्य	य-					
(i)	मूल	33.46						
(-)	٩٠٠		25.61	25.64	+0.03			
	पुनर्वि0	(-)7.85						
02-	रोजगार से	वाएं-						
		१ क्षेत्र उप-योजना-						
01-	रोजगार सेव <b>गैर योजना</b>	वाओं पर व्यय-						
(ii)		77.90						
(11)	<i>o.,</i>	77.00	26.81	26.81				
	पुनर्वि0	(-)51.09			-			
	उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 58.94 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा वेतनमानों में संशोधन न करने के कारण हुई।							
	योजना							
	मूल	14.00						
	9		7.56	7.57	+0.01			
	पुनर्वि0	(-)6.44						

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 6.44 लाख की कमी दूरभाष, पानी तथा बिजली बिलों व चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति तथा दौरों पर कम व्यय के कारण हुई।

02- बेरोजगारी भत्ता-

### गैर योजना

मूल

1,00.00

35.46

35.46

पुनर्वि0

(-)64.54

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 64.54 लाख की कमी बेरोजगार भत्तों के लिए कम पात्रता होने के कारण हुई।

03- प्रशिक्षण-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

02- हिमाचल प्रदेश में सिलाई केन्द्रों पर व्यय-

### गैर योजना

(i) मूल

11.47

5.04

5.04

पुनर्वि0

(-)6.43

04- हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण प्रशिक्षण संस्थानों में तकनीकी शिक्षा पर व्यय-

## र्केन्द्रीय योजना

#### योजना

(ii) मूल

16.00

4.85

4.85

पुनर्वि0

(-)11.15

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 17.58 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा वेतनमानों में संशोधन न करने के कारण हुई।

#### योजना

मूल

1,52.00

1,04.50

1,04.50

पुनर्वि0

(-)47.50

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 47.50 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने व वेतनमानों में संशोधन न करने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति, सामग्री, उपकरणों की खरीद पर कम व्यय, दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति तथा आवेदनों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

06- कौशल विकास भत्ता-

#### गैर योजना

मूल

1,03.37

21.91

21.61

(-)0.30

पुनर्वि0

(-)81.46

-र्च २०२० में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 81.46 लाख की कमी कौशल विकास भत्ते के लिए

	नाच 2020 में अभ्यपण द्वारा कम पात्र होने के कारण हुई।	प्रावधान म र 81.46	ં બાલ ળા	कमा काशल	विकास मत्त क लिए
2235-	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्या	л-			
02-	सामाजिक कल्याण-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
02-	एकीकृत शिशु रक्षा सेवाओं पर <b>योजना</b>	र व्यय-			
	मूल 2.00				
03-	पुनर्वि0 (-)2.00 मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन होने के कारण कम कर दिया एकीकृत बाल विकास योजना केन्द्रीय प्रायोजित योजना	गया।	का समस्त	 त प्रावधान यो	जना के कार्यान्वित न
	योजना				
	मूल 23,01.00				
		7,57.50	1	7,57.51	+0.01
	पुनर्वि0 (-)15,43.50				
	मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा वेतनमानों में संशोधन न करने न होने, आंगनवाड़ी केन्द्रों में प्राप्ति, दैनिक वेतन भोगियों व योजना	, दूरभाष, बिजली, प प्री स्कूल पूर्व कित	गनी बिलों व टों की खरी	की कम प्राप्ति द न होने, वि	, शिविरों के आयोजन केराया बिलों की कग
		95.88	;	95.90	+0.02
	पुनर्वि0 (-)3,40.12 मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन वेतनमानों में संशोधन न कर बिलों की कम प्राप्ति, दैनिक के कारण हुई।	ने, सामग्री/मदों की	खरीद पर	कम व्यय, व	दूरभाष, बिजली, पार्न
06-	बाल/बालिका आश्रम के निर्वा	सेयों			
	को पुर्नवास अनुदान- योजना				
(i)	मूल 30.00				

· /	C)		4.40	4.40	
	पुनर्वि0	(-)25.60			
-80	विधवा पुनर्विवाह <b>योजना</b>	इ पर व्यय-			
(ii)	मूल	5.00	2.00	2.00	
	पुनर्वि0	(-)3.00	2.00	2.00	••


उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 28.60 लाख की कमी प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

जागरूकता अभियान-09-योजना मूल 6.00 3.19 3.19 पुनर्वि0 (-)2.81मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2.81 लाख की कमी जागरूकता अभियान के कम आयोजन के कारण हुई। विशेष महिला उत्थान योजना-10-योजना 2.00 मूल पुनर्वि0 (-)2.00मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2.00 लाख का समस्त प्रावधान योजना के तहत प्रस्तावों की प्रांप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया। बलात्कार पीडिताओं को सहायता-11-योजना मूल 8.50 पुनर्वि0 (-)8.50मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 8.50 लाख का समस्त प्रावधान योजना के समापन होने के कारण कम कर दिया गया। विकलांग बच्चों का कल्याण-15-केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना मूल 4.00 पुनर्वि0 (-)4.00मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 4.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया। एकीकृत बाल सुरक्षा योजना-19-योजना मूल 14.00 9.54 9.54 पुनर्वि0 (-)4.46मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4.46 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा वेतनमानों में संशोधन न करने के कारण हुई।

20- प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना-केन्द्रीय प्रायोजित योजना

	योजना				
	मूल	92.00			
	पुनर्वि0	(-)92.00			
			92.00 लाख के समस्त जरण कम कर दिया गय		सरकार से केन्द्रीय
<i>60-</i> 796- 01-	जनजातीय सामाजिक वृद्धावस्था पं	जिक सुरक्षा तथा कल्य क्षेत्र उप-योजना- कल्याण कार्यक्रम तथा प्रेंशन पर व्यय- <b>योजित योजना</b>			
(i)	मूल	4,53.00			
( )	9	,	3,66.44	3,66.44	
	पुनर्वि0	(-)86.56			
04-	•	। राष्ट्रीय विद्यवा पैंशन <b>योजित योजना</b>	योजना-		
(ii)	मूल	91.50			
	<del>u di</del> o	( )00 00	71.48	71.47	(-)0.01
05-	इंदिरा गांधी	(-)20.02 । राष्ट्रीय अपंग पैंशन र <b>योजित योजना</b>	ग्रोजना		
(iii)	मूल	55.50			
	पुनर्वि0	(-)29.69	25.81	25.81	
		गर द्वारा कम निधियां	020 में अभ्यर्पण द्वारा : जारी होने तथा योजना		
2236-	पोषण-				
02-		नन तथा सुदेय का वित	<i>रण</i> –		
796-		क्षेत्र उप-योजना-			
01-		क्रम पर व्यय- <mark>योजित योजना</mark>			
(i)	मूल	6,61.00	6,61.00	1,91.84	(-)4,69.16
	योजना				
(ii)	मूल	73.00	73.00	20.61	(-)52.39

उपरोक्त दो मामलों में 5,21.55 लाख की कमी अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।



(iii) मूल 1,20.00 पूरक 0.01 0.19 0.19 . पुनर्वि0 (-)1,19.82

जनजातीय अनुसंधान संस्थान-

योजना

## विनियोग लेखे

## अनुदान संख्या - 31(क्रमशः)

उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 17,88.38 लाख की कमी योजना के अन्तर्गत कम व्यय एवं संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण हुई।

## 2401- फसल कृषि-कर्म-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

02- कृषि विभाग की स्कीमों पर व्यय (सामान्य कृषि विस्तार व प्रशिक्षण के इलावा)

### गैर योजना

मूल

1,61.37

1,07.08

1,07.12

+0.04

पुनर्वि0

(-)54.29

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 54.29 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा वेतनमानों में संशोधन न करने के कारण हुई।

03- कृषि योजनाओं पर व्यय (सामान्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण)-

#### गैर योजना

मूल

85.86

57.20

57.21

+0.01

पुनर्वि0 (-)28.66

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 28.66 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा वेतनमानों में संशोधन न करने के कारण हुई।

#### योजना

मूल

14.75

11.15

11.16

+0.01

पुनर्वि0

(-)3.60

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3.60 लाख की कमी लाभार्थियों से मांग की कम प्राप्ति के कारण हुई।

04- उद्यान विभाग के अन्तर्गत जिला

स्थापना पर व्यय-

### गैर योजना

मूल

85.78

43.95

43.96

+0.01

पुनर्वि0

(-)41.83

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 41.83 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा वेतनमानों में संशोधन न करने के कारण हुई।

05- उद्यान विभाग की योजनाओं पर व्यय-

### गैर योजना

मूल

8,75.67

5,87.39

5,87.43

+0.04

पुनर्वि0 (-)2,88.28

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,88.28 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, वेतनमानों में संशोधन न करने, दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति तथा सामग्री की खरीद पर कम व्यय के कारण हुई।

### योजना

मूल

32.55

23.50

23.51

+0.01

पुनर्वि0

(-)9.05

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 9.05 लाख की कमी कार्यालय भवनों की मरम्मत, बाह्य स्त्रोत वाहनों, पैट्रोल, तेल, स्नेहकों, वाहनों की मरम्मत, सामग्री/मदों की खरीद पर कम व्यय तथा संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण हुई।

06- कृषि विभाग की स्कीमों पर विशेष केन्द्रीय

सहायता के अन्तर्गत व्यय-

### केन्द्रीय योजना

### योजना

मूल

86.37

28.91

28.91

पुनर्वि0

(-)57.46

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 57.46 लाख की कमी कृषकों से मांग की कम प्राप्ति के कारण हुई।

## 07- फसल बीमा-

#### योजना

मूल

63.00

7.72

7.72

पुनर्वि0

(-)55.28

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 55.28 लाख की कमी बीमा कम्पनीयों से कम दावों की प्राप्ति के कारण हुई।

08- जनजातीय क्षेत्रों (पॉकेट्स) के लिए

विशेष केन्द्रीय सहायता पर व्यय-

### केन्द्रीय योजना

### योजना

मूल

10.10

5.00

5.00

पुनर्वि0

(-)5.10

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 5.10 लाख की कमी कृषकों से मांग की कम प्राप्ति के कारण हुई।

12- सेब स्कैब के उपदान पर व्यय-

### योजना

मूल

11.50

6.43

6.43

पुनर्वि0 (-)5.07

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 5.07 लाख की कमी सामग्री की खरीद पर कम व्यय के कारण हुई।

17- उद्यान योजनाओं पर व्यय-

गैर योजना

मूल

1,28.83

1,00.31

1,00.32

+0.01

पुनर्वि0

(-)28.52

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 28.52 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा वेतनमानों में संशोधन न करने के कारण हुई।

21- जनजातीय क्षेत्र से बाहर रह रहे लोगों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत स्कीमों पर व्यय-

केन्द्रीय योजना

योजना

मूल

53.00

29.79

29.79

पुनर्वि0 (-)23.21

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 23.21 लाख की कमी कृषकों से मांग की कम प्राप्ति के कारण हुई।

22- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (कृषि)-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजना

(i) मूल

77.00

21.25

21.25

1.25

पुनर्वि0

(-)55.75

योजना

(ii) मूल

9.00

3.11

3.12

+0.01

पुनर्वि0

(-)5.89

23- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (उद्यान)-केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजना

(iii) मूल

36.00


15.70

15.70

पुनर्वि0

(-)20.30

उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 81.94 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा कम निधियां जारी करने के कारण हुई। जबकि भारत सरकार से क्रम संख्या (iii) पर ₹ 1,06.00 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।



मूल 16.00 6.58 6.58 .. पुनर्वि0 (-)9.42

(i)

(ii)	<del></del>				
	मूल	5.00			
	पुनर्वि0	(_)2 50	1.50	1.50	
	· ·				
35-	किसानों के प्रि केन्द्रीय योजना योजना	क्षिण पर व्यय-			
(iii)	मूल	7.00			
	पुनर्वि0	(-)4.76	2.24	2.24	
36-	पौध वितरण पर केन्द्रीय योजना योजना	र व्यय-			
(iv)	मूल	3.00			
	<u>_</u> ~~	( ) = . =	0.85	0.85	
	पुनर्वि0				
		गमलों में मार्च 2 की कम प्राप्ति वे		द्वारा प्रावधान में ₹	19.83 लाख की कमी
37-	प्लास्टिक की टं करवाने पर व्यय केन्द्रीय योजना योजना				
(i)	मूल	8.00			
	पुनर्वि0	(-)8.00			
38-	नई नर्सरियों की केन्द्रीय योजना योजना	स्थापना पर व्यर	<b>I</b> -		
(ii)	मूल	3.50			
	_α <sub>-</sub>	( )			
39-	केन्द्रीय योजना	(-)3.50 ौजारों अवयवों के	वितरण पर व्यय-		
	योजना				
(iii)	<b>योजना</b> मूल	2.50			

		હાંયુ <b>વા</b> ન ૧	1041 31 (AMIC)	)	
40-	पौध संरक्षण प केन्द्रीय योजना योजना				
(iv)	मूल	2.00			
	पुनर्वि0				
		मामलो में मार्च 2020 की कम प्राप्ति के क		प्रावधान में ₹ 16.00	लाख की कमी
41-	किसानों के प्री केन्द्रीय योजना योजना	शेक्षण पर व्यय- I			
	मूल	2.00			
	पुनर्वि0	(-)1.00	1.00	1.00	
	मार्च 2020 में के कारण हुई।	अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान	ा में ₹ 1.00 लाख व	ठी कमी कृषकों से मांग	ा की कम प्राप्ति
46-	राष्ट्रीय खाद्य र केन्द्रीय प्रायोजि योजना				
	मूल	1,34.00			
	~		45.76	45.76	
	पुनर्वि0	(-)88.24			
		पुनर्विनियोजन द्वारा प्र करने के कारण हुई।	ावधान में ₹ 88.24 र	लाख की कमी भारत र	ारकार द्वारा कम
	योजना				
	मूल	15.00			
	<del></del>	()0.00	5.08	5.08	
	पुनर्वि0	(-)9.92			
		पुनर्विनियोजन द्वारा प्र य की हिस्स्दारी जारी		लाख की कमी केन्द्रीय	हिस्सेदारी के
48-	बागवानी के ए केन्द्रीय प्रायोजि योजना	कीकृत विकास पर व्यन् <b>नत योजना</b>	य-		
	मूल	1,62.00			
	0.0		92.72	92.72	
	पुनर्वि0	(-)69.28			
		अभ्यर्पण द्वारा प्रावधा करने के कारण हुई।	न में ₹ 69.28 लार	ब की कमी भारत सर	कार द्वारा कम



मूल

19.00

10.30

10.30

पुनर्वि0

(-)8.70

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 8.70 लाख की कमी केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की हिस्स्दारी जारी करने के कारण हुई।

50- विस्तार और प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय मिशन-

## केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजना

मूल

1,13.00

74.10

74.10

पुनर्वि0

(-)38.90

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 38.90 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा कम निधियां जारी करने के कारण हुई।

## योजना

मूल

13.00

8.24

8.24

पुनर्वि0

(-)4.76

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 4.76 लाख की कमी केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुई।

53- विश्व बैंक सहायता प्राप्त हिमाचल

प्रदेश उद्यान विकास परियोजना-

#### योजना

मूल

10,80.00

पुनर्वि0

(-)10,80.00

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 10,80.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं के पूरा न करने के कारण हुई।

54- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-

## केन्द्रीय प्रायोजित योजना

#### योजना

मूल

81.00

11.39

11.39

पुनर्वि0

(-)69.61

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 69.61 लाख की कमी कोषागारों द्वारा बिलों को किसानों के हक में देने की टिप्पणी के साथ स्वीकार न किये जाने से हुई।

	याजना				
	मूल	10.00			
			7.02	7.02	
	पुनर्वि0	(-)2.98			
	बिलों को कि	सानों के हक में दे	यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2 ते की टिप्पणी के साथ र ने से हुए आधिक्य से अंशत	स्वीकार न किये जाने	
56-	मुख्यमंत्री खेत <b>योजना</b>	सरंक्षण योजना-			
	मूल	3,15.00			
	पुनर्वि0	(-)65 00	2,50.00	2,50.00	
			\; <u>-</u>	0 00	· · · · ·
	मार्च 2020 म कम प्राप्ति के	-	रा प्रावधान में ₹ 65.00 त	नाख की कमी किसा	नों से मांग की
57-	मुख्यमंत्री किर जीवन सुरक्षा <b>योजना</b>	सान एवं खेतिहर मर योजना-	जदूर		
	मूल	4.00			
	पुनर्वि0	(-)4.00			
			ग़रा ₹ 4.00 लाख का र के कारण कम कर दिया ग		खेत मजदूरों से
58-	परम्परागत कृ केन्द्रीय प्रायोग् योजना	षि विकास योजना- <b>जेत योजना</b>			
(i)	मूल	1,10.00			
			13.63	13.63	
	पुनर्वि0	(-)96.37			
	योजना				
(ii)	मूल	13.00			
			1.51	1.51	
	पुनर्वि0	(-)11.49			
59	मृदा की स्वास् राष्ट्रीय परियो केन्द्रीय प्रायोगि योजना		तु		
(iii)	मूल	29.00			
			14.87	14.87	
	ਸ਼ਜਰਿੰ∩	(_)11 12			

योजना

(iv) मूल 3.00

1.80

पुनर्वि0 (-)1.20

उपरोक्त चार मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा ₹ 1,23.19 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति होने तथा केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुई।

## 2402- मृदा तथा जल सरंक्षण-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- कृषि योग्य भूमि पर भू-संरक्षण व्यय-

गैर योजना

मूल 1,64.51

1,01.56 1,01.59

+0.03

पुनर्वि0 (-)62.95

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 62.95 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा वेतनमानों में संशोधन न करने के कारण हुई।

02- मृदा एवं जल संरक्षण कार्यक्रम (वन)-

गैर योजना

मूल 2,95.45

2,54.79 2,54.82

+0.03

पुनर्वि0 (-)40.66

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 40.66 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, वेतनमानों में संशोधन न करने, दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति तथा दौरों पर कम व्यय होने के कारण हुई।

06- लघु एवं सीमान्त किसानों को कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु सहायता-

केन्द्रीय योजना

योजना

मूल 1,45.75

63.25 38.25 (-)25.00

पुनर्वि0 (-)82.50

₹ 25.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 82.50 लाख की कमी किसानों द्वारा मांग की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 25.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

08- जनजातीय क्षेत्र से बाहर रह रहे जनजातीय लोगों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत भू.संरक्षण पर व्यय (कृषि)-केन्द्रीय योजना

	योजना	00.50			
	मूल	69.50	35.21	35.21	
	पुनर्वि0	(-)34.29			
	प्राप्ति के का	रण हुई।	वधान में ₹ 34.29 लाख	की कमी किसानों द्वा	रा मांग की कम
09-		नागत स्कीम के अंत	र्गत जनजातीय		
	पाकट हतु मृ केन्द्रीय योज योजना	्.संरक्षण पर व्यय- <b>ना</b>			
	मूल	5.75			
	<del></del>	( ) = 75			
	₹ 5.75 लाख	(-)5.75 ब्र के समस्त प्रावधान ण कम कर दिया गर	ा को मार्च 2020 में अभ्य प्रा।	र्पण द्वारा किसानों से म	गंग की प्राप्ति न
10-		विकास योजना पर <b>जित योजना</b>	व्यय-		
(i)	मूल	49.00			
	पुनर्वि0	(-)21.81	27.19	27.19	
	योजना	( )=			
(ii)	मूल	5.00			
	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	/	3.15	3.15	
	· ·	(-)1.85			
11-	प्रधानमत्रा कृ केन्द्रीय प्रायो योजना	षि सिंचाई योजना- जित योजना			
(iii)	मूल	1,78.00			
	पुनर्वि0	(-)55.29	1,22.71	1,22.71	
	योजना				
(iv)	मूल	20.00	40.74	40.74	
	पुनर्वि0	(-)7.26	12.74	12.74	
	•		20 में अभ्यर्पण द्वारा प्राव	धान में <b>₹</b> 86.21 लाख	की कमी भारत

उपरोक्त चार मामलों में मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 86.21 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति तथा केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुई। जबकि भारत सरकार से क्रम संख्या (i) पर ₹ 1,06.00 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।

12- सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के माध्यम से प्रभावी सिंचाई-योजना

मूल

1,65.00

74.25

74.25

पुनर्वि0

(-)90.75

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 90.75 लाख की कमी कृषकों से मांग की कम प्राप्ति के कारण हुई।

## 2403- पशु पालन-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- क्षेत्रीय स्थापना-

गैर योजना

मूल

2,68.57

1,85.43

1,85.43

पुनर्वि0

(-)83.14

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 83.14 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा वेतनमानों में संशोधन न होने के कारण हुई।

02- अस्पताल और औषधालय-

गैर योजना

मूल

22,77.45

17,96.64

17,96.63

(-)0.01

पुनर्वि0 (-)4,80.81

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 4,80.81 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा वेतनमानों में संशोधन न होने के कारण हुई।

03- कुकूट विकास पर व्यय-

गैर योजना

(i) मूल

16.44

10.46

10.45

(-)0.01

पुनर्वि0

(-)5.98

04- भेड़ एवं उन विकास पर व्यय-

गैर योजना

(ii) मूल

1,38.00

70.16

70.16

पुनर्वि0 (-)67.84

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 73.82 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा वेतनमानों में संशोधन न करने के कारण हुई।

05- पशुपालन कार्यक्रम पर व्यय (विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत)-

केन्द्रीय योजना

	योजना					
(i)	मूल	1,33.10				<i>(</i> )
	पुनर्वि0	(-)37.60	95.	50	95.47	(-)0.03
07-		केन्द्रीय सहायत क्रम पर व्यय-	रहे जनजातीय ले ना के अंतर्गत	गों		
(ii)	मूल	85.00				
			23.	00	23.00	
	पुनर्वि0	(-)62.00				
			2020 में पुनर्विनि कम प्राप्ति के का		द्वारा प्रावधान में	₹ 99.60 लाख
08-						
	मूल	10.00				
	पुनर्वि0	(-)10.00				
		₹ 10.00 ला ग कम कर दिय		वधान को अभ्यर्प	ाण द्वारा कृषकों ज	से मांग की कम
10-	राष्ट्रीय कृषि वि केन्द्रीय प्रायोजि योजना					
(i)	मूल	65.00				
			27.	72	27.72	
	पुनर्वि0	(-)37.28				
	योजना					
(ii)	मूल	7.00				
	—— <b>G</b> °	() 0.55	3.	80	3.08	
	· ·	(-)3.92				
12-	पशुओं की बीम लिए राज्य को केन्द्रीय प्रायोजि		के			



(iii) मूल 9.71

4.52 4.52

पुनर्वि0 (-)5.19

उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 46.39 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई। जबकि भारत सरकार से क्रम संख्या (i) में ₹ 1,06.00 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।

15- खुर और मुँह रोग नियंत्रण कार्यक्रम-

## केन्द्रीय प्रायोजित योजना

### योजना

मूल 58.98

पूरक 0.01 22.16 22.16

पुनर्वि0 (-)36.83

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 36.83 लाख की कमी सामग्री/मदों, मशीनरी तथा उपकरणों की खरीद पर कम व्यय होने के कारण हुई।

#### योजना

(i) मूल 8.50 पूरक 0.01 1.93 1.93 . पुनर्वि0 (-)6.58

16- पेस्ट डेस पेटिट्स नियंत्रण कार्यक्रम-

## केन्द्रीय प्रायोजित योजना

#### योजना

(ii) मूल 4.29

1.07

पुनर्वि0 (-)3.22

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 9.80 लाख की कमी सामग्री/मदों की खरीद पर कम व्यय होने के कारण हुई।

## 2405- मत्स्य पालन-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- जिला प्रशासन के अधीन मत्स्य

स्कीमों पर व्यय-

## गैर योजना

मूल 18.61

11.48 11.48

पुनर्वि0 (-)7.13

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 7.13 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा वेतनमानों में संशोधन न करने के कारण हुई।

		•			
02-	मत्स्य स्कीमों <b>योजना</b>	पर व्यय-			
	मूल	13.90			
			7.58	7.58	
	पुनर्वि0	(-)6.32			
				₹ 6.32 लाख की कमी बेजली व पानी बिलों की	
03-	चम्बा व भटिय केन्द्रीय सहाय केन्द्रीय योजन योजना		াঘ–		
(i)	मूल	1.53			
					••
	पुनर्वि0	(-)1.53			
04-	विशेष केन्द्रीय	सहायता के अंतर्ग	iत		
	मत्सय पालन				
	केन्द्रीय योजन योजना	π			
(ii)	याजना मूल	10.80			
(11)	101	10.00	5.40	5.40	
	पुनर्वि0	(-)5.40	0.10	0.10	
		नामलों में मार्च 20: 5म प्राप्ति के कारण		ावधान में ₹ 6.93 लाख	की कमी कृषकों
06-	राष्ट्रीय कृषि व केन्द्रीय प्रायोगि योजना	विकास योजना- <b>जेत योजना</b>			
	मूल	8.00			
	~		8.51	3.65	(-)4.86
	पुनर्वि0	0.51			
		की अंतिम बचम गख का अनुदान प्र		अक्तूबर 2020)। जबकि	भारत सरकार से
2406-	वानिकी तथा	वन्य प्राणी-			
	वानिकी-				
	जनजातीय क्षे				
01-	कर्मचारी वर्ग गैर योजना	૫૧ વ્યય-			
	मूल	11,84.40			
	0	-,	10.64.17	10.64.20	+0.03

पुनर्वि0 (-)1,20.23

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,20.23 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, वेतनमानों में संशोधन न करने, दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति तथा दौरों पर कम व्यय, बिजली, दूरभाष व पानी बिलों पर कम व्यय के कारण हुई।

02- वानिकी कार्यक्रम-

## गैर योजना

मूल

5,33.08

2,91.62

2,91.64

+0.02

पुनर्वि0 (-)2,41.46

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,41.46 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, वेतनमानों में संशोधन न करने, संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने तथा बिजली, दूरभाष व पानी बिलों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

03- भवन कार्यक्रम-

### गैर योजना

मूल

15.98

7.00

7.00

पुनर्वि0 (-)8.98

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 8.98 लाख की कमी भवनों के रखरखाव पर कम व्यय के कारण हुई।

07- चिलगोजा पाईन का पुर्नोत्पादन पर व्यय-

#### गैर योजना

मूल

16.24

12.31

12.32

+0.01

पुनर्वि0 (-)3.93

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3.93 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा वेतनमानों में संशोधन न करने के कारण हुई।

20- वन क्षेत्र में सुधार/नर्सरी उत्पादन-

#### गैर योजना

मूल

15.97

10.86

10.87

+0.01

पुनर्वि0 (-)5.11

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 5.11 लाख की कमी पौधों की सुरक्षा में सुधार तथा पौधशालाओं के उत्पादन के कारण हुई।

22- वन प्रबंधन की गहनता-

## केन्द्रीय प्रायोजित योजना

## योजना

(i) मूल

35.00

पुनर्वि0 (-)35.00

.. ..

_	
या	जना

(ii) मूल 4.00

पुनर्वि0 (-)4.00

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 39.00 लाख के समस्त प्रावधान को मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्तियों तथा संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण कम कर दिया गया।

23- राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजना

(i) मूल 37.00

.. .. .. पुनर्वि0 (-)37.00

3 1140 ( )57.0

योजना

(ii) मूल 4.00

पुनर्वि0 (-)4.00

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 41.00 लाख का समस्त प्रावधान को मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण कम कर दिया गया।

24- हिमाचल प्रदेश वन इको-सिस्टम जलवायु प्रूफींग प्रोजेक्ट -

योजना

मूल 4,50.00

16.70 16.70

पुनर्वि0 (-)4,33.30

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4,33.30 लाख की कमी संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने, दूरभाष, बिजली व पानी के बिलों की कम प्राप्ति, बाह्य स्त्रोतों, वाहनों, पैट्रोल, तेल, स्नेहकों तथा वाहनों के रखरखाव पर कम व्यय होने के कारण हुई।

27- समृति वन योजना-

योजना

मूल 1.00

पुनर्वि0 (-)1.00

मार्च 2020 में ₹ 1.00 लाख के समस्त प्रावधान को पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति के कारण कम कर दिया गया।

29- हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थतिक तंत्र प्रबंधन और जीव विज्ञान सुधार परियोजना-

_	
या	जना

मूल

3,15.00

पुनर्वि0

(-)3,15.00

मार्च 2020 में ₹ 3,15.00 लाख के समस्त प्रावधान को पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने, सामग्री/मदों की खरीद तथा कार्यालय भवनों के रखरखाव पर कम व्यय होने के कारण कम कर दिया गया।

33- सामुदायिक वन संमवर्धन योजना-

#### योजना

मूल

50.00

27.05

27.05

पुनर्वि0

(-)22.95

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 22.95 लाख की कमी दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति, सामग्री/मदों की खरीद पर कम व्यय, सम्मेलनों/कार्यशालाओं के कम आयोजन, संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने तथा कार्यालय भवनों के रखरखाव पर कम व्यय करने के कारण हुई।

34- विधार्थी वन मितर योजना-

#### योजना

मूल

25.00

2.87

2.87

पुनर्वि0

(-)22.13

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 22.13 लाख की कमी संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने, दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति, कार्यालय भवनों के रखरखाव पर कम व्यय तथा सम्मेलनों/कार्यशालाओं के कम आयोजन करने के कारण हुई।

35- वन समृद्धि जल समृद्धि-

## योजना

मूल

50.00

26.50

26.50

पुनर्वि0

(-)23.50

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ₹ 23.50 लाख की संहितागत औपचारिकतओं को पूरा न करने/सम्मेलनों/कार्यशालाओं के कम आयोजन तथा दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति करने के कारण हुई।

5.31

36- वन अग्नि प्रबंधन योजना

### योजना

मूल

9.00

5.32

+0.01

पुनर्वि0

(-)3.69

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3.69 लाख की कमी सामग्री/मदों की खरीद पर कम नियुक्तियाँ करने के कारण हुई।

02- पर्यावरणीये वानिकी तथा वन्य जीव-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- वन्य प्राणी प्रबन्ध तथा प्राकृतिक संरक्षण पर व्यय-

### गैर योजना

मूल

49.32

34.55

34.55

पुनर्वि0 (-)14.77

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 14.77 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा वेतनमानों में संशोधन न करने के कारण हुई।

03- वन्य प्राणी आश्रम के स्थलों के

प्रगाढ प्रबन्धन पर व्यय-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजना

मूल

1,90.00

78.26

78.26

पुनर्वि0 (-)1,11.74

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,11.74 लाख की कमी दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति, सामग्री/मदों की खरीद पर कम व्यय, कार्यालय भवनों के रखरखाव पर कम निष्पादन, वन्य प्राणी आश्रम के स्थलों के रखरखाव, बाह्य स्त्रोत वाहनों, पैट्रोल, तेल स्नेहकों तथा वाहनों के रखरखाव पर कम व्यय के कारण हुई।

04- पिन घाटी राष्ट्रीय पार्क के विकास पर व्यय-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजना

मूल

31.00

12.29

12.29

पुनर्वि0

(-)18.71

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 18.71 लाख की कमी दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति, कायालय भवनों के रखरखाव कार्य के कम निष्पादन तथा सामग्री/मदों की खरीद पर कम व्यय के कारण हुई।

07- ठंडा रेगिस्तान बायोस्फियर रिजर्व के

लिए प्रबंधन कार्य योजना पर व्यय-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजना

मूल

80.00

पुनर्वि0 (-)80.00

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 80.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण कम कर दिया गया।

योजना

मूल

3.00

पुनर्वि0

(-)3.00

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3.00 लाख का समस्त प्रावधान केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी कम जारी करने के कारण कम कर दिया गया।

## 2408- खाद्य भण्डार तथा भण्डागार-

01- खाद्य-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- खाद्य संगठन पर व्यय-

गैर योजना

मूल

1,28.42

92.04

91.98

(-)0.06

पुनर्वि0

(-)36.38

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 36.38 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, वेतनमानों में संशोधन न करने, दैनिक वेतन भोगियों के नियमितीकरण करने के कारण हुई।

02- सहकारी सभाओं को उपदान पर व्यय-

योजना

मूल

28.20

21.70

21.70

पुनर्वि0

(-)6.50

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 6.50 लाख की कमी भण्डार गृह के कार्य में कम निष्पादन के कारण हुई।

### 2425- सहकारिता-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- सहकारिता योजनाओं पर व्यय-

गैर योजना

मूल

1,76.07

1,25.25

1,25.26

+0.01

पुनर्वि0

(-)50.82

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 50.82 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, वेतनमानों में संशोधन न करने तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

## 2501- ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-

06- स्वरोजगार योजना -

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

03- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना पर व्यय-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

	योजना				
	मूल	2,43.00	2,43.00	2,00.17	(-)42.83
	₹ 42.83	लाख की अंतिम बचत	के कारण प्रतीक्षित थे (	अक्तूबर 2020)।	
05-		नीण स्थापना विकास अ <b>ायोजित योजना</b>	भिकरण-		
(i)	मूल	71.00			
	•	(-)71.00			
(ii)	योजना मन्द	9.00			
(ii)	मूल	8.00			
	पुनर्वि0	(-)8.00			
06-		कृषि सिंचाई योजना- ायोजित योजना			
(iii)	मूल	2,03.00			
	पुनर्वि0	(-)2,03.00			
	योजना				
(iv)	मूल	23.00			
	पुनर्वि0	(-)23.00			
07-		त्र उपाध्याय ग्रामीण कौश् <b>ायोजित योजना</b>	शल योजना-		
(v)	मूल	3,96.00			
	पुनर्वि0 <b>योजना</b>	(-)3,96.00			
(vi)	मूल	44.00			
	पुनर्वि0	(-)44.00			
08-		र्बन मिशन- ायोजित योजना			
(vii)	मूल	4,01.00			
	पुनर्वि0	(-)4,01.00			

योजना

(viii) मूल 45.00

पुनर्वि0 (-)45.00

## 2505- ग्रामीण रोजगार-

01- राष्ट्रीय कार्यक्रम-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

07- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना-केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजना

(ix) मूल 40,50.00

पुनर्वि0 (-)40,50.00

उपरोक्त नौ मामलों में ₹ 52,41.00 लाख के समस्त प्रावधान को मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा भारत सरकार से निधियां प्राप्त न होने तथा राज्य की हिस्सेदारी भी अप्रयुक्त रहने के कारण कम कर दिया गया। जबकि भारत सरकार से क्रम संख्या (iii) पर ₹ 1,69.00 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।

## 2515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- पंचायती योजनाओं पर व्यय-

### गैर योजना

मूल 2,16.93

1,57.91 1,57.89 (-)0.02

पुनर्वि0 (-)59.02

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 59.02 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, वेतनमानों में संशोधन न करने तथा दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति करने के कारण हुई।

02- सामुदायिक विस्तार के विकास कार्यक्रम पर व्यय-

### गेर योजना

मूल 6,64.41

पूरक 0.01 4,71.11 4,70.71 (-)0.40

पुनर्वि0 (-)1,93.31

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,93.31 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा वेतनमानों में संशोधन न करने के कारण हुई।

10- सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान-केन्द्रीय प्रायोजित योजना

	योजना						
(i)	मूल	8.00					
	पुनर्वि0	(-)8.00					
	योजना						
(ii)	मूल	1.00					
	पुनर्वि0	(-)1.00				••	
15-	रवच्छ भारत मिशन के अंतर्गत						
	राज्य पुरस्कार योजना- <b>योजना</b>						
(iii)	मूल	15.00					
	पुनर्वि0	(-)15.00					
16-	राष्ट्रीय ग्राम केन्द्रीय प्रायो योजना	स्वराज अभियान- <b>जित योजना</b> -	-				
(iv)	मूल	81.00					
	पुनर्वि0	(-)81.00					
	योजना						
(v)	मूल	9.00					
	पुनर्वि0	(-)9.00			••		
	समस्त प्रावध	ान भारत सरका	ार्च 2020 में पुन र से केन्द्रीय हिस्स भी अप्रयुक्त रही	दारी की प्राप्ति			
17-	कार्यालय भवन/भण्डार के निर्माण/नवीनीकरण- योजना						
	मूल	25.00	25.	00	15.00	(-)10.00	
	₹ 10.00 ला	ख की अंतिम बन	वत के कारण प्रती	क्षित थे (अक्तूब	र 2020)।		
18-	महिला मंडल <b>योजना</b>	प्रोत्साहन योजन	Π-				
	मूल	15.00					
	पुनर्वि0	(-)15.00					
		-	जन द्वारा <b>₹</b> 1: ने के कारण कम		ठा समस्त प्राव	वधान संहितागत	

## 2702- लघु सिंचाई-

80- सामान्य-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- उठाऊ सिंचाई योजनाओं के रखरखाव तथा मरम्मतों पर व्यय (सामान्य रखरखाव)-

योजना

मूल

10.00

पुनर्वि0 (-)10.00

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 10.00 लाख का समस्त प्रावधान उठाऊ सिंचाई योजना की मरम्मत पर कम व्यय के कारण हुई संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण कम कर दिया गया।

06- कार्य प्रभारित कर्मचारी वर्ग को स्थाई स्थापना में परिवर्तित करने पर व्यय-

### गैर योजना

(i) मूल

8,44.13

5,72.63

5,69.27

(-)3.36

पुनर्वि0 (-)2,71.50

07- स्थापना पर व्यय-

#### गैर योजना

(ii) मूल

5,63.95

पूरक 0.01

3,42.25

3,41.70

(-)0.55

पुनर्वि0 (-)2,21.71

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 4,93.21 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा वेतनमानो में संशोधन न करने के कारण हुई।

11- वसूलियों के समायोजन हेतु रख-रखाव का प्रावधान-

#### गैर योजना

मूल

7,24.38

5, 19.19

5,19.19

पुनर्वि0 (-)2,05.19

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,05.19 लाख की कमी वसूलियों के समायोजन हेतु रखरखाव पर कम व्यय होने के कारण हुई।

## 2851- ग्रामीण तथा लघु उघोग-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- औद्योगिक योजनाओं पर व्यय-

#### योजना

मूल

5.00

2.00

2.00

पुनर्वि0 (-)3.00

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3.00 लाख की कमी कार्यों के कम निष्पादन करने के कारण हुई।

02- जिला औद्योगिक केन्द्रों पर व्यय-

### गैर योजना

मूल

1,01.03

60.33

60.31

(-)0.02

पुनर्वि0

(-)40.70

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 40.70 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा वेतनमानों में संशोधन न करने के कारण हुई।

08- हथकरघा और हस्तकला के लिए एकीकृत योजना-

## योजना

मूल

1.00

पुनर्वि0 (-)1.00

मार्च 2020 में ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पण द्वारा कम कर दिया गया; जिसके कारण नहीं बताये गये (अक्तूबर 2020)।

10- खाद्यी उद्योग इकाइयों पर व्यय-

### गैर योजना

मूल

1.98

पुनर्वि0 (-)1.98

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 1.98 लाख का समस्त प्रावधान प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।

16- खाद्यी ओर ग्रामीण उद्योगों पर विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत व्यय-

## केन्द्रीय योजना

## योजना

मूल

10.00

पुनर्वि0 (-)10.00

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 10.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं के पूरा न होने के कारण कम कर दिया गया।

17- हिमाचल प्रदेश हस्तिशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम पर विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत व्यय-केन्द्रीय योजना

		3		,	
	योजना				
	मूल	1,96.00			
			1,28.83	1,28.83	
	पुनर्वि0	(-)67.17			
			धान में ₹ 67.17 लाख व वों की कम प्राप्ति के कार		श हस्तशिल्प एव
21-	खाद्य प्रसंस्कर <b>योजना</b>	ण हेतु राज्य मिशन	-		
(i)	मूल	45.00			
	पुनर्वि0	(-)45.00			
26-	ग्रामीण इंजीनि <b>योजना</b>	यरिंग आधारित उद	ग्रोग केन्द्र-		
(ii)	मूल	10.00			
		मामलों में मार्च 2	 020 में अभ्यर्पण द्वारा <sup>ह</sup> 11 न करने के कारण कम		 समस्त प्रावधान
2852-	उद्योगे-				
	सामान्य-				
796-	जनजातीय क्षेत्र	त्र उप-योजना-			
01-	खनिज विकास <b>योजना</b>	। पर व्यय-			
	मूल	3.00			
	पुनर्वि0	(-)1.14	1.86	1.86	
	मार्च 2020 में के कारण हुई।		धान में ₹ 1.14 लाख र्क	ो कमी विज्ञापन बिल	ों की कम प्राप्ति
2853-	अलौह खनन	एवं धातुकर्म उद्योग	<b>п</b>		
02-	खानों का विनि	नेयमन और विकास	_		
	जनजातीय क्षेत्र				
01-	खनिज विकास <b>गेर योजना</b>	न पर व्यय-			
	मूल	79.98			
	~		58.11	58.09	(-)0.02
	पुनर्वि0	(-)21.87			

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 21.87 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा वेतनमानों में संशोधन न करने के कारण हुई।

योजना

मूल

2.78

2.76

(-)0.02

पुनर्वि0

(-)1.22

4.00

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1.22 लाख की कमी टेलीफोन, बिजली तथा पानी के बिलों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

## 3054- सड़कें तथा पुल-

04- जिला तथा अन्य सडकें-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

02- कार्य प्रभारित कर्मचारी वर्ग को स्थाई स्थापना में परिवर्तित करने पर व्यय-

गैर योजना

मूल

92,57.61

72,13.77 84,46.95

+12,33.18

पुनर्वि0 (-)20,43.84

₹ 12,33.18 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 20,43.84 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, वेतनमानों में संशोधन न करने तथा यात्रा पर कम व्यय होने के कारण हुई जोकि अत्याधिक सिद्ध हुई ।

₹ 12,33.18 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

03- जिला सड़कों के रख-रखाव तथा

मरम्मत पर व्यय-

#### गैर योजना

मूल

17,11.00

14,96.96

16,64.36

+1,67.40

पुनर्वि0 (-)2,14.04

₹ 1,67.40 लाख की अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,14.04 लाख की कमी जिला सड़कों के रखरखाव पर कम व्यय के कारण हुई जोकि अत्याधिक सिद्ध हुई।

₹ 1,67.40 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

05- वसूलियों के समायोजन हेतु रख-रखाव प्रावधान-

### गैर योजना

मूल

86,02.77

72,13.77

15,80.57

(-)56,33.20

पुनर्वि0 (-)13,89.00

₹ 56,33.20 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 13,89.00 लाख की कमी वसूलियों के समायोजन हेतु रख-रखाव के प्रावधान पर कम व्यय के कारण हुइ जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 56,33.20 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

## 3454- जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-

		· · · · ·	धन संख्या - 31(क्रम	•••	
02-	सर्वेक्षण तथा र	मांख्यिकी-			
796-	जनजातीय क्षेत्र	व उप-योजना-			
01-		री वर्ग मूल्यांकन ३	अध्ययन तथा तकनीकी प	र व्यय-	
	गैर योजना				
	मूल	82.38			
	~	0.01	45.60	47.13	+1.53
	पुनर्वि0	(-)36.79			
		अभ्यर्पण द्वारा प्राव संशोधन न करने व	वधान में ₹ 36.79 लाख ठे कारण हुई।	की कमी रिक्त प	दों को न भरने तथा
3456-	नागरिक आपूर्व	र्ते-			
796-	जनजातीय क्षेत्र	प्र उप-योजना-			
04-	उपभोक्ता जाग				
	केन्द्रीय प्रायोजि	नत योजना			
	योजना				
	मूल	3.00			
	a-	() = ==			
	पुनर्वि0	(-)3.00	~		~ ~ ~
		•	ग <b>₹</b> 3.00 लाख का सम	स्त प्रावधान भारत	सरकार द्वारा निधिया
		के कारण कम कर		•	
(v)	उपरोक्त बचत	मुख्यतः निम्नवत्	शीर्षों के अन्तर्गत हुए अ	गिधेक्य से अंशतः !	प्रतिसंतुलित हुई:-
			कुल अनुदान	वास्तविक	आधिक्य (+)
	शीर्ष		3,41, 01,341, 1		·
	शाष		3.1. 0.34. 1	व्यय	बचत (-)
	शाष		3.00		·
	निर्वाचन-		3.00	व्यय	·
796-	<b>निर्वाचन</b> - जनजातीय क्षेत्र			व्यय	·
796-	<b>निर्वाचन-</b> जनजातीय क्षेत्र मतदाता सूचिय	ों के निर्माण तथा		व्यय	·
796-	निर्वाचन- जनजातीय क्षेत्र मतदाता सूचिय पर व्यय विधान	ों के निर्माण तथा		व्यय	·
796-	निर्वाचन- जनजातीय क्षेत्र मतदाता सूचिय पर व्यय विधान गैर योजना	ों के निर्माण तथा ा सभा-		व्यय	·
796-	निर्वाचन- जनजातीय क्षेत्र मतदाता सूचिय पर व्यय विधान	ों के निर्माण तथा ा सभा- 17.68	मुद्रण	व्यय (₹ लाखों में)	बचत (-)
796-	निर्वाचन- जनजातीय क्षेत्र मतदाता सूचिय पर व्यय विधान गैर योजना मूल	ों के निर्माण तथा त सभा- 17.68 0.01		व्यय	·
796-	निर्वाचन- जनजातीय क्षेत्र मतदाता सूचिय पर व्यय विधान गैर योजना मूल पुनर्वि0	ों के निर्माण तथा त सभा- 17.68 0.01 27.48	मुद्रण 45.17	व्यय ( <b>₹</b> लाखों में) 34.73	बचत (-) (-)10.44
796-	निर्वाचन- जनजातीय क्षेत्र मतदाता सूचिय पर व्यय विधान गेर योजना मूल पुनर्वि0 ₹ 10.44 लार ₹ 27.48 लार	ों के निर्माण तथा त सभा- 17.68 0.01 27.48 ब की अंतिम बचत ब का आवर्धन विर्व	मुद्रण 45.17 1 की दृष्टि से मार्च 202 भेन्न बिलों के निपटान,	व्यय ( <b>₹ लाखों में)</b> 34.73 20 में पुनर्विनियोज अधिकारी/पर्यवेक्षक	<b>बचत (-)</b> (-)10.44 न द्वारा प्रावधान में
796-	निर्वाचन- जनजातीय क्षेत्र मतदाता सूचिय पर व्यय विधान गैर योजना मूल पुनर्वि0 ₹ 10.44 लार के संशोधन तक्ष	ों के निर्माण तथा त सभा- 17.68 0.01 27.48 ब की अंतिम बचत ब का आवर्धन विधिया भुगतान करने व	मुद्रण 45.17 1 की दृष्टि से मार्च 202 भेन्न बिलों के निपटान, के कारण हुआ जोकि अत	व्यय ( <b>₹ लाखों में</b> ) 34.73 20 में पुनर्विनियोज अधिकारी/पर्यवेक्षक याधिक सिद्ध हुई।	<b>बचत (-)</b> (-)10.44 न द्वारा प्रावधान में
796- 02-	निर्वाचन- जनजातीय क्षेत्र मतदाता सूचिय पर व्यय विधान गैर योजना मूल ₹ 10.44 लार के संशोधन तथ्य ₹ 10.44 लार	ों के निर्माण तथा त सभा- 17.68 0.01 27.48 ब की अंतिम बचत ब का आवर्धन विश् था भुगतान करने व	मुद्रण 45.17 1 की दृष्टि से मार्च 202 भेन्न बिलों के निपटान, के कारण हुआ जोकि अत के कारण प्रतीक्षित थे (अ	व्यय ( <b>₹ लाखों में</b> ) 34.73 20 में पुनर्विनियोज अधिकारी/पर्यवेक्षक याधिक सिद्ध हुई।	<b>बचत (-)</b> (-)10.44 न द्वारा प्रावधान में
796- 02-	निर्वाचन- जनजातीय क्षेत्र मतदाता सूचिय पर व्यय विधान गैर योजना मूल ₹ 10.44 लार के संशोधन तथ्य ₹ 10.44 लार	ों के निर्माण तथा त सभा- 17.68 0.01 27.48 ब की अंतिम बचत ब का आवर्धन विश् था भुगतान करने व	मुद्रण 45.17 1 की दृष्टि से मार्च 202 भेन्न बिलों के निपटान, के कारण हुआ जोकि अत	व्यय ( <b>₹ लाखों में</b> ) 34.73 20 में पुनर्विनियोज अधिकारी/पर्यवेक्षक याधिक सिद्ध हुई।	<b>बचत (-)</b> (-)10.44 न द्वारा प्रावधान में
796- 02-	निर्वाचन- जनजातीय क्षेत्र मतदाता सूचिय पर व्यय विधान गैर योजना मूल ₹ 10.44 लार के संशोधन तथ ₹ 10.44 लाख राज्य विधान स्	ों के निर्माण तथा त सभा- 17.68 0.01 27.48 ब की अंतिम बचत ब का आवर्धन विश् था भुगतान करने व	मुद्रण 45.17 1 की दृष्टि से मार्च 202 भेन्न बिलों के निपटान, के कारण हुआ जोकि अत के कारण प्रतीक्षित थे (अ	व्यय ( <b>₹ लाखों में</b> ) 34.73 20 में पुनर्विनियोज अधिकारी/पर्यवेक्षक याधिक सिद्ध हुई।	<b>बचत (-)</b> (-)10.44 न द्वारा प्रावधान में

पुनर्वि0 3.13

# विनियोग लेखे

## अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3.13 लाख का आवर्धन यात्राओं पर अधिक व्यय होने के कारण हुआ।

05- संसद के चुनाव के संचालन प्रभार पर व्यय-

## गैर योजना

मूल

0.06

0.02

2.52.80

2.52.80

पुनर्वि0

2,52.72

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,52.72 लाख का आवर्धन लोकसभा चुनाव इलैक्ट्रोनिक मतदान मशानों, बाह्य स्त्रोत वाहनों, पैट्रोल, तेल, रनेहकों, वाहनों के मरम्मत पर अधिक व्यय, लंबित मानदेय बिलों के भुगतान, यात्राओं पर अधिक व्यय तथा महंगाई भत्ते व अंतरिम राहत के अधिक भुगतान के कारण हुआ।

## 2029- भू-राजस्व-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

06- राजस्व भवनों का निर्माण-

#### योजना

पूरक

0.01

30.32

30.32

पुनर्वि0

30.31

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 30.31 लाख का आवर्धन कार्यालय भवनों के रखरखाव पर अधिक व्यय होने के कारण हुआ।

#### 2053- जिला प्रशासन-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

02- उप-मण्डल स्थापना पर व्यय-

#### गैर योजना

मूल

1,30.26

1,27.79

1,54.78

+26.99

पुनर्वि0

(-)2.47

₹ 26.99 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

05- आवासीय आयुक्त पांगी के कार्यालय पर व्यय-

### गैर योजना

मूल

27.21

35.99

35.99

पुनर्वि0

8.78

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 8.78 लाख का आवर्धन अतिरिक्त महंगाई भत्तो तथा अंतरिम राहत की किस्त के भुगतान के कारण हुआ जोकि दूरभाष, पानी व बिजली बिलों की कम प्राप्ति से हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ।

10- सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम-

## केन्द्रीय प्रायोजित योजना

### योजना

मूल 25,00.00

27,49.53

25,07.03

(-)2,42.50

पुनर्वि0

2.49.53

₹ 2,42.50 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,49.53 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ। जबकि भारत सरकार से ₹ 27,49.53 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।

₹ 2,42.50 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

#### योजना

मूल

2,78.00

3,05.50

3,05.50

पुनर्वि0

27.50

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 27.50 लाख का आवर्धन केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुआ।

11- विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना-

#### योजना

मूल

3,35.00

4,02.00

3,70.88

(-)31.12

पुनर्वि0

67.00

₹ 31.12 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 67.00 लाख का आवर्धन विधानसभा सदस्य निधि में संशोधन के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।

₹ 31.12 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

12- अतिरिक्त उपायुक्त काजा के कार्यालय पर व्यय-

#### गैर योजना

मूल

8.48

5.85

10.67

+4.82

पनर्वि∩

(-)2.63

₹ 4.82 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2.63 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा वेतनमानों के संशोधन न करने के कारण हुई जोकि अनुचित सिद्ध हुई।

₹ 4.82 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

## 2055- पुलिस-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

06- पंचायत चौकीदार/गृह रक्षकों द्वारा समन/वारंट पर व्यय-

## गैर योजना

मूल

15.00

22.50

22.50

पुनर्वि0 7.50

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 7.50 लाख का आवर्धन हिमाचल गृह रक्षकों/पंचायतों चौकीदारों को समन/वारंट की तामिल के लिए पारिश्रामिक के भुगतान के कारण हुआ।

07- सुरक्षा सम्बन्धित व्यय-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजना

मूल

42.52

63.31

63.33

+0.02

पुनर्वि0

20.79

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 20.79 लाख का आवर्धन कर्मचारियों को बढ़े हुए मानदेय के भुगतान पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि बाह्य स्त्रोत, वाहनों, पैट्रोल, तेल, स्नेहकों तथा वाहनों की मरम्मत पर कम व्यय होने से हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

### गैर योजना

मूल

0.01

8.02

8.02

पुनर्वि0

8.01

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 8.01 लाख का आवर्धन कर्मचारियों को बढ़े हुए मानदेय के भुगतान पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

## 2059- लोक निर्माण-कार्य-

01- कार्यालय भवन-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

07- स्कन्ध के अन्तर्गत व्यय (स्टाक)-

#### गैर योजना

(i) मूल

10,00.00

17,98.10

17,98.10

पुनर्वि0

7,98.10

09- स्कन्ध के अन्तर्गत व्यय (विविध लोक निर्माण विभाग)

### गैर योजना

(ii) मूल

5,00.00

7,00.52

7,00.52

पुनर्वि0

2,00.52

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 9,98.62 लाख का आवर्धन विभिन्न विभागों के भवन निर्माण के लिए सामग्री की खरीद/भण्डारण के कारण हुआ।

80- सामान्य-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- भवन निर्माण कार्यक्रम संबंधी

स्थापना पर व्यय-

### गैर योजना

मूल

3,88.69

10,20.79

+6,32.10

पुनर्वि0

(-)3,03.34

6,92.03

₹ 6,32.10 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3,03.34 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा वेतनमानों के संशोधन न करने के कारण हुई जोकि अनुचित सिद्ध हुई।

₹ 6,32.10 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

## 2202- सामान्य शिक्षा-

01- प्रारम्भिक शिक्षा-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

07- जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों

पर व्यय-

## योजना

मूल 1.00

पूरक 0.03

2,51.39 2,51.38

(-)0.01

पुनर्वि0

2,50.36

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,50.36 लाख का सारभूत आवर्धन अतिरिक्त महंगाई भत्ते/अंतरिम राहत की किस्त के भुगतान, दूरभाष, बिजली तथा पानी के बिलों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

17- स्कूल प्रबंधन कमेटी को सहायता अनुदान-

#### योजना

मूल

1,85.00

3,62.97

3,62.97

पुनर्वि0

1,77.97

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,77.97 लाख का आवर्धन लंबित देनदारियों की अदायगी के कारण हुआ।

02- माध्यमिक शिक्षा-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- जिला शिक्षा अधिकारी तथा स्टाफ पर व्यय-

## गैर योजना

मूल

1,26.77

1,47.63

1,47.66

+0.03

पुनर्वि0

20.86

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 20.86 लाख का आवर्धन महंगाई भत्ते/ अंतरिम राहत की किस्त के भुगतान, बाह्य स्त्रोत वाहनों पर, पैट्रोल, तेल, स्नेहकों तथा वाहनों की मरम्मत पर अधिक व्यय होने के कारण हुआ।

14- स्कूल प्रबंधक समिति को सहायता अनुदान-

### गैर योजना

पूरक

0.01

3,34.19

3,34.20

+0.01

पुनर्वि0

3,34.18

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3,34.18 लाख का आवर्धन स्कूल प्रबंधन समिति पर अधिक व्यय करने के कारण हुआ।

20- अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत जनजातीय विद्यार्थियों

के लिए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय-

## केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजना

पुरक

0.03

20,47.98

20,47.98

पुनर्वि0

20,47.95

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 20,47.95 लाख का सारभूत आवर्धन भारत सरकार से केन्द्रीय निधियों की अधिक प्राप्ति, टेलीफोन, बिजली व पानी के बिलों की प्राप्ति पर अधिक व्यय तथा रिक्त पदों को भरने के कारण हुआ।

23- बोर्ड परिक्षाओं के लिए सी0सी0टी0वी

किराये पर लेना-

#### योजना

मूल

18.00

30.53

30.53

पुनर्वि0

12.53

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 12.53 लाख का आवर्धन बोर्ड परीक्षाओं सी0सी0टी0वी0 किराये में लेने पर अधिक व्यय होने के कारण हुआ।

### 2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-

03- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं/

पाश्चात्य चिकित्सा पद्वति-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

02- पाश्चात्य चिकित्सा पद्वति कार्यक्रम

पर व्यय-

#### योजना

मूल

6,81.99

0.01

7,29.57

7,29.50

(-)0.07

पुनर्वि0

47.57

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 47.57 लाख का आवर्धन अतिरिक्त महंगाई भत्ते/अंतरिम राहत के भुगतान, सामग्री/मदों की खरीद एवं कार्यालय भवनों की मरम्मत पर अधिक व्यय होने के कारण हुआ।

04- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं- अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

06- आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिधा एवं होम्योपैथी-केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना मूल 69.00 1.70.16 1,70.16 पुनर्वि0 1,01.16 मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,01.16 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ। योजना मूल 8.00 18.91 18.91 पुनर्वि0 10.91 मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 10.91 लाख का आवर्धन केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुआ। 05 चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-07- लाल बहादुर शास्त्री सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, नेर चौक-केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना पूरक 0.01 99.56 99.56 पुनर्वि0 99.55 मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 99.55 लाख का आवर्धन भारत सरकार से अधिक निधियां प्राप्त होने के कारण हुआ। 2215- जल आपूर्ति तथा स्वच्छता-01- जलापूर्ति-796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-01- ग्रामीण जलापूर्ति योजना पर व्यय-गैर योजना (i) मूल 3,92.66 4,06.02 4,99.00 +92.98 पुनर्वि0 13.36 04-स्कन्ध-योजना

5,70.87

+5,70.87

(ii)

स्कन्ध विनिर्माण-05-योजना (iii) +6.41 6.41 विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-06-योजना (iv) 31.19 +31.19 उपरोक्त चार मामलों में ₹ 7,01.45 लाख का व्यय बिना प्रावधान के हुआ; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)। 2217- शहरी विकास-03- छोटे और मध्यम शहरों का एकीकृत विकास-796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-03- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन दीन दयाल अन्तयोदया योजना-केन्द्रीय प्रायोजित योजना-योजना मूल 20.00 36.56 36.56 पुनर्वि0 16.56 मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 16.56 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ। जबकि भारत सरकार से ₹ 29.27 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ। योजना मूल 2.00 4.06 4.06 पुनर्वि0 2.06 मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2.06 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुआ। 2225- अनुसूचित जाती/अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों एवं अल्पसंख्यकों का कल्याण-02- अनुसूचित जनजातीय का कल्याण-796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-10- अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए गृह अनुदान-योजना मूल 2,55.00 2,86.70 2,86.70

पुनर्वि0 31.70 मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 31.70 लाख

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 31.70 लाख का आवर्धन लंबित देनदारियों की अदायगी के कारण हुआ।

#### 2230- श्रम तथा रोजगार-

# विनियोग लेखे

		अनुदान संख	ब्रा - 31(क्रमशः)		
796-	प्रशिक्षण- जनजातीय क्षेत्र उ औद्योगिक मूल्य र कौशल को मजबूत केन्द्रीय प्रायोजित	ांवर्धन के लिए 1 बनाना-			
	<b>योजना</b> पूरक	0.01			
	पुनर्वि0	9.99	10.00	10.00	
	_	नर्विनियोजन द्वारा प्राव जप्राप्ति के कारण हुआ		ब का आवर्धन भारत सरकार 	से
<i>02-</i> 796-	सामाजिक सुरक्षा सामाजिक कल्याप जनजातीय क्षेत्र उ बेटी है अनमोल प योजना	<i>ग-</i> प-योजना-			
(i)	मूल	7.00			
	पुनर्वि0	16.25	23.25	23.25	
05-	नुख्यमंत्री कन्यादा <b>योजना</b>	न योजना-			
(ii)	मूल पुनर्वि0	15.00	24.77	24.77	
07-	9	9.77 य मैत्री संबल योजना-			
(iii)	मूल	20.00	00.05	00.05	
	पुनर्वि0	9.65	29.65	29.65	
		मलों में मार्च 2020 में ब्हारियों की अदायगी क	•	प्रावधान में ₹ 35.67 लाख	का
22-	विकलांगों का उत्स् केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	पूरक	0.02			

पुनर्वि0 मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 17.05 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

17.05

17.07 17.07

अनुदान संख्या - 31(क्रमशः) 60- अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-01- सामाजिक कल्याण तथा वृद्धावस्था पैशन पर व्यय-मूल 7,51.50 10,41.17 10,41.17 पुनर्वि0 2,89.67 मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,89.67 लाख का आवर्धन लंबित देनदारियों की अदायगी तथा पैंशन सेवा प्रभारों के भुगतान पर अधिक व्यय होने के कारण हुआ। 02- विधवा पैंशन पर व्यय-योजना मूल 1,82.50 3,00.23 3,00.23 पुनर्वि0 1,17.73 मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,17.73 लाख का आवर्धन लंबित देनदारियों की अदायगी के कारण हुआ। 2251- सचिवालय सामाजिक सेवाए-796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-07- जनजातीय अनुसंधान संस्थान-केन्द्रीय प्रायोजित योजना-योजना मूल 2.00 68.05 68.05 पुनर्वि0 66.05 मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 66.05 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ। 2401- फसल कृषि कर्म-796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-योजना मूल 1.00 5.75 5.75 पुनर्वि0 4.75 मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4.75 लाख का आवर्धन किसानों से मांग की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ। कृषि मैकनाइजेशन पर उप मिशन-61-केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना

3,90.00

3,90.00

पुनर्वि0 2,77.00

1,13.00

(i)

मूल

अनुदान संख्या - 31(क्रमशः)						
	योजना					
(ii)	मूल	13.00	43.00	43.00		
	पुनर्वि0	30.00				
62-		मिशन- ोजित योजना				
(iii)	पूरक	0.01				
	<del></del>	47.00	17.10	17.10		
	पुनर्वि0 `	17.09				
(:)	योजना	0.04				
(iv)	पूरक	0.01	1.90	1.90		
	पुनर्वि0	1.89	1.50	1.50		
	आवर्धन भार		20 में पुनर्विनियोजन द्वा की अधिक प्राप्ति तथा व ग हुआ।			
	पशु पालन-					
		क्षेत्र उप-योजना- क्षेत्र से बाहर रह रहे ज	<del></del>			
07-	लोगों के लि	क्षत्र स बाहर रह रह ज गए विशेष केन्द्रीय सहा गुपालन कार्यक्रम पर व्य	यता के			
	योजना	,				
	मूल	2.00				
	पुनर्वि0	8.00	10.00	10.00		
	मार्च 2020		प्रावधान में ₹ 8.00 ला	ख का आवर्धन किसानों	से मांग की	
17-	राष्ट्रीय पशुध केन्द्रीय प्रायं योजना	धन मिशन - ो <mark>जित योजना</mark>				
(i)	मूल	0.01				
	~		51.67	51.67		
	पुनर्वि0	51.66				
<b>/**</b> \	योजना —					
(11)	मूल	1.00	2.87	2.87		

2.87 2.87

पुनर्वि0 1.87

			11 (1641 - 31 (g)41).	')	
19-	पशुधन की उ केन्द्रीय प्रायो योजना	जनगणना- <b>जित योजना</b>			
(iii)	पूरक	0.01			
	<del>u G</del> o	4.44	1.45	1.45	••
	पुनर्वि0	1.44			
20-		ा परिषद को अनुदान <b>जित योजना</b>	-		
(iv)	पूरक	0.02			
			1.50	1.50	
	पुनर्वि0	1.48			
	योजना				
(v)	पूरक	0.02			
	0.0		1.50	1.50	
	पुनर्वि0	1.48			
	आवर्धन भार		२०२० में पुनर्विनियोजन ह की अधिक प्राप्ति तथा व ण हुआ।		
2406-	वानिकी तथा	। वन्य जीवन-			
02-	पर्यावरणीय	वानिकी तथा वन्य जी	वन		
		नेत्र उप-योजना-			
-80	सुरक्षित हिम केन्द्रीय प्रायो योजना	ालय- <b>जित योजना</b>			
	पूरक	0.05			
			88.71	88.71	
	पुनर्वि0	88.66			
		में पुनर्विनियोजन द्वा <sup>ः</sup> अधिक प्राप्ति से हुआ	रा प्रावधान में <b>₹</b> 88.66 ।	लाख का आवर्धन भ	ारत सरकार से
<b>2408</b> -	• खाद्य भण्डार	ण तथा भण्डार गृह-			
01-	खाद्य-				
		नेत्र उप-योजना-			
03-		य सहायता के अंतर्गत			
	सभाओं को ' <b>योजना</b>	उपदान सहायता पर व	व्यय-		
	पूरक	0.01			
	••		5.90	5.90	
	पुनर्वि0	5.89			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 5.89 लाख का आवर्धन प्रस्तावों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

07- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना

(i) मूल 14.00

5,62.92 5,62.92

पुनर्वि0 5,48.92

योजना

(ii) मूल 5.00

1,33.70 1,33.70

पुनर्वि0 1,28.70

### 2425- सहकारिता-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- सहकारिता स्कीमों पर व्यय-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना

(iii) पूरक 0.01

1.97

पुनर्वि0 1.96

उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 6,79.58 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति तथा केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुआ।

### 2515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- पंचायती योजनाओं पर व्यय-

#### योजना

मूल 9,26.00

10,88.30 10,88.30

पुनर्वि0 1,62.30

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,62.30 लाख का आवर्धन लंबित देनदारियों की अदायगी करने के कारण हुआ।

02- सामुदायिक विकास कार्यक्रम के विस्तार पर व्यय-

#### योजना

मूल 95.00

8,34.15 5,59.27

(-)2,74.88

पुनर्वि0 7,39.15

₹ 2,74.88 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 7,39.15 लाख का आवर्धन कार्यालय भवनों की मरम्मत पर अधिक व्यय करने के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।

₹ 2,74.88 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

10- सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान-केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना मूल 8.00 पूरक 1,60.78 1,60.78 0.01 पुनर्वि0 1,52.77 मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,52.77 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ। 2702- लघु सिंचाई-80- सामान्य-796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-02- उद्घाऊ सिंचाई योजनाएं (विशेष मरम्मत) मरम्मत तथा रखरखाव पर व्यय-गैर योजना मूल 31.06 50.87 34.47 +16.40 पुनर्वि0 3.41 ₹ 16.40 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)। 03- अन्य लघु सिंचाई कार्यों के रखरखाव एवं मरम्मत पर व्यय (विशेष मरम्मतें)-गैर योजना 2,33.09 मूल 2,86.23 3,01.80 +15.57 पुनर्वि0 53.14 ₹ 15.57 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 53.14 लाख का आवर्धन लघु सिंचाई योजनाओं के रखरखाव पर अधिक व्यय होने के कारण हुआ जोकि अप्रयाप्त सिद्ध हुआ। ₹ 15.57 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)। 08- स्कन्ध पर व्यय (स्टॉक)-योजना (i) 11,26.58 +11,26.58 09- स्कन्ध पर व्यय (स्टॉक विनिर्माण) योजना (ii) 15.74 +15.74 10- स्कन्ध पर व्यय (विविध लोक निर्माण अग्रिम)-योजना

2,16.76

+2,16.76

(iii)

उपरोक्त तीन मामलों मे ₹ 13,59.08 लाख का व्यय बिना प्रावधान के किया गया; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

### 2851- ग्रामीण तथा लघु उद्योग-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

03- ग्रामीण उद्योग कार्यक्रम पर व्यय/ ग्रामीण उद्योग-

#### योजना

पूरक

0.03

5.20

5.20

पुनर्वि0

5.17

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 5.17 लाख का आवर्धन लंबित देनदारियों की अदायगी के कारण हुआ।

### 3054- सड़क तथा सेतु-

04- जिला तथा अन्य सङ्कें-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- ग्रामीण सड़कों एवं पुल कार्यक्रम के अंतर्गत स्थापना पर व्यय-

#### गैर योजना

मूल

18,90.41

10,84.27

22,69.07

+11,84.80

पुनर्वि0 (-)8,06.14

₹ 11,84.80 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 8,06.14 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, वेतनमानों में संशोधन न करने तथा बिजली, दूरभाष व पानी के बिलों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अनुचित सिद्ध हुई।

₹ 11,84.80 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

04- जिला तथा अन्य सङ्कों का रखरखाव-

#### गैर योजना

मूल

15, 17.72

12,60.68

16,80.70

+4,20.02

पुनर्वि0 (-)2,57.04

₹ 4,20.02 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,57.04 लाख की कमी जिला तथा अन्य सड़कों के रखरखाव पर कम व्यय, दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति करने के कारण हुई जोकि अनुचित सिद्ध हुई।

₹ 4,20.02 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

#### 3452- पर्यटन-

80- सामान्य-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- जनजातीय क्षेत्र में पर्यटन के विकास पर व्यय-

	योजना				
	मूल	10.00			
			1,42.50	1,42.50	
	पुनर्वि0	1,32.50			
	मार्च 2020	में पुनर्विनियोजन	द्वारा प्रावधान में ₹ 1,32	2.50 लाख का आव	र्धन हिमाचल प्रदेश
	पर्यटन विका	ास निगम के लिए	वातानुकूल वोल्वों बस व	की खरीद पर अधिक	व्यय तथा विज्ञापन
	बिलों की आ	धिक प्राप्ति के कार	रण हुआ।		
(vi)	प्रभारित विनि	नेयोजन में बचत मु	ख्यतः निम्नवत् शीर्षौ के	अन्तर्गत हुई:-	
	शीर्ष		कुल विनियोजन	वास्तविक	आधिक्य (+)
			J	व्यय	बचत (-)
				(₹ लाखों में)	
2702-	लघु सिंचाई-				
80-	सामान्य-				
796-	जनजातीय क्ष	तेत्र उप-योजना-			
02-	उठाऊसिंचाः	ई स्कीमें (विशेष म <sup>्</sup>	रम्मतें)		
	रखरखाव तश	था मरम्मतों पर व्यय	<b>I</b> -		
	गैर योजना				
(i)	पूरक	16.40	16.40		(-)16.40
	<b>O</b> 4,	नेयोजन से प्राप्त वि सेत थे (अक्तूबर 20	केया गया <b>₹ 16.40</b> लार 020)।	ख का विनियोजन अ	प्रयुक्त रहा; जिसके
पूंजीगत	। प्रवर्ग				
(vii)	दत्तमत अनुव	ान में बचत मुख्यत	ाः निम्नवत् शीर्षों के अन्त	ार्गत हुई:-	
	शीर्ष	_	कुल अनुदान व	ास्तविक	आधिक्य (+)
			3 3	व्यय	बचत (-)
			(₹ ₹	न्नाखों में)	
4059-	लोक निर्माण	। कार्य पर पूंजीगत	परिव्यय-		
01-	कार्यालय भ	वन-			
796-	जनजातीय क्षे	नेत्र उप-योजना-			
02-	अन्य प्रशासन	न पर व्यय-			
	केन्द्रीय योज	ना			
	योजना				
(i)	मूल	40.00			
			0.35	0.35	
	पुनर्वि0	/ \			
		(-)39.65			
	योजना	(-)39.65			
(ii)	<b>योजना</b> मल				
(ii)	मूल	6,05.00	4 80 02	4 80 02	
(ii)	मूल पूरक		4,80.02	4,80.02	

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3,30.92 लाख की कमी संहितागत औपचारिकताओं के पूरा न होने के कारण हुई।

05-	न्यायालय पर केन्द्रीय प्रायो योजना						
	मूल	1.00					
	पुनर्वि0	(-)1.00					
		में अभ्यर्पण द्वारा <b>₹</b> 1 के कारण कम कर दि		समस्त प्र	वधान संहितागत	त औपचारिकत	गओं के
4070	अन्य प्रशासन	नेक सेवाओं पर पूंजी	गत परिव्यय-				
796-	जनजातीय क्षे	न्त्र उप-योजना- वेभाग के भवनों का 1					
	मूल	1.00					
					••		
	पुनर्वि0	(-)1.00					
		में अभ्यर्पण द्वारा <b>₹</b> अताए गये (अक्तूबर 2		ा समस्त प्र	गवधान कम क	र दिया गया;	जिसके
4202 <b>-</b>	शिक्षा, खेलवृ	, हद,कला तथा संस्कृि	ते पर पूंजीगत	परिव्यय-			
01-	सामान्य शिक्ष	Π-					
796-	जनजातीय क्षे	त्र उप-योजना-					
01-	भवन-						
	केन्द्रीय योज योजना	ना					
		6,50.00					
	मूल पूरक	96.57	6,96.5	57	6,96.57		
	पुनर्वि0		0,0010		0,00.01		
	मार्च 2020	ं में पुनर्विनियोजन ह र्यू के कारण हुई।	द्वारा प्रावधान	में ₹ 50.	00 लाख की	कमी कोविड	⊱19 में
02-	तकनीकी शि	'सा-					
796-	जनजातीय क्षे	त्र उप-योजना-					
02-	नए पोलिटैकि	नेस खोलने/					
	स्तरोन्नत कर	ने हेतु-					
	योजना						
	मूल	1,78.00					
	पुनर्वि0	(-)1,78.00					
	मार्च 2020	ने में पुनर्विनियोजन द्वार		लाख का	समस्त प्रावधान	कार्यों के निष	पादन न
	होने के कारप	ग कम कर दिया गय	T				

03- खेलकूद तथा युवा सेवाएं-796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- भवन-

### योजना

मूल

1,00.00

74.62

74.62

पुनर्वि0

(-)25.38

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 25.38 लाख की कमी कार्यों के कम निष्पादन के कारण हुई।

### 4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-

02- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- भवन-

### केन्द्रीय योजना

योजना

मूल

3,70.00

2,90.00

2,90.00

पुनर्वि0

(-)80.00

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 80.00 लाख की कमी संहितागत औपचारिकताओं के पूरा न होने के कारण हुई।

03- चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

03- इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय

शिमला में निर्माण कार्य-

### केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजना

मूल

1.00

पुनर्वि0

(-)1.00

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान कम कर दिया गया; जिसकें कारण नहीं बताये गये (अक्तूबर 2020)।

05- चिकित्सा महाविद्यालय चम्बा-

### केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजना

मूल

1,42.00

पुनर्वि0 (-)1,42.00

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 1.42.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त न होने के कारण कम कर दिया गया।

06- चिकित्सा महाविद्यालय नाहन-केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना

मूल

1.00

पुनर्वि0

(-)1.00

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान कम कर दिया गया; जिसके कारण नहीं बताए गये (अक्तूबर 2020)।

07- चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजना

मूल

3,15.00

1,30.86

1,30.86

पुनर्वि0 (-)1,84.14

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,84.14 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति होने के कारण हुई।

### 4215- जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय-

01- जल आपूर्ति-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

14- राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना-

योजना

मूल

9,90.00

9,06.25

9,38.53

+32.28

पुनर्वि0

(-)83.75

₹ 32.28 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 83.75 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अत्याधिक सिद्ध हुई। जबकि भारत सरकार से ₹ 9,06.25 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।

₹ 32.28 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

16- मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजना-

बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना (राष्ट्रीय विकास बैंक)-

योजना

मूल

1.00

पुनर्वि0

(-)1.00

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान कम कर दिया गया; जिसकें कारण नहीं बताए गये (अक्तूबर 2020)।

4225- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-

		3	•		
02-	अनुसूचित ज	नजातियों का कल्याण	r_		
	O 0,	त्र उप-योजना-			
01-	अनुसूचित जा	ति तथा अनुसूचित ज	ानजाति		
	विकास निगम	की हिस्सेदारी पर व्य	यय-		
	केन्द्रीय प्रायोा	जेत योजना			
	योजना				
	मूल	49.00			
			25.00	25.00	
	पुनर्वि0	(-)24.00			
			ान में ₹ 24.00 लाख	की कमी भारत सरव	कार से निधियों की
	कम प्राप्ति के	कारण हुई।			
02-	अनुसूचित जा	ति, अन्य पिछड़े वर्ग	एवं		
		मामले विभाग के भवन	<b></b> 7−		
	योजना				
	मूल	1.00			
	<del></del>	()4.00			
		(-)1.00		٠ , ٥	
			.00 लाख का समस्त	प्रावधान कार्य के नि	नेष्पादन न होने के
	कारण कम व	-			
4235-	सामाजिक सु पूंजीगत परिव	रक्षा तथा कल्याण पर यय-	Ţ		
02-	समाज कल्या	ण_			
796-	जनजातीय क्षे	त्र उप-योजना-			
01-	बहुदेशीय साम्	पुदायिक/आंगनवाड़ी वे	<sup>रेन्द्रों</sup>		
	का निर्माण-				
	केन्द्रीय प्रायोर्	जेत योजना			
	योजना				
	मूल	7.00			
	<del>11 1 1</del> 0	( ) 7 00			••
	•	(-)7.00			
			00 लाख का समस्त	प्रावधान भारत सरका	रिस निधिया प्राप्त
		ारण कम कर दिया ग	या।		
	योजना	4.00			
	मूल	1.00			
	<del>u da</del> o	()4.00	••	••	••
	पुनर्वि0				
	$\frac{1}{11}$	में अभ्यर्पण टारा ₹ 1	०० लाख का समस्त	प्रावधान भारत सरका	ार से निधियां पात
			हिस्सेदारी भी अप्रयुक्त		

**4401- फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय**- 796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना -

01- कृषि भवनों पर व्यय-

		अनुदान सं	ख्या - 31(क्रमशः)	
	केन्द्रीय योजना योजना	Т		
(i)	मूल पूरक पुनर्वि0 <b>योजना</b>		1,97.03	1,97.03
(ii)	मूल पुनर्वि0	27.00 (-)12.01	14.99	14.99
		ामलों में मार्च 2020 में िं के कम निष्पादन करने	•	ण द्वारा प्रावधान में ₹ 55.72 लाख
796-	जनजातीय क्षेत्र ग्रामीण संरचित	ा विकास निधि योजना व ाउस एवं सूक्ष्म सिंचाई		
	मूल	1,00.00		
			 ,00.00 लाख का स	 मस्त प्रावधान कार्यों के निष्पादन न
	सहकारिता पर जनजातीय क्षेत्र सहकारी समिति योजना मूल			
	मार्च 2020 में	(-)2.00 ` अभ्यर्पण द्वारा <b>₹</b> 2.00 ग़ाए गये (अक्तूबर 2020)		 वधान कम कर दिया गया; जिसके
<b>4702</b> - 796- 02-	लघु सिंचाई पर जनजातीय क्षेत्र	र पूंजीगत परिव्यय- व उप-योजना- ोजनाओं पर व्यय		

मूल 7,21.00 पूरक 1,35.45 8,24.54 8,24.55 +0.01 पुनर्वि (-)31.91

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 31.91 लाख की कमी कोविड-19 में पूर्णबन्दी/कर्फ्यू लगाने के कारण हुई।

ग्रामीण संरचित विकास निधि/राष्ट्रीय कृषि 06-तथा ग्रामीण विकास बैंक के अंतर्गत लघु सिंचाई योजना पर व्यय-योजना

मूल

5,00.00

3,74.95

3,24.95

(-)50.00

पुनर्वि (-)1,25.05

₹ 50.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,25.05 लाख की कमी कोविड-19 में पूर्णबन्दी/कर्फ्यू लगाने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 50.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

लघु सिंचाई योजनाओं पर व्यय -80 (त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम)-केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजना

(i) मूल 4,04.00

0.74

+0.74

पुनर्वि0 (-)4,04.00

योजना

(ii) मूल 45.00

3.82

+3.82

पुनर्वि0 (-)45.00

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-हर 10-खेत को पानी-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजना

(iii) मूल 6,07.00

पुनर्वि0 (-)6,07.00

योजना

(iv) मूल 68.00

9.43

+9.43

पुनर्वि0 (-)68.00

उपरोक्त तीन मामलों में क्रमांक संख्या (i), (ii) एवं (iv) पर ₹ 13.99 लाख के बिना प्रावधान की दृष्टि से उपरोक्त चार मामलों में ₹ 11,24.00 लाख के समस्त प्रावधान को मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा भारत सरकार से निधियां प्राप्त न होने तथा राज्य की हिस्सेदारी भी जारी न करने के कारण कम कर दिया गया जोकि अनुचित सिद्ध हुआ।

# विनियोग लेखे

### अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

उपरोक्त तीन मामलों में क्रमांक संख्या (i), (ii) एवं (iv) पर ₹ 13.99 लाख का व्यय बिना प्रावधान के किया गया; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

11- हिमाचल प्रदेश में जल संरक्षण द्वारा किसानों की आय दोगुनी करने हेतु योजना-योजना

9.00

(i) मूल

C)

पुनर्वि (-)9.00

### 4705- कमांड क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- कमांड क्षेत्र विकास पर व्यय-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजना

(ii) मूल 3,56.00

पुनर्वि0 (-)3,56.00

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 3,65.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण कम कर दिया गया।

#### योजना

मूल

3,55.00

3,19.69

3,19.69

पुनर्वि0 (

(-)35.31

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 35.31 लाख की कमी चले हुए कार्यों तथा संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण हुई।

### 4711- बाढ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-

01- बाढ नियंत्रण-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- बाढ नियंत्रण कार्य पर व्यय-

#### केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजना

मूल

8.00

पुनर्वि0 (-)8.00

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 8.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं के पूरा न होने के कारण कम कर दिया गया।

### योजना

मूल

2,50.00

2,27.80

2.24.31

(-)3.49

पुनर्वि0 (-)22.20

# विनियोग लेखे

### अनुदान संख्या - 31(क्रमशः)

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 22.20 लाख की कमी कार्यों के कम निष्पादन के कारण हुई।

### 4801- बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-

01- हाइडेल उत्पादन-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

02- हिमाचल प्रदेश संचारण एवं वितरण

निगम में अंशदान

योजना

मूल

8,00.00

6,00.00

6,00.00

पुनर्वि0 (-)2,00.00

मार्च 2020 में पुनिर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,00.00 लाख की कमी संचारण एवं वितरण निगम में कम अंशदान के कारण हुई।

### 4851- ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

03- औद्योगिक सहकारिता में पूंजी निवेश-

योजना

मूल

1.00

पुनर्वि0

(-)1.00

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान कार्यों के निष्पादन न होने के कारण कम कर दिया गया।

05- औद्योगिक भवन/इस्टेट का निर्मण-

योजना

मूल

20.00

10.00

10.00

पुनर्वि0

(-)10.00

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 10.00 लाख की कमी कार्यों में कम निष्पादन के कारण हुई।

# 5054- सड़कों तथा पुलों पर पूंजीगत परिव्यय-

04- जिला तथा अन्य सङ्कें-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- ग्रामीण सड़कों के निर्माण पर व्यय-

योजना

मूल

36,49.88

पूरक

6,73.25

42,48.17

42,48.17

पुनर्वि0 (-)74.96

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 74.96 लाख की कमी कोविड-19 में लगी पूर्णबन्दी/कर्फ्यू के कारण हुई।

शुद्व वर्तमान मूल्य सहित भूमि 04-मुआवजा पर व्यय-गैर योजना पुरक 93.75 93.75 (-)93.75अनुपूरक अनुदान से प्राप्त किया गया ₹ 93.75 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)। मुख्य जिला सड़कें-07-योजना मूल 1,50.00 पूरक (-)3.0430.00 3.04 पुनर्वि0 (-)1,76.96मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,76.96 लाख की कमी कोविड-19 में लगी पूर्णबन्दी/कर्फ्यू के कारण हुई। केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत -80 सड़को का निर्माण-केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना मूल 9,90.00 पुनर्वि0 (-)9,90.00मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 9,90.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त न होने के कारण कम कर दिया गया। सामान्य--08 जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-796-मशीनरी तथा उपस्कर, औजार 03-तथा संयत्र पर व्यय-योजना मूल 1,30.40 पुनर्वि0 (-)1,30.40मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 1,30.40 लाख का समस्त प्रावधान कोविड-19 में लगी पूर्णबन्दी/कर्फ्यू के कारण कम कर दिया गया। प्रमुख पुलों पर व्यय-05-योजना (i) मूल 7,94.72 6.65.77 6.68.81 +3.04पूरक (-)1,28.95ग्रामीण संरचित विकास निधि/राष्ट्रीय 09-कृषि तथा ग्रामीण बैंक के अन्तर्गत

मुख्य पुलों के निर्माण पर व्यय-

١		
या	5	ना

(ii) मूल 12,00.00

7,46.22 7,46.22

पुनर्वि0 (-)4,53.78

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 5,82.73 लाख की कमी कोविड-19 में लगी पूर्णबन्दी/कर्फ्यू के कारण कम कर दिया गया।

### 5055- सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

02- बस अड्डो के निर्माण पर व्यय-

#### योजना

मूल 1,44.00

पूरक 50.00 1,44.00 1,43.99 (-)0.01

पुनर्वि0 (-)50.00

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 50.00 लाख की कमी सिहंतागत औपचारिकताओं के पूरा न होने के कारण हुई।

### 6801- बिजली परियोजनाओं के लिए ऋण-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

10- हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम की परियाजनाओं हेतु ऋण-योजना

(i) मूल 47,00.00

पुनर्वि0 (-)47,00.00

12- उर्जा परियोजनाओं के लिए के0एफ0 डब्लयू शेयर-योजना

(ii) मूल 9.00

पुनर्वि0 (-)9.00

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 47,09.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं के पूरा न होने के कारण कम कर दिया गया।

### (viii) उपरोक्त बचत निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष कुल अनुदान वास्तविक आधिक्य (+)

(₹ लाखों में)

### 4202- शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-

01- सामान्य शिक्षा-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

03- माध्यमिक पाठशाला भवनों का निर्माण-योजना

(i) मूल 1,12.00

1,49.50 1,49.50

पुनर्वि0 37.50

02- तकनीकी शिक्षा-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- ग्रामीण औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान होस्टल भवनों का निर्माण-योजना

(ii) मूल 1,32.00

2,40.00 2,40.00

पुनर्वि0 1,08.00

04- कला तथा संस्कृति-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- भवन-

योजना

(iii) मूल 1,25.00

1,56.26 1,56.26

पुनर्वि0 31.26

उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,76.76 लाख का आवर्धन चले हुए कार्यों को पूरा करने के कारण हुआ।

### 4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-

02- ग्रामीण स्वारथ्य सेवाएं-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- सड़कों के निर्माण पर व्यय-

योजना

मूल 4,00.00

4,67.98 4,67.98

पुनर्वि0 67.98

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 67.98 लाख का आवर्धन चले हुए कार्यों को पूरा करने के कारण हुआ।

### 4215- जलापूर्ति तथा स्वच्छता पर पूंजीगत स्कीमों पर व्यय -

01- जलापूर्ति-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- ग्रामीण पाइप जलापूर्ति स्कीमों पर व्यय-

١		
या	5	ना

मूल 8,05.00

8,59.50

8,81.07

+21.57

पुनर्वि0

54.50

₹ 21.57 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 54.50 लाख का आवर्धन चले हुए कार्यों को पूराकरने के कारण हुआ जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

₹ 21.57 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

09- राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक/ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि के अंतर्गत पेयजल आपूर्ति योजनाओ पर व्यय-योजना

41.51

मूल

60.00

77.75

76.75

(-)1.00

पुनर्वि0

17.75

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 17.75 लाख का आवर्धन चले हुए कार्यों को पूरा करने के कारण हुआ।

14- राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम-

योजना

मूल

1,10.00

1,00.14

1,26.02

+25.88

पुनर्वि0

(-)9.86

₹ 25.88 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

### 4401- फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

02- उद्यान भवनों पर व्यय-

योजना

मूल

37.50

47.50

47.50

पुनर्वि0

10.00

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 10.00 लाख का आवर्धन चले हुए कार्यों को पूरा करने के कारण हुआ।

### 4403- पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- भवन निर्माण कार्यक्रम-

योजना

(i) मूल

1,08.00

1,53.00

1,53.00

पुनर्वि0 45.00

### 4406- वानिकी तथा अन्य प्राणियों पर पूंजीगत परिव्यय-

01- वानिकी-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- सड़क निर्माण पर व्यय-

योजना

(ii) मूल 1,00.00

1,30.51 1,30.51

पुनर्वि0 30.51

02- भवन निर्माण पर व्यय-योजना

(iii) मूल 1,69.70

1,87.68 1,87.68

पुनर्वि0 17.98

### 4711- बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओ पर पूंजीगत परिव्यय-

01- बाढ नियन्त्रण-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

02- ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि/ राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के अन्तर्गत बाढ़ नियन्त्रण कार्यक्रम पर व्यय-योजना

(iv) मूल 15.00

26.40 29.89 +3.49

पुनर्वि0 11.40

उपरोक्त चार मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,04.89 लाख का आवर्धन चले हुए कार्यों को पूरा करने के कारण हुआ।

### 5054- सड़कों तथा सेतु पर पूंजीगत परिव्यय-

04- जिला तथा अन्य सड़कें-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

03- ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि/ राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के अन्तर्गत ग्रामीण सड़कों पर निर्माण पर व्यय-

योजना

मूल 8,00.00

पूरक 53.85 10,91.55 10,35.79 (-)55.76

पुनर्वि0 2,37.70

₹ 55.76 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,37.70 लाख का आवर्धन चले हुए कार्यों को पूरा करने के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।

₹ 55.76 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

04- शुद्ध वर्तमान मूल्य सहित भूमि मुआवजा पर व्यय -

योजना

20.00 मूल

20.00 1,13.75 +93.75

₹ 93.75 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

### (ix) उच्चंत लेन-देन:-

- (i) उच्चंत के अन्तर्गत लेखाबद्ध किए गए अनुदान के अन्तर्गत व्यय में ₹ 48,65.37 लाख (₹48,65.37 लाख राजस्व प्रवर्ग के अन्तर्गत तथा ₹ 0.00 लाख पूंजीगत प्रवर्ग के अन्तर्गत) सम्मिलत हैं।
- (ii) उच्चंत लेनदेन के स्वरूप का वर्णन अनुदान संख्या-10 लोक निर्माण कार्य- सडकें, पुल तथा भवन के अन्तर्गत पैरा- (x) में किया गया है।
- (iii) अथ तथा अंत शेषों सिहत वर्ष 2019-20 में इस अनुदान में उचंत लेनदेनों का विश्लेषण विभिन्न उपशीर्षों के अंतर्गत नीचे दिया गया है:-

शीर्ष		प्रैल 2019 प्रारम्भिक शेष	डैबिट	क्रैडिट	31 मार्च 2020 को अन्त शेष
	डेवि	ोट (+)क्रैडिट (-)	(₹ लाखो	ां में ) डैिं	बेट (+)क्रेडिट (-)
राजस्व	शाष लोक निर्माण-कार्य	:			
	लाक निमाण-काय कार्यालय भवन-	-			
	जन जातीय क्षेत्र ज	- , ,, ,,,			
07-	उच्चंत के अन्तर्गत				, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	स्कन्ध-	(-)22,01.15	17,98.10	17,77.75	(-)21,80.80*
-80	उच्चंत के अन्तर्गत	ा व्यय			
	(स्कन्ध विनिर्माण)	+9,23.35	3,99.20	4,26.31	+8,96.24
09-	उच्चंत के अन्तर्गत	ा व्यय			
	(विविध लोक				
	निर्माण अग्रिम)-	+45 29 77	7,00.52	4,94.70	+47,35.59
	, , , , , , , , , , ,		.,	.,	,
कुल	2059-	+32,51.97	28,97.82	26,98.76	+34,51.03
2215-	जलापूर्ति तथा स्व	च्छता-			
	जलापूर्ति-				
	जनजातीय क्षेत्र उ	प-योजना-			
04-	स्कन्ध-	(-)2,51.87	5,70.87	4,11.80	(-)92.80*
	स्कन्ध विनिर्माण-	+1,63.18	6.41	12.75	+1,56.84
	विविध लोक	.,		2	.,
	निर्माण अग्रिम-	+21.49	31.19	26.26	+26.42
कुल	2215-	(-)67.20	6,08.47	4,50.81	+90.46

<sup>398</sup> विनियोग लेखे अनुदान संख्या - **31** - (समाप्त)

-0.0			-10-	-40-		—
शीर्ष		। अप्रैल 2019	डैबिट	क्रैडिट	31 मार्च 2020	
	को	प्रारम्भिक शेष			को अन्त शेष	
	डैिं	ाट (+)क्रैडिट (-)	(₹ ন	गखों में ) डैबि	ाट (+)क्रैडिट (-)	
		( )	`	,		
						_
2702-	लघु सिंचाई-					
80-	सामान्य-					
796-	जन जातीय क्षेत्र					
	उप-योजना-					
	उच्चंत -					
-80	उच्चंत पर व्यय-					
	(स्टॉक)-	(-)1,16.50	11,26.58	9,65.56	+44.52	
09-	उच्चंत पर व्यय-					
	(स्कन्ध					
	विनिर्माण)-	+1,22.71	15.74	11.91	+1,26.54	
10-	उच्चंत पर व्यय-					
	(विविध					
	कार्य अग्रिम)-	+5,06.69	2,16.76	2,08.09	+5,15.36	
कुल	T-2702-	+5,12.90	13,59.08	11,85.56	+6,86.42	_
कुल राज	स्व प्रवर्ग-	+36,97.67	48,65.37	43,35.13	+42,27.91	
कुल मांग	<u> </u>	+36,97.67	48,65.37	43,35.13	+42,27.91	

टिप्पणी:- \* ऋणात्मक शेषों के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

# विनियोग लेखे अनुदान संख्या - 32- अनुसूचित जाति उपयोजना

(शीर्ष- 2029- भू-राजस्व, 2055- पुलिस, 2059- लोक निर्माण-कार्य, 2202- सामान्य शिक्षा, 2203- तकनीकी शिक्षा, 2204-खेलकूद तथा युवा सेवांए, 2205-कला एवं संस्कृति, 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 2211- परिवार कल्याण, 2215- जलापूर्ति तथा सफाई, 2216- आवास, 2217- शहरी विकास, 2220-सूचना तथा प्रचार, 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, एवं अन्य पिछड़े वर्गी एवं अल्पसंख्यकों का कल्याण, 2230-श्रम तथा रोजगार, 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 2236-पोषण, 2401- फसल कृषि-कर्म 2402- भू तथा जल संरक्षण, 2403- पशुपालन, 2404- दूग्ध विकास, 2405- मछली पालन, 2406-वानिकी तथा वन्य जीवन, 2407-बागान,2408- खाद्य भण्डारण तथा भाण्डागार, 2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, 2425-सहकारिता, 2435- अन्य कृषि कार्यक्रम, 2501-ग्राम विकास के लिए कार्यक्रम, 2505- ग्राम रोजगार, 2515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम, 3054-सङ्क तथा सेतु, 3055- सङ्क परिवहन, 3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान, 3452- पर्यटन, 3456-नागरिंक आपूर्ति 4055-पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय, 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, 4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय, 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, 4215-जलापूर्ति तथा स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय, 4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय, 4225- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गो और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय, 4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय, 4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय, 4402- मुदा तथा जल सरंक्षण पर पूंजीगत परिव्यय, 4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय, 4405- मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय, 4406- वानिकी तथा वन्य प्राणियों पर पूंजीगत परिव्यय, 4408- खाद्य भण्डारण तथा भांडागार पर पूंजीगत परिव्यय, 4425- सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय, 4701- मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 4705-कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय, 4711- बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 4801- बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 4851- ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय,5002-भारतीय रेल वाणिज्यिक लाईनो पर पूंजीगत परिव्यय, 5054- सड़कों तथा सेत्ओ पर पूंजीगत परिव्यय, 5055- सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय, 5452- पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय, 6225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए ऋण तथा 6801-बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज )

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजारों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग			(* (*)	
दत्तमत				
मूल	14,24,40,78			
		14, 24, 41, 13	9,11,04,62	(-)5,13,36,51
पूरक	35			
वर्ष के दौरान अभ	म्यर्पित राशि			
(31 मार्च 2020	))			3,95,09,11

### पूंजीगत प्रवर्ग

#### दत्तमत

मूल 11,18,25,22

12,69,17,50 10,37,55,09

(-)2,31,62,41

पूरक 1,50,92,28

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)

2,22,54,53

### टिप्पणियां तथा अभ्युक्तियां

- (i) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 5,13,36.51 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में ₹ 3,95,09.11 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ ।
- (ii) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 2,31,62.41 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2020 में प्राप्त ₹ 1,50,92.28 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ जबिक मूल अनुदान भी सारभूत रूप से अप्रयुक्त रहा और मार्च 2020 में ₹ 2,22,54.53 लाख का अर्भ्यपण अपर्याप्त सिद्ध हुआ ।

#### राजस्व प्रवर्ग

(iii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-शीर्ष कुल अनुदान वास्तविक आधिक्य (+) व्यय बचत (-) (₹ लाखों में)

#### 2059- लोक निर्माण कार्य-

01- कार्यालय भवन-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

03- उच्च शिक्षा विभाग के भवनों का रख रखाव-

5,00.00

#### योजना

मूल

4,76.67

4,76.67

पुनर्वि0 (-)23.33

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 23.33 लाख की कमी रख रखाव कार्य के कम निष्पादन के कारण हुई।

#### 2202- सामान्य शिक्षा-

01- प्राथमिक शिक्षा-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

01- राजकीय प्राथमिक पाठशालाओं पर व्यय-

#### योजना

मूल

5,00.00

2,82.15 2,82.14 (-

(-)0.01

पुनर्वि0 (-)2,17.85

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,17.85 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, कार्यालय मदों, सामग्री की कम खरीद और दैनिक वेतन भोगियों के नियमितिकरण होने के कारण हुई।

06-	मध्य	ाहन	आ	हार-
		_		

### केन्द्रीय प्रायोजित योजना

#### योजना

मूल 24, 10.00

18,55.94

18,35.12

(-)20.82

पुनर्वि0 (-)5,54.06

₹ 20.82 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से, मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 5,54.06 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई । जबिक भारत सरकार से ₹ 20,74.55 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।

₹ 20.82 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

#### योजना

मूल 6,82.00 पुरक (-)0.010.01 5.26.02 5.26.01 पुनर्वि0 (-)1,55.99

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,55.99 लाख की कमी केन्द्र के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी जारी करने और मानदेय के भुगतान पर कम व्यय के कारण हुई।

सर्व शिक्षा अभियान-07-

### केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना

(i) मूल 1.00

> पुनर्वि0 (-)1.00

योजना

(ii) मूल 1.00

(-)1.00साक्षर भारत योजना-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजना

पुनर्वि0

08-

(iii) मूल 1.00

पुनर्वि0 (-)1.00

योजना

(iv) मूल 1.00

पुनर्वि0 (-)1.00

उपरोक्त चार मामलों में मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 4.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त न होने के कारण कम कर दिया गया और राज्य की हिस्सेदारी भी अप्रयुक्त रही।

11- अभिभावक अध्यापक संघ को सहायता

अनुदान पर व्यय-

#### योजना

मूल

19,23.00

11,88.20

11.88.20

पुनर्वि0 (-)7,34.80

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 7,34.80 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

12- अटल वर्दी योजना-

#### योजना

मूल

8,53.00

7,98.77

7,98.77

पुनर्वि0 (-)54.23

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 54.23 लाख का कमी सामग्री की कम खरीद के कारण हुई ।

13- अनुसूचित जातियों को प्रीमेट्रिक छात्रवृति-

#### केन्द्रीय प्रायोजित योजना

#### योजना

मूल

30.00

पुनर्वि0 (-)30.00

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 30.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।

15- विद्यालय प्रबंधक समिति को सहायता अनुदान-

#### योजना

मूल

5,19.00

1,52.08

1,52.08

पुनर्वि0 (-)3,66.92

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3,66.92 लाख की कमी स्कूल प्रबंधक समीति की सेवाएं न बढाने के कारण हुई।

16- जिला शैक्षिणिक प्रशिक्षण संस्थान-

#### केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजना

मूल 1.00 पूरक 0.02

पुनर्वि0 (-)1.02

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 1.02 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।

17- प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालयों के भवनों

की मरम्मत/रखरखाव-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजना

मूल

5,37.00

4,23.84

4,23.84

पुनर्वि0 (-)1,13.16

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,13.16 लाख की कमी रख रखाव कार्यों के कम निष्पादन के कारण हुई।

18- उर्दू एवं पंजाबी शिक्षक-

योजना

मूल

35.00

7.96

7.96

पुनर्वि0 (-)27.04

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 27.04 लाख की कमी मानदेय के भुगतान पर कम व्यय के कारण हुई।

19- समग्र शिक्षा अभियान-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजना

(i) मूल

69,41.80

69,41.80

पुनर्वि0 (-)27,46.20

योजना

(ii) मूल

10,75.00

96,88.00

7,71.31

7,71.31

पुनर्वि0 (-)3,03.69

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2020 में ₹ 30,49.89 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति और केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुई।

02- माध्यमिक शिक्षा-

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-

03- राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

	योजना					
(i)	मूल	1.00				
	पुनर्वि0	(-)1.00	••	••	••	
	योजना					
(ii)	मूल	1.00				
	पुनर्वि0	(-)1.00				
04-		पंचार प्रौद्योगिकी पर <b>ोजित योजना</b>	ं व्यय-			
(iii)	मूल	1.00				
	पुनर्वि0 <b>योजना</b>	(-)1.00				
(iv)	मूल	1.00				
	पुनर्वि0	(-)1.00				
	प्रावधान भार		2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावध् यों की प्राप्ति न होने के कार			
12-	विधार्थियों के लिए डिजिटल योजना- योजना					
	मूल	4,53.00	4,53.00	(-)	4,53.00	
	₹ 4,53.00	लाख की अंतिम बच	ात के कारण प्रतीक्षित थे (अक	त्तूबर 2020)।		
13-		शेक्षण कार्यक्रम- <b>ाजित योजना</b>				
(i)	मूल	1.00				
	पुनर्वि0	(-)1.00				
<b>/··</b> \	योजना					
(ii)	मूल	1.00				
	पुनर्वि0	(-)1.00				
14-		ग का व्यवसायीकरप् ो <b>जित योजना</b>	л-			

(iii)	<b>योजना</b> मूल	1.00				
(111)	9,,	1.00				
	पुनर्वि0	(-)1.00				
	योजना					
(iv)	मूल	1.00				
	पुनर्वि0	(-)1.00			••	
15-	अनुसूचित जा केन्द्रीय प्रायोर् योजना	ति के छात्रों की ये <b>जेत योजना</b>	ोग्यता का उन्न	यन-		
(v)	मूल	3.00				
	पुनर्वि0	(-)3.00				
16-	अनुसूचित जा पूर्व मैट्रिक छ केन्द्रीय प्रायोर्ग योजना	C	ाए			
(vi)	मूल	6,39.00				
	पुनर्वि0	(-)6,39.00				
		मामलों में मार्च 202 १धियों की प्राप्ति न रही।				
	योजना					
	पूरक	0.01				()=
	पुनर्वि0	5,49.80	5,49.	.81		(-)5,49.81
	₹ 5,49.81 ₹	नाख की अंतिम ब लाख का आवर्धन				
	₹ 5,49.81 ऌ	गाख की अंतिम बच	ात के कारण प्र	ातीक्षित थे (अव	न्तूबर 2020)।	
18-		र पर विकलांगों के ग (राष्ट्रीय माध्यमि <b>जेत योजना</b>	,	ग्रान)-		

			3	,		
<b>(*)</b>	योजना					
(1)	मूल	35.00				
	पुनर्वि0	(-)35.00				
	योजना					
(ii)	मूल	4.00				
	पुनर्वि0	(-)4.00				
	उपरोक्त द	रो मामलों में मार्च 2	.020 में अभ्यर्पण द्वारा ₹	39.00 लाख का समस्त	त प्रावधान योजना	
	के समग्र वि	शिक्षा अभियान में वि	लिय होने के कारण कम	कर दिया गया।		
19-	स्कूल शिक्षा के वातावरण का उन्मुखीकरण- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना					
	मूल	2.00				
	20					
	मार्च 2020	(-)2.00 ) में अभ्यर्पण द्वारा ोने के कारण कम व	₹ 2.00 लाख का समस्त कर दिया गया ।	ा प्रावधान भारत सरकार	र से निधियों की	
21-	मुख्यमंत्री <b>योजना</b>	वर्दी योजना-				
	मूल	3,78.00				
	- 0		3,18.52	3,18.52		
	पुनर्वि0	(-)59.48				
	मार्च 2020 कारण हुई		प्रावधान में <b>₹</b> 59.48 ल	गाख की कमी सामग्री व	ही कम खरीद के	
23-		नीकी कार्यक्रम- <b>योजित योजना</b>				
	मूल	3.00				
	पुनर्वि0	(-)3.00				
	मार्च 2020	0 में अभ्यर्पण द्वारा	प्रावधान में ₹ 3.00 ला कारण कम कर दिया गय		भारत सरकार से	
24-		ा अभियान- <b>योजित योजना</b>				
(i)	मूल	74,93.00				
	20	( )	41,06.20	41,06.20		
	पुनर्वि0	(-)33,86.80				

योजना

(ii) मूल

8,29.00

4,56.26

4,56.26

पुनर्वि0 (-)

(-)3,72.74

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 37,59.54 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई और केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी भी कम जारी कर दी गई।

25- प्रचलित सूचना एवं संचार तकनीक प्रयोगशालाओं और अन्य प्रयोगशाला स्विधाओं का उन्नयन/रख रखाव-

योजना

मूल

12,60.00

पुनर्वि0 (-)12,60.00

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 12,60.00 लाख का समस्त प्रावधान इलैक्टोनिक माध्यम से बोली को अंतिम रूप न देने के कारण कम कर दिया गया।

03- विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

01- हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला को सहायता अनुदान-

योजना

मूल

26,45.00

19,83.75

19,83.75

पुनर्वि0 (-)6,61.25

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 6,61.25 लाख की कमी कोबिड-19 पूर्णबंद के कारण अंतिम तिमाही के लिए सहायता अनुदान जारी न कर सकने के कारण हुई।

04- अनुसूचित जाति के छात्रों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना-

योजना

मूल

34,28.00

पुनर्वि0 (-)34,28.00

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 34,28.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।

योजना

मूल

10,00.00

10,00.00

(-)10,00.00

₹ 10,00.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

05- राष्टीय उच्चत्तर शिक्षा अभियान-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना (i) मूल 16,21.00 3.80.82 3.80.82 पुनर्वि0 (-)12,40.18योजना (ii) मूल 1,80.00 42.31 42.31 पुनर्वि0 (-)1,37.69उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 13,77.87 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति और केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुआ। जबकि भारत सरकार से ₹ 6,86.82 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ। 06- राजकीय महाविद्यालयों पर व्यय-योजना 12,00.00 मूल पुनर्वि0 (-)12,00.00मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 12,00.00 लाख का समस्त प्रावधान प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया। 2204- खेलकूद तथा युवा सेवाएं-789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-02- पर्वतीय संस्थान तथा सम्बन्धित खेलकूद मनाली-योजना मूल 13.00 10.24 10.24 पुनर्वि0 (-) 2.76 मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2.76 लाख की कमी कोविड-19 पूर्णबंद के कारण हुई। 2205- कला तथा संस्कृति-789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-02- कला खजाना और दुलर्भ वस्तुऐं अधिनियम 1972-योजना मूल 30.00 1.27 (-)26.9428.21 पुनर्वि0 (-)1.79

₹ 26.94 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

03- सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन-योजना मूल 85.00 54.01 54.01 पुनर्वि0 (-)30.992210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-03- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति-789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-01- ग्रामीण स्वास्थ्य-योजना 57,38.00 मूल (-)0.6810,65.61 10,64.93 पुनर्वि0 (-)46,72.39मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 46,72.39 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, सामग्री, कार्यालय मदों की कम खरीद और दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति के कारण हुई। 03- राष्ट्रीय सुरक्षा बीमा योजना-केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना (i) मूल 1.00 पुनर्वि0 (-)1.00योजना (ii) मूल 1.00 पुनर्वि0 (-)1.00उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया और राज्य की हिस्सेदारी भी अप्रयुक्त रही। 04- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन-केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना मूल 95,34.00 79,73.00 79,73.00 पुनर्वि0 (-)15,61.00

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 15,61.00 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

04- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धति-789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-01- आयुर्वेदिक अस्पताल-योजना मूल 11,92.00 (-)0.0111,49.66 11,49.65 पुनर्वि0 (-)42.34मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यपर्ण द्वारा प्रावधान में ₹ 42.34 लाख की कमी सामग्री की कम खरीद के कारण हुई जोकि अतिरिक्त मंहगाई भत्ते के बकाया भुगतान के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई। 02- होमोपैथी ओषधालय-योजना 40.00 मूल 30.22 30.22 पुनर्वि0 (-)9.78मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 9.78 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा सामग्री की कम खरीद के कारण हुई। 05- चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-02- राजकीय मैडिकल कॉलेजों का उन्नयन-केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना (i) मूल 1.00 पुनर्वि0 (-)1.00योजना (ii) मूल 1.00 पुनर्वि0 (-)1.00उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया और राज्य

06- लोक स्वास्थ्य-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

की हिस्सेदारी भी अप्रयुक्त रही।

01- एड्स नियन्त्रण कार्यक्रम-केन्द्रीय प्रायोजित योजना

	योजना				
(i)	मूल	1.00			
	पुनर्वि0	(-)1.00	••		
02-	, ,	र- ायोजित योजना			
(ii)	मूल	1.00			
	पुनर्वि0 <b>योजना</b>	(-)1.00			
(iii)	याजना मूल	1.00			
	पुनर्वि0	(-)1.00			
2211-	परिवार क	ल्याण-			
	राष्ट्रीय एग	जाति विशेष घटक योज बूलेंस सेवा- ा <b>योजित योजना</b>	तना-		
(iv)	मूल	1,39.00			
	पुनर्वि0	(-)1,39.00	••		
	समस्त प्रा	वार मामलों में मार्च 20. वधान भारत सरकार से भी अप्रयुक्त रही।	-		
04-		त्रों में परिवार कल्याण वं ा <b>योजित योजना</b>	केन्द्र-		
(i)	मूल	15,73.00			
	0.0		13,23.12	13,22.84	(-)0.28
	पुनर्वि0	(-)2,49.88			
05-		ों में परिवार कल्याण के <b>ायोजित योजना</b>	न्द्र-		
(ii)	मूल	1,58.00			
			1,13.98	1,13.98	
	पुनर्वि0	(-)44.02			
		दो मामलों में मार्च 20 कमी रिक्त पदों को न	•	/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधाः	न में ₹ 2,93.90

### 2215- जलापूर्ति तथा सफाई-02- मलजल तथा सफाई-789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-02- मल निकासी योजनाओं की मरम्मत तथा रख रखाव-योजना मूल 4,03.00 (-)0.193,29.00 3,28.81 पुनर्वि0 (-)74.00मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 74.00 लाख की कमी मल प्रवाह पद्धति के रखरखाव कार्यों के कम निष्पादन के कारण हुई। 2216- आवास 03- ग्रामीण आवास-789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-04- मुख्यमंत्री आवास योजना-योजना (-)3,15.00मूल 3.15.00 3,15.00 ₹ 3,15.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)। 05- मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकानों का रख रखाव-योजना मूल 1,83.00 (-)91.3591.35 पुनर्वि0 (-)91.65₹ 91.35 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से, मार्च 2020 में नुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 91.65 लाख की कमी आवासों के रखरखाव पर कम व्यय के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई । ₹ 91.35 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)। 06- प्रधानमंत्री आवास योजना-योजना (i) मूल 9,30.00 पुनर्वि0 (-)9,30.00योजना (ii) मूल 1,03.00 पुनर्वि0 (-)1,03.002217- शहरी विकास-

80- सामान्य-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

02- स्मार्ट सिटी मिशन-केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना

(iii) मूल 12,60.00

पुनर्वि0 (-)12,60.00

उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा ₹ 22,93.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण हुआ और राज्य की आनुपातिक हिस्सेदारी भी अप्रयुक्त रही।

04- प्रधानमंत्री आवास योजना- सभी के लिए आवास (शहरी)-केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजना

(i) मूल 7,92.00

7,77.00 .. (-)7,77.00

पुनर्वि0 (-)15.00

योजना

(ii) मूल 88.00

60.20 .. (-) 60.20

पुनर्वि0 (-)27.80

₹ 8,37.20 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से, उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 42.80 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति और केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 8,37.20 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

### 2225- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों एवं अल्पसंख्यकों का कल्याण-

01- अनुसूचित जातियों का कल्याण-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

02- निदेशन तथा प्रशासन-

योजना

मूल

11,00.00

2,31.85 2,11.85

(-)20.00

पुनर्वि0 (-)8,68.15

₹ 20.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से, मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 8,68.15 लाख की कमी विविध मदों पर कम व्यय, रिक्त पदों को न भरने, बाह्य वाहनों, पैट्रोल, तेल, स्नेहकों और वाहनों की मरम्मत, विज्ञापन पर कम व्यय और रख रखाव कार्यों के कम निष्पादन के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 20.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

10- मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना-

योजना

मूल

11,65.00

11,44.00

(-)11,44.00

पुनर्वि0

(-)21.00

₹ 11,44.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से, मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 21.00 लाख की कमी प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 11,44.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

11- अनुवर्ती कार्यक्रम-

योजना

मूल

1,00.00

76.85

76.85

पुनर्वि0

(-)23.15

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 23.15 लाख की कमी प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

कम्प्यूटर एप्लीकेशन प्रोग्राम-12-

योजना

मूल

28.00

पुनर्वि0 (-)28.00

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 28.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण कम कर दिया गया।

#### 2230- श्रम तथा रोजगार-

03- प्रशिक्षण-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

01- व्यवसायिक शिक्षा पर व्यय-

योजना

मूल

10,64.00

पूरक

0.01

1,95.48 9,91.53

+7,96.05

पुनर्वि0

(-)8,68.53

₹ 7,96.05 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से, मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 8,68.53 लाख की कमी मशीनरी और उपकरणों की कम खरीद के कारण हुई जोकि वेतन और अतिरिक्त मंहगाई भत्ते के भुगतान के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई और अत्याधिक सिद्ध हुई।

₹ 7,96.05 लाख की अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

### 2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-

02- सामाजिक कल्याण-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

01- एकीकृत बाल विकास योजना-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना

मूल 64,41.00

55,27.97

55,27.98

+0.01

पुनर्वि0 (-)9,13.03

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 9,13.03 लाख की कमी, रिक्त पदों को न भरने, प्री स्कूल किट की खरीद न होने, किराया, दर, करों के भुगतान और शिविरों के आयोजन पर कम व्यय के कारण हुई जोकि आंगनबाडी कार्यकर्ताओं/ कार्यकर्ताओं और सहायकों के मानदेय की दरों में वृद्धि होने के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

#### योजना

मूल 12,21.00

पूरक 0.01

6,98.07

6,98.07

पुनर्वि0 (-)5,22.94

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 5,22.94 लाख की कमी, रिक्त पदों को न भरने, प्री स्कूल किटों की खरीद न होने, किराया, दर, करों के भुगतान पर कम व्यय के कारण हुई जोकि कार्यालय सामग्री की अधिक खरीद के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

03- किशोरियों (सबला) के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी योजना के अन्तर्गत पोषण प्रावधान-केन्द्रीय प्रायोजित योजना-

योजना

(i) मूल 1.00

पुनर्वि0 (-)1.00

(ii) मूल 1.00

पुनर्वि0 (-)1.00

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया और राज्य की हिस्सेदारी भी अप्रयुक्त रही।

06- बेटी है अनमोल-

#### योजना

मूल 3,78.00

3,57.36 3,57.36

पुनर्वि0 (-)20.64

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 20.64 लाख की कमी प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुए।

			•				
-80	जागरूकता ३ <b>योजना</b>	प्रभियान-					
	मूल	5.00					
	पुनर्वि0	(-)5.00		••			
		में पुनर्विनियोजन होने के कारण क			नस्त प्रावधान जाग	ारूकता शिवि	रों के
10-	विशेष महिल <b>योजना</b>	ा उत्थान योजना-					
	मूल	8.00					
	पुनर्वि0	(-)8.00					
		में पुनर्विनियोजन म कर दिया गया		ाख का समस्	त प्रावधान प्रस्तावों	ां की प्राप्ति न	ा होने
11-	बलात्कार पी <b>योजना</b>	डितों को वित्तीय	सहायता-				
	मूल	13.00					
	पुनर्वि0	(-)13.00					
		में पुनर्विनियोजन कर दिया गया।	द्वारा ₹ 13.00	लाख का सम	स्त प्रावधान योजन	ना के बन्द हो	ाने के
12-	महिला आयो <b>योजना</b>	ग-					
	मूल	1.00					
	पुनर्वि0	(-)1.00					
		में पुनर्विनियोजन होने के कारण क			नस्त प्रावधान जाग	ारूकता शिवि	रों के
18-	केन्द्रीय प्रायो	चों का कल्याण- <b>जित योजना</b>					
	<b>योजना</b> मूल	11.00					
	पुनर्वि0	(-)11.00					•
		में पुनर्विनियोजन प्राप्ति न होने के व			ा समस्त प्रावधान	भारत सरका	ार से

20- समेकित बाल संरक्षण योजना-

योजना

मूल

40.00

30.00

30.00

पुनर्वि0

(-)10.00

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 10.00 लाख की कमी केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की हिस्स्दारी जारी करने के कारण हुई।

21- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना-

### केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजना

मूल

2,58.00

(-)2,58.00

पुनर्वि0

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,58.00 लाख का समस्त प्रावधान खाते द्वारा प्रत्यक्ष निधिकरण करने के कारण कम कर दिया गया।

#### योजना

(i) मूल

28.00

28.00

18.95

(-)9.05

#### 2236- पोषण-

02- पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

01- अनुसूचित जाति के लिए विशेष पोषण कार्यक्रम-

### केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजना

(ii) मूल

18,50.00

18,50.00

7,67.38

(-)10,82.62

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 10,91.67 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

#### योजना

मूल

2,06.00

2,52.14

82.42

(-)1,69.72

पुनर्वि0

46.14


₹ 1,69.72 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से, मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 46.14 लाख का आवर्धन केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 1,69.72 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

### 2401- फसल कृषि कर्म-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

10- विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण-



मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 14.76 लाख की कमी उर्वरकों की कम खरीद के कारण हुई।

17- खुम्ब खेती परियोजना-

केन्द्रगत योजना

योजना

मूल

8.00

5.86

5.86

पुनर्वि0

(-)2.14

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2.14 लाख की कमी, पैट्रोल, तेल और स्नेहक पर कम व्यय के कारण हुई।

योजना

मूल

30.00

17.73

17.74

+0.01

पुनर्वि0

(-)12.27

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 12.27 लाख की कमी, कूड़ा खाद की मांग की कम प्राप्ति तथा पैट्रोल, तेल और स्नेहक पर कम व्यय के कारण हुई।

25- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना(कृषि)-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजना

मूल

2,15.00

89.22

89.22

पुनर्वि0 (-)1,25.78

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,25.78 लाख की कमी योजना के अन्तर्गत परियोजनाओं के कम अनुमोदन के कारण हुई। जबकि भारत सरकार से ₹ 4,43.00 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।

योजना

मूल

24.00

9.83

9.83

पुनर्वि0

(-)14.17

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,39.95 लाख की कमी योजना के अन्तर्गत परियोजनाओं के कम अनुमोदन के कारण हुई।

26- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना(उद्यान)-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजना

(i) मूल 1,02.00

39.88

39.88

पुनर्वि0 (-)62.12

	योजना				
(ii)	मूल	11.00	4.57	4.57	
	पुनर्वि0	(-)6.43			
36-		द्य सुरक्षा मिशन- गोजित योजना			
(iii)	मूल	3,74.00			
		(-)91.41	2,82.59	2,82.59	
(i)	योजना	40.00			
(iv)	मूल	42,00	30.98	30.98	
	पुनर्वि0	(-)11.02			
	लाख की व	न्मी भारत सरकार से	निधियों की कम प्राप्ति	/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान के कारण हुई और राज् 10 लाख का अनुदान भ	य की हिस्सेदारी
41-	उठाऊ सिंच <b>योजना</b>	वाई योजना एवं बोरवेत	<del></del>		
	मूल	2,72.00			
	पुनर्वि0	(-)35.86	2,36.14	2,36.14	
42-	मांग की क	म प्राप्ति के कारण हुः		₹ 35.86 लाख की क ग्रोजना-	ज्मी किसानों से
	पुनर्वि0	(-)30,23.00			
		में पुनर्विनियोजन/अभ इने के कारण कम कर		) लाख का समस्त प्राव	धान निधियों के
44-	फसल विवि चरण-II - <b>योजना</b>	धिकरण (जापान अंतर	राष्ट्रीय सहकारी अभिकर	रण)	
	मूल	50.00			
	पनर्वि∩	(-)50 00			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा ₹ 50.00 लाख का समस्त प्रावधान योजना के अमल में न लाने के कारण कम कर दिया गया।

45-	प्राक़तिक खेत <sup>्</sup> <b>योजना</b>	खुशहाल किसान-				
	मूल	4,40.00				
	C(		4,18.00	4,18.00		
	पुनर्वि0	(-)22.00				
	मार्च 2020 में प्राप्ति के कारण	•	प्रावधान में <b>₹</b> 22.00	लाख की	कमी प्रस्तावों	की कम
47-	मुख्यमंत्री किसा मजदूर जीवन र् <b>योजना</b>					
	मूल	10.00				
	पुनर्वि0	(-)9.70	0.30	0.30		
	मार्च 2020 में प्राप्ति के कारण	-	प्रावधान में ₹ 9.70 लाख	की कमी	आपात मामलों	की कम
48-	बीज और उपज केन्द्रीय प्रायोजि योजना	ाऊ सामग्री पर उपत <b>त योजना</b>	नाभ-			
(i)	मूल	1,24.00				
	पुनर्वि0 <b>योजना</b>	(-)37.41	86.59	86.59		
(ii)	मूल	13.00				
	पुनर्वि0	(-)3.40	9.60	9.60		
50-	परम्परागत कृषि केन्द्रीय प्रायोजि योजना	विकास योजना- <b>त योजना</b>				
(iii)	मूल	3,08.00				
	पुनर्वि0	(-)2,48.93	59.07	59.07		
	योजना					
(iv)	मूल	35.00				
	पुनर्वि0	(-)28.44	6.56	6.56		

51- मृदा की स्वास्थ्य एवं उर्वरकता हेतु राष्ट्रीय परियोजना-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना

(v) मूल 83.00

24.73 24.73

पुनर्वि0 (-)58.27

योजना

(vi) मूल 9.00

2.83 2.83

पुनर्वि0 (-)6.17

उपरोक्त छः मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3,82.62 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई और राज्य की हिस्सेदारी भी प्रयुक्त रही।

### 2402- भू तथा जल संरक्षण-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

02- प्रदर्शन वन विभाग-

#### केन्द्रगत योजना

योजना

मूल 2,50.00

2,24.76 2,24.76

पुनर्वि0 (-)25.24

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 25.24 लाख की कमी दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति, रखरखाव कार्य के निष्पादन न होने और सामग्री की कम खरीद के कारण हुई।

05- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-

### केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजना

मूल 4,99.00

4,39.19 4,28.56

(-)10.63

पुनर्वि0 (-)59.81

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 59.81 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

#### 2403- पशु पालन-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

03- मवेशी और भैंस विकास-

#### केन्द्रगत योजना

योजना

मूल 80.00

1,10.00 .. (-)1,10.00

पुनर्वि0 (-)30.00

₹ 1,10.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से, मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 30.00 लाख का आवर्धन भारत सरकार से अतिरिक्त विशेष केन्द्रीय सहायता प्राप्त होने के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 1,10.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

	₹ 1,10.00 ন	गाख की अंतिम बचत	के कारण प्रतीक्षित श	थे (अक्तूबर 2020)।	
09-	राष्टीय कृषि वि केन्द्रीय प्रायोजि योजना	वेकास योजना- <b>जत योजना</b>			
(i)	मूल	1,81.00			
	पुनर्वि0	(-)65.20	1,15.80	1,15.80	
	योजना				
(ii)	मूल	20.00			
	पुनर्वि0	(-)7.14	12.86	12.86	
11-	पशु बीमारी उ केन्द्रीय प्रायोजि योजना	न्मूलन हेतु राज्य सहा <b>जेत योजना</b>	ायता-		
(iii)	मूल	21.77			
	पुनर्वि0	(-)16.12	5.65	5.65	
(iv)	<b>योजना</b> मूल	1.89	0.67	0.67	
	पुनर्वि0	(-)1.22	0.07	0.01	
14-	व्यावसायिक नि	नेपुणता विकास योजन परिषद को सहायता			
(v)	मूल	4.00			
	पुनर्वि0	(-)2.00	2.00	2.00	
	योजना				
(vi)	मूल	4.00	2.00	2.00	

उपरोक्त छः मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 93.68 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई और राज्य की हिस्सेदारी भी अप्रयुक्त रही। जबिक क्रम संख्या (1) पर भारत सरकार से ₹ 4,43.00 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।

पुनर्वि0

(-)2.00

पेस डेस पेटिट्स रूमिनेन्ट्स 16-नियन्त्रण कार्यक्रम-केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना

मूल

8.98

2.25

2.25

पुनर्वि0

(-)6.73

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 6.73 लाख की कमी मशीनरी, उपकरण और सामग्री की कम खरीद के कारण हुई।

भेड और बकरी पालन को प्रोत्साहन-

योजना

मूल

25.00

25.00

(-)25.00

₹ 25.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

खुर तथा मुंह रोग नियन्त्रण कार्यक्रम-22-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजना

मूल

1,54.70

पूरक

0.01

39.64

39.64

पुनर्वि0 (-)1,15.07

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,15.07 लाख की कमी सामग्री की कम खरीद के कारण हुई ।

योजना

मूल

11.33

पूरक

0.01

3.76

3.75

(-)0.01

पुनर्वि0

(-)7.58

मार्च 2020 पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 7.58 लाख की कमी सामग्री, मशीनरी और उपकरणों की कम खरीद के कारण हुई।

23-उत्तम चार उत्पादन योजना-

योजना

मूल

(i)

1,60.00

1,59.99

1,47.76

(-)12.23

पुनर्वि0

(-)0.01

#### 2405- मत्स्य पालन-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

03- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

١.			
या	7	न	T

उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 42.98 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)। जबकि क्रम संख्या (ii) पर भारत सरकार से ₹ 4,43.00 लाख क अनुदान प्राप्त हुआ।

07- नील क्रान्ति एकीकृत मत्स्य पालन प्रंबंध एवं विकास-

### केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजना

(i) मूल 1,16.00 2,52.35 89.66 (-)1,62.69 पुनर्वि0 1,36.35 योजना (ii) मूल 15.14

पुनर्वि0 18.73

₹ 1,86.52 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से, उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,55.08 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति और केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ। जबकि भारत सरकार से ₹ 1,47.49 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।

33.87

10.05

(-)23.82

₹ 1,86.52 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

#### 2406- वानिकी तथा वन्य जीवन-

01- वानिकी-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

07- वन प्रबन्धन का तीव्रीकरण-

#### योजना

(i) मूल 99.00 20.05 20.04 (-)0.01 पुनर्वि0 (-)78.95 **योजना** (ii) मूल 11.00 0.75 0.75 ...

पुनर्वि0 (-)10.25

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 89.20 लाख की कमी निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई और राज्य की हिस्सेदारी भी प्रयुक्त रही।

08- हिमाचल प्रदेश वन इको- सिस्टम जलवायु प्रूफिंग परियोजना(बाह्य सहायता परियोजना)-योजना

मूल 6,05.00

2,88.31 2,88.31

पुनर्वि0 (-)3,16.69

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3,16.69 लाख की कमी प्रत्यक्ष संवितरण भुगतान के लेखा समायोजन की प्राप्ति न होने, ग्रामीण वन प्रबंधक कमेटी से मांग की कम प्राप्ति होने और रख रखाव कार्यों के निष्पादन न होने के कारण हुई।

09- राष्ट्रीय वनारोपण कार्यक्रम-केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना

(i) मूल 1,03.00

6.82 6.82

पुनर्वि0 (-)96.18

योजना

(ii) मूल 12.00

0.75 0.75

पुनर्वि0 (-)11.25

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,07.43 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति होने के कारण हुआ और राज्य की हिस्सेदारी भी अप्रयुक्त रही। जबिक भारत सरकार से ₹ 6,82.00 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।

10- एकीकृत उद्यान विकास मिशन के अन्तर्गत राष्ट्रीय बैम्बू मिशन-केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना

(i) मूल 3.00

पुनर्वि0 (-)3.00

योजना

(ii) मूल 1.00

पुनर्वि0 (-)1.00

11- स्थायी कृषि पर राष्ट्रीय मिशन के अन्तर्गत कृषि-वानिकी मिशन-

`			
गा	7	₹	П

(iii) मूल

2.00

पुनर्वि0

(-)2.00

उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 6.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया और राज्य की हिस्सेदारी भी अप्रयुक्त रही।

12- वनक्षेत्र का सुधार-

#### योजना

मूल

5,74.00

4,09.87

4,09.87

पुनर्वि0 (-)1,64.13

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,64.13 लाख की कमी दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति और सामग्री की कम खरीद के कारण हुई।

13- स्मृति वन योजना-

#### योजना

मूल

32.00

पुनर्वि0

(-)32.00

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 32.00 लाख का समस्त प्रावधान योजना के बंद होने के कारण कम कर दिया गया।

14- पुराने वृक्षारोपण का रख रखाव-

#### योजना

मूल

1,25.00

94.18

94.18

पुनर्वि0

(-)30.82

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 30.82 लाख की कमी रख रखाव कार्यों के कम निष्पादन के कारण हुई।

15- हिमाचल प्रदेश वन समृद्धि परियोजना-

#### योजना

मूल

12,09.00

3.23

3.23

पुनर्वि0 (-)12,05.77

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 12,05.77 लाख की सारभूत कमी परियोजना के विश्व बैंक द्वारा अनुमोदन न करने के कारण हुई।

16- हिमाचल प्रदेश वन परिस्थितिकीय प्रबंधन और जीव विज्ञान सुधार परियोजना-

		अनुदान	संख्या-32 (क्रमः	शः)	
	<b>योजना</b> मूल पूरक पुनर्वि0	3,53.00 0.01 (-)3,53.01			
		में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान हरने के कारण हुई।	ा में ₹ 3,53.01 ला	ख की कमी संहितागत	औपचारिकताओं
17-		र जलवायु लचीली वर्षा षे के लिए एकीकृत परि	योजना-		
	मूल	8,81.00			
	<b>C</b> 1		88.87	88.87	
	पुनर्वि0	(-)7,92.13			
	मार्च 2020 दिए जाने के	में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान कारण हुई।	न में ₹ 7,92.13 ल	ाख की कमी योजना क	जे अंतिम रूप न
789-	अनुसूचित ज	निकी और वन्य जीवन- गाति विशेष घटक योजन नों और अभयारण्यों का			
	मूल	85.00			
	<del></del>	( ) 00 00	48.08	48.08	••
		(-)36.92			
		में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान र सामग्री की कम खरीद		की कमी दैनिक वेतन भ	ोगियों की कम
02-	हिमाचल प्रदे	श चिड़ियाघर संरक्षण औ	ोर		
		ज के लिए सहायता अनु	दान-		
	योजना	0.75.00			
	मूल	2,75.00	55.00	55.00	
	पुनर्वि0	(-)2,20.00	33.00	33.00	
	मार्च 2020	में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधा ग्रा में आवश्यकता की कर			घर संरक्षण और
2425-	सहकारिता-				
	O 0,	गित विशेष घटक योजना	Ţ <b>-</b>		
01-	उपदान- केन्टीय पार्य	ोजित योजना			
	कन्द्राय प्राय योजना	।।जस याजना			
	मूल	1.00			

(-)1.00

पुनर्वि0

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।

### 2501- ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-

04- समेंकित ग्रामीण ऊर्जा योजना कार्यक्रम-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

03- अपराम्परागत ऊर्जा स्त्रोत-

#### केन्द्रगत योजना

योजना

पूरक

0.01 2,00.00

(-)2,00.00

पुनर्वि0

1,99.99

₹ 2,00.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से, मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,99.99 लाख का आवर्धन भारत सरकार से अतिरिक्त विशेष केन्द्रीय सहायता प्राप्त होने के कारण हुआ जोक अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 2,00.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

06- स्वरोजगार योजना-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

03- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन-

### केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजना

(i) मूल 6,80.00

4,21.89 2,76.43

(-)1,45.46

पुनर्वि0 (-)2,58.11

योजना

(ii) मूल

76.00

19.13

2.97

(-)16.16

पुनर्वि0 (-)56.87

₹ 1,61.62 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से, उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3,14.98 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई और राज्य की हिस्सेदारी भी अप्रयुक्त रही जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई। जबिक भारत सरकार से ₹ 11,71.22 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ ।

..

₹ 1,61.62 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

04- जिला ग्रामीण विकास अभिकरण प्रशासन-

#### केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजना

(i)मूल 1,98.00

पुनर्वि0 (-)1,98.00

# विनियोग लेखे

		अनुव	द्मान संख्या-32 (क्रमशः)	)	
	योजना				
(ii)	मूल	22.00			
	पुनर्वि0	(-)22.00	<del></del>	••	••
	भारत सर		0 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ प्राप्ति न होने के कारण		
06-		ं कृषि सिंचाई योजना- ग् <mark>योजित योजना</mark>			
(i)	मूल	5,67.00			
			16,83.30		(-)16,83.30
	पुनर्वि0	11,16.30			
	योजना				
(ii)	मूल	63.00			
	_~~~		1,87.03		(-)1,87.03
			। बचत की दृष्टि से, उप		
	अधिक प्रा		₹ 12,40.33 लाख का अ  दारी के अनुपात में राज्य 		
	•	•	''' 16,83.30 लाख का अनु	ग्दान भारत सरकार	से प्राप्त हुआ
	उपरोक्त		0.03 लाख का समस्त प्र	<del>-</del>	-
07-	दीन दयात	त्र उपाध्याय ग्रामीण			
	कौशल य				
		ायोजित योजना			
( <del>;</del> )	योजना	44.00.00			
(i)	मूल	11,09.00			
	पुनर्वि0	(-)11,09.00			
	योजना				
(ii)	मूल	1,23.00			

08- राष्ट्रीय ग्रामीण शहरी मिशन-केन्द्रीय प्रायोजित योजना

पुनर्वि0

(-)1,23.00

	योजना				
(iii)	मूल	11,22.00			
	पुनर्वि0	(-)11,22.00			
	योजना				
(iv)	मूल	1,25.00			
	पुनर्वि0	(-)1,25.00			
2505-	ग्रामीण र	जिगार-			
01-	राष्ट्रीय व	नार्यक्रम-			
		। जाति विशेष घटक यो	जना-		
	<b>–</b> •,	ामीण रोजगार गारंटी ये			
		ायोजित योजना			
	योजना				
(v)	मूल	1,13,35.00			
, ,	C1				
	पुनर्वि0	(-)1,13,35.00			
		<del></del>	<del>1262-2</del> <del>-1</del> <del>-1-1-2</del> - <del>-1-</del>	<del>} ~ ~ ~ ~ ~</del>	
	राज्य की		निधियों की प्राप्ति न हो रही। जबकि क्रम संख्या		
2515 <sup>-</sup>	राज्य की भारत सर	हिस्सेदारी भी अप्रयुक्त			
	राज्य की भारत सर अन्य ग्राम	हिस्सेदारी भी अप्रयुक्त कार से प्राप्त हुआ।	रही। जबकि क्रम संख्या		
789-	राज्य की भारत सर अन्य ग्राम अनुसूचित	हिस्सेदारी भी अप्रयुक्त कार से प्राप्त हुआ। <b>ोण विकास कार्यक्रम</b> -	े रही। जबिक क्रम संख्या जना-		
789-	राज्य की भारत सर अन्य ग्राम अनुसूचित	हिस्सेदारी भी अप्रयुक्त कार से प्राप्त हुआ। <b>ोण विकास कार्यक्रम</b> जाति विशेष घटक यो	े रही। जबिक क्रम संख्या जना-		
789-	राज्य की भारत सर अन्य ग्राम् अनुसूचित कार्यालय	हिस्सेदारी भी अप्रयुक्त कार से प्राप्त हुआ। <b>ोण विकास कार्यक्रम</b> जाति विशेष घटक यो	े रही। जबिक क्रम संख्या जना-		माख का अनुदान
789-	राज्य की भारत सर अन्य ग्राम् अनुसूचित कार्यालय योजना मूल	हिस्सेदारी भी अप्रयुक्त कार से प्राप्त हुआ। ोण विकास कार्यक्रम- जाति विशेष घटक यो भवनों/ग्राम सेवक हट व	े रही। जबिक क्रम संख्या जना-	(i) पर ₹ 19.00 र	
789-	राज्य की भारत सर अन्य ग्राम् अनुसूचित कार्यालय योजना मूल	हिस्सेदारी भी अप्रयुक्त कार से प्राप्त हुआ। ोण विकास कार्यक्रम- जाति विशेष घटक यो भवनों/ग्राम सेवक हट व	े रही। जबिक क्रम संख्या जना- का रख रखाव-	(i) पर ₹ 19.00 र	माख का अनुदान
789-	राज्य की भारत सर अन्य ग्राम् अनुसूचित कार्यालय योजना मूल पुनर्वि0	हिस्सेदारी भी अप्रयुक्त कार से प्राप्त हुआ। ोण विकास कार्यक्रम- जाति विशेष घटक यो भवनों/ग्राम सेवक हट व 2,52.00 (-)1,00.00 लाख की अंतिम बचत 00 लाख की कमी रख	े रही। जबिक क्रम संख्या जना- का रख रखाव-	72.00 72.00 79 में पुनर्विनियोजन	नाख का अनुदान (-)80.00 द्वारा प्रावधान में
789-	राज्य की भारत सर अन्य ग्रार्म अनुसूचित कार्यालय योजना मूल पुनर्वि0 ₹ 80.00 ₹ 1,00.0	हिस्सेदारी भी अप्रयुक्त कार से प्राप्त हुआ। ोण विकास कार्यक्रम- जाति विशेष घटक यो भवनों/ग्राम सेवक हट व 2,52.00 (-)1,00.00 लाख की अंतिम बचत 00 लाख की कमी रख	रही। जबिक क्रम संख्या जना- का रख रखाव- 1,52.00 न की दृष्टि से, मार्च 202	72.00 72.00 20 में पुनर्विनियोजन ष्पादन के कारण हुई	नाख का अनुदान (-)80.00 द्वारा प्रावधान में
789-	राज्य की भारत सर अन्य ग्रार्म अनुसूचित कार्यालय योजना मूल पुनर्वि0 ₹ 80.00 ₹ 1,00.0 सिद्ध हुई	हिस्सेदारी भी अप्रयुक्त कार से प्राप्त हुआ। ोण विकास कार्यक्रम- जाति विशेष घटक यो भवनों/ग्राम सेवक हट व 2,52.00 (-)1,00.00 लाख की अंतिम बचत 00 लाख की कमी रख	रही। जबिक क्रम संख्या जना- का रख रखाव- 1,52.00 न की दृष्टि से, मार्च 202 रखाव कार्यों के कम नि	72.00 72.00 20 में पुनर्विनियोजन ष्पादन के कारण हुई	नाख का अनुदान (-)80.00 द्वारा प्रावधान में
789- 07-	राज्य की भारत सर अन्य ग्रार्म अनुसूचित कार्यालय योजना मूल पनिर्वि० ₹ 80.00 ₹ 1,00.0 सिद्ध हुई ₹ 80.00 राज्य पुरस	हिस्सेदारी भी अप्रयुक्त कार से प्राप्त हुआ।  ोण विकास कार्यक्रम- जाति विशेष घटक यो भवनों/ग्राम सेवक हट व 2,52.00  (-)1,00.00 लाख की अंतिम बचत 00 लाख की कमी रख	रही। जबिक क्रम संख्या जना- का रख रखाव- 1,52.00 न की दृष्टि से, मार्च 202 रखाव कार्यों के कम नि	72.00 72.00 20 में पुनर्विनियोजन ष्पादन के कारण हुई	नाख का अनुदान (-)80.00 द्वारा प्रावधान में
789- 07-	राज्य की भारत सर अन्य ग्रार्म अनुसूचित कार्यालय योजना मूल  ₹ 80.00 ₹ 1,00.0 सिद्ध हुई ₹ 80.00 राज्य पुरुष योजना मूल	हिस्सेदारी भी अप्रयुक्त कार से प्राप्त हुआ। रेण विकास कार्यक्रम- जाति विशेष घटक यो भवनों/ग्राम सेवक हट व 2,52.00 (-)1,00.00 लाख की अंतिम बचत लाख की अंतिम बचत लाख की अंतिम बचत स्कार योजना-	रही। जबिक क्रम संख्या जना- का रख रखाव- 1,52.00 न की दृष्टि से, मार्च 202 रखाव कार्यों के कम नि	72.00 72.00 20 में पुनर्विनियोजन ष्पादन के कारण हुई	नाख का अनुदान (-)80.00 द्वारा प्रावधान में

•		
गा	त्तना	ĺ

(ii) मूल

49.00

पुनर्वि0 (-)49.00

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,27.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण कम कर दिया गया।

10- पंचायती राज विभाग का उन्नयन-

#### योजना

मूल

4,00.00

1,65.00

1,33.75

(-)31.25

पुनर्वि0 (-)2,35.00

₹ 31.25 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से, मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,35.00 की कमी रख रखाव कार्यों के कम निष्पादन के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 31.25 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

13- रवच्छ भारत मिशन(ग्रामीण)-

#### योजना

मूल

3.00

पुनर्वि0 (-)3.00

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3.00 लाख का समस्त प्रावधान योजना के हिस्सेदारी क स्वरूप में बदलाव के कारण कम कर दिया गया।

15- महिला मण्डल के भवनों का निर्माण एवं नवीनीकरण-

#### योजना

मूल

50.00

39.17

39.17

पुनर्वि0

(-)10.83

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 10.83 लाख की कमी कार्यों के कम निष्पादन के कारण हुई।

### 2851- ग्रामीण तथा लघु उद्योग-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

10- रेशम उद्योग का विकास-

#### योजना

मूल

2,03.00

1,62.84

1,62.82

(-)0.02

पुनर्वि0 (-)40.16

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 40.16 लाख की कमी मांग की कम प्राप्ति के कारण हुई।

		•			
15-	हथकरघा और लिए एकीकृत <b>योजना</b>	हस्तशिल्प कला के योजना-			
	मूल	1.00			
	पुनर्वि0	(-)1.00			
		पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधा रण कम कर दिया गया।	न में ₹ 1.00 लाख	का समस्त प्रावधान मांग	की प्राप्ति
19-	ग्रामीण अभियां केन्द्रगत योजन योजना	त्रेकी आधारित उद्योग केन्द्र ॥	₹-		
(i)	मूल	40.00	40.00		(-)40.00
	योजना				
(ii)	मूल	70.00	70.00		(-)70.00
20-	2020)	नामलों में ₹1,10.00 लार काइयों को उपदान- 11.00	व्र की अंतिम बचत	ा के कारण प्रतीक्षित थे	(अक्तूबर
	G		1.00	1.00	
	पुनर्वि0	(-)10.00			
	मार्च 2020 में कारण हुई।	पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधा	न में ₹ 10.00 लार	ब की कमी मांग की कम	ं प्राप्ति के
22-	बांस शिल्प के केन्द्रगत योजन योजना	लिए सामान्य सुविधा केन्द्र <b>ग</b>	_		
	मूल	10.00			
	पुनर्वि0	(-)10.00			
	मार्च 2020 में कम कर दिया	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 10. गया।	00 लाख का समस	त मांग की प्राप्ति न होने	के कारण
25-	राष्ट्रीय हथकर <b>योजना</b>	घा विकास-			
	मूल	23.00			
	a-	() 10.05	6.38	6.38	
	पनर्वि0	(-)16.62			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 16.62 लाख की कमी माँग की कम प्राप्ति के कारण हुई।

30- खाद्य विधायन उद्योग हेतु

राज्य मिशन-

#### योजना

मूल

1,26.00

पुनर्वि0 (-)1,26.00

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा ₹ 1,26.00 लाख का समस्त प्रावधान मांग की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।

#### 3452- पर्यटन-

01- पर्यटन अवसंरचना-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

03- पर्यटन के लिए बुनियादी ढांचा विकास निवेश कार्यक्रम-

#### योजना

मूल

17,63.00

17,63.00

(-)17,63.00

₹ 17,63.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा, जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

80- सामान्य-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

01- प्रशिक्षुओं के लिए वजीफा/छात्रवृति-

#### योजना

मूल

17.00

5.61

5.61

पुनर्वि0

(-)11.39

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन /अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 11.39 लाख की कमी छात्रवृति आवेदनों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

### 3456- नागरिक आपूर्ति-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

02- उपभोक्ता जागरूकता-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

#### योजना

मूल

7.00

पुनर्वि0 (-)7.00

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन /अभ्यर्पण द्वारा ₹ 7.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।

(iv) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षौ के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई:-

शीर्ष कुल अनुदान वास्तविक आधिक्य (+)

व्यय बचत (-)

(₹ लाखों में)

### 2059- लोक निर्माण कार्य-

01- कार्यालय भवन-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

04- सरकारी स्वामित्व के आंगनबाडी केन्द्रों का रख रखाव-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना-

योजना

पूरक 0.01

44.74 44.74

पुनर्वि0 44.73

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 44.73 लाख का आवर्धन, भारत से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

#### योजना

पुनर्वि0 4.88 4.88 ...

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4.88 लाख का आवर्धन केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुई। निधियां मूल/अनुपूरक बजट अनुमानों द्वारा प्राप्त की जानी चाहिए थी। बिना प्रावधान के पुनर्विनियोजन अनुचित और हिमाचल प्रदेश राज्य बजट पुस्तिका के पैरा 12.5 में निहित प्रावधान का उल्लघन है।

#### 2202- सामान्य शिक्षा-

01- प्रारम्भिक शिक्षा-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

13- अनुसूचित जातियों को प्री0 मैटिक छात्रवृति-

#### योजना

पूरक 0.01

83.82 83.82

पुनर्वि0 83.81

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 83.81 लाख का आवर्धन छात्रवृति आवेदनों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

16- जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान-

#### योजना

मूल 1.00

पूरक 0.08 6,09.76 6,09.76

पुनर्वि0 6,08.68

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 6,08.68 लाख का आवर्धन कमचारियों की वेतनदेयता चुकाने और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

02- माध्यमिक शिक्षा-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

02- उच्चतर पाठशालाएं-

#### योजना

मूल

8,06.00

25,48.20

23,33.37

(-)2,14.83

पुनर्वि0 17,42.20

₹ 2,14.83 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से, मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 17,42.20 लाख का आवर्धन सामग्री की खरीद पर अधिक व्यय, रिक्त पदों को भरने और छात्रवृत्ति के लिए आवेदनों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ जोकि अनुवृत्ति प्रस्तावों की कम प्राप्ति और कार्यालय सामग्री की कम खरीद के कारण हुई बचत से सामग्री की कम खरीद के कारण हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ।

₹ 2,14.83 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

#### 2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-

04- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्वतियां-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

03- विद्यमान आयुष संस्थानों का उन्न्ययन-

### केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजना

(i) 1,93.00 मूल

2,87.66

31.96

पुनर्वि0 94.66

योजना

(ii) मूल 21.00

31.96

2,87.66

पुनर्वि0 10.96

चिकित्सा शिक्षा,प्रशिक्षण और अनुसंधान-05-

अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-789-

लाल बहादुर शास्त्री सरकारी चिकित्सा 06-महाविद्यालय और अस्पताल नेरचौक-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजना

पुनवि0

(iii) पूरक 0.01

1,63.82

1,63.83

1,63.83

उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,69.44 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति और केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुई।

### 2215- जलापूर्ति तथा सफाई-

01- जलापूर्ति-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

02- ग्रामीण पेयजल योजनाओं पर ऊर्जा प्रभार-

मूल

4,00.00

4,27.34

4,25.04

(-)2.30

पुनर्वि0

27.34

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 27.34 लाख का आवर्धन ऊर्जा प्रभारों पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

### 2217- शहरी विकास-

04- गन्दी बस्तियों का विकास-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

10- दीन दयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन-

# केन्द्रीय प्रायोजित योजना

#### योजना

(i) मूल 57.00 1,53.15 1,53.15 पुनर्वि0 96.15

योजना

(ii) मूल 6.00

> 17.02 17.02

पुनर्वि0

11.02

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,07.17 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति होने और केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुआ। जबकि भारत सरकार से ₹ 1,53.15 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।

### 2225- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडे वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण-

अनुसूचित जातियों का कल्याण-01-

अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-789-

आवास-05-

योजना

मूल

12,00.00

13,98.00

13,26.50

(-) 71.50

पुनर्वि0

1,98.00

₹ 71.50 लाख का अंतिम बचत की दृष्टि से, मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,98.00 लाख का आवर्धन आवास अनुवृति के अधिक मामलों की प्राप्ति के कारण हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ।

₹ 71.50 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

08- प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना-

#### केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजना

पूरक

0.01

18,86.39

27.97

(-) 18,58.42

पुनर्वि0 18,86.38

₹ 18,58.42 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से, मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 18,86.38 लाख का आवर्धन,भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ।

₹ 18,58.42 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

12- कम्प्यूटर एप्लीकेशन कार्यक्रम-

#### केन्द्रगत योजना

योजना

मूल

2,00.00

3,09.78

3,09.78

पुनर्वि0

1,09.78

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,09.78 लाख का आवर्धन भारत सरकार से अतिरिक्त विशेष केन्द्रीय सहायता प्राप्त होने के कारण हुआ।

13- अत्याचार के शिकार लोगों को मुआवजा-

योजना

मूल

90.00

2,86.00

2,86.00

पुनर्वि0

1,96.00

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,96.00 लाख का आवर्धन, मामलों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

15- अंतरजातीय विवाह हेतु पुरस्कार-

योजना

मूल

1,00.00

2,17.00

2,17.00

पुनर्वि0 1,17.00

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,17.00 लाख का आवर्धन प्रस्तावों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

#### 2230- श्रम तथा रोजगार-

03- प्रशिक्षण-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

04- विश्व बैंक सहायता प्राप्त औद्योगिक कौशल उपयोगिता संवर्धन सशक्तिकरण परियोजना-

#### केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजना

पूरक

0.01

19.00

19.00

पुनर्वि0

18.99

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 18.99 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

### 2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-

01- पुनर्वास-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

01- विकलांग पुनर्वास-

योजना

मूल

9,48.00

13,85.16

13,85.16

पुनर्वि0

4,37.16

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4,37.16 लाख का आवर्धन, अधिक नए पैंशन लाभार्थियों के जुड़ने से हुआ।

02- समाज कल्याण -

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

16- महिला विकास निगम-

योजना

पूरक

0.01

64.33

64.33

पुनर्वि0

64.32

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 64.32 लाख का आवर्धन, लक्ष्यों पर आधारित ऋण की अधिक आवश्यकता के कारण हुआ।

23- विकलांगों का उत्थान-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना-

योजना

पूरक

0.01

92.84

92.84

पुनर्वि0 92.83

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 92.83 लाख का आवर्धन,भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

बलात्कार बाल उत्पीडन और औब्जैक्टि फिकेशन पृष्टभूमि 25-के नाबालिंग पीडितों के पुनर्वास के लिए योजना-

योजना

पूरक

0.01

6.03

6.03

पुनर्वि0

6.02

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 6.02 लाख का आवर्धन नई योजना के अमल में लाने के कारण हुआ।

60- अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

03- वृद्धावस्था पैंशन-

योजना

मूल

40,35.00

55,41.21 55,41.21

पुनर्वि0 15,06.21

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 15,06.21 लाख का आवर्धन, नए पैंशन लाभार्थियों के जुड़ने के कारण हुआ।

### 2401- फसल कृषि-कर्म-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

07- पौध संरक्षण-

केन्द्रगत योजना

योजना

मूल

15.00

19.99

19.99

पुनर्वि0

4.99

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4.99 लाख का आवर्धन, किसानों से मांग की अधिक प्राप्ति होने के कारण हुआ।

33- विस्तार एवं प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय मिशन-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजना

(i) मूल

3,12.00

3.27.60

3,27.60

पुनर्वि0

15.60

38- उद्यान एकीकृत विकास मिशन-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजना

(ii) मूल 4,53.00

5,78.75 5,78.75

पुनर्वि0 1,25.75

43- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजना

(iii) मूल 2,27.00

2,55.31 2,55.31

पुनर्वि0 28.31

उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,69.66 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ जबिक क्रम संख्या (iii) पर ₹ 4,50.00 लाख का अनुदान भारत सरकार से प्राप्त हुआ।

योजना

मूल 85.00

1,20.07 1,20.10 +0.03

पुनर्वि0 34.57

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 34.57 लाख का आवर्धन अनुदान अनुवित मामलों की अधिक प्राप्ति और केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुआ।

49- कृषि मेकेनाइजेशन पर उप मिशन-केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजना

(i) मूल 3,12.00

पुनर्वि0 8,17.98

योजना

(ii) मूल 35.00

1,22.80 1,22.80

पुनर्वि0 87.80

52- राष्टीय बम्बू मिशन-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजना

(iii) पूरक 0.01

74.11 74.11 .

पुनर्वि0 74.10

योजना

(iv) पूरक 0.01

> 8.40 8.40

पुनर्वि0 8.39

उपरोक्त चार मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 9,88.27 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति और केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुआ।

### 2402- भू तथा जन संरक्षण-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

03- फार्म पर टैंक द्वारा जल का सिंचाई योजना द्वारा प्रबंध-केन्द्रगत योजना

योजना

मूल

1.49.00

1,88.89 1,88.89

पुनर्वि0 39.89

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 39.89 लाख का आवर्धन भारत सरकार से अतिरिक्त विशेष केन्द्रीय सहायता प्राप्त होने के कारण हुआ।

#### 2403- पश्पालन-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

05- कुक्कुट विकास पर व्यय-

केन्द्रगत योजना

योजना

मूल 30.00

> 44.69 44.69

पुनर्वि0 14.69

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 14.69 लाख का आवर्धन भारत सरकार से अतिरिक्त विशेष केन्द्रीय सहायता प्राप्त होने के कारण हुआ।

राष्ट्रीय पश्धन मिशन-20-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना-

योजना

(i) मूल 0.02

> पुनर्वि0 1,55.40

योजना

(ii) मूल 0.03

> 17.26 17.26

पुनर्वि0 17.23

2408- खाद्य भंडारण तथा भाण्डागार-

01- भोजन-789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-01- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना

(iii) मूल 38.00

6,65.00 6,65.00

पुनर्वि0 6,27.00

योजना

(iv) मूल 13.00

3,71.48 3,71.48

पुनर्वि0 3,58.48

#### 2515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

12- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान-केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना

(v) मूल 2,27.00

7,59.50 7,59.50

पुनर्वि0 5,32.50

योजना

(vi) मूल 25.00

84.39 84.39

पुनर्वि0 59.39

13- स्वच्छ भारत मिशन (गामीण)-केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजना

(vii) मूल 23.00 पूरक 0.01

10,19.15 10,19.15

पुनर्वि0 9,96.14

उपरोक्त सात मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 27,46.14 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति होने और केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुआ। जबिक क्रम संख्या (v) पर ₹ 4,00.00 लाख का अनुदान भारत सरकार से प्राप्त हुआ।

### 2851- ग्रामीण तथा लघु उद्योग-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

10- रेशम उद्योग का विकास-

केन्द्रगत योजना

विनियोग लेखे					
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)					
	<b>योजना</b> मूल	55.00	2,55.00	99.72	(-)1,55.28
	पुनर्वि0	2,00.00	2,30.00	00.12	( ) 1,00.20
	₹ 1,55.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से, मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,00.00 लाख का आवर्धन लाभार्थियों से मांग की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।				
	₹ 1,55.28 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।				
789-	नागरिक आपूर्ति- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना- लक्षित सार्वजिनक वितरण प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण- योजना				
	पूरक	0.01	1.79	1.79	
	पुनर्वि0	1.78			
	मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1.78 लाख का आवर्धन कार्यालय मदों की अधिक खरीद के कारण हुआ।				
पूंजीगत	ा प्रवर्ग				
(v)	दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षौ के अन्तर्गत हुई:-				
	शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक	आधिक्य (+)
	व्यय बचत ( ( <b>₹</b> लाखों में)				
	लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय- कार्यालय भवन-				
	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
	आवासीय भवन-				
	योजना				
	मूल	16,30.00	7,87.91	7,87.91	
	पुनर्वि0	(-)8,42.09	7,07.31	1,01.01	
	मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 8,42.09 लाख की कमी कार्य के कम निष्पादन के कारण हुई।				
02-	न्यायपालिका केन्द्रीय प्रायो योजना	आधारिक संरचना व <b>जित योजना</b>	ठा उन्नयन-		
	मूल	1.00			

पुनर्वि0

(-)1.00

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा ₹1.00 लाख का समस्त प्रावधान कार्य के निष्पादन न होने के कारण कम कर दिया गया।

योजना

(i) मूल 90.00

9.00 9.00

पुनर्वि0 (-)81.00

04- राष्टीय विधि विश्वविद्यालय-

योजना

(ii) मूल

1,26.00

1.26.00

पुनर्वि0 (-)14.00

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 95.00 लाख की कमी कार्य के कम निष्पादन के कारण हुई।

05- भवन (जेल विभाग)-

योजना

(i) मूल

1,50.00

1,40.00

1,50.00

(-)1,50.00

06- कानूनगो/पटवार भवनों का निर्माण-

योजना

(ii) मूल

3,02.00

2,95.50

2,39.50

(-)56.00

पुनर्वि0 (-)6.50

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 2,06.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

### 4202- शिक्षा, खेल, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-

01- सामान्य शिक्षा-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

02- भवन (माध्यमिक विद्यालय)-

योजना

(i) मूल

8,81.00 7,98.97

7,98.97

पुनर्वि0 (-)82.03

03- भवन (माध्यमिक विद्यालय)-

योजना

(ii) मूल

3,15.00

2,92.95

2,92.95

पुनर्वि0 (-)22.05

05-	कॉलेज भवनं <b>योजना</b>	ों का निमार्ण-	,	,	
(iii)	मूल	14,48.00			
			7,86.10	7,86.10	
	पुनर्वि0	(-)6,61.90			
789-	-,	ा युवा सेवाएं- गित विशेष घटक ये -	ोजना-		
(iv)	मूल	3,50.00			
	पुनर्वि0	(-)55.25	2,94.75	2,94.75	
			2020 में पुनर्विनियोजन/ ष्पादन के कारण हुई।	अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान	में ₹ 8,21.23
<i>0</i> 3- 789-	<i>चिकित्सा शि</i> अनुसूचित ज	या लोक स्वास्थ्य पर क्षा, प्रशिक्षण तथा उ ाति विशेष घटक ये मेंडिकल कॉलेज- जित योजना	 अनुसंधान-		
(i)		1.00			
	पुनर्वि0	(-)1.00			
03-		लेज चम्बा- <b>जित योजना</b>			
(ii)	मूल	3,97.00			
	पुनर्वि0	(-)3,97.00			
04-	मेंडिकल कॉ केन्द्रीय प्रायो योजना				
(iii)	मूल	1.00			
	पुनर्वि0				
			2020 में अभ्यर्पण द्वारा <b>र</b> रिण कम कर दिया गया।	🕈 3,99.00 लाख का	समस्त प्रावधान
05-		लेज हमीरपुर- <b>जित योजना</b>			

योजना

मूल

8,81.00

2,18.10

2,18.10

पुनर्वि0

(-)6,62.90

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 6,62.90 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

### 4215- जलापूर्ति तथा स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय-

01- जलापूर्ति-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

01- शहरी जलापूर्ति योजनाओं पर व्यय-

योजना

मूल

18, 14.00

15,11.61

15,11.61

पुनर्वि0 (-)3,02.39

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3,02.39 लाख की कमी कार्य के कम निष्पादन के कारण हुई।

07- आर0आई0डी0एफ0(नाबार्ड)के अन्तर्गत

हैंडपम्पों की स्थापना पर व्यय-

योजना

मूल

3,87.00

0.67

+0.67

पुनर्वि0 (-)3,87.00

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा ₹ 3,87.00 लाख का समस्त प्रावधान कार्य के निष्पादन न होने के कारण कम कर दिया गया।

09- मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजलापूर्ति योजना

वाह्य सहायता प्राप्त प्रोजेक्ट (राष्ट्रीय विकास बैंक)-

योजना

मूल

33,70.00

पुनर्वि0

(-)33,70.00

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 33,70.00 लाख का समस्त प्रावधान परियोजना के अनुमोदित न होने के कारण कम कर दिया गया।

02- मल निकासी तथा सफाई-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

02- विभिन्न जिलों में जलस्तर तथा मल व्यवस्था योजनाएं-

योजना

मूल

10,08.00

8,26.95

8,29.25

+2.30

पुनर्वि0 (-)1,81.05

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,81.05 लाख की कमी कार्य के कम निष्पादन के कारण हुई।

### 4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय-01- सरकारी आवासीय भवन-789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-01- सरकारी आवासीय भवन-योजना 2,00.00 मूल पुनर्वि0 (-)2,00.00मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,00.00 लाख का समस्त प्रावधान, संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण कम कर दिया गया। 4225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-01- अनुसूचित जातियों का कल्याण-789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-02- अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए विभागीय/अन्य भवनों का निर्माण-योजना (i) मूल 1,35.00 पुनर्वि0 (-)1,35.0080- सामान्य-789- अनुसूचित जातियों विशेष घटक योजना-01- कन्या छात्रावास के भवनों का निर्माण-केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना (ii) मूल 1,50.00 पुनर्वि0 (-)1,50.00योजना (iii) मूल 2,00.00 पुनर्वि0 (-)2,00.00

उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 4,85.00 लाख का समस्त प्रावधान

4235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-

प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।

02- सामाजिक कल्याण-

789- अनुसूचित जातियों विशेष घटक योजना-

01- बहुउद्देशीय सामुदायिक/आंगन बाड़ी केन्द्र-

#### योजना

मूल 20.00 पूरक 3,44.00

2,52.00

2,52.00

पुनर्वि0 (-)1,12.00

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹1,12.00 लाख की कमी कार्य के कम निष्पादन और भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण हुई, राज्य की हिस्सेदारी भी अप्रयुक्त रही।

### 4402- मृदा तथा जल संरक्षण पर पुंजीगत परिव्यय-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

02- पोलीहाउस एवं माइक्रो सिंचाई परियोजना-

#### योजना

मूल

2,00.00

पुनर्वि0 (-)2,00.00

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा ₹ 2,00.00 लाख का समस्त प्रावधान नीति दिशानिर्देशों को वर्ष के अंत में अंतिम रूप दिए जाने के कारण कम कर दिया गया।

03- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत व्यय-

#### केन्द्रीय प्रायोजित योजना

#### योजना

मूल 1,36.00

पूरक 52.96

1,85.25

1,27.42

(-)57.83

पुनर्वि0 (-)3.71

₹ 57.83 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020) जबकि ₹ 4,43.00 लाख का अनुदान भारत सरकार से प्राप्त हुआ।

04- सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के माध्यम से प्रभावी सिंचाई-

#### योजना

मूल

7,35.00

5,50.20

5,09.89

(-)40.31

पुनर्वि0

(-)1,84.80

₹ 40.31 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से, मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,84.80 लाख की कमी कार्य के कम निष्पादन के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 40.31 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

### 4403- पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

02- भवन (पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य)-

		अनु	दान संख्या-32 (क्रमशः	a)	
	योजना				
(i)	मूल	3,02.00			
	<u> </u>	()	2,66.54	2,66.54	
	· ·	(-)35.46			
4406-		ग वन्य प्राणियों स्वरिकास			
01-	पर पूंजीगत वानिकी-	पारव्यय-			
		जाति विशेष घटक य	ग्रोजना-		
	भवन-				
	योजना				
(ii)	मूल	4,00.00			
	_~~~	()	2,18.44	2,18.44	
	पुनाव0	(-)1,81.56			
4702-	लघु सिंचाई	पर पूंजीगत परिव्य	य-		
	O C1	जाति विशेष घटक य			
01-		लों में लघु सिंचाई य	गोजनाओं पर व्यय(उठाऊस्व	क्रीमें)-	
(:::)	योजना	0.00.00			
(iii)	<b>ન</b> ૂલ	3,00.00	2,57.74	2,52.26	(-)5.48
	पुनर्वि0	(-)42.26	2,01.14	2,02.20	( )3.40
03-	· ·	ें लों में जल प्रवाह सिं	चाई योजना-		
	योजना				
(iv)	मूल	3,00.00			
			2,73.29	2,73.29	
	पुनर्वि0	(-)26.71			
04-	_	लों में उठाऊ सिंचाई	योजना, नाबार्ड-		
( )	योजना —				
(v)	मूल	16,69.00	16 25 02	16 25 02	
	पनर्वि0	(-)33.07	16,35.93	16,35.93	
05-			ों में बहाव सिंचाई योजना-		
05-	योजना	जसमस्य विभिन्न जिल	ा ग बहाय रिरायाइ याजना-		
(vi)	मूल	9,00.00			
			2,00.34	2,00.35	+0.01
	पुनर्वि0	(-)6,99.66			
	उपरोक्त छ	ः मामलों में मार्च 2	2020 में पुनर्विनियोजन/अ	भ्यर्पण द्वारा प्रावधा	न में ₹ 10,18.72
	लाख की व	न्मी कार्य के कम नि	ष्पादन के कारण हुई।		

07- ए0आई0वी0पी0 के अन्तर्गत विभिन्न जिलों में जल प्रवास योजना-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना

मूल

4,25.00

3,51.24

3,41.42

(-)9.82

पुनर्वि0

(-)73.76

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 73.76 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

11- जल संरक्षण द्वारा हिमाचल प्रदेश के किसानों

की आय दोगुनी करने हेतु योजना (बाह्य सहायता द्वारा)-

योजना

मूल

25.00

पुनर्वि0 (-)25.00

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 25.00 लाख का समस्त प्रावधान परियोजना के अनुमोदित न होने के कारण कम कर दिया गया।

### 4705- कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

01- कमांड क्षेत्र विकास-

### केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजना

मूल

9,98.00

पुनर्वि0 (-)9,98.00

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 9,98.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न हाने के कारण कम कर दिया गया।

योजना

मूल

9,93.00

8,05.56

8,58.58

+53.02

पुनर्वि0 (-)1,87.44

₹ 53.02 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से, मार्च 2020 में प्रावधान में ₹ 1,87.44 लाख की कमी कार्य के कम निष्पादन और केन्द्रीय हिस्सेदारी की प्राप्ति न हाने के कारण हुई जोकि अत्यधिक सिद्ध हुई और राज्य की हिस्सेदारी भी अप्रयुक्त रही।

₹ 53.02 लाख की अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

## 4711- बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-

01- बाढ नियन्त्रण-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

07- मण्डी तथा हमीरपुर जिलों में सीर खड्ड से बरछबाड़ से जाहू तक तटीयकरण-(बाढ प्रबंधन कार्यक्रम)-

	केन्द्रीय प्राय योजना	ोजित योजना			
(i)	मूल	2.30			
	पुनर्वि0	(-)2.30			
09-		तक स्वां नदी का तर्ट ो <b>जित योजना</b>	प्रेयकरण (चरण-III)-		
(ii)	मूल	2.30			
10-	पुनर्वि0 दौलतपुर से	(-)2.30 गगरेट पुल तक स्वां त	 तथा इसकी सहायक		
	नदियों का व	तटीयकरण (4-एफ0एम् <b>ोजित योजना</b>			
iii)	मूल	2.30			
	पुनर्वि0	(-)2.30			
			2020 में अभ्यर्पण द्वार न होने के कारण क		समस्त प्रावधान
	योजना				
	मूल	6,80.40	6,80.00	5,06.00	(-)1,74.00
	पुनर्वि0	(-)0.40			
	₹ 1,74.00	लाख की अंतिम बचत	के कारण प्रतीक्षित थे	(अक्तूबर 2020)।	
11-		में लिकरी खड्ड का त <b>ोजित योजना</b>	टीयकरण-		
(i)	मूल	2.30			
	पुनर्वि0	(-)2.30			
12-	कार्य (बाढ :	द्यौरा में छौंछखड का बा प्रबंधन कार्यक्रम)- <b>ोजित योजना</b>	ाढ नियन्त्रण		
(ii)	मूल	2.30			
	पुनर्वि0	(-)2.30			

13-	जिला कुल्लू	में पलचान से 3	<b>ँ</b> गौट तक तटी	यकरण-			
	केन्द्रीय प्रायोर् योजना						
(iii)	मूल	2.30					
	पुनर्वि0	(-)2.30					•
14-	हमीरपुर, ज्वा	र उसकी सहाय लामुखी और रक और इसकी सह जेत योजना	कर जिला ह	मीरपुर	ण–		
(iv)	मूल	2.30					
	पुनर्वि0	(-)2.30					
15-	जिला शिमला केन्द्रीय प्रायोर् योजना	ं में पब्बर नदी व <b>जेत योजना</b>	म्ना तटीयकर <sup>ण</sup>	π–			
(v)	मूल	2.30					
	पुनर्वि0	(-)2.30					•
16-	जिला कांगड़ा खड्ड, का त केन्द्रीय प्रायोर् योजना		गरली				
(vi)	मूल	2.30					
	पुनर्वि0	(-)2.30					•
17-		सुकेती खडड द नियंत्रण कार		सहायक			
(vii)	मूल	2.30					
	पुनर्वि0	(-)2.30		••			
		। मामलों में मा से निधियों की				समस्त	प्रावधान
01-	हाईडल उत्पा	<b>ाजनाओं पर पूंज</b> <i>दन-</i> ति विशेष घटक		<b>I</b> -			

		3	`	•					
02-	हिमाचल प्रदेश <b>योजना</b>	ा संचारण निगम समीति व	में निवेश-						
	मूल	14,00.00							
	Ci		10,50.00		10,50	.00			
	पुनर्वि0	(-)3,50.00							
	मार्च 2020 में	अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान मे	में ₹ 3,50.00	) लाख व	की कमी	कम 1	नेवेश के	कार	ग हुई।
03-	हिमाचल प्रदेश <b>योजना</b>	। राज्य विद्युत बोर्ड लिमि	टेड में इक्वि	ਟੀ-					
	मूल	45,00.00	45,00.00					(-)4	5,00.00
	₹ 45,00.00 2020) I	लाख का समस्त प्रावध	गान अप्रयुक्त	त रहा, ी	जिसके व	कारण	प्रतीक्षित	थे	(अक्तूबर
1851-	ग्राम तथा लघु	<b>ु</b> उद्योगों पर पूंजीगत परि	रेव्यय-						
		ति विशेष घटक योजना-							
03-		गोगिक क्षेत्रोंका सृजन-							
	केन्द्रीय प्रायोरि	जेत योजना							
	योजना								
(i)	मूल	5,00.00							
	पुनर्वि0	(-)5,00.00							
	योजना								
(ii)	मूल	1,25.00							
(11)	9.,	1,20.00							_
	पुनर्वि0	(-)1,25.00							
05-	औद्योगिक अव केन्द्रीय प्रायोरि योजना	वसंरचना उन्नयन योजना- <b>जेत योजना</b>	-						
(iii)	मूल	1.00							
	पुनर्वि0	(-)1.00							
	योजना								
(iv)	मूल	1.00							
	पुनर्वि0	(-)1.00							
	उपरोक्त चार	मामलों में मार्च 2020 में	₹ 6,27.00	) लाख व	का समस्	त प्राव	घान, भार	त स	रकार से

उपरोक्त चार मामलों में मार्च 2020 में ₹ 6,27.00 लाख का समस्त प्रावधान, भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया और राज्य की हिस्सेदारी भी अप्रयुक्त रही।

06-	जिला उद्द <b>योजना</b>	ग्रोग केन्द्र भवन-			
(i)	मूल	80.00	62.80	62.79	(-)0.01
	पुनर्वि0	(-)17.20	02.00	02.70	( )0.01
<i>04-</i> 789-	<i>जिला तथ</i> अनुसूचित	था पुलों पर पूंजीगत प ग अन्य सड़कें- जातियों विशेष घटक ड़कों का निर्माण- ग्रोजना			
(ii)	पूरक	1,23.00 5,00.00 (-)5,31.20	91.80	91.80	
	योजना				
(iii)	पूरक	1,24,08.00 1,46.31 (-)16,86.64	1,08,67.67	1,08,86.98	+19.31
		तीन मामलों में मार्च कम निष्पादन के कार	2020 में अभ्यर्पण द्वारा ग्र ण हुई।	ग्रावधान में ₹ 22,35.0 <sup>,</sup>	4 लाख की कमी
03-	-1	पौधोरोपण( वन भूमि व प्रेजेन्ट वेल्यू की अदाय			
	मूल	3,50.00			
	पुनर्वि0	(-)3,49.53	0.47	0.47	
		0 में अभ्यर्पण द्वारा प्र कारण हुई।	ावधान में ₹ 3,49.53 ल	ाख की कमी क्षतिपूर्ति	मामलों की कम
04-	पुलों का । <b>योजना</b>	निर्माण-			
(i)	पूरक	53,00.00 4,47.00 (-)15,71.54	41,75.46	41,66.13	(-)9.33
05-	सड़कों के <b>योजना</b>	किनारे सुविधा-			
(ii)	मूल	15.00			
	पुनर्वि0	(-)8.26	6.74	6.74	

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 15,79.80 लाख की कमी कार्य के कम निष्पादन के कारण हुई।

09- मुख्य जिला सड़कें-

#### योजना

मूल

1,00.00

पुनर्वि0 (-)1,00.00

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,00.00 लाख का समस्त प्रावधान कार्य के निष्पादन न होने के कारण कम कर दिया गया।

11- ग्रामीण सडक विश्व बैंक-

#### योजना

मूल

25,00.00

पुनर्वि0 (-)25,00.00

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा ₹ 25,00.00 लाख का समस्त प्रावधान योजना के अंतर्गत सड़को के अनुमोदित न होने के कारण हुआ।

12- सी0आर0एफ0 के अन्तर्गत सडकों का निर्माण-

#### केन्द्रीय प्रायोजित योजना

#### योजना

मूल

27,71.00

25,23.64

24,98.30

(-)25.34

पुनर्वि0 (-)2,47.36

₹ 25.34 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से, मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,47.36 लाख की कमी कोविड-19 के दौरान पूर्णबंद/कर्फ्यू लगने के कारण अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

₹ 25.34 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

### 5055- सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

02- परिवहन विभाग के क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी भवनों का निर्माण-

#### योजना

मूल

50.00

50.00

(-)50.00

₹ 50.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

03- उप मंडल/खंड स्तर पर बस अडडों का निर्माण-

#### योजना

पूरक

0.01

4,03.00

(-)4,03.00

पुनर्वि0 (-)4,02.99

₹ 4,03.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से, मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4,02.99 लाख का आवर्धन लेखाओं के अन्य मुख्य शीर्ष में प्रावधान करने के कारण हुआ जोकि अनुचित सिद्ध हुआ। यह बजट पुस्तिका के पैरा 12.5 और हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली 2009 का उल्लंघन है।

₹ 4,03.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

05- परिवहन नगर-

#### योजना

मूल

1,01.00

पुनर्वि0 (-)1,01.00

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 1,01.00 लाख का समस्त प्रावधान, बिलों की अदायगी न होने के कारण कम कर दिया गया।

01- परिवहन-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

01- हिमाचल पथ परिवहन निगम में निवेश-योजना

(i) मूल 15,62.00

पुनर्वि0 (-)15,62.00

03- उप मंडल/खंड स्तर पर बस अडडों का निमार्ण-योजना

(ii) मूल 4,03.00

पुनर्वि0 (-)4,03.00

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 19,65.00 लाख का समस्त प्रावधान गलत बजट प्रावधान के कारण कम कर दिया गया। मुख्य एवं लघु लेखा शीर्ष के अनुसार मुख्यशीर्ष 5055 के अधीन 01- उप-मुख्यशीर्ष दर्शाया नहीं गया। अतः उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत गलत बजट प्रावधान किया गया है।

- 6225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़ें वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए ऋण-
  - 01- अनुसूचित जातियों का कल्याण-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

02- एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के परिवारों के बच्चों को उच्चतर शिक्षा के लिए ब्याज मुक्त ऋण-

	योजना				
(i)	मूल	30.00			
	पुनर्वि0	(-)30.00			••
6801-	विद्युत परि	रेयोजनाओं के लिए ऋ	हण-		
789-	अनुसूचित	। जाति विशेष घटक य	गोजना-		
02-	हिमाचल <b>योजना</b>	प्रदेश विद्युत निगम को	ा ऋण-		
(ii)	मूल	62,00.00			
	पुनर्वि0	(-)62,00.00			
04-	ऊर्जा परिय <b>योजना</b>	योजनाओं के लिए के0	एफ0डब्ल्यू0 शेयर-		
(iii)	मूल	25.00			
	पुनर्वि0	(-)25.00			
			2020 में अभ्यर्पण द्वारा गरण कम कर दिया गया		ग समस्त प्रावधान
(vi)	उपरोक्त ब	बचत निम्नवत् शीर्षौ व	ते अन्तर्गत हुए आधिक्य	से अंशतः प्रतिसन्तुलि	त हुई:-
	शीप	र्घ	कुल अनुदान	वास्तविक	`
	शीप	ৰ্ষ	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाखों में )	आधिक्य (+) बचत (-)
4210 <sup>-</sup>		र्ष तथा लोक स्वास्थ्य प		व्यय	`
		तथा लोक स्वास्थ्य प		व्यय	`
04-	- <b>चिकित्सा</b> - लोक स्वा	तथा लोक स्वास्थ्य प	र पूंजीगत परिव्यय-	व्यय	`
<i>04-</i> 789-	- <b>चिकित्सा</b> - <i>लोक स्वा</i> - अनुसूचित भवन-	तथा लोक स्वास्थ्य प स्थ्य-	र पूंजीगत परिव्यय-	व्यय	`
<i>04</i> -789-01-	- चिकित्सा - <i>लोक स्वा</i> - अनुसूचित भवन- योजना	<b>तथा लोक स्वास्थ्य प</b> रस्थ्य- ' जाति विशेष घटक य	र पूंजीगत परिव्यय-	व्यय	`
<i>04-</i> 789-	- चिकित्सा - <i>लोक स्वा</i> - अनुसूचित भवन- योजना	तथा लोक स्वास्थ्य प स्थ्य-	र पूंजीगत परिव्यय-	व्यय	`
<i>04</i> -789-01-	- चिकित्सा - <i>लोक स्वा</i> - अनुसूचित भवन- <b>योजना</b> मूल	<b>तथा लोक स्वास्थ्य प</b> रस्थ्य- ' जाति विशेष घटक य	<b>र पूंजीगत परिव्यय-</b> गेजना-	व्यय ( ₹ लाखों में )	`
04- 789- 01- (i)	- चिकित्सा - लोक स्वा - अनुसूचित भवन- योजना मूल पुनर्वि0	<b>तथा लोक स्वास्थ्य प</b> 'रथ्य- ' जाति विशेष घटक यं 50.00	<b>र पूंजीगत परिव्यय-</b> गेजना- 60.00	व्यय ( ₹ लाखों में )	`
04-789-01-(i) 4215-	- चिकित्सा - लोक स्वा - अनुसूचित भवन- योजना मूल पुनर्वि0 - जलापूर्ति-	तथा लोक स्वास्थ्य पर स्थ्य- जाति विशेष घटक यं 50.00 (-)10.00 तथा स्वच्छता पर पूंजी	र पूंजीगत परिव्यय- ोजना- 60.00 ोगत परिव्यय-	व्यय ( ₹ लाखों में )	`
04-789-01-(i) 4215-01-789-	- चिकित्सा - लोक स्वा - अनुसूचित भवन- योजना मूल पुनर्वि0 - जलापूर्ति - जलापूर्ति - अनुसूचित विभिन्न वि	तथा लोक स्वास्थ्य पर रथ्य- जाति विशेष घटक य 50.00 (-)10.00 तथा स्वच्छता पर पूंजी	र पूंजीगत परिव्यय- ोजना- 60.00 ोगत परिव्यय-	व्यय ( ₹ लाखों में )	`
04- 789- 01- (i)  4215- 789- 02-	- चिकित्सा - लोक स्वा - अनुसूचित भवन- योजना मूल पुनर्वि0 - जलापूर्ति - जलापूर्ति - अनुसूचित विभिन्न वि	तथा लोक स्वास्थ्य पर रथ्य- जाति विशेष घटक यं 50.00 (-)10.00 तथा स्वच्छता पर पूंजी जाति विशेष घटक यं जाती विशेष घटक यं जेलों में ग्रामीण जलापू	र पूंजीगत परिव्यय- ोजना- 60.00 ोगत परिव्यय-	व्यय ( ₹ लाखों में )	`
04- 789- 01- (i)  4215- 789- 02-	- चिकित्सा - लोक स्वा - अनुसूचित भवन- योजना मूल पुनर्वि0 - जलापूर्ति - जलापूर्ति - अनुसूचित विभिन्न वि	तथा लोक स्वास्थ्य पर रथ्य- जाति विशेष घटक य 50.00 (-)10.00 तथा स्वच्छता पर पूंजी	र पूंजीगत परिव्यय- ोजना- 60.00 ोगत परिव्यय-	व्यय ( <b>₹</b> लाखों में ) 60.00	`

04- ग्रामीण संरचना विकास निधि/कृषि और, ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय कृषि बैंक-**योजना** 

(iii) मूल 32,00.00

35,33.06 35,33.06

पुनर्वि0 3,33.06

उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 5,26.08 लाख का आवर्धन कार्य के अधिक निष्पादन के कारण हुआ।

### 4402- मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय-

789- अनुसूचित जातियों विशेष घटक योजना-

03- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतगर्त व्यय-

योजना

मूल **15.00** 

21.20 21.20

पुनर्वि0 6.20

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 6.20 लाख का आवर्धन केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की हिस्स्दारी जारी करने के कारण हुई।

### 4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-

789- अनुसूचित जातियों विशेष घटक योजना-

06- ए0आई०बी०पी० के अन्तर्गत विभिन्न जिलों में उठाऊ सिंचाई योजना-

### केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजना

मूल 24,05.00

24,78.76 24,64.45 (-)14.31

पुनर्वि0 73.76

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 73.76 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

### 4801- बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-

01- हाइडल उत्पादन-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

03- हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड में इक्विटी-

योजना

मूल 11,02.00 11,02.00 56,02.00 +45,00.00

₹ 45,00.00 लाख की अन्तिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2020)।

### 5054- सड़कों तथा पुलों पर पूंजीगत परिव्यय-

04- जिला तथा अन्य सड़कें-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

02- उच्च मार्गों के साथ पंचायतों को लिंक सड़क द्वारा जोड़ना-योजना

मूल

7,50.00

11,21.75

11,31.05

+9.30

पुनर्वि0

3,71.75

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3,71.75 लाख का आवर्धन कार्य के अधिक निष्पादन के कारण हुआ।

10- कृषि और ग्रामीण विकास के लिए राष्टीय बैक के अंतर्गत सड़कों का निर्माण-

योजना

मूल

10,25.00

27,31.01

27,46.12

+15.11

पुनर्वि0

17,06.01

₹ 15.11 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से, मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 17,06.01 लाख का आवर्धन कार्य के अधिक निष्पादन के कारण हुआ जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

₹ 15.11 लाख की अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

### 5055- सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

01- हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम में निवेश-

योजना

पूरक

0.01

15,62.00

15,62.00

पुनर्वि0

15,61.99

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 15,61.99 लाख का आवर्धन लेखाओं के अन्य मुख्यशीर्ष में गलत प्रावधान करने के कारण हुआ। यह हिमाचल प्रदेश बजट नियमावली के पैरा 12.5 और हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली 2009 पैरा 44 का उल्लंघन है।

### विनियोग लेखे

### परिशिष्ट (सभी दत्तमत) (विनियोग लेखाओं के सारांश में सन्दर्भित)

वर्ष 2019-20 के लेखाओं में व्यय में कमी के रूप में समायोजित वसूलियों के अनुमानों और वास्तविकताओं के आँकड़ों का अनुदानवार विवरण

अनुदान संख्या व नाम	बजट अन्	<u>नु</u> मान	वास्तविक आंकड़े		बजट अनुमानों की वास्तविक अ	<u> </u>
						ह्रास (-)
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
1	2	3	4	5	6	7
		(₹	हजारों में)			
5- भू-राजस्व और जिला						
प्रशासन-	5,18,06,00				(-)5,18,06,00	
10- लोक निर्माण कार्य- सडकें,पुल तथा						
भवन-	13,84,68,90		12, 18, 31, 17		(-)1,66,37,73	
11- कृषि-		45,06,97		47,10,46		+2,03,49
12- उद्यान-		12,93,10		14, 10, 49		+1,17,39
13- सिंचाई, जलापूर्ति तथा स्वच्छता-	9,69,47,04		10,64,59,71			+95, 12, 67
	, , ,		-,,, .			,,
31-जनजातीय विकास-	1,71,23,03		1,20,82,10		(-)50,40,93.	
सकल जोड़-	30,43,44,97	58,00,07	24,03,72,98	61,20,95	(-)6,39,71,99	+3,20,88

# © भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक 2020 www.cag.gov.in